खण्ड-242, अंक-6
गुरूवार, 25 आश्विन, शक संवत् 1885
(17 अक्टूबर, 1963 ई0)

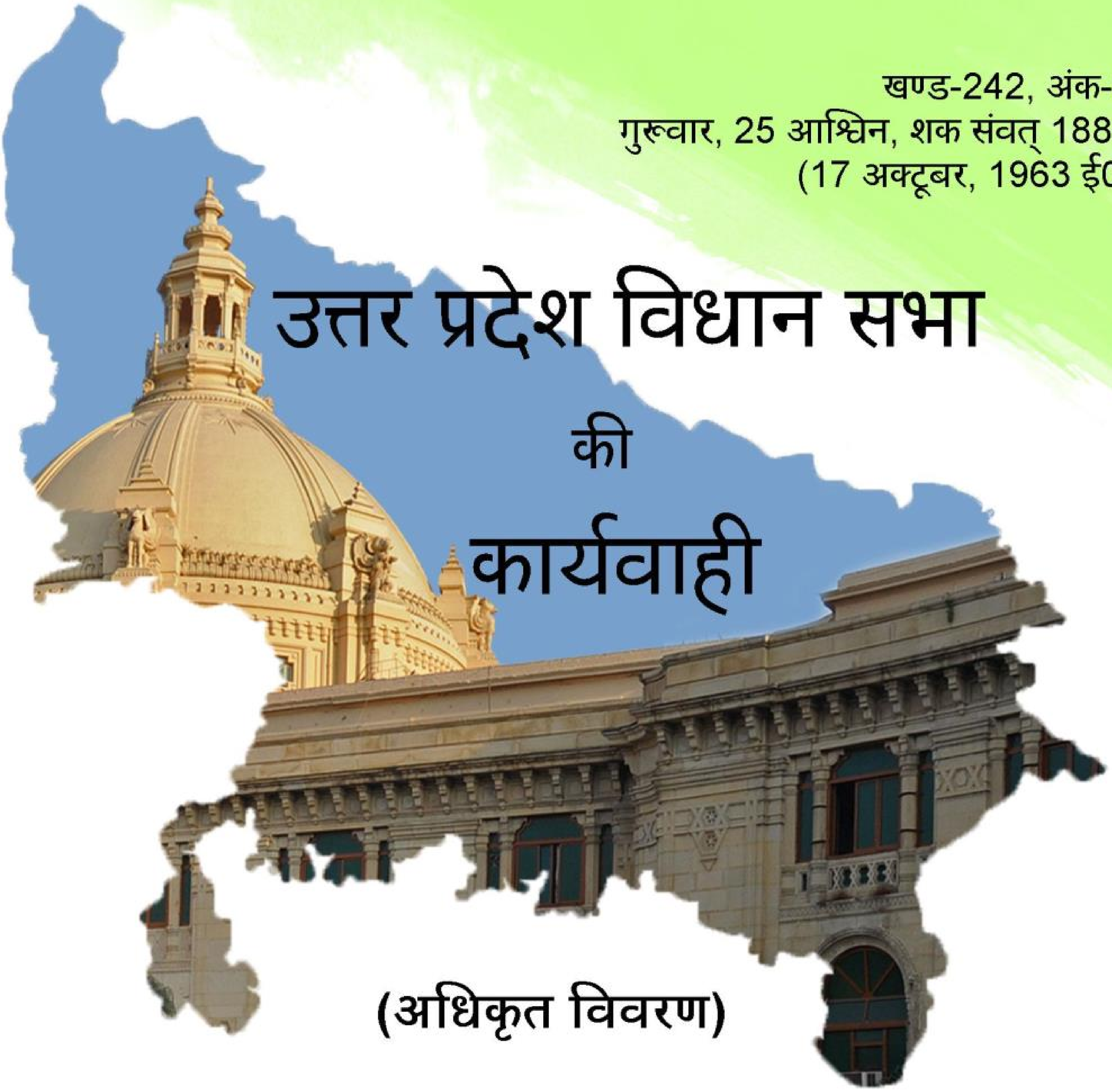

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६७९–६८३
प्रश्नोत्तर	६८३–७१३
लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के संबंध में जानकारी (जारी) ..	७१३
मंत्रि-परिषद् के अवैधानिक गठन तथा मंत्रियों द्वारा गलत शपथ लिये जाने के संबंध में आपत्तियां..	७१३–७३०
श्री अष्टभुजप्रसाद वर्मा के निधन पर शोकोद्गार	७३०–७३२
लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के संबंध में जानकारी (जारी)..	७३२
श्री शराफत हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना ..	७३२
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	७३३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	७३३
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	७३३
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा) ..	७३३
उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	७३४
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (सदन की मेज पर रखा गया) ..	७३४
उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (सदन की मेज पर रखा गया)..	७३४
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ (सदन की मेज पर रखा गया)	७३५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	७३५–७३६
प्रदेश में छात्र आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	७३६–७३९
कानपुर में गंगा के जल-स्तर के गिरने से उत्पन्न बिजली संकट के संबंध में विभिन्न सूचनाएं	७४०
नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	७४०–७४२
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	७४२
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	७४३–७४४

विषय	पृष्ठ-संख्या
सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	७४४–७४५
विधान सभा के १६ सितम्बर को आहूत सत्र को निरस्त किये बिना २३ सितम्बर को आहूत करने के संबंध में उठाये गये प्रश्नों पर निर्णय (जारी)	७४५–७४६
श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी के कथित त्याग-पत्र के संबंध में जानकारी ..	७४६
विधान सभा के १६ सितम्बर को आहूत सत्र को निरस्त किये बिना २३ सितम्बर को आहूत करने के संबंध में उठाये गये प्रश्नों पर निर्णय ..	७४६–७५०
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विवरण ..	७५०–७५६
२० फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७–१९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७५६–७५७
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	७५७–७९०
लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के प्रश्न पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	७९०–७९१
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)	७९१–८१२
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ (स्थगित) ..	८१२
जिला बुलन्दशहर के ऊंचा गांव विकास क्षेत्र को डयोढा विकास क्षेत्र बनाये जाने के संबंध में नियम ५०(१) के अन्तर्गत विवाद ..	८१३–८१९
कानपुर में गंगा के जल-स्तर के गिरने से उत्पन्न बिजली संकट के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	८१९–८४०
नत्थियां	८४१–८६९

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १७ अक्तूबर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३९२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिंहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ए०सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंहविष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अंसारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथ सरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य

मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजनाथ सिंह,श्री
राजानारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेई, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकनसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री

शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह मन्त्री श्री हरगोविन्दसिंह, और गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

---

†प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १७ अक्टूबर, १९६३

मेरठ व बुलन्दशहर जिलों में मोटर ठेला दुर्घटनायें

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर और जिला मेरठ में जनवरी, १९६१ से १९६३ में जून के अन्त तक मोटर-ठेलों से कितनी घटनायें हुयीं ?

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४२ के अन्तर्गत छापे गये।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इस अवधि में मोटर ठेलों से जिला बुलन्दशहर में १६८ तथा जिला मेरठ में ३४७ दुर्घटनायें होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार मोटर-ठेलों से बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपरोक्त जिलों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है :

जिला बुलन्दशहर

मोटर ठेलों का निर्धारित गति से तेज चलने पर चालान किया गया । जहां उचित समझा गया वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिये कान्सटेबिल तैनात किये गये तथा "वन वे" (one-way) ट्रैफिक किया गया । शहर व कस्बों में आवश्यकतानुसार मोटर ठेलों की गति निर्धारित की गई ।

जिला मेरठ

एक पुलिस टुकड़ी की नियुक्ति की गई है जो तेज गति से चलने वाली गाड़ियों की गति पर नियंत्रण रखती है । इस टुकड़ी में १ सब-इन्सपेक्टर तथा ६ कान्स्टेबिल हैं । उड़न दल द्वारा साधारण जनता को यातायात के नियमों के पालन करने के विषय की सूचना दी जाती है । पुलिस द्वारा चौराहों व अन्य स्थानों पर काफी रोकथाम की जाती है । जिले के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार ठेलों की गति निर्धारित की गई है । नगर के चौराहे चौड़े कराये जाने के लिये नगरपालिका को लिख दिया गया है ।

सुपरिंटेंडेट, गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग, द्वारा हिन्दी की अवहेलना करने की शिकायत

*३—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसे पता है कि प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी होते हुये भी गवर्नमेंट प्रेस, ऐशबाग के सुपरिंटेंडेंट, श्री हालगे ने १३ नवम्बर, १९६२ को एक आदेश नं० १११२ जो अंग्रेजी में था, बांटा तथा जो कर्मचारी अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उनको हिन्दी की प्रति मांगने पर भी नहीं दी गयी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

उक्त आदेश की प्रतियां हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बांटी गई थीं ।

*४—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या यह सत्य है कि इन कर्मचारियों को चार्जशीट सं० ८१-एफ/४-१२४७—१२४७-६३, ९ अप्रैल को दी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, उक्त कर्मचारियों को कोई चार्जशीट नहीं दी गई । चार्जशीट सं० ८१ एफ ४/१२४७–१२४७-६३, दिनांक ९ अप्रैल का आदेश नं० १११२ से कोई संबंध नहीं है । अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*५—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिये जो हिन्दी की जानकारी की अनिवार्यता थी, उसे समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब से तथा क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस कांस्टेबिल, राज बल्लभसिंह को पुरस्कार

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस कांस्टेबिल राज बल्लभ सिंह को जिसने कि चौकी बुगरासी (थाना स्थाना), जिला बुलन्दशहर, के इलाके में लाला डाकू का मुकाबला करके हलाक किया, उसके इस कार्य के विषय में उसको हौसला अफजाई के लिये कोई इनाम दिया गया था और उसकी कोई तरक्की की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सत्य नहीं है कि कांस्टेबिल राज बल्लभ सिंह ने जो चौकी बुगरासी, थाना स्थाना, जिला बुलन्दशहर, में नियुक्त था लाला डाकू को स्वयं अकेले मुकाबला करके हलाक किया। उसने एक दूसरे कांस्टेबिल के साथ उक्त डाकू को एक मुठभेड़ में मारा और दोनों कांस्टेबिलों को इसके लिये ५०, ५० रु० इनाम में दिये गये। पदोन्नति के लिये उसे अभी पूर्णतया योग्य नहीं पाया गया है।

राजनीतिक दलों में हिस्ट्रीशीटर

*७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार इस संकटकालीन स्थिति में प्रशासन को सही ढंग से चलाने एवं ग्रामीण सुरक्षा को मजबूत बनाने की दृष्टि से पुलिस स्टाफ एवं थानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

संकटकालीन स्थिति के कारण जो पुलिस एवं थानों की वृद्धि सरकार ने की या करने का विचार कर रही है उसका ब्योरा देना जनहित में उचित नहीं होगा।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश में ऐसे लोग जो हिस्ट्रीशीटर हैं या जरायम पेशा लोग हैं वह विभिन्न राजनैतिक दलों में शामिल हो गये हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के लोगों की कितनी संख्या है और किन-किन दलों में ये लोग शामिल हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यद्यपि सरकार के पास कभी-कभी ऐसी सूचना आती है कि कोई व्यक्ति जो हिस्ट्रीशीटर आदि हो वह किसी राजनैतिक दल का भी सदस्य है, परन्तु इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि कुल ऐसे कितने व्यक्ति हैं। हिस्ट्रीशीटर तथा जरायमपेशा लोगों की संख्या बहुत अधिक है तथा राजनीतिक दलों की सदस्यता की निश्चित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। अतएव वांछित सूचना एकत्र करना संभव नहीं है।

चीनी, गुड़, व खांडसारी उत्पादन

*९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी चीनी, गुड़ तथा खांडसारी सन् १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में पैदा हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४१ पर।)

गोरखपुर जिले में अपराध

*१०—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के थाना कैम्पियरगंज, पुरन्दरपुर तथा नयी कोट के अन्तर्गत सन् १९६०, १९६१, १९६२ तथा मार्च, १९६३ में कितने मामले कत्ल, डकैती, चोरी के हुये तथा उनमें कितने में सजा हुई और कितने मामलों में अभियुक्त छूट गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४२-८४३ पर।)

*११—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[हटा दिया गया।]

एस० पी०, बिजनौर के विरुद्ध शिकायत

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि अक्तूबर सन् १९६२ में कोई जीप गाड़ी नं० डी० एल० एफ० २०७० मुजफ्फरनगर-बिजनौर सड़क पर रावली घाट पर पुलिस ने पकड़ी थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन लोग थे और किस जुर्म में पकड़ी गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न में उल्लिखित जीप रावली घाट पर नहीं पकड़ी गई। किन्तु धारा ३५४ भा० दं० वि० के एक मुकदमें के सिलसिले में पुलिस ने इस गाड़ी को मु० चाहशीरी, बिजनौर के एक वर्कशाप से बरामद किया। उस समय गाड़ी में कोई व्यक्ति नहीं था।

*१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उस गाड़ी में कोई २० साला लड़की भी बरामद हुई थी ? यदि हां, तो उस लड़की ने पुलिस में क्या बयान दिया और किन-किन मुल्जिमान के खिलाफ किस धारा में मुकदमा कायम किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गाड़ी में कोई २० साला लड़की बरामद नहीं हुई थी। किन्तु एक ३०, ३२ वर्षीय स्त्री ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि तीन व्यक्तियों ने दि० ६/७-१०-६२ की रात्रि को, जब वह राम लीला देख कर प्रश्न १ में उल्लिखित जीप पर, अभियुक्तों के साथ,

वापस आ रही थी, तो अभियुक्तों ने रास्ते में जीप रोक कर उसके साथ छेड़-छाड़ की और इस बारे में किसी से कुछ कहने पर मार डालने की धमकी दी। इस रिपोर्ट के आधार पर श्री महेन्द्र सिंह, श्री पुलिन कुमार सिंह तथा श्री मुख्तार के विरुद्ध धारा ३५४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

*१४---श्री रियासत हुसैन---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस लड़की के ऊपर एस० पी०, जिला बिजनौर ने अपने यहां बुलाकर दबाव डाल कर उसके इब्तदाई बयान बदलवा दिये और मुकद्दमे में फाइनल रिपोर्ट लगवा दी गयी? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं। संबंधित महिला पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया। इस मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट इस कारण लगी कि महिला सम्भ्रान्त घराने की है और वह अदालत नहीं जाना चाहती थी।

विधायक, श्री रामबली को रिवाल्वर का लाइसेंस न मिलना

*१५---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक, श्री रामबली, जिला सुल्तानपुर, का रिवाल्वर का लाइसेंस जिलाधीश, सुल्तानपुर ने कैन्सिल कर दिया है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री हरगोविन्दसिंह---

लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया बल्कि २१-१२-६२ के आगे उसका नवीनीकरण (रिन्यूअल) नहीं किया गया। लाइसेंस के नवीनीकरण न किये जाने का कारण यह है कि श्री रामबली वयोवृद्ध हो चुके हैं और लाइसेंसिंग अधिकारी की राय में अब वे शस्त्र के लाइसेंस के योग्य नहीं हैं।

*१६---श्री उग्रसेन---

क्या यह सही है कि जिलाधीश, सुल्तानपुर ने श्री रामबली से सुरक्षा कोष के लिये ५००रु० मांगे परन्तु श्री रामबली ने इतने रुपये देने से इन्कार कर दिया, तो उन्होंने उनका रिवाल्वर कैन्सिल कर दिया?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं।

रुद्रपुर (देवरिया) थाने के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*१७---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के पुलिस कर्मचारियों की धांधागर्दी, भ्रष्टाचार एवं चराई-कटाई के विरुद्ध कोई प्रस्ताव रुद्रपुर राप्ती कछार, जन सम्मेलन के दिनांक १२ जुलाई, १९६३ के अधिवेशन का १७ जुलाई, १९६३ को भेजा हुआ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जायेगी? खुली जांच के बाद कौन-सी उचित कार्रवाई अमल में लाई गयी है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां। उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रस्ताव के खंड (३) में अंकित नायब दरोगा के विरुद्ध आरोप के बारे में जांच एन्टी करप्शन द्वारा हो रही है अन्य आरोपों के बारे में आवश्यक जांच से किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं पाई गई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८४४ पर।)

*१८--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[हटा दिया गया।]

अस्थायी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट

*१९--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को ५ साल सर्विस में हो गये हैं उन को अब तक कन्फर्म न किये जाने के कौन-कौन से कारण हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

काम ठीक न करने तथा आचरण की खराबी, आदि।

रिहन्द विद्युत गृह की मशीनें

*२०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के रिहन्द विद्युत् घर के कार्यारम्भ काल से अब तक दोषपूर्ण मशीनों की मरम्मत का कार्य किसके द्वारा हुआ और इस पर कितना धन व्यय हुआ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

रिहन्द विद्युत् घर में लगी हुई मशीनों में कोई भी विशेष दोष अब तक दिखलाई नहीं पड़ा है और इस कारण इस पर कोई व्यय भी नहीं हुआ।

गोरखपुर जिले में अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*२१--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में इण्डस्ट्रियल स्टेट के लिए हवाई अड्डे और गोरखनाथ मन्दिर के आस-पास की जो जमीन ली गयी है उसके मुआवजे की रकम प्रति एकड़ किस हिसाब से दी गयी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गोरखपुर जिले में हवाई अड्डे के पास इंडस्ट्रियल स्टेट के लिये कोई भूमि नहीं ली गयी है। गोरखनाथ मन्दिर के पास अध्याप्त की गयी भूमि का मुआवजा १०,००० रुपया प्रति एकड़ भूमिधरों को तथा ९,९५० रु० प्रति एकड़ खरीदारों को दिया गया है।

*२२--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार ने कितनी भूमि अन्य कार्यों के लिये कहां-कहां ली है और उनका मुआविजा किस रेट पर उन्हें दिया गया है या देने का विचार है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गोरखपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने उद्योग विभाग के अन्तर्गत ग्राम मेडियागढ़ में ०.०६ एकड़ भूमि राजकीय टेक्निकल स्कूल के लिये ८,००० रु० प्रति एकड़ की दर से तथा १०.२३ एकड़ भूमि उर्वरक (Fertilisers) कारखानों के निमित्त अध्याप्त किया है। उपरोक्त १०.२३ एकड़ भूमि का प्रतिकर का रेट एवार्ड दिये जाने के पश्चात् ही बतलाया जा सकता है।

भरुआ सुमेरपुर थाने की पुलिस के खिलाफ शिकायत

*२३--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर, थाना भरुवा सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम रैपुरा और ग्राम पारा के बीच में दिनांक २९ जून, १९६३ को दो डाकुओं ने करीब ८ राहगीरों को लूटा, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गयी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक २९-६-६३ को ८ राहगीरों के लूटे जाने की किसी घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गयी बल्कि दो राहगीरों का एक झोला दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लेकर भाग जाने की एक घटना अवश्य हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाने पर दूसरे दिन की गई जो भा० दं० वि० की धारा ३७९ के अन्तर्गत दर्ज की गई।

छोटी चोरी होने के कारण घटना की जांच नहीं की गई।

*२४--श्री शिवनाथसिंह--

क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर आये दिन ऐसी ही घटनायें घटती रहती हैं परन्तु उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं। उक्त स्थान पर उपर्युक्त घटना के अतिरिक्त कोई घटना नहीं हुई।

*२५--श्री शिवनाथसिंह--

क्या यह भी सही है कि वहां की पुलिस इन डाकुओं को जानते हुये भी नहीं पकड़ रही है? यदि हां, तो सरकार इस जनहित कार्य के लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी नहीं, यह बात सही नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित घटनास्थल पर उपर्युक्त केवल एक ही घटना हुई है।

पुलिस सब-इन्सपेक्टर कंधरापुर द्वारा भैंस की बरामदगी

*२६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में थाना कंधरापुर के ग्राम भवनपुर में जून, १९६१ को सब-इंस्पेक्टर कंधरापुर ने कोई लावारिस भैंस बरामद की थी? यदि हां, तो क्या वह भैंस किसी के अनधिकृत कब्जे में थी?

*२७--क्या यह सच है कि उक्त भैंस के कुर्क व नीलाम होने का आदेश गत १० अक्तूबर, १९६१ को जुडिशियल आफिसर मुहम्मदाबाद की अदालत से हुआ था? यदि हां, तो उस भैंस का कब नीलाम हुआ, नीलाम किसने खरीदा और नीलाम की क्या धनराशि है और वह सरकारी खजाने में कब जमा हुई?

*२८—क्या यह सच है कि कुर्क होने के बाद भैंस ग्राम के चौकीदार के चार्ज में रख दी गयी और कुछ दिन बाद चौकीदार तथा गांव के कुछ गुन्डों ने मिल कर भैंस चोरी से बेंच डाली ? यदि हां, तो इसमें सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, जौनपुर में नियुक्ति पर आपत्ति

*२९—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, १९६३ में अर्थ एवं संख्या विभाग, जौनपुर में १६०–४०० रुपये के स्केल के कुछ सांख्यिकीय सहायकों की नियुक्ति एम्प्लायमेंट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज ऐक्ट, १९५९ के सेक्शन ४ (१) रूल नं० (५) के विरुद्ध हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं। मई, १९६३ में अर्थ एवं संख्या निदेशालय के जौनपुर स्थित जिला संख्याधिकारी कार्यालय में वेतन-क्रम १६०–४०० रुपये में एक संख्या सहायक की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति ३ माह से कम अवधि की थी; अतः एम्पलायमेंट एक्सचेंज कमपल्सरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज ऐक्ट, १९५९ के सेक्शन ३ (सी) के अनुसार ठीक हुई और इसके करने में कथित ऐक्ट के सेक्शन ४ (१) रूल नं० (५) का उल्लंघन नहीं किया गया।

आजमगढ़ जिले में पुलिस बढ़ाने की आवश्यकता, अतरौलिया थाने में साधु हत्या संबंधी जांच

*३०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चक्की मुसारोही, जिला आजमगढ़ में आये दिन खड़ी फसलों की गैर-कानूनी कटायी होती है जिसे रोकने के लिए स्थानीय निवासियों तथा आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने एक पुलिस चौकी कायम करने के लिए सरकार को लगभग ४ माह पहले लिखा था ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी नहीं, शासन के पास चक्की मुसाडोही, जिला आजमगढ़, में आये दिन खड़ी फसलों की गैर-कानूनी कटाई के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है। उपरोक्त ग्राम में जिला अधिकारियों के द्वारा एक पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के लिये भी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस सम्बन्ध में केवल ग्राम सभा मुसाडोही के प्रधान द्वारा एक प्रार्थना-पत्र शासन को १२ अगस्त, १९६३ को दिया गया था जो पुलिस महानिरीक्षक को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

*३१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस आयोग सुझावानुसार प्रदेश में किन-किन जिलों में किन-किन स्थानों पर नये पुलिस स्टेशन खोलने तथा पुलिस चौकियों को थाने के रूप में परिवर्तित करने की योजना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाने व पुलिस चौकियों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में पुलिस आयोग के सुझाव अभी शासन के विचाराधीन हैं ; अतः अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि किन जिलों में तथा किन-किन स्थानों पर नये थाने खोले जायेंगे या कौन-सी चौकियां थाने में परिवर्तित होंगी।

*३२---श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मंत्री आजमगढ़ जिलान्तर्गत अतरौलिया थाने के कर्मचारियों द्वारा साधू की हत्या करने के सम्बन्ध में परगनाधीश फूलपुर द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

परगनाधीश फूलपुर द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में न होगा।

जिला गन्ना सप्लाई समिति, बरेली में गबन

*३३---श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गन्ना सप्लाई समिति लि०, बरेली में लाखों रुपये का गबन तथा गोलमाल है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त समिति का स्पेशल आडिट कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा आडिट रिपोर्ट से सदन को भी अवगत करायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३४---श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बरेली में कोई पेपर मिल खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कितनी लागत से और कब ? उसके लिए कौन-सा स्थान चुना गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं।

पूर्वी जिलों में मजदूरी की दरें

*३५---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार उत्तर प्रदेश के चार पूर्वी जिलों तथा दो पश्चिमी जिलों की दशा का पता लगाने के लिये जो आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं, उनकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

प्रश्न नहीं उठता। जांच समिति ने चार जिलों (गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया तथा जौनपुर) के अध्ययन के लिये बहुत सी अन्य सामग्री के साथ यह आंकड़े एकत्रित कराये हैं लेकिन उन्हें सरकार को नहीं भेजा है।

*३६---श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बतायेगी कि गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़ जिलों में मजदूरों की दरें क्या हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्वी पश्चिमी जिलों में लेबर तथा मेट को क्या मजदूरी दी जाती है और इसका आधार क्या है ?

श्री राममूर्ति--

वांछित सूचना संलग्न है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी जाने वाली मजदूरी प्रचलित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४५ पर।)

*३७--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बतायेगी कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए तथा उनकी दशा सुधारने के लिये सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या-क्या सुझाव दिये हैं ?

श्री राममूर्ति--

संयुक्त जांच समिति स्वयं केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों को सुझाव देगी। प्रदेशीय सरकार ने कोई सुझाव जांच समिति को नहीं भेजे हैं।

नसीराबाद थाने में गोली चलाने की घटना

*३८--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में थाना नसीराबाद के अन्तर्गत वर्ष १९६३ से दिनांक १९/२० मार्च की रात को कोई गोलीकांड हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना के अधिकारियों ने तत्काल लिखने से इनकार कर दिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

१९-३-६३ की रात के लगभग १० बजे थाना नसीराबाद के अन्तर्गत एक व्यक्ति पर देशी तमंचे से फायर किए जाने की घटना हुई थी। यह सत्य नहीं है कि थाने के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट लिखने से इंकार किया।

*३९--रतीपाल--

क्या यह सही है कि इसके बाद पुलिस चौकी जायस के किसी अधिकारी ने उनके साथ आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जो कि घटना के करीब १२ घंटे बाद दर्ज हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं ।

*४०--रतीपाल--

क्या सरकार इस काण्ड से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस घटना में पांच अभियुक्त संबंधित पाये गये, जिनके नाम ये हैं :-

१--मोहम्मद सईद २--मोहम्मदी वली ३--मोहम्मद हसन
४--नबी बख्श ५--लाल मोहम्मद

स्वर्ण नियंत्रण आदेश का प्रभाव

*४१--श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किये जाने के बाद से उत्तर प्रदेश भर में कितने स्वर्णकारों पर इसका प्रभाव पड़ा है और उनकी सहायता एवं पुनर्वास हेतु अनुदान की क्या कोई विशेष व्यवस्था हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

(क) अनुमानतः प्रदेश में २०,००० स्वर्णकारों पर स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किये जाने का प्रभाव पड़ा है ।

(ख) उनकी सहायता तथा पुनर्वास हेतु राज्य सरकार ने अनुदान की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है ।

*४२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[हटा दिया गया ।]

*४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[३ रे गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

लखनऊ में हार्डिंज ब्रिज के निकट जीप बस टक्कर

*४४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक ५ अगस्त को लखनऊ में हार्डिंज ब्रिज के पास एक सरकारी जीप और एक प्राइवेट बस में गम्भीर टक्कर हुई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां । टक्कर हुई थी ।

*४५—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार इस Accident का विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दि० ५-८-६३ को सायंकाल ६.१५ के लगभग एक प्राइवेट बस जो हरदोई की ओर से आ रही थी तथा एक सरकारी जीप, जो सीतापुर की ओर जा रही थी, में हार्डिंज ब्रिज के निकट मोड़ पर टक्कर हो गई ।

*४६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी जीप किस विभाग की थी और जो सरकारी अधिकारी उसका उपयोग कर रहे थे क्या वह उसको उपयोग करने के अधिकृत थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सरकारी जीप जिला नियोजन अधिकारी, उन्नाव की थी । प्रश्न के दूसरे भाग से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मंत्रियों तथा सभासचिवों के दौरों पर व्यय

*४७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ अप्रैल, १९६३ से मई, १९६३ तक विभिन्न मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभासचिवों ने उत्तर प्रदेश में कहां-कहां और कब-कब दौरे किये तथा अलग-अलग कितना-कितना रुपया भत्ते में लिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित †सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है । नियमानुसार मंत्रियों को दौरे का भत्ता कुछ नहीं मिलता । केवल वास्तविक व्यय दिया जाता है जोकि तालिका में दिखा दिया गया है ।

---

† छापी नहीं गई ।

आदर्शनगर, लखनऊ में पुलिस से झगड़ा

*४८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १० अगस्त, १९६३ को लखनऊ स्थित आदर्श-नगर में पुलिस द्वारा एक परिवार में घुसकर महिलाओं को आतंकित किया गया जिस पर जनता तथा पुलिस के बीच संघर्ष हो गया और अनेक नागरिक घायल हुये ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना तथा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८४६ पर)

मैनपुरी जिले में पुलिस लाइसेंसदारों के प्रार्थना-पत्र

*४९—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

विधान सभा के २८ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ से २३ के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संलग्न सूची के क्रम सं० ११ और १२ पर अंकित श्री शिव-दयाल और श्री नेकराम की बंदूकों को जमा कराने के लिये आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सर्वश्री शिवदयाल तथा नेकराम के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा १४८–३०७–३७९–३२३ के अन्तर्गत एक मुकदमा चला था जिसकी जांच के समय दोनों व्यक्तियों की बन्दूकों को पुलिस ने अपने अधिकार में लेकर मालखाने में जमा कर दिया था ।

*५०—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह दोनों बन्दूकें मुकदमें की जांच के समय पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई थीं, अतः आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५१—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जब उपर्युक्त दोनों व्यक्ति न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त घोषित कर दिये गये हैं तो इनके प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर भी इनकी बंदूकें वापस क्यों नहीं की जाती हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दोनों व्यक्ति न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त घोषित कर दिये गये थे जिसके फलस्वरूप जांच के बाद श्री शिवदयाल को १३-३-६३ को और श्री नेकराम को ४-१०-६३ को उनकी बंदूकें वापस कर दी गईं ।

मुगरा बादशाहपुर में पाकिस्तान भक्तों की गिरफ्तारी

*५२—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर स्थित मुगरा बादशाहपुर नाम कस्बे में दिनांक २० अगस्त, १९६३ को "पाकिस्तान जिन्दाबाद" और "आओ बच्चों तुम्हें

दिखायें झांकी पाकिस्तान की" के रिकार्ड बजाते हुये कुछ आदमी पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त स्थान में "आओ बच्चों तुम्हें दिखायें झांकी पाकिस्तान की" के रिकार्ड के बजाये जाने की तो नहीं, परन्तु एक दूसरे रिकार्ड "जमीं फिरदौस पाकिस्तान की होगी जमाने में," बजाये जाने की सूचना मिली है जिसमें "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के शब्द भी आते हैं। जब यह रिकार्ड बजाया गया तो वहां कुछ तनाव हो गया जिसके कारण पुलिस ने धारा १५१, Cr. Pc. के अन्तर्गत २ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जो बाद में मुचलके और जमानत पर छोड़ दिये गये। तफतीश से मालूम हुआ कि कोई अपराध नहीं बना है इसलिए कोई और कार्यवाही नहीं की गई।

*५३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पाकिस्तान भक्तों की जमानत करने वाले का किस राजनैतिक संस्था से सम्बन्ध है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जमानत देने वाला व्यक्ति स्थानीय कांग्रेस मंडल का अध्यक्ष बताया जाता है।

सहारनपुर जिले में डकैतियां

*५४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १ जनवरी, १९६३ से २० अगस्त, १९६३ तक जिला सहारनपुर में कितने डकैती के केस हुये तथा कितने आदमी उनमें मारे गये और इसी बीच पुलिस ने कितने डकैत गिरफ्तार किये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

२३ डकैतियां पड़ीं जिनमें ४ आदमी मारे गये और ९१ डाकू गिरफ्तार हुए।

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार सहारनपुर के मुहल्ला labour-colony से कुछ डकैत उसके तथा साथियों की गिरफ्तारी किन हालत में किन लोगों द्वारा हुई, उसका विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

लेबर कालोनी, सहारनपुर से केवल दो डाकू रशीद उर्फ कुद्दू तथा टीका उर्फ महाशय गिरफ्तार किए गए। इनकी लेबर कालोनी में होने की सूचना इनके एक साथी सईद ने, जो पहले गिरफ्तार हो चुका था, दी थी। इस सूचना पर डिप्टी एस० पी०, श्री कोरिया सादे कपड़ों में एक पुलिस पार्टी जिसमें सर्वश्री रंगदेव सिंह कोतवाल, गुलबीर सिंह दरोगा व ८ कान्सटेबुल थे, मुखबिर को, जिसने सईद को भी पकड़वाया था, साथ लेकर लेबर कालोनी पहुंचे। वहां पर एक पुलिस पार्टी श्री गुलवीर सिंह के साथ डाकुओं का पता लगाने गई, शेष पुलिस जन समीप के एक ईंट के भट्ठे में छिप गये।

लेबर कालोनी में मुखबिर ने डाकुओं को रास्ते में पहचान कर बताया, इस पर डाकू रशीद व टीका संयोगवश उसी ईंट के भट्टे की तरफ भागे, जहां दूसरी पुलिस पार्टी छिपी हुई थी। मकबूल सिपाही ने रशीद की टांग पर एक लाठी मारी। रशीद ने अपना रिवाल्वर चलाना चाहा, इसी

बीच श्री गुलबीर सिंह ने एक लाठी का प्रहार उसकी बांह पर किया और टीका को भी लाठी से आहत किया। भट्ठे में छिपी हुई पुलिस पार्टी ने भी एका-एक डाकुओं पर आक्रमण कर दिया और दोनों डाकू पकड़ लिये गये।

चीनी उत्पादन

*५६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में शकर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह तात्कालिक तथा स्थायी रूप से कौन-कौन से उपाय कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना प्राप्त हो सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए गन्ने के मूल्य में भी कुछ वृद्धि की गई है और पावर क्रशर आदि पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं जिससे गन्ना क्रशर की तरफ जाना कम हो जाय।

स्थायी रूप से जो उपाय कार्यान्वित किये जा रहे हैं वे यह हैं :

(१) प्रदेश की सब मिलों के गेट एरिया (Gate area) में गन्ने की सघन खेती का विकास (Intensive development scheme for cane) किया जा रहा है।

(२) जो मिलें अलाभकर हैं उनका आधुनीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

निजी क्षेत्र उद्योगों को लाइसेंस

*५७—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने ऐसे निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिनकी पूंजी लागत अनुमानतः ५ लाख या उससे अधिक है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में (अप्रैल, १९६१ से सितम्बर, १९६३ तक) इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को ऐसे १५४ लाइसेंस प्राप्त हुए हैं।

*५८—श्री टम्बेश्वर प्रसाद तथा श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितनों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और कितनों पर अभी कार्यारम्भ होना शेष है तथा कितनों में उत्पादन होने लगा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त १५४ लाइसेंसों में से २५ लाइसेंस या तो भारत सरकार ने रद्द कर दिये हैं अथवा संबंधित फर्मों ने स्वयं उन्हें वापस कर दिया है। २ लाइसेंस अन्य राज्यों को हस्तान्तरित हो गये हैं। १९ लाइसेंसों के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। ८४ लाइसेंसों को कार्यान्वित करने के लिये फर्मों ने आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और १८ लाइसेंसों को कार्यान्वित करने के लिये अभी कार्यारम्भ होना शेष है।

६ लाइसेंस, जो पहले से स्थापित कारखानों के संचालन हेतु दिये गये हैं, में से ४ में उत्पादन हो रहा है और शेष २ में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

कौड़वाखेड़ा डकैती के संबंध में बिसवां थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*५९—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ जून, सन् १९६३ को गांव कौड़वाखेड़ा, थाना बिसवां, जिला सीतापुर में एक डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं द्वारा एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल किया गया जो बिसवां अस्पताल में दाखिल किया गया और इस घायल व्यक्ति को सूचना अस्पताल के डाक्टर साहब ने दरोगा, श्री दयाराम को लिखित भेजी, जो उन्हें प्राप्त हो गयी परन्तु न दरोगा जी आये और न रिपोर्ट लिखी, जबकि सरकार ऐसे कार्य के लिए पूर्ण सुविधा पुलिस को देती है ?

श्री हरगोविंदसिंह—

२३–२४ जून, ६३ की रात्रि में एक डकैती श्री शोबरन लाल कुर्मी के घर में पड़ी थी जिसमें डाकुओं की गोली से घायल हुए श्री बद्रीप्रसाद को बिसवां अस्पताल में भरती किये जाने के पश्चात् वहां के डाक्टर ने एक लिखित रिपोर्ट थाने को भेजी थी, जो २४ जून को ४ बजे सवेरे पहरे पर नियुक्त कांस्टेबुल को मिली। सब-इंसपेक्टर, श्री दयाराम एक कत्ल के मुकदमे की जांच व पंचायतनामे के सम्बन्ध में बाहर गये हुये थे और उस समय थाने पर उपस्थित नहीं थे।

श्री शोबरन लाल ने स्वयं डकैती की सूचना थाने पर ७.३० बजे सवेरे दी जिसके आधार पर एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत कायम हुआ। यह सही नहीं है कि डकैती की रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

*६०—श्री जसरामसिंह—

क्या घायल व्यक्ति की चिन्ताजनक दशा देखकर बिसवां अस्पताल के डाक्टर ने तहसीलदार को उसका बयान लिखवा दिया और साढ़े तीन घंटे बाद इस व्यक्ति को विशेष उपचार के लिये सीतापुर भेजा, किन्तु थाने का कोई पुलिस अधिकारी उसके साथ नहीं गया और वह व्यक्ति सीतापुर अस्पताल पहुंचाने से पहले ही मर गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, यह सत्य है, परन्तु पुलिस के न पहुंचने का कारण यह है कि उक्त थाने के अन्तर्गत पिछले ४८ घंटों में तीन डकैती, दो नकबजनी, एक बलवा मय कत्ल एवं अन्य अपराधों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाने के सभी जिम्मेदार अधिकारी व्यस्त थे। इसके अतिरिक्त डाक्टर बिसवां द्वारा थाने को भेजी गई सूचना में घायल व्यक्ति की दशा चिन्ताजनक होने तथा उसके डकैती में घायल होने का उल्लेख नहीं था।

*६१—श्री जसरामसिंह—

क्या उक्त घायल व्यक्ति जब सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और उसके पास उसकी पत्नी और बूढ़ा बाप रो रहे थे तो उस सड़क से एस० डी० एम० बिसवां, श्री विजयपाल सिंह सरकारी गाड़ी से गुजरे और उन्होंने उतर कर पूछ जांच की, तो पता चला कि उक्त श्री दयाराम थानेदार ने उनकी कोई परवाह नहीं की जिस पर वे बिसवां थाने पहुंचे और पुलिस की जनरल डायरी थाने में चेक की, जो १७ घंटे से नहीं लिखी गयी थी और उसमें डकैती की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं थी ? यदि हां, तो श्री दयाराम, दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री वी० पी० सिंह, एस० डी० एम०, बिसवां को वह घायल व्यक्ति शहर में मिला था जबकि वह मर चुका था परन्तु यह सही नहीं है कि उनको उस वक्त की जांच से यह ज्ञात हुआ कि थानेदार, श्री दयाराम ने घायल व्यक्ति तथा उसके घर वालों की कोई परवाह नहीं की क्योंकि वह घायल व्यक्ति तथा उसके मां बाप न तो थाने पर गये थे न सब-इंस्पेक्टर, श्री दयाराम से ही मिले थे।

एस० डी० एम० लगभग ११ बजे जब थाना बिसवां पहुंचे तो श्री दयाराम उनको थाने के दरवाजे पर कत्ल के मुकदमें की जांच से लौटते हुये मिले और साथ ही थाने में प्रविष्ट हुए। जनरल डायरी चेक करने पर ज्ञात हुआ कि वह १७ घंटे से नहीं लिखी गई थी अतः कौड़वा खेड़ा ग्राम की डकैती भी उसमें नहीं दर्ज हुई थी परन्तु उसकी चिक तथा स्पेशल रिपोर्ट आदि पूर्ण हो चुकी थी जिन्हें एस० डी० एम० महोदय ने नहीं देखा था।

थाने की जनरल डायरी समय पर न लिखे जाने के कारण श्री दयाराम व एक हेड मुहर्रिर को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सेरामऊ थाने में शेरों का आतंक

*६२—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को यह पता है कि जिला नैनीताल में नरभक्षी शेर ने व जिला शाहजहांपुर में मवेशी मारने वाले (Cattle lifter) शेर ने आतंक मचा रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में एक तफसीली बयान देने की कृपा करेगी और उनके मारने वालों के लिए वन विभाग के अधिकारी क्या सहयोग देंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नैनीताल जिले में नरभक्षी शेर ने कोई आतंक नहीं मचा रक्खा है। जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र में एक नर व एक मादा बाघों के मवेशी मारने व उठा ले जाने की सूचना मिली थी। फलस्वरूप उनको मवेशी मारने व उठा ले जाने वाले घोषित कर दिया गया है तथा मारने वाले शिकारियों को १०० रु० का पुरस्कार देने के लिये आवश्यक आदेश भी प्रसारित कर दिये गये हैं। बन विभाग के अधिकारियों व स्थानीय शिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दें। इन शेरों की बराबर खोज हो रही है।

हाइडिल विभाग गंगा सर्किल, रुड़की में कनेक्शनों की जांच

*६३—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाइडिल विभाग गंगा सर्किल, रुड़की में पिछले दो-तीन साल में अनधिकृत आदेशों पर कनेक्शन्स दिये गये हैं? यदि हां, तो सरकार को इसकी सूचना कब मिली है और सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा कुल कितने ऐसे कनेक्शन दिये गये हैं? क्या सरकार कृपया मामले की पूरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां, इस प्रकार के १३ कनेक्शन दिये गये हैं। सरकार को पहले पहल इस सम्बन्ध में सूचना अप्रैल, १९६३ में मिली। अभी मामले की जांच हो रही है। अतएव इस विषय में अधिक कुछ कहना सम्भव नहीं है।

छुट्टियां

*६४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गजेटेड व ऐच्छिक छुट्टियां किस आधार पर निश्चित की जाती हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में गजटेड छुट्टियां निम्नलिखित आधार पर घोषित की जाती हैं:

(१) तीन राष्ट्रीय छुट्टियां अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्म दिवस। ये छुट्टियां अनिवार्य होती हैं।

(२) पन्द्रह सामान्य छुट्टियां जिनका चयन प्रति वर्ष इस प्रकार किया जाता है कि उनमें ऐसे मुख्य मुख्य धार्मिक त्योहार सम्मिलित हो जायं जो कि रविवार तथा अन्य बंद छुट्टियों के दिन न पड़ते हों। परन्तु छुट्टियों की संख्या पन्द्रह से अधिक न हो।

(३) इसके अतिरिक्त बैंकों की अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक लेखा बन्दी के उपलक्ष्य में दो छुट्टियां दी जाती हैं जो कि केवल कोषागारों तथा उप-कोषागारों के लिये होती हैं।

२—"ऐच्छिक छुट्टियां" नाम से कोई छुट्टियां घोषित नहीं की जाती हैं, परन्तु निर्बन्धित छुट्टियों की एक सूची अवश्य बनाई जाती है जिनमें से कोई भी दो छुट्टियां किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा ली जा सकती हैं। इस सूची में उन महत्वपूर्ण त्योहारों को, जो कि गजटेड छुट्टियों की सूची में सम्मिलित नहीं हो पाते, रखने का प्राविधान किया जाता है।

देहरादून जिले में यमुना का बांध

*६५—श्री दयाराम शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९६३ में बाढ़ के कारण देहरादून से २८ मील दूर स्थित यमुना पन बिजली योजना का प्रमुख बांध जल प्लावित हो गया था ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

*६६—श्री दयाराम शाक्य—

यदि हां, तो इससे बांध को कितनी हानि हुई ?

श्री गिरधारीलाल—

कोई क्षति प्रमुख बांध को नहीं हुई।

*६७—श्री दयाराम शाक्य—

जबकि प्रबन्धक को पता लग गया था कि जमुना का पानी बढ़ रहा है तो उन्होंने बांध की रक्षा तथा मूल्यवान सामान हटाने का समुचित प्रबन्ध क्यों नहीं किया ? क्या इसकी जांच करा कर सरकार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारी लाल—

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ में हवालाती की मृत्यु

*६८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २६ अगस्त, १९६३ को लखनऊ के पुलिस हवालात में एक आदमी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो वह आदमी कौन था तथा उसकी मृत्यु के क्या कारण थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २५/२६ अगस्त, १९६३ की रात्रि को, लखनऊ के थाना कैसरबाग की हवालात में बन्द एक अभियुक्त सुरेन्द्र उपनाम एस० एस० शर्मा, जो नई दिल्ली के निवासी थे, ने आत्म हत्या का प्रयास किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, किन्तु उसकी तब तक मृत्यु हो चुकी थी।

झलतोला-बेरीनाग पाइप लाइन योजना

*६९—श्री खुशीराम (जिला पिठौरागढ़)—

विधान सभा की बैठक दिनांक १३ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १२१ के क्रम में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झलतोला-बेरीनाग पाइप लाइन योजना की पूर्ति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई और इसके सम्पन्न होने में कितना समय लगेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

झलतोला-बेरीनाग पाइप लाइन योजना को जिसकी तखमीनी लागत ३,६७,००० रु० है शासन द्वारा जुलाई, १९६३ में स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पर प्रारम्भिक कार्य अगस्त, १९६३ में शुरू हो गया है और निर्माण-कार्य अक्तूबर, १९६३ में शुरू हो जायेगा। आशा है यह योजना मार्च, १९६५ तक पूरी हो जायेगी।

चोपन में सीमेंट फैक्ट्री खोलने पर विचार

*७०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चोपन, जिला मिर्जापुर दक्षिण में जिसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है अब तक कितने उद्योग खोले गये और क्या राबर्ट्सगंज के पास कचहट में नई सीमेंट फैक्टरी खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला मिर्जापुर के दक्षिण में स्थित चोपन को औद्योगिक क्षेत्र नहीं घोषित किया गया है और वहां अभी तक कोई उद्योग नहीं स्थापित हुआ है।

चोपन में एक नई सीमेंट फैक्टरी खोलने के विषय पर सरकार विचार कर रही है।

*७१—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

[२ रे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७२—७४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[वापस लिये गये।]

माताटीला विद्युत् गृह से बिजली का वितरण

*७५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में माताटीला बांध के मौजूदा विद्युत् गृह से मार्च, १९६३ तक तालबेहट, बांसी, बबीना ग्रामों को बिजली देने का सरकार का विचार था? अब तक उक्त ग्रामों में बिजली न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*७६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों में किस ग्राम में कितने बिजली के खम्भे लगाने का सरकार का निश्चय है और खम्भे लगाने का कार्य कब तक पूरा होना है? उक्त ग्रामों में खम्भे लगाने का कार्य जनवरी, १९६२ में प्रारम्भ हुआ था, तब से ३१ अगस्त, १९६३ तक किस ग्राम में कितने खम्भे लगाये गये?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामों के विस्तार और बिजली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तालबेहट में ५३ खंभों को लगाने की योजना है, बांसी में ७ और बबीना में ५३। अगस्त, १९६३ के अन्त तक ५० खंभे तालबेहट, ७ खंभे बांसी और ५० खंभे बबीना में लगाए जा चुके हैं। इन खंभों से उक्त गांवों की आवश्यकताएं पूर्ण हो जायेगी।

*७७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों के लिये खंभों का स्टाक होते हुये भी खंभे लगाने का काम जनवरी, १९६२ और अक्तूबर, १९६२ में ही हुआ, बाकी महीनों और अक्तूबर से अब तक काम न होने का क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—

जनवरी, १९६२ के पश्चात् आवश्यक सामग्री के अभाव के कारण एवं प्राविधिक कर्मचारियों के अन्य स्थान पर आवश्यक जन कार्य हेतु तबादिले के कारण यह कार्य अक्तूबर, १९६२ में ही पूर्ण किया जा सका। आवश्यक खंभे अक्तूबर, १९६२ के अन्त तक ही लगाए जा चुके थे। अतएव इसके पश्चात् अन्य खम्भों के लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*७८-८०—श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी)—

[३ रे गुरुवार के लिए स्थगित किए गए।]

संभल में जन्माष्टमी का जुलूस रोका जाना

*८१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि मुरादाबाद जिले के सम्भल नगर स्थित मुहल्ला हाकिम सराय में दिनांक १५ अगस्त, १९६३ को जन्माष्टमी का जुलूस उन्हीं मार्गों पर होता हुआ जिनसे कि प्रतिवर्ष जाता था, जब पहुंचा तो उक्त मुहल्ले में रहने वाले एक वर्ग ने उस जुलूस को वहीं रोक दिया और १६ अगस्त को उप अधीक्षक, पुलिस (मुरादाबाद) के आने पर ही वह जुलूस आगे बढ़ सका?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१५ अगस्त, १९६३ को सम्भल में जब जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा था तो कुछ मुसलमान व्यक्तियों ने थानेदार संभल को इस आशय की रिपोर्ट दी कि हिन्दू लोग जुलूस को कटरा मूसा खां से होकर निकालना चाहते हैं जो कि जुलूस का पुराना मार्ग नहीं है। जुलूस वालों ने भी थानेदार को एक रिपोर्ट दी कि जुलूस के स्टेशन रोड की ओर जाने पर मुसलमान लोग आपत्ति कर रहे हैं और झगड़ा होने का अन्देशा है। जुलूस वालों ने जुलूस को रोक दिया और यह तय किया कि जुलूस कटरा मूसा खां से होकर ही निकलेगा। अन्त में सूचना पाकर सर्किल आफिसर के घटनास्थल पर पहुंचने पर दोनों दलों में समझौता हो गया और १६-८-६३ को जुलूस कटरा मूसा खां से होकर निकल गया।

*८२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने जुलूस को मार्ग में रोक कर एक धार्मिक उत्सव में व्यवधान डालने का यत्न किया उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किसी वर्ग विशेष द्वारा जुलूस जबरदस्ती रोका नहीं गया; अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले में बिजली

*८३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने व कौन-कौन गांवों में बिजली पहुंचने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले के २७ स्थानों को विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है। इन स्थानों के नाम नत्थी किये गये ब्योरे में दिये हुए हैं। इनमें से पहले १२ स्थानों में बिजली दी जा चुकी है और अन्य में काम जारी है। अन्य स्थानों की जांच हो रही है। जो स्थान विद्युतीकरण के लिये उपयुक्त पाये जायेंगे उनको भी इसी योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४७ पर)

सहारनपुर में सुनारों की मीटिंग

*८४—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि अम्बाला रोड सहारनपुर में स्थित एक कांग्रेसी के मकान पर July/August, 63 में District Industries Officer ने नगर के सुनारों को बुलाकर मीटिंग की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

थाना लालगंज में पुलिस संरक्षण में मकान

*८५—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३० अगस्त, १९६३ को जनपद, रायबरेली के अन्तर्गत परगना, डलमऊ, थाना लालगंज के बाजार में कोई मकान दफा १४५ (क्रिमि-

नल प्रोसीजर कोड) के अन्तर्गत कुर्क किया गया ? यदि हां, तो मकान किसी की सुपुर्दगी में दिया गया था या पुलिस कस्टडी में रहा ? यदि पुलिस कस्टडी में रहा, तो क्या ताला पुलिस का बन्द रहा और उसके रक्षार्थ पुलिस गार्ड भी नियुक्त थे ?

श्री हर गोविन्द सिंह--

जी हां ।

मकान किसी की सुपुर्दगी में नहीं दिया गया था अपितु पुलिस के संरक्षण में रहा और उसमें पुलिस के ताले लगाये गये थे । मकान पर एक सशस्त्र गार्ड भी नियुक्त था ।

*८६--श्री रामकिंकर तथा श्री गुप्तारसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मकान कुर्क करने के समय उसमें किस का कब्जा था और क्या यह सही है कि कब्जे में लेते वक्त पुलिस को कुछ दरवाजों में ऐसे नाम भी दिखाये गये थे जो सीमेंट प्लेट्स पर दर्ज थे ? यदि हां, तो वह क्या-क्या नाम थे और पुलिस ने अपनी दफा १४५ की रिपोर्ट में उनका उल्लेख किया है अथवा नहीं ?

*८७--क्या यह सही है कि तारीख १९ सितम्बर, १९६३ को जब कमीशन उस मकान की जांच के हेतु गया और पुलिस ने ताला खोला तो उपरोक्त कथित नाम खोद डाले गये थे ? यदि हां, तो उन पुलिस गार्ड्स के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, जो उसके रक्षार्थ नियुक्त किये गये थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए, इस संबंध में इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

अतारांकित प्रश्न

ऊमरपुर का चाकू उद्योग

१--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊमरपुर, जिला बुलन्दशहर में चाकू बनाने के उद्योग का काम महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध ग्राम उद्योग है ?

२--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक सरकार ने ऊमरपुर के चाकू बनाने वाले कारीगरों की आवश्यकता को समझने व पूरा करने की ओर कोई ध्यान दिया और इस ग्राम उद्योग को तरक्की देने व उन्नति के लिये कोई प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बुलन्दशहर जिले में बिजली

३--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में टाउन एरिया बुगरासो और मुख्य-मुख्य ग्रामों जिनकी जनसंख्या कई कई हजार है खानपुर, चितसौना, परवाना महमूदपुर, जाड़ौल, चेदियाना, ऊमरपुर, खादमोहन नगर, दौलतपुर, सठला, जलालपुर को बिजली की सुविधा कब तक दी जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जाडौल और चितसौना ग्रामों को चालू वित्तीय वर्ष में और निम्नलिखित स्थानों को अगले वर्ष में विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है:

१—बुगरासो

२—परवाना

३—महमूदपुर

४—चदियाना

५—जलालपुर।

दौलतपुर सठला तो नहीं, हां केशोपुर सठला नाम के ग्राम का विद्युतीकरण ३१ अगस्त, १९६३ को हो चुका है।

खादमोहन नगर और खानपुर गन्टू ग्रामों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष में तथा अमरपुर का अगले वित्तीय वर्ष में सम्पन्न होने की सम्भावना है।

४-५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[हटा दिये गये।]

मुरादाबाद जिले में उद्योग-ऋण

६-७—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में २० हजार से ज्यादा रुपया १९६०-६१, १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में किस किस को किस-किस काम के लिये दिया गया?

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि २० हजार से ज्यादा रुपया पाने वाले लोगों में से किस-किस ने रुपये का सही इस्तेमाल नहीं किया और उनसे रुपया वापस लेने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

थानों में जीप देने व पुलिस दफ्तरों में क्लर्क बढ़ाने का सुझाव

८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन थानों में अपराधों की संख्या बढ़ी हुई है उन थानों में अपराधों को रोकने के लिये जीप, कारें दे दी जावें?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये सरकार के लिये इस समय यह सम्भव नहीं है कि थानों पर जीपकार दी जावें।

९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार से जिलों में थानेदारों व हेड-कांस्टेबिलों व कांस्टेबिलों तथा डी० एस० पी० ओ० की तादाद बढ़ाई गई है उसी अनुपात से पुलिस के दफ्तरों में भी क्लर्कों की तादाद बढ़ाई जावे?

श्री हरगोविन्दसिंह--

पुलिस दफ्तरों में क्लर्कों की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

१०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

[२रे मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चिल्हिया थाने में अवैध गांजा पकड़ा जाना

११--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या गृह मन्त्री जांच कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के चिल्हिया पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत २८-२९ मई, १९६३ की रात को स्थानीय पुलिस ने ३७ किलो गांजे के साथ डी० पी० मित्रा, एक्साइज इंस्पेक्टर को, जो स्पेशल ड्यूटी पर नियुक्त थे, रामलाल उर्फ बलदेव प्रसाद के साथ पकड़ा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

२८-२९ की रात को चिल्हिया पुलिस स्टेशन जिला बस्ती के अन्तर्गत श्री डी० पी० मित्रा एक्साइज इंस्पेक्टर, रामलाल उर्फ बल्देव प्रसाद तथा एक अन्य व्यक्ति जगदीश्वर चतुर्वेदी को ३७ किलो गांजा एक मोटर में ले जाते हुए स्थानीय पुलिस ने पकड़ा था। इस अपराध की विवेचना सी० आई० डी० द्वारा हो रही है।

१२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या गृह मन्त्री यह भी जांच कराकर सदन को बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त रामलाल उर्फ बलदेव प्रसाद पहले भी बहुत से Smuggling के मामलों में पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कब-कब और कहां-कहां ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

अब तक की जांच से यह ज्ञात हुआ है कि रामलाल उर्फ बल्देव प्रसाद किसी स्मगलिंग के मामले में न कभी पकड़ा गया और न उसको सजा ही हुई। जांच जारी है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

चौकी रामघाट के अन्तर्गत अपराध

१३--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में चौकी रामघाट के अन्तर्गत चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी की कितनी रिपोर्ट्स जनवरी, सन् १९६१ से मई, १९६३ तक दर्ज हुईं और इनमें से कितनों की जांच की गई है और कितने मामले सजायाब हुये और जो मुकदमे सजायाब नहीं हुये उनके छूटने के कारण क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४८ पर)

मुरादाबाद जिले में रोड एक्सीडेंट्स

१४--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६२ से २० फरवरी, १९६३ तक जिला मुरादाबाद में कितन रोड एक्सीडेन्ट्स हुये और उनमें कितने-कितने आदमी मरे और कितने जख्मी हुये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस अवधि में जिला मुरादाबाद में १२० रोड एक्सीडेंट्स हुये जिसके फलस्वरूप ५१ व्यक्ति मरे तथा ८१ जख्मी हुये ।

१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इन घटनाओं के क्या कारण थे और इनकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४९ पर)

१६—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इस विषय में कुल कितने चालान किये गये और कितने आदमियों को सजा हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस संबंध में कुल ७८ चालान हुये तथा ३९ व्यक्तियों को सजा हुई ।

बरेली की एच० आर० शुगर फैक्ट्री केशर शुगर वर्क्स बहेड़ी से सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली की एच० आर० शुगर फैक्ट्री तथा केशर शुगर वर्क्स, बहेड़ी (बरेली) ने कितना रुपया और कब सुरक्षा कोष में दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बरेली की एच० आर० शुगर फैक्ट्री तथा केशर शुगर वर्क्स, बहेड़ी (बरेली) ने सुरक्षा कोष में अब तक क्रमशः १२,९५०.८० न० पै० तथा १,१६,५०९.०५ नये पैसे दिया है, जिसका तिथिवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८५० पर)

बरेली पुलिस के विरुद्ध हरिजनों की शिकायत

१८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिजनों की एक विशाल सभा अगस्त, १९६३ के प्रथम पखवारे में बरेली नगर में सदर अस्पताल के सामने पंजाबी मार्केट के कोने पर पुलिस की ज्यादतियों के विरुद्ध हुई थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

८—८—६३ को पंजाबी मार्केट, बरेली में एक सभा हुई थी जिसमें हरिजन भी सम्मिलित थे । उनकी मांगें थीं कि चन्दा उर्फ चन्द्रसेन वाल्मीकी की मृत्यु के मामले में संबंधित पुलिस वालों को मुअत्तल किया जाय, मामले की जूडिशियल जांच कराई जाय तथा लखनऊ की सी० आई० डी० जांच करे । चूंकि चन्दा की मृत्यु के बाद यह आरोप लगाया गया था कि मृत्यु पुलिस द्वारा मारे जाने के कारण हुई, अतः ७—८—६२ को ही शव का पंचायत नामा भरने और मृत्यु के संबंध

में जांच करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया था। मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। चन्दा की मृत्यु के बाद शान्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही न करने के कारण एक सब-इंस्पेक्टर तथा एक हेड कांस्टेबिल मुअत्तल कर दिये गये और एक हेड कांस्टेबिल और ५ सिपाही स्थानान्तरित कर दिये गये।

चीनी मिलों से सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

१९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय प्रत्येक चीनी मिल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अब तक अलग-अलग कितना रुपया दिया और किन तिथियों में ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रदेश में प्रत्येक चीनी मिल ने जो धन राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अब तक दिया, उसका जिले तथा तिथिवार विवरण संलग्न सूची† में दिया गया है।

इलाहाबाद में पुलिस कर्मचारियों का निलम्बन

२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के कोतवाली थाने के अन्तर्गत अतरसुइया नाके पर ६ अगस्त, १९६३ की रात्रि ८.३० बजे एस० एस० पी० पुलिस ने नाके के दीवान तथा पुलिस को Suspend कर दिया है। यदि हां, तो इस घटना में कितने-कितने दीवान तथा पुलिस कान्स्टेबिल थे तथा यह घटना कौन थी जिस कारण से इन लोगों को Suspend करना पड़ा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अतरसुइया नाके के हेड कांस्टेबिल व एक कांस्टेबिल को एस० एस० पी०, इलाहाबाद ने दिनांक ७–८–६३ को निलम्बित (Suspend) किया। इसका कारण यह था कि एक व्यक्ति ने अतरसुइया नाके के चार सिपाही व हेड कांस्टेबिल के विरुद्ध ६–८–६३ को यह रिपोर्ट लिखाई कि जब उनको तथा उनके भाई को दो व्यक्ति अरोरा मार्केट में मार रहे थे तो उक्त चार सिपाही भी घटना स्थल पर लाठियां लिए हुये आये और वादी के भाई को मारते हुए नाके ले गये जहां हेड कांस्टेबिल ने भी मारा। इस रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/३२३/३२४/३०८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया। जांच से केवल एक कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल ही दोषी पाये गये। अतः केवल इन्हीं को निलम्बित किया गया।

इलाहाबाद जिले में श्री द्वारकाप्रसाद टंडन व मोतीलाल मल्लाह की हत्या

२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर में दिनांक १४ अगस्त, १९६३ को इलाहाबाद के प्रमुख रईस का कत्ल उनके निवास स्थान मिरजाबाग में हो गया ? यदि हां, तो वह घटना क्या थी तथा उसमें कितने आदमी अब तक पकड़े गये ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक १३/१४-८-६३ की रात में इलाहाबाद के एक प्रमुख रईस श्री द्वारका प्रसाद टंडन उर्फ मुनुवा जी की हत्या, उनके निवास स्थान पर हुई। इस संबंध में मृतक के पुत्र ने जो रिपोर्ट लिखाई उसके अनुसार घर से एक रिवाल्वर, कुछ घड़ियां व हीरे के कुछ जेवरात भी चुराये गये। जांच से ज्ञात हुआ कि यह हत्या मुनुवा जी के एक पुराने नौकर ने की थी जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है।

२२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद से अरैल गांव के मोतीलाल मल्लाह को दिनांक २४ अगस्त, १९६३ को पिस्तौल से मार डाला गया? यदि हां, तो यह घटना क्या थी तथा कितने आदमी इस घटना में पकड़े गये?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मोतीलाल मल्लाह से लाला महरा, गुलाब तथा भोला नामक व्यक्तियों से पुरानी रंजिश थी तथा आपस में मुकदमेबाजी हो रही थी। इसी वैमनस्य के फलस्वरूप गुलाब ने उन्हें २४-८-६३ को गोली से मार डाला। अन्य दोनों व्यक्तियों ने गुलाब को उत्तेजित किया था। गुलाब तथा लाला महरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा भोला ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इन तीनों का चालान हो चुका है।

इलाहाबाद जिले में हत्यायें

२३--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितने आदमियों की मौतें छुरे, पिस्तौल और लाठियों से गत ३ महीने के अन्दर हुईं और किन-किन स्थानों पर?

श्री हरगोविन्दसिंह--

वांछित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८५१ पर।)

इलाहाबाद में मोटर साइकिल दुर्घटना

२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १२ अगस्त, १९६३ को इलाहाबाद के सिविल लाइन में Head Post Office के चौराहे पर मोटर गाड़ी तथा मोटर साइकिल से टक्कर हो गई थी? यदि हां, तो उस घटना में कितने आदमी घायल हुये तथा पुलिस ने उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की?

श्री हरगोविन्द सिंह--

जी हां, इस घटना में केवल एक व्यक्ति को साधारण चोट आई। घटना की जांच की गई जिसके फलस्वरूप दोनों ड्राइवरों का चालान कर दिया गया है और मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

हरिजनों को क्रेशर के लाइसेंस

२५--श्री श्रीराम (जिला उन्नाव)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को क्रशर के नये लाइसेंस देने में सरकार की क्या नीति है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हरिजनों को क्रशर के लाइसेंस देने की कोई सरकार की अलग नीति नहीं है इनको लाइसेंस इसी प्रकार से दिये जा रहे हैं जिस प्रकार से दूसरे लोगों को लाइसेंस दिये जाते हैं।

लोहा व इस्पात का कोटा

२६--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश को गत तीन वर्षों में लोहे और इस्पात का कितना कोटा मिला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस प्रदेश को गत तीन वर्षों में लोहे और इस्पात का निम्नलिखित कोटा मिला है :--

				टन
१९६०-६१	..	..	..	१८,०७२
१९६१-६२	..	..	..	१५,६७०
१९६२-६३	..	..	..	७,५७३

२७--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोहे और इस्पात का कोटा बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई लिखा-पढ़ी केन्द्रीय सरकार से की है ? यदि हां, तो क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, प्रदेश की सरकार ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी की है। सरकार उक्त पत्र-व्यवहार को सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझती।

२८--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोहा और इस्पात की चोरबाजारी की उक्त अवधि में कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृप लानी--

लोहे और इस्पात के कोटे की चोरबाजारी की उक्त अवधि में कोई शिकायत नहीं मिली है। अतः उन पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सामग्री क्रय-विभाग द्वारा आयात

२९--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सामग्री क्रय विभाग ने वित्तीय वर्ष १९६१-६२ एवं १९६२-६३ में किन-किन सामानों का आयात किया और किस-किस कम्पनी से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सामग्री क्रय विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा किसी भी सामान का आयात सीधे विदेश से नहीं किया जाता। अतः सूचना शून्य है।

३०--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन सामानों की खरीद के लिये किन-किन फर्मों के कोटेशन विभाग को प्राप्त थे तथा उनके कोटेशन क्या थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रश्न ही नहीं उठता ।

३१---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस संबंध में उसे किसी का रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहायक संचालक, उद्योग विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायत

३२---श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या लघु उद्योग मन्त्री को जुलाई, सन् ६२ से अब तक गोरखपुर उद्योग विभाग के सहायक संचालक के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों के आरोप-पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उस पर किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई तथा उक्त अभियोग की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां ।

इस मामले की जांच संयुक्त निदेशक, उद्योग (पूर्वी क्षेत्र), वाराणसी द्वारा कराई जा रही है ।

सहायक निदेशक, उद्योग (मार्केटिंग) के विरुद्ध मुख्यतः अपव्ययता (wasteful expenditure), अनियमित रूप से कार्य करना, विपरीत नियम कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनसे व्यक्तिगत कार्य लेना तथा पक्षपात पूर्ण औद्योगिक सहायता प्रदान कराना, इत्यादि, आरोप हैं ।

पुलिस मालखाना, सीतापुर में पिस्तौलों की जांच

३३---श्री जसरामसिंह---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९-२० को जिलाधीश सीतापुर को यह सूचना मिली कि पुलिस मालखाना, सीतापुर से देशी पिस्तौल नाजायज तरीके से गुम हो गई हैं और उन्हें अदालत के हुकुम से नष्ट हुआ दिखाया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

१९-२० जून १९६३ को जिलाधीश, सीतापुर को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि पुलिस मालखाना, सीतापुर से देशी पिस्तौल अवैध रूप से गुम हो गई है और वह संबंधित न्यायालय की आज्ञा से नष्ट हुई दिखाई गई है । हां, यह सूचना जिलाधीश को अवश्य मिली थी कि कुछ देशी पिस्तौलें विक्रय कर दी गई हैं और रजिस्टर मालखाना पुलिस में नष्ट हुए माल की एक फर्जी सूची चिपकाई गई है ।

३४---श्री जसरामसिंह---

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, सीतापुर को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उपरोक्त सूचना मिलने पर जिलाधीश ने मालखाने के संबंधित रजिस्टर सहित उक्त सूची को अपने सामने मुहरबन्द करा दिया और पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में जांच करने का आदेश दिया।

३५—श्री जसरामसिंह—

क्या यह पता लगा कि किस अधिकारी ने यह कार्य किया और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच से आरोप सही नहीं पाये गये इसलिये किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

चीनी जासूसों का कथित ट्रांसमीटर

३६—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की सूचना है कि मेरठ के पास चीनी जासूसों का कोई ट्रांसमीटर पकड़ा गया है? यदि हां, तो क्या वे इस सम्बन्ध में घटना से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

ऐसा कोई ट्रांसमीटर नहीं पकड़ा गया।

सहारनपुर में सीमेंट का मामला

३७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में चीनी तथा सीमेंट के सरकारी Rule के विरुद्ध कार्य करने के कोई Case पुलिस में पिछले छः महीने में थाना कोतवाली में दर्ज हुये हैं ? यदि हां, तो उनपर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

चीनी के संबंध में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सीमेंट से संबंधित केवल एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें मुकदमा कायम होकर तफतीश जारी है। अभियुक्त न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है।

३८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[दूसरे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनऊ में गांधी टेलरिंग शाप का साइनबोर्ड

३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास हाल में यह शिकायत आई है कि लखनऊ में चारबाग स्टेशन सड़क पर हुसेनगंज के आगे सिटी मांटेसरी स्कूल के पास गांधी टेलरिंग शाप है उसके साइनबोर्ड पर तिरंगे झंडे के रंग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

जी हां।

४०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह मान कर कि इस तरह के साइनबोर्ड से राष्ट्रपिता का अपमान होता है उसे शाप के मालिक से हटाने का अनुरोध करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दुकान मालिक से साइनबोर्ड हटाने का पुलिस द्वारा अनुरोध किया गया किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब यह मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

४१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार राष्ट्र के महान नेताओं को अपमानित होने से बचाने के लिये ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी नेता का नाम बिना उनकी स्वयं की स्वीकृति के अपनी व्यापारिक संस्थाओं से न जोड़ें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐम्बलम्स ऐन्ड नेम्स (प्रिवेन्शन आफ इम्प्रा र यूज) ऐक्ट, १९५० क धारा ३ के अधीन किसी व्यक्ति को किसी व्यापार चिन्ह या रूपांकण के प्रयोजन के लिये किसी नाम या प्रतीक अथवा उसकी किसी आभासी अनुकृति का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

शाहजहांपुर जिले में शिकार संबंधी आदेश

४२—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में सन् १९५७ से मार्च, १९६३ तक बन्दूक के उन लाइसेंसदारों को जिन का लाइसेंस शिकार के लिये है कोई ऐसी पुस्तिका दी गई जिससे जानवरों व चिड़ियों के शिकार हेतु खुले व बन्द सीजन की जानकारी हो ? यदि नहीं, तो क्यों ? जानवरों व चिड़ियों का जो कत्लेआम हो रहा है उसे रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९५७ से मार्च, १९६३ तक जिला शाहजहांपुर में कोई ऐसी पुस्तिका उन बन्दूक के लाइसेंसदारों को, जिनके पास शिकार के वास्ते लाइसेंस था, नहीं दी गयी जिससे जानवरों तथा चिड़ियों के शिकार के खुले या बन्द सीजन की जानकारी हो सके। परन्तु लाइसेंसदारों की जानकारी के लिए The Wild Birds and Animals Protection (U. P. Amendment) Act, 1934 की धारा ३ के अन्तर्गत सरकार खुले तथा बन्द सीजन का विज्ञापन गजट द्वारा करती है। इसके अतिरिक्त शाहजहांपुर जिले में हर साल बन जीव जन्तु रक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता रहा है और जिला सूचना अधिकारी द्वारा इस विषय से सम्बन्धित फिल्मों का प्रदर्शन जिले के विभिन्न स्थानों पर किया जाता रहा है। १९६२ में उक्त सप्ताह का आयोजन नहीं हो सका। इस वर्ष निदेशक पंचायत राज उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक २९-९-६२ को आदेश प्रसारित किये गये। इन आदेशों का प्रकाशन विभागीय पत्रिका "विकास दूत" के नवम्बर, १९६२ के अंक में कराया गया जिसकी प्रतियां जिले के समस्त गांव सभाओं के प्रधानों, विभागीय अध्यक्षों एव विधायकों को भेजी गयी ताकि सभी को यह मालूम हो जाय कि शिकार का सीजन कब बन्द रहता है।

यह कहना गलत है कि जानवरों व चिड़ियों का कत्लेआम हो रहा है। मैदानों में जानवरों और चिड़ियों की हिफाजत के लिए ही उपरोक्त ऐक्ट बना हुआ है और उसके अन्तर्गत ऐक्ट का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आर्म्स ऐक्ट, १९५९ के अन्तर्गत उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

आजमगढ़ जिले में रेह

४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में रेह (मिट्टी) से कांच के बर्तन तथा अन्य सामग्री बनाने हेतु कोई उद्योग-धंधा खोलने पर विचार करती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के संबंध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछली बार जब यह सेशन बैठा था तो हम लोगों ने मांग की थी कि लगान जो २५ प्रतिशत बढ़ा है वह हटा दिया जाय । इस के लिये मैंने भी पत्र लिखा था और इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारे नेता विरोधी दल ने भी पत्र लिखा था । तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि यह विषय प्रान्तव्यापी है और बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिये इस पर अपना वक्तव्य वह आज और अभी दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी तो वक्तव्य की इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आज वह वक्तव्य देंगे ।

मंत्रिपरिषद् के अवैधानिक गठन तथा मंत्रियों द्वारा गलत शपथ लिये जाने के संबंध में आपत्तियां

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । वह शुरू आरम्भ में ही उठना चाहिये । यह व्यवस्था का प्रश्न है और महत्वपूर्ण है । आप संविधान के रक्षक हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि पहले वह सुन लिया जाय ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संविधान के आर्टिकल १६४ (३) के अनुसार, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं, वह इस प्रकार है :

"(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नेकराम शर्मा]

इसके बाद, श्रीमन्, आप शेड्यूल ३ को देखें। १६४ (३) के अनुसार जब मिनिस्टर ओथ ले लेगा तभी आफिस में इंटर करेगा। और इसके लिए एक ओथ का फार्म दिया हुआ है संविधान में इसके पेज २३७ पर, तीसरे शेड्यूल के ५ और ६ चेप्टर देखें। वह इस प्रकार है:—

"I A. B., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of..... and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will."

श्रीमन्, दूसरा फार्म है सीक्रेसी के सम्बन्ध में। उसे मैं बाद में लूंगा।

तो मिनिस्टर के लिये आफिस में आने के पहले ओथ का लेना जरूरी है और उसके लिये एक फार्म दिया हुआ है। लेकिन १६वां अमेंडमेंट जो कांस्टीट्यूशन का हुआ है उसे श्रीमन् देखें। यह मेरे पास 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार है, पी० टी० आई० की रिपोर्ट है और मेरी व्यक्तिगत सूचना है कि प्रेसीडेंट ने १६वें अमेंडमेंट पर अपनी असेंट दे दी है। श्रीमन्, अगर उस १६वें अमेंडमेंट को मंगा लें तो बड़ी कृपा होगी। सचिव महोदय के पास वह होगा। १६वें अमेंडमेंट में डेफनिटली यह वर्ड्स एड किये गये हैं इन क्लाज टु एंड फोर कि शब्द "इन दि इंटरेस्ट आफ" के बाद "सावरेनिटी एंड इंटेग्रिटी आफ इंडिया" जोड़ दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

यह अमेंडमेंट किस अनुच्छेद का है? किस आर्टिकल का है?

श्री नेकराम शर्मा—

अनुच्छेद १६४ (३)। उसमें यह है कि शेड्यूल ३ के अनुसार एक फार्म होगा, उसमें "सावरेनिटी और इंटेग्रिटी आफ इंडिया" ये शब्द एड किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

पढ़िये, अमेंडमेंट क्या है?

श्री नेकराम शर्मा—

शब्द "इन दि इंटेरेस्ट आफ" के बाद शब्द "सावरेनिटी एंड इंटेग्रिटी आफ इंडिया" जोड़ दिये जायेंगे। यह अमेंडमेंट हुआ है। आप इसको मंगा लें। यह पेज २ पर है और शिड्यूल ३ के चेप्टर ४,५ और ८ नम्बर के फार्म्स में यह अमेंडमेंट किया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि फार्म ५ में भी इन वर्ड्स को लाये हैं। अब जो ओथ १४ तारीख को ली गयी वह इस फार्म के अनुसार, शेड्यूल ३ के अनुसार ओथ नहीं ली गयी। मैंने व्यक्तिगतरूप से मंत्रियों से पूछा, अन्यत्र भी पूछा तो मालूम हुआ कि जो इस अमेंडमेंट के पहले ओथ का फार्म था उसी के अनुसार ओथ ली। जब संविधान में १६वां संशोधन हो गया और प्रेसीडेंट की असेन्ट हो गयी और कांस्टीट्यूशन संशोधन लागू हो गया तो जिस मिनिस्टर ने १४ तारीख को ओथ ली उनमें से कोई भी यहां नहीं बैठ सकता।

कौंसिल के जो मेम्बर्स हैं, श्री शिवप्रसाद गुप्त और कैलाशप्रकाश जी और पांडेय जी वह भी नहीं बैठ सकते इस हाउस के अन्दर, क्योंकि ओथ संविधान के अनुरूप नहीं हुई। इसलिये वे हाउस के मेम्बर नहीं हुए। वे भी स्ट्रेंजर हैं, उनको तत्काल सदन से निकाला जाय और अगर इसमें देर होगी तो ५०० रुपये प्रति दिन हमारे कांस्टीट्यूशन की धारा १९३ के अनुसार उन पर जुर्माना होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिक्सटींथ अमेंडमेंट हुआ है कांस्टीट्यूशन का उसको अगर मंगा लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा भेज दें कृपा करके ।

श्री नेकराम शर्मा—

अब मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्रिजी और उनके चार साथी जो हैं, उनके सम्बन्ध में आपको एतराज नहीं है . . . .

श्री नेकराम शर्मा—

मैंने अभी अपना आर्गूमेंट कम्पलीट नहीं किया है.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इस वक्त तक यह समझ लिया जाय कि १४ तारीख को जो शपथ ली गयी है वह इनकम्पलीट है और कांस्टीट्यूशन के अनुसार नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

इनकम्प्लीट ही नहीं, बल्कि वायलेशन आफ दि प्रावीजन्स आफ दि कांस्टीट्यूशन है, कांस्टीट्यूशन का रेप है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, आपका आर्गूमेन्ट यह है कि चूंकि १४ तारीख को जो शपथ ली गयी वह संविधान के अनुरूप नहीं थी, इस कारण वह शपथ नहीं हो सकती । इसके अलावा और कुछ कहना है ? प्रेसीडेंट की संशोधन के सम्बन्ध में असेन्ट कब प्राप्त हुई है, यह भी बतला दें ।

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां, और भी कहना है । मेरा दूसरा निवेदन है कि आप हिन्दुस्तान टाइम्स जो ७ अ तूबर, १९६३ का है उसको देख लें । उसमें यह लिखा है कि प्रेसीडेंट ने संविधान के १६वें संशोधन बिल पर अपनी सहमति दे दी है । उसमें यह पी० टी० आई० की रिपोर्ट है । अखबार ७ तारीख का है । सम्भवतः यह कन्सेंट ६ को हुई है । मैंने इसको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेन्ट से भी पूछा है और वहां पर भी यह प्राप्त हो चुका है । तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस संशोधित फार्म के अनुस र ओथ नहीं हुई है और ऐसा न होकर संविधान की अवहेलना हुई है ।

तीसरी बात यह है कि हमारे यहां ६ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है जिनमें से ४ को रात के १० या साढ़े १० बजे ओथ दिलायी गयी है । मेरा निवेदन है कि संविधान के अन्दर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है । यह बात हो सकती है कि यह पहले से बनते चले आ रहे हों, मगर हमारे संविधान में उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है । मेरा कहना यह है कि किसी डर के कारण या किसी अफेक्शन के कारण रात को १० बजे इनको ओथ दिलायी गयी है जो गलत है । इस बात की जानकारी इनर कैबिनेट को हो सकती है, मगर न तो उसकी जानकारी अखबार वालों को थी, न बहुत से मिनिस्टर्स को थी, और न ही हम लोगों को थी । इन लोगों को एक अफेक्शन और फियर के कारण लिया गया है । यह संविधान की अवहेलना हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

नेकराम जी, प्वाइंट आफ आर्डर में यह बातें नहीं आ सकतीं ।

श्री नेकराम शर्मा—

इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको हाउस को स्थगित कर देना चाहिये। आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान का उल्लंघन अगर इस प्रदेश में होगा तो उसकी रक्षा आ के द्वारा हो सकती है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का एप्वाइंटमेंट संविधान के अगेन्स्ट हुआ है। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि आप सदन को स्थगित करें। यद्यपि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में एक रिमूवल आफ डिफिकल्टीज ऐक्ट तथा दूसरा उनकी सेलरीज और अलाउन्सेज के बारे में, सन् ६१ में, फिर यहां पर संशोधन बिल भी पास हुआ है, पर उनका एप्वाइंटमेंट गलत है और उनको एप्वाइंट करने का इनको अधिकार नहीं है संविधान के विरुद्ध है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के एप्वाइंटमेंट का कोई ऐक्ट आज तक इस सदन में पास नहीं कराया गया। हाउस आफ कामन्स में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का ऐक्ट है। लेकिन हम उससे गाइड नहीं होंगे। हमारे संविधान में है कि रेजीड्यूरी पावर्स सावरेंटी लाइज इन दी पीपुल। इंगलैन्ड में सारी पावर क्राउन के पास है और वहां अनरिटन संविधान है। हमारे यहां संविधान लिखा हुआ है। मेरा यह चार्ज है कि इन्होंने जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को रात में चुपके से चोरी से ....

श्री अध्यक्ष—

चाहे चोरी से या रात में किया, लेकिन अगर संविधान के अनुसार कर सकते थे तो ठीक किया और नहीं कर सकते थे तो....

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आप तो बड़े उच्च वकील हैं। संविधान में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का प्राविजन नहीं है। इन्होंने अफेक्शन और फियर की वजह से संविधान को तोड़ कर, रात में, यह किया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। उनके बाद आप कहें।

श्री नेकराम शर्मा—

शैड्यूल ३ के ६ में यह है कि एक तो आफिस की और दूसरे सीक्रेसी की ओथ मिनिस्टर लेगा। माननीय सुचेता कृपालानी ने इस ओथ को भी तोड़ा है। इसमें लिखा है कि :—

"I. A. B. swear in the name of God/solemnly affirm that I will not directly or indirectly....." मेरा इम्फेसिस इनडाइरेक्टली पर है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने कटरा में भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश का एजूकेशन मिनिस्टर एक टीचर होने जा रहा है। उन्हें यह सिवाय सुचेता जी से और कैसे मालूम हुआ जबकि वह केवल एक एम० एल० ए० ही हैं? क्या उनसे सलाह मश्विरा करके मिनिस्टरी बनाई गई? यह संविधान का वायलेशन मुख्य मंत्री सुचेता कृपालानी ने किया है।

तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें, २,३ घंटे के लिये ही कर दें। हम आपके सम्मुख और प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि जो एम० एल० सीज० मिनिस्टर बनाये गये हैं, उन्हें सदन तत्काल छोड़ने की आप आज्ञा दें और जिन्होंने १४ तारीख को शपथ ली है उनको कार्य करने से रोका जावे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्री नेकराम शर्मा की ताईद करते हुए मैं संविधान की दूसरी अवहेलना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जो सरकार अवैधानिक तरीके से गठित हुई है वह क्या इस सदन के प्रति उत्तरदायी रह सकती है। पहली तारीख को राज्यपाल महोदय ने ...

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

पहले नेकराम जी शर्मा का प्वाइंट आफ आर्डर समाप्त हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसी के कंटीनुएशन में वह कह रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

पहली अक्तूबर को राज्यपाल महोदय ने सुचेता कृपालानी जी और दूसरे ४ लोगों को मिनिस्टरी की ओथ टेकिंग सेरीमनी के लिये निमंत्रण दिया । चन्द्रभानु गुप्त जी जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया । दूसरी अक्तूबर को यह करके कांग्रेस पार्टी के काम को और सरकार के काम को मिला दिया गया । राज्यपाल महोदय को यह कैसे मालूम हो गया कि मुख्य मंत्री जी की जगह खाली है और ओथ टेकिंग सेरीमनी की जाय ? इसमें संविधान की अवहेलना हुई है । इसीलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि कैसे पहली तारीख को निमंत्रण जारी कर दिये गये ।

दूसरी बात यह है कि कोई आदमी जो खुले आम मुख्य मंत्री की भर्त्सना कर सकता है क्या वह मंत्रिमंडल में रह सकता है । माननीय अली जहीर साहेब ने खुले आम सुचेता कृपालानी की भर्त्सना की है और कहा है कि वह सीक्रेसी को तोड़ देंगी ।

तीसरी बात यह है कि राज्यपाल महोदय सबसे पहले निमंत्रण देंगे यह जानने के लिये कि बहुमत किसका है । उन्होंने इस जानकारी के लिये सुचेता कृपालानी को या किसी दूसरे को कब बुलाया ? उन्होंने यकायक २ अक्तूबर को केवल शपथ लेने के लिये बुलाया । इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के काम को और संविधान को एक में मिलाकर धपलेबाजी हुई है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय नेकराम शर्मा ने जो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि आर्टिकल १६४ में काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स की परिभाषा दी है । उसके बाद अगर आप अपनी प्रक्रिया नियमावली के नियम ३ (१) को पढ़ें, उसमें दिया है कि काउंसिल आफ मिनिस्टर्स कौन है । उसमें मिनिस्टर की परिभाषा दी है कि:

"Minister means a member of the Council of Ministers and includes a Minister of State, a Deputy Minister and any member of the Assembly to whome such Minister may delegate any function assigned to him under these Rules—"

मेरा यह कहना है कि हमारे संविधान की स्प्रिट को कायम रखते हुए हमारे रूल्स आफ प्रोसीज्योर में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि मिनिस्टर की परिभाषा करते समय मिनिस्टर के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर रखे गये और यह कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी मेम्बर को अपने कृत्य का भार दे सकता है, लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के एप्वाइंटमेंट की इसमें कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है । श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब माननीय शाहिद फाखरी जी, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, इस सदन में आये तो माननीय रामायण राय जी ने प्रश्न उठाया था कि एक स्ट्रेन्जर इस सदन में बैठा हुआ है । उस पर, श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी थी कि शाहिद फाखरी साहब अगर कोई स्ट्रेंजर हैं तो वे बाहर चले जायं । शाहिद फाखरी साहब तो कौंसिल के मेम्बर थे, लेकिन चूंकि वे कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की डेफिनीशन में नहीं आते थे, इसलिये आपने उनको यहां बैठने की इजाजत नहीं दी । हमारे कान्स्टीट्यूशन की दफा १७७ में दिया हुआ है कि यहां पर कौन कौन सदन में बोल सकता है—

"Every Minister and the Advocate-General of a State shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of Legislative Assembly of the State or, in the case of a State having a Legis-

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

lative Council, both Houses, and to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of any committee of the Legislature of which he may be named a member, but shall not, by virtue of this article, be entitled to vote."

मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी हमारे सदन में बोलने के अधिकारी हैं उनके बारे में हमारे विधान में यह साफ लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या दी गयी है। माननीय नेकराम जी शर्मा ने जो कहा उसमें मैं इम्प्रूवमेन्ट करना चाहता हूं कि जो हमारी पावर्स ब्रिटिश काल में थीं वे कान्स्टीट्यूशन के बनने के बाद वेव आफ हो गयीं क्योंकि कान्स्टीट्यूशन सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये ही है। हमारे नियम भी उसी के अन्तर्गत बनाये गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि एप्वाइन्टमेन्ट आफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज कान्स्टीट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ हुआ है, ऐक्ट की स्पिरिट के खिलाफ है। कानून में यह कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अमुक प्रकार से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये जायेंगे। अतः यदि आप आवश्यक समझें तो एडवोकेट जनरल की राय लेकर, इस मामले पर ठीक तरह से विचार करके अपनी व्यवस्था दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय नेकराम जी शर्मा ने जो प्रश्न उठाया है वह अपनी जगह पर काफी गंभीर है। जो कार्य सरकार की तरफ से किया गया है वह विधान को चुनौती है। विधान के अनुसार जब कोई गवर्नर के सामने ओथ आफ सीक्रेसी ले लेता है तभी वह काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स में बैठने का अधिकारी हो सकता है और मिनिस्टर की भांति फंक्शन कर सकता है। माननीय कैलाशप्रकाश जी और शिवप्रसाद जी आज इससे प्रभावित हो रहे हैं। संविधान के शपथ पत्र में ७ अक्टूबर को संशोधन हुआ और उन्होंने १४ तारीख को ओथ ली। इसलिये वे इस असेम्बली में बैठने के अधिकारी नहीं कहे जा सकते। इसलिये आप माननीय नेकराम जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठाई है उस पर विचार कर लें और इस समय इस सदन को स्थगित कर दें (हियर, हियर की आवाजें)। क्योंकि यह उचित न होगा कि आप माननीय कैलाश प्रकाश जी और माननीय शिव प्रसाद जी को सदन छोड़ने के लिये कहें, सदन को स्थगित करना ही अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

पहले सरकार की तरफ की बात भी तो मुझे सुन लेने दीजिये। माननीय न्याय मंत्री! इस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, माननीय नेकराम जी ने जो आपत्ति उठायी है, उसमें माननीय न्याय मंत्री जी भी हैं। अभी वे न्यायमंत्री भी नहीं हैं तो कैसे बोल सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप मेरी एक बात सुन लीजिये। माननीय न्याय मंत्री इस सदन के सदस्य भी हैं, एक सदस्य की हैसियत से वे बोल सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

एक सदस्य की हैसियत से बोल सकते हैं।

*श्री रामायणराय—

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बहुत गम्भीरता के साथ हम सभी माननीय सदस्यों ने आपके सामने संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिये शपथ ली थी। मैं सूत्रवत आपसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के सम्बन्ध में, इसी प्रकार की अव्यवस्था और अनियमित कामों के कारण, अखबारों में यह छपा कि यह उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि 'उल्टा प्रदेश' है।

श्री अध्यक्ष---

आखिर आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री रामायणराय---

मैं यह कहना चाहता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि पिछले दिनों ४-६ रोज के सेशन में इस प्रकार की जो दो तीन अनियमिततायें हुईं उनमें एक तो यही था कि १६ से असेम्बली होने की घोषणा पहले की गई थी फिर वह तारीख बदल कर २३ कैसे हो गयी ?.....

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

श्री रामायणराय---

इस सम्बन्ध में यही कहना है, जैसा कि अभी माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने कहा कि मुख्य मन्त्री के सम्बन्ध में संविधान में दिया हुआ है ---

"So long as he will enjoy the pleasure of Rajyapal nobody else will be called for the oath."

यानी जब तक राज्यपाल का प्लेजर या आनन्द किसी व्यक्ति को प्राप्त है तब तक कोई दूसरा व्यक्ति शपथ लेने के लिये नहीं बुलाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---

आप यह एक नया प्रश्न उठा रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री रामायणराय---

मैं उस प्रश्न को जरा साफ कर दूं। संविधान में यह व्यवस्था दी हुई है कि जब तक एक व्यक्ति .....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायं। मैं अभी बतला देता हूं। माननीय काशीनाथ जी ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि जिस समय माननीया मुख्य मंत्रिणी ने कुछ सदस्यों को आमन्त्रित किया कि वे आकर शपथ लें, उस समय वह मुख्य मंत्रिणी नहीं थीं और इस वजह से उनका निमन्त्रण संविधान के विरुद्ध है। बस, इतना ही तो है ?

श्री रामायणराय---

मान्यवर, संविधान में दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति उसी समय तक मुख्य मन्त्री बना रह सकता है जब तक कि राज्यपाल का प्लेजर या प्रसाद वह इनज्वाय करता है। यानी राज्यपाल जब चाहे उसे निकाल सकता है। तो जिस समय उन्होंने वह इनविटेशन इश्यू किया उस समय अगर दूसरे व्यक्ति पर से उनका प्लेजर या प्रसाद समाप्त हो गया था तो इस चीज में कोई केयर-टेकर गवर्नमेन्ट बन जानी चाहिये थी संविधान के अनुसार, लेकिन वह भी नहीं बनी।...

श्री अध्यक्ष---

इन सारी बातों को पांडेय जी पहले ही कह चुके हैं। सारा सवाल यह है कि जिस समय इनविटेशन इश्यू हुआ उस समय वह मुख्य मंत्रिणी नहीं थीं, तो इतना आप क्या समझा रहे हैं ?

श्री रामायणराय--

अभी माननीय नेकराम शर्मा व माननीय काशीनाथ मिश्र ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि पिछले दिनों अवैधानिक कार्यवाही हुई है और संविधान की मर्यादा को जानबूझ कर भंग किया गया है। आप तो हमारे रक्षक हैं, यह बड़ा ही गंभीर प्रश्न है, इसलिये मेरा आप से आग्रह है कि सरकारी पक्ष को सुनने के बाद, चूंकि आप संविधान की रक्षा के लिये उस पद पर आसीन हैं, इसलिये आप कृपा कर के ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा मार्ग सुझावें जिससे हम अपने कर्त्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सकें।

श्री सैयद अली जहीर (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेकराम जी ने जो सवाल उठाया है मेरे ख्याल में उन्होंने संविधान की जो दफा इससे मुताल्लिक है उसको शायद गौर से नहीं देखा है। आप देखेंगे कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के लिये दफा १६४ है, जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स बनेगी और किस तरह से उन की ओथ होगी। आप क्लाज १६४ (१) को देखें उस में लिखा है कि :

"The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the other Ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor."

इसको पढ़ने से मेरी मन्शा यह है कि जहां तक इस दफा का ताल्लुक है.....

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)--

हिन्दी में अर्थ कराइये।

श्री अध्यक्ष--

उन्हें कहने तो दीजिए।

श्री सैयद अली जहीर--

इसको पढ़ने से साफ जाहिर है कि जहां तक अप्वाइंटमेंट आफ चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक है वह गवर्नर करते हैं और दूसरे अन्य मिनिस्टरों का अप्वाइन्टमेंट उनकी एडवाइस पर होता है। तो गवर्नर को मालूम होना चाहिये कि किस तारीख से कौन जा रहा है और किस तारीख से दूसरा चीफ मिनिस्टर हो रहा है, उसमें कौन सी डेट जरूरी थी और कौन सी गैर-जरूरी थी। यह मुताल्लिक एतराज बिलकुल बेकार बात है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सुन लीजिये, जो मांग आप करते हैं वही अधिकार दूसरे को भी आप दीजिए।

श्री सैयद अली जहीर--

खाली जो बात जरूरी है वह यह है कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर का अप्वाइंटमेंट हो तो कोई दूसरा पुराना चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, एक वक्त में एक ही होगा और उसकी एडवाइस पर गवर्नर काम करेंगे। जहां तक इनविटेशन इशू होने की बात है वह भी कोई अहम चीज नहीं है, यानी meaningless, गौर तलब नहीं होते हैं। श्री नेकराम जी के एतराज पर मैं दफा १६४ (३) का हवाला दूंगा। उस में लिखा है कि--

"Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

मतलब इसका यह है कि एक्चुअल प्रैक्टिस में गवर्नर खुद फार्म आफ ओथ आफआफिस और सीक्रेसी के मजबून को पढ़ता है और मिनिस्टर उसी को दोहराता है। तो वह ऐक्शन गवर्नर का हुआ। उन्होंने जो फार्म पढ़ा वह पुराने शिड्यूल का था या नया, और गवर्नर का कोई ऐक्शन सदन में क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप अपने रूल्स में दफा २८९ (६) में देखें तो उसमें लिखा है कि "a member while speaking or answering a question shall not reflect upon the conduct of the President or any Governor or the conduct of any Court of Justice sitting as such."

श्री अध्यक्ष--

मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि आपका आर्गूमेंट अब यह हो गया कि गवर्नर का कन्डक्ट चैलेन्ज नहीं हो सकता और अगर गवर्नर ने कोई गलती की है तो उसको हम यहां क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसमें नहीं जा सकते ? तो अगर यह फैक्चुअली इवाल्व हो जाय कि गलत ओथ हुई है, तो क्या होगा ?

श्री सैयद अली जहीर--

इस सवाल पर हम और राय नहीं दे सकते। जैसे एक मुकदमा रेसजूडीकेटा हो और बाद में यह मालूम भी हो कि पहला फैसला गलत है तो सिवा इसके कि जबान बन्द रहे, इसकी कोई रेमेडी नहीं है, बस यह है कि दूसरा मुकदमा खारिज हो जाय। गवर्नर को आप अपील करें, गवर्नर से कहें कि साहब यह आपने गलती की। फेक्चुअली तो हमको नहीं मालूम, हम भी नहीं जानते हैं कि कौन सी ओथ थी। कौन सी नहीं थी, किसी ओथ पर मिनिस्टर के दस्तखत नहीं होते . . .

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कौन-सी ओथ ली . . .

श्री अध्यक्ष--

चाहे सही हो या गलत हो, एक कायदा हम बरतें। जब कोई माननीय सदस्य बोलते हों तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। अगर आपके टोकने पर बोलने वाले सदस्य बैठ न जाय, तो बीच में नहीं बोलना चाहिये। उनको अपनी बात पूरी कह लेने दें।

श्री सैयद अली जहीर--

इसीलिये फार्म में यह नहीं यह है कि :--

"That the minister will take the oath of office which will be in the form given in the schedule."

क्लाज (३) को आप देखें, उसमें लिखा है :--

"Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule." It is the duty of the Governor alone to know and to administer the oaths of office and of secrecy."

उसके अल्फाज क्या हैं क्या नहीं हैं, क्या किया गवर्नर ने It is not the matter which can be gone into by anybody else.

जो हमारे रूल्स हैं उसमें क्लीयरली प्रोवाइडेड है कि कंडक्ट आफ दी गवर्नर विल नाट बी क्वेश्चन्ड। अगर उसमें अल्फाज होते कि "Minister before entering upon his office will take the oaths of office and of secrecy according to the form given in the schedule." तब तो मिनिस्टर रेस्पांसिबिल होता और मिनिस्टर्स ऐक्शन कुड बी डिस्कस्ड और उस पर बहस हो सकती थी। लेकिन इस समय आपके सामने यह सवाल है कि कौन सी ओथ थी कि जो गवर्नर ने ऐडमिनिस्टर करायी। यह सवाल इस हाउस में डिसकस नहीं हो सकता। अगर आपको कोई डाउट है तो आप गवर्नर से पूछें, उसकी जो कुछ लीगल रेमेडी हो वह हो, लेकिन हाउस में क्वेश्चन किया जाय। यह ठीक नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष--

एक बात आपसे जानना चाहता हूं। जो शब्द आपने पढ़े वह हैं--

"The Governor shall administer to him the oaths of office and secrecy... Shall administer oaths according to the form."

(व्यवधान)

कुछ सदस्य-माननीय मंत्री जी खड़े हुए हैं, उनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, जब मैं किसी व्यक्ति से जो भाषण दे रहा हो उससे सवाल करता हूं तो उनके बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस समय मैं मंत्री जी से प्रश्न कर रहा हूं और उनका कर्तव्य है कि वह खड़े हो कर मेरे प्रश्न को सुनें। मेरी दिक्कत यह है कि :--

"The Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the form....."

मान लिया जाय यह बहस सही हो कि Oath according to the form नहीं है, तो? २८९ (६) पर मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं.....

श्री सैयद अली जहीर--

आर्गूमेंट यह है कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि ओथ कैसे लें। यह गवर्नर की जिम्मेदारी है कि कौन सी ओथ दिलायें, यह गवर्नर का फर्ज है कि जिस प्रकार ओथ देनी है उसी प्रकार शपथ दिलाये।

"The governor shall administer to him the oath of secrecy according to the form set out for the purpose in the Third Schedule."

आपके सामने एवीडैन्स ऐक्ट है। उसमें कुछ प्रीजम्पशन है, तो यह प्रीजम्पशन होना चाहिये कि सरकारी काम सही तरीके से हुआ। इस Basis पर हम बहस नहीं कर सकते कि Governor ने गलत काम किया और आप गवर्नर के ऐक्ट को इस हाउस में क्वेश्चन नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपके सामने वे एक विचार रख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप नहीं सुनते तो मैं अपना आदेश दे दूंगा।

श्री सैयद अली जहीर--

अंग्रेजी में एक फिक्शन है कि किंग कैन डू नो रांग King can do no wrong। बात यह है कि हमने जो रूल बनाये हैं उसके अनुसार गवर्नर के ऐक्शन को और कन्डक्ट को हम चैलेंज नहीं कर सकते। बहस तो यह है कि जो काम गवर्नर को करने थे वे उन्होंने ठीक किए या नहीं और अगर वह ठीक थे तो आपको बराबर इस प्रीजम्पशन पर प्रोसीड करना पड़ेगा कि गवर्नर ने जो काम किए हैं वे ठीक कायदे से किये हैं। गवर्नर स्वयं कैन्सिल करें या यह कहें कि हमने गलती की तो दूसरी बात है, लेकिन कोई दूसरी अथौरिटी यह क्वेश्चन नहीं कर सकती कि उन्होंने सही काम किया या गलत किया और इस क्वेश्चन में आप एन्टर नहीं हो सकते। तो बावजूद इन अल्फाज के जो फार्म में है कि :--

"The Governor shall administer to him the oath of secrecy according to the form set out for the purpose in the third schedule....."

तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने जो शिड्यूल में फार्म था उस तरीके से ओथ एडमिनिस्टर करा दी और यह क्वेश्चन बार्ड है। इसमें इन्क्वायरी करने की कोई गुन्जाइश नहीं है। अगर आप को इसमें कोई गल्ती निकालने का अधिकार है तो प्रोननशियेशन में गल्ती रह सकती है या जिस

तरीके से उन्होंने कहा या जो अल्फाज लिखे हुए हैं वही इस्तेमाल हुये या नहीं, इन सब बातों पर बहस हो सकती है। इसलिये यह कन्क्लुसिव प्रीजम्पशन होना चाहिये कि जो तरीका उन्होंने एडाप्ट किया वह सही किया है। इसलिये हमने अपने रूल्स में, यह एडाप्ट कर लिया है कि उसके कन्डक्ट को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते और इसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई बहस नहीं कर सकते। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि आप इसको ओवर-रूल कर दें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

कान्स्टीट्युशन का १६ वां एमेन्डमेंट जो सदन की मेज पर रखा है अभी तक वह सदन द्वारा पास नहीं हुआ तो क्या उसे ऐक्शन में ले सकते हैं या नहीं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

जो नेकराम जी बतला रहे हैं वह ओथ ली या दूसरी ओथ ली, वह यह बतला दें ?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

जो तर्क अभी पेश किया गया है, अध्यक्ष महोदय, वह मेरी समझ में नहीं आया। इंग्लैंड में जो फिक्शन है "दैट दी किंग केन डु नो रांग" वह दूसरे रूप में लागू होता है। यहां तो गवर्नर ने आपको ओथ एडमिनिस्टर कराई तो ऐक्शन आप का हुआ ओथ लेने का। इस ऐक्शन पर स हाउस में विचार किया जा सकता है। आपने ओथ ली है इसलिये ओथ लेने का काम आप का है। आपने किस फार्म में ओथ ली है यह सवाल होता है ? संविधान के हिसाब से आपने सही फार्म में ओथ नहीं ली तो इसका यह मतलब नहीं है कि गवर्नर ने गलत ओथ दिलाई इसलिये आप ने गलत ओथ ली, इसलिये आप मंत्री के रूप में बैठने के हकदार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

नेक राम जी ने एक प्रश्न उठाया और इधर से उत्तर दिया गया। अगर अब इन दोनों चीजों के सम्बन्ध में आपको कुछ कहना हो तो संक्षेप में कहें।

श्री दीपनारायणसिंह--

यह जो कहा गया कि ओथ दिलाने का काम गवर्नर महोदय का काम है और इसलिये इस पर सदन में कोई डिसकशन नहीं होना चाहिये, इसके बारे में मेरा कहना यह है कि ओथ लेने का काम आपका बहैसियत मिनिस्टर के है। जिस शक्ल में आप ने ओथ ली वह एक विशेष कार्य है। उस पर इस सदन में चर्चा हो सकती है कि आपने गलत फार्म में ओथ ली है और आपने संविधान के हिसाब से ओथ नहीं ली जिससे आप यहां बैठने के हकदार नहीं हैं।

श्री रामायणराय--

अली जहीर साहब का यह कहना है कि राज्यपाल महोदय ने पुराने शपथ-पत्र के नमूने के हिसाब से शपथ दिलवाई हो या नये शपथ-पत्र के हिसाब से शपथ दिलवाई हो, उनके कृत्य के ऊपर हम विचार विनिमय नहीं कर सकते। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि कोई भी कृत्य या आदेश गवर्नर करें, लेकिन वे स्वयं संविधान की धाराओं के मुताबिक बने हुए हैं। मंत्रि-परिषद् की रचना भी संविधान की धाराओं के मुताबिक होती है और अगर उन्हीं के अनुसार कार्य .....

श्री अध्यक्ष--

इससे कौन इंकार कर रहा है ?

श्री रामायणराय--

मुझे हैरत तो यह है कि कानून के पंडित होकर उन्होंने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया, जो वस्तुस्थिति पर परदा डालता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जायं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न इस समय सदन के समक्ष है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अन्दर कोई सवाल गर्मी का नहीं है। कांस्टीट्यूशन का स्पेसिफिक प्राविजन यह है कि गवर्नर एक ओथ देंगे आफिस की और दूसरी सीक्रेसी की, एकार्डिग टु ए पार्टिकुलर फार्म। मेरा अपना मत यह है कि गवर्नर भी कांस्टीट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकते। यहां गवर्नर के कांडक्ट को क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। यहां क्वेश्चन यह किया जा रहा है कि गवर्नर ने जो ओथ दी थी वह सही फार्म में दी या नहीं। अगर सही फार्म में नहीं दी तो मैं यह चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्पोर्टिगली इस बात को ऐक्सेप्ट करे और कहे कि वह फार्म सही नहीं था चाहे गलती किसी की हो। और अगर हमने कांस्टीट्यूशन से कोई दूसरी आड़ लेकर हटने की कोशिश की तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि विधान की पवित्रता निभानी चाहिये। लिहाजा मेरा आपसे केवल दो ही निवेदन हैं। पहला यह कि यहां गवर्नर के कांडक्ट का क्वेश्चन नहीं है और दूसरा यह कि जो असेम्बली के रूल्स हैं वे भी कांस्टीट्यूशन के प्राविजन्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। लिहाजा केवल प्रश्न यह है कि जो ओथ दी गवर्नर ने, वह सही थी या नहीं। अगर सही थी तो नेकराम जी का आब्जेक्शन गलत है, उसको ओवर-रूल किया जाना चाहिये और अगर ओथ सही नहीं थी तो हाउस को ऐडजर्न किया जाय ताकि उसके कांस्टीट्यूशनल इम्प्लीकेशन्स को अच्छी तरह से समझ लिया जाय, जो सही कांस्टीट्यूशनल प्रोपराइटी है उसको एग्जामिन कर लेना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मुझे स्पष्टीकरण देना है। मैं सदन में ओथ लेकर कहता हूं कि मैंने माननीय मंत्रियों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमने ओल्ड फार्म पर ओथ ली है। अगर मेरी यह बात गलत है तो मुझे हाउस सजा दे सकता है।

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न तो यह उठाया गया कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज नहीं आते, इस सम्बन्ध में मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि मुझे एक दूसरे सिलसिले में इस प्रश्न का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी। बसु का यह मत है और जहां तक मुझे याद है मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्ष, आदरणीय खेर साहब का भी यह मत था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी माननीय मुख्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। माननीय नेकराम जी ने एक अधिनियम का हवाला दिया है जिसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को वेतन देने की व्यवस्था की गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस आदरणीय सदन ने निश्चित रूप से यह निर्णय कर दिया है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नियुक्त ही नहीं हो सकते अपितु हम उनको वेतन भी दे सकते हैं। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं और अगर आप चाहें तो मैं खेर साहब की भी रूलिंग पढ़ कर सुना दूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो यह समाप्त होता है, इससे सम्बन्धित आपत्ति को मैं स्वीकार नहीं करता।

दूसरा प्रश्न माननीय नेकराम जी ने यह उठाया कि माननीय मुख्य मंत्री ने उन सेक्रेटरीज की नियुक्ति अनुराग से या भय से की। तो इस बात का हमारे सामने स्पष्ट कोई प्रमाण नहीं है। यह उनके स्वविवेक पर निर्भर था कि वे किसी को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के पद पर अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्त कर सकती थीं। चाहे एक को करतीं, चाहे चार को करतीं, चाहे पांच को करतीं, यह उन्हें पूर्ण अधिकार था। तो जिस व्यक्ति को पूरा अधिकार हो उस व्यक्ति के सम्बन्ध में यह एक साधारण प्राकृतिक नियम है कि हम यह विश्वास करें कि उसने नेकनीयती से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के हेतु एक काम किया है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता कि वे किसी और भावना से प्रेरित हुई थीं। इस नियम को मानते हुये, मैं समझता

हूं कि यह गलत है कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाय कि उन्होंने भय या अनुराग से किसी को नियुक्त किया ।

अब एक प्रश्न यह होता है कि पहली तारीख को कुछ आदरणीय सदस्यों को महामहिम राज्यपाल या मुख्य मंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया कि वे आकर शपथ लें । कहा यह जाता है कि जब तक पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री अपना त्यागपत्र समर्पित न कर देते तब तक दूसरे मुख्य मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती है और दूसरे मुख्य मंत्री को ही अधिकार है कि वह अपने सहयोगियों के नाम गवर्नर महोदय को दें और गवर्नर उनका आमंत्रण करें । प्राग्दर्शन में जो बहस की जाती है वह सही है लेकिन एक विशेषता यह है कि मान लिया जाय कि पहली अक्तूबर को जो आमंत्रण दिया गया और जिनका आमंत्रण किया गया वह अवैध था, तो जिस समय माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने इस्तीफा दे दिया और माननीया कृपालानी को मुख्य मंत्री पद दे दिया और उन्होंने शपथ ले ली तो वह अवैध बात वैध हो गई और मैं इसमें अब कोई त्रुटि नहीं पाता हूं । तो जो शपथ उन्हें दी गई २ अक्तूबर को माननीया कृपालानी के बाद, वह वैध थी और ठीक थी ।

एक बात और रह जाती है गोपनीयता के संबंध में । गोपनीयता का प्रश्न पारसाल से मेरे छोटे से दिमाग के लिये बहुत ही जटिल सिद्ध होता रहा है । मैं इसको जानने का प्रयत्न करता रहा हूं कि अगर कोई मंत्री गोपनीयता की शपथ को भंग करे तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही की जा सकती है । जहां तक हमारे संविधान का प्रश्न है, वहां कोई इस बात का उल्लेख नहीं है कि जो मंत्री गोपनीयता को भंग करेगा उसके ऊपर किस प्रकार की कार्यवाही हो सकेगी । अब सीक्रेसी आफ पब्लिक ऐक्ट में यह है कि अगर कोई जनसेवक कोई गोपनीयता को भंग करता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, लेकिन जहां तक इस आदरणीय सदन का प्रश्न है, कदाचित् सैंसर आ सकता है लेकिन इससे कोई प्रभाव उसकी सदस्यता पर या मंत्री के मंत्रिपद पर नहीं पड़ता है ।

अब अन्त में प्रश्न रह जाता है १४ तारीख को ली गयी शपथ का । माननीय अली जहीर का यह तर्क कानून की दृष्टि से सही है कि जब कोई अधिकारी कोई कार्य करता है अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में, तो समझा जाता है कि उसने अपना काम कानून के अनुकूल किया । लेकिन अगर हमारे सामने इस बात का प्रमाण है कि वह काम कानून के अनुरूप नहीं किया है तो वह प्रिजम्प्शन, वह अनुमान भंग हो जाता है । तो यह प्रश्न उठता है कि यह जानते हुये कि एक बात नहीं हुई, यह जानते हुये भी, क्या इस बात के अस्तित्व का अनुमान कर सकते हैं कि हुयी ? न कानून, न साधारण न्याय इसको मान सकता है । रहा यह कि जिस प्रकार से सोलहवां संशोधन हुआ है उसके अनुरूप शपथ ली गयी या नहीं, माननीय नेकराम ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं ली गयी ।

श्री नेकराम शर्मा—

शपथ लेकर कहा ।

श्री अध्यक्ष—

और इधर से इस बात का प्रतिवाद नहीं हुआ कि नहीं, उसके अनुरूप ली गयी । जब प्रतिवाद नहीं किया जाता तो हमें उस आक्षेप को सही मानना पड़ेगा । अगर हम मानते हैं तो हमारे सामने प्रश्न यह आता है कि क्या किया जाय ? मैं निवेदन कर दूं और मेरा विश्वास यह है कि मैं वहीं करूंगा जो न्याय होगा । सदन स्थगित मैं कर देता, अगर यह बात होती कि मुख्य मंत्रिणी नहीं हैं । मुख्य मंत्रिणी मौजूद हैं, चार मिनिस्टर और मौजूद हैं । तो हम अगर यह मान लें कि अन्य जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने संविधान के अनुरूप शपथ नहीं ली है, तो वह शायद अब मंत्री पद पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्री तो शेष कर सकते हैं । लेकिन मैं आपसे बहुत ही नम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि काम करें, और अगर कोई तरीका निकल सके काम करने का, जो संविधान के प्रतिकूल न हो, तो हमें करना

[श्री अध्यक्ष]

चाहिये। तो मेरा निवेदन यह है कि जो शपथ १४ तारीख को ली गयी, उसको मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। उसके पहले जो शपथ ली है वह ठीक ली है।

श्री रामायणराय—

स्ट्रेंजर्स को बाहर निकालिए।

श्री अध्यक्ष—

मैं बोल रहा हूं। अब प्रश्न यह है कि सदन स्थगित किया जाय या न किया जाय।

श्री उग्रसेन—

अजनबी लोगों को बाहर निकालिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने समाप्त नहीं किया है। आप बीच में बोलना चाहते हैं। बड़े अफसोस की बात है। (शोर) जरा शान्त रहें। मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि जो व्यवधान कर रहे हैं वह कृपया सदन छोड़ दें।

श्री रामायणराय—

(श्री कैलाशप्रकाश तथा शिवप्रसाद गुप्त के सदन छोड़ कर जाने पर) यह भाग रहे हैं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारे और आपके लिए शोभा नहीं देता कि हम इस तरह की बात करें कि वह भाग रहे हैं। वे अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। आपको उनकी सराहना करनी चाहिए बजाय इसके कि आप शोर मचायें।

तो मैं कह रहा था कि हम सदन स्थगित नहीं करेंगे, सदन चलेगा। अब सूरत यह है कि मंत्रियों की परिभाषा जो है और भारसाधक सदस्य की जो परिभाषा है दोनों को पढ़ लें। "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करें। तो मंत्री में मंत्रि-परिषद् के सदस्य और अन्य सदस्य भी सम्मिलित हैं कि जिनको कार्य दिया जाय। केवल हमारे यहां अगर आपत्ति हो सकती है तो उन महानुभावों के ऊपर हो सकती है जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वरन परिषद् के सदस्य हैं, वह कदाचित भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो इस सदन के सदस्य हैं वे भाग ले सकते हैं। (व्यवधान) और "विधेयक भार साधक सदस्य" का तात्पर्य है सरकारी विधेयक के सम्बन्ध में किसी मंत्री और अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो, या यदि विधेयक परिषद् द्वारा भेजा गया हो तो उस मंत्री या सदस्य से है जिसने यह प्रस्ताव करने के मंतव्य की सूचना दी हो कि विधेयक पर विचार किया जाय। (व्यवधान) तो हमारा कार्य स्थगित नहीं होगा। हमारे यहां चार मंत्री मौजूद हैं और मुख्य मंत्रिणी जी मौजूद हैं। उनके द्वारा कार्य संचालित होगा। अगर वह लिखित रूप से किसी को ऐसा चाहेंगी कि वह बोलें, तो वह बोल सकेंगे। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

अभी आपने फरमाया है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं वह भाग नहीं ले सकते हैं। तो अब हमारा एक कर्त्तव्य और हो जाता है, जैसे उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया कि वह सदन छोड़कर चले गये, तो अभी तक जो बैठे रहे उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जायगी? (शोर)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी, जब तक मेरा निर्णय नहीं हुआ तब तक वह वैध रूप से बैठे हुये थे इस विश्वास से कि शपथ की ठीक कार्यवाही है। मेरे निर्णय के बाद उनका यहां बैठना अवैधानिक हुआ। इसलिए उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं यह उठाना चाहता हूं कि जब आदरणीय अध्यक्ष की रूलिंग हो गई कि शपथ वैध नहीं है तो उसके प्रतिकूल जो भी कार्य हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। इसलिये यह जो तख्तियां लगी हुई हैं यह भी अवैधानिक हैं। जब तक यह नहीं हट जातीं। तब तक सदन नहीं चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

क्या इसे अभी हटवा दें ? मैं इसे ओवररूल कर रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण आपसे चाहता हूं। आपने यह निर्णय दे दिया कि जो शपथ ली गई १४ तारीख को, वह लीगल नहीं है। तो इस सदन के हर सदस्य को उसी प्रकार से शपथ दिलाई गई है और माननीय मुख्य मंत्राणी और चार मंत्रियों को जो शपथ दी गई है वह भी उसी पुराने फार्म में दी गई है। तो जब तक नयी शपथ हर सदस्य को और हर मन्त्री को और मुख्य मंत्राणी जी को न दी जाय, तब तक यह सदन वैध समझा जायगा या अवैध समझा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह जरूरी नहीं है। जो निर्णय हो चुका है वह ठीक है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप इस बात की भी व्यवस्था देंगे या माननीया मुख्य मन्त्राणी से स्पष्टीकरण दिलायेंगे कि जो शपथ ली गई माननीय मुख्य मंत्राणी जी के द्वारा, वह क्या शिड्यूल ३ के मुताबिक ली गई या १६ वें संविधान के संशोधन के अनुरूप ली गई ? अगर उन्होंने शिड्यूल ३ के अनुरूप शपथ ली तो इस सदन में उनका क्या फंक्शन होगा ? इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे और यदि शिड्यूल ३ के मुताबिक शपथ नहीं ली और १६ वे संविधान के संशोधन के अनुसार ली तो. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। यह प्रश्न आप बाद में कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मेरे औचित्य प्रश्नों के बारे में आपका क्या निर्णय है ? वह प्रश्न भी मेरा व्यवस्था के संबंध में ही है। जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनके संबंध में आपका क्या निर्णय है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है. . . .

श्री अध्यक्ष—

पहले टम्बेश्वर प्रसाद जी को बुलाया है। उनका भी व्यवस्था का प्रश्न है। वह इस संबंध में यह मांग करते हैं कि "मन्त्रि-परिषद् राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी

[श्री अध्यक्ष]

होगी। किसी मन्त्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उससे तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये हुये प्रपत्रों के अनुसार पद की गोपनीयता की शपथ करायेगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने संविधान के अन्तर्गत ली हुई शपथ के अनुरूप व्यवहार नहीं किया तथा गोपनीयता की शपथ का भी उल्लंघन किया है....."

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

यह आप क्या सुना रहे हैं? इसके संबंध में किसी माननीय सदस्य ने कोई प्वाइंट रेज नहीं किया है? आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने लिखकर दिया है, उसी को मैं पढ़ रहा हूं। "शपथ में उन्होंने संविधान के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा की शपथ ली तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ ली। परन्तु उन्होंने व्यवहार में उसे भंग करते हुये अपने शुद्ध अन्तःकरण का प्रयोग न करके माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय कमलापति त्रिपाठी आदि के ऊपर अपना सभी भार (मंत्रिमंडल गठन सम्बन्धी) छोड़ दिया।

कांग्रेस हाई कमांड के भय से वह कई बार दिल्ली गईं तथा उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी अपने भय का स्पष्टीकरण किया। गठन में उन्होंने आनुपातिक प्रणाली अपनाकर अपने तथा असन्तुष्ट गुटों के बीच पक्षपातपूर्ण भेदभाव का व्यवहार किया। यह करते हुये उन्होंने अपने गुट के प्रति अनुराग तथा विरोधी गुट के प्रति द्वेषपूर्ण भावनाओं का भी सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण किया। वह शब्द इस प्रकार है कि 'उन्होंने असन्तुष्ट गुटों को लेकर मंत्रिमंडल के गठन में बड़ी उदारता का परिचय दिया।' इस प्रकार के अनेकों वक्तव्य माननीय सुचेता जी ने सार्वजनिक रूप से दिये।

दूसरी शपथ उन्होंने गोपनीयता की ली जिसमें उन्होंने इस बात को कि मंत्री के रूप में जो कुछ उन्हें ज्ञात होगा या विचार के लिये लाया जायगा वह किसी को नहीं बतायेंगी, परन्तु उन्होंने न केवल बताया ही वरन् उस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया तथा दबाव एवं गुटबन्दी से प्रभावित होकर व्यवहार किया। उन्होंने यह सभी बातें श्री पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, माननीय चन्द्रभानु गुप्त, माननीय कमलापति त्रिपाठी, माननीय लालबहादुर शास्त्री, माननीय संजीवैय्या, जो किसी रूप में भी मंत्रिमंडल के गठन के कार्य से सम्बन्धित नहीं हैं, उन्हें बताया। अस्तु, "इस मंत्रिमंडल का गठन पक्षपातपूर्ण एवं हाई कमांड के दबाव के परिणामस्वरूप हुआ है।"

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि.....

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जरा मुझे सुन तो लीजिये। आपने कहा कि गोपनीयता की शपथ का कोई प्रभाव नहीं होता। आपकी समझ में नहीं आता कि यदि वह भंग हो जाय तो क्या होगा। मेरा निवेदन है कि जब कभी बजट लीकेज हो जाता है तो सरकार इस्तीफा दे देती है। गोपनीयता की शपथ के कारण ही बजट लीकेज में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि शपथ यहां ली गयी, अगर उस शपथ का पालन न हो, जैसा कि यहां बहुत देर बहस हुई और जैसा न्याय मंत्री जी ने कहा कि गवर्नर ने जो शपथ हमको एडमिनिस्टर करा दी, वह ठीक है और उस पर आपने रूलिंग दे दी कि वह सही नहीं है, उसी प्रकार मैं सुचेता जी के न्याय पर इस बात को छोड़ देता हूं। उन्होंने ५ अक्तूबर को अपना एक वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष दिया.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

वह भी व्यवस्था का प्रश्न उठाये हैं और आप भी उठा रहे हैं ।

श्री गंगाप्रसाद—

मेरा प्रश्न जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—

वह अपना प्रश्न समाप्त कर लें तो आप अपना प्रश्न उठा लीजियेगा । आपका प्रश्न यही तो है कि वह गलत बोल रहे हैं, वह आप बाद में कह दीजिये ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि गुटों के आधार पर वह मंत्रि-मंडल नहीं बनायेंगी, लेकिन इस समय वह सब बात भूल गयीं । यहां पर गुटों के आधार पर बटवारा हुआ, संतुष्ट किया गया और यह बात उन्होंने स्वीकार की । उन्होंने कहा कि हमारा आफर बड़ा उदारतापूर्ण है और उन्होंने कहा कि हम हिस्सा बांट लेते हैं । मेरा निवेदन यह है कि यदि इस प्रकार कार्य होगा और मंत्रि-परिषद् का गठन होगा, तो संविधान की जो धारा २ है उसका कोई महत्व नहीं रहता । और यह सब लोग बजाय इसके कि ये प्रदेश के प्रति, सदन के प्रति वफादार रहें, हर बात को लेकर हाई कमांड तक जायंगे और वहीं से आर्डर लाते रहेंगे और इस तरह से सदन का काम नहीं चल सकता । तो मेरा निवेदन है कि माननीया सुचेता जी को स्वयं यह स्वीकार करके कि ये वक्तव्य उन्हीं के हैं, इस्तीफा दे देना चाहिये और अगर फिर गवर्नर महोदय उनको बुलावें तो इस तरह की बात छोड़कर अपना काम करना चाहिये । (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसी के सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री गंगाप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

यह समाप्त तो हो जाय ।

(व्यवधान)

श्री गंगाप्रसाद—

अभी आपने हाउस में यह रूलिंग दे दी है कि १४ तारीख को जिन मंत्रियों ने शपथ ली है वह मंत्री नहीं रहे । तो १४ तारीख से आज तक उन मंत्रियों ने जिन फाइलों पर दस्तखत किये हैं, और कितनी यूनिट बिजली, मोटरकार, टेलीफोन, बंगलों का इस्तेमाल किया है उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता ?

श्री गंगाप्रसाद—

आपने यह घोषणा की है कि उन्होंने गलत शपथ ली है और वे मंत्री नहीं रहे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है कि उन्होंने गलत शपथ ली है, लेकिन वह मंत्री रहे या नहीं रहे, यह भगवान जाने।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरी भी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपने श्रीमन्, अपनी व्यवस्था देते हुये कहा था कि पहली अक्तूबर को राज्यपाल महोदय का आदेश जारी करना ओथ टेकिंग सेरीमनी के लिये अवैधानिक था। वह उनको जारी नहीं करना चाहिये था, तो यह दो तारीख को जिन चार मंत्रियों ने शपथ ली है उनको गैर-संवैधानिक तरीके से निमंत्रित किया गया था और इसलिये जैसे आपने १४ मंत्रियों को खारिज किया है उसी तरह से इन चार मंत्रियों को भी आप खारिज कर दें तभी सदन की कार्यवाही कायदे से चलेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे बोलने दीजिये। माननीय काशीनाथ जो कुछ कह रहे हैं इसके सम्बन्ध में मैंने पहले ही अपना निर्णय दे दिया और उनको अधिकार नहीं है कि वह उसके ऊपर बहस करें। वह बात समाप्त हो गयी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आपने कहा कि मैं सुनूंगा, तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जो व्यवस्था दी है वह तो शिरोधार्य है, लेकिन एक बड़ा ही मूल प्रश्न उपस्थित हो गया कि गवर्नर महोदय ने पहले जो शपथ दिलाई वह क्या शेड्यूल तीन, जो सिक्सटींथ अमेंडमेंट का है उसके मुताबिक थी या नहीं जो शपथ कि श्रीमती सुचेता कृपालानी को दिलायी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

हो गया। माननीय नरसिंहनारायण को यह नहीं मालूम कि वह शपथ दो तारीख को ली गयी और इसके ऊपर प्रेसीडेंट ने अपनी स्वीकृति ६ को दी, तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव--

आज की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि २७ सितम्बर को यह सदन अचानक स्थगित किया गया और आप जानते हैं कि किस स्थिति में किया गया। आज १७ अक्तूबर को, जब सत्र प्रारम्भ हुआ तो····

श्री अध्यक्ष--

आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वही प्रश्न लिखित रूप में कल्पनाथ सिंह जी ने भेजा है, उसके ऊपर मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री अष्टभुजप्रसाद वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

मुख्यमंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन के सामने एक दुखद घटना के बारे में निवेदन करना है। हमारे साथी अष्टभुज प्रसाद वर्मा जो गोरखपुर के एक मशहूर परिवार के थे। उनके पिता विन्दवासनी और वे खुद हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उन्होंने बहुत बड़ी सेवा

की है, उनकी मृत्यु ५ अक्तूबर, १९६३ को हो गयी। वर्मा जी हमारे सदन के एक बहुत बुजुर्ग मेम्बर थे और पब्लिक की सेवा में तथा हाउस में भी, दोनों जगह उनका काम महत्वपूर्ण रहा है। आज हम सब उनके दुखी परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने अष्टभुजा प्रसाद जी के निधन के सम्बन्ध में व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दल की ओर से भी उनके शोक सन्तप्त परिवार को आप समवेदना भेज दें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने जो विचार रखे हैं मैं अपने दल को उससे संबद्ध करता हूं। उनकी मृत्यु के एक रोज पूर्व, जिस समय अष्टभुजा प्रसाद जी रोग शय्या पर पड़े हुए थे, मैं वहां मौजूद था। उनके परिवार के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। उनका परिवार एक बहुत ही कच्ची गृहस्थी है। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया वह देश के लिये किया। उनके पिता जी हमारे हिन्दुस्तान के ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने देश की काफी सेवा की थी। ऐसा कौन देशभक्त होगा जो उन्हें न जानता हो? चम्पारन सत्याग्रह में बहुत दिनों तक वे महात्मा गांधी जी के साथ रहे। महात्मा गांधी जितनी बार गोरखपुर आये, उन्हीं के यहां ठहरे। आज उन्हीं के परिवार के एक नवयुवक साथी की मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु से हम सब को बहुत दुख है। हमारी और हमारे दल की भावनायें आप उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने जिन भावनाओं को यहां व्यक्त किया है उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। यह बहुत ही दुख का विषय है कि आज माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी हमारे बीच में नहीं हैं। मृत्यु के पहले करीब १० दिन तक वे हमारे साथ रहे थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय था। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा साथ दिया था। उनका सारा परिवार ही कांग्रेस में काम करता रहा है और उसने देश की सेवा की है। वे अभी गोरखपुर आये थे, वहां उनकी तबियत खराब हो गयी थी। वे बहुत जल्दी चल बसे, इसका हम सब को बहुत ही दुख है। देहाती क्षेत्र में रहकर जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की हो, वह जब हमारे बीच से चला जाय, तो उससे बहुत दुख होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी सद्भावनायें आप उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी बहुत ही सौम्य और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने बड़ी गम्भीरता और सौजन्यता से देश की सेवा की है। माननीय मुख्य मंत्री तथा अन्य नेताओं ने जो विचार उनके सम्बन्ध में प्रकट किये हैं, मैं अपने को और अपने दल को उनसे संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी समवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी गोरखपुर जनपद के एक प्रमुख राष्ट्रवादी परिवार के सपूत थे। हम लोगों का परिचय उनसे यहां सदन में आने पर ही हुआ था। उनके निधन

[श्री झारखंडेराय]

से गोरखपुर जनपद को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। माननीय मुख्य मंत्री ने तथा अन्य नेताओं ने उनके प्रति जो अपनी सद्भावनायें व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपनी पार्टी को उनके साथ संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी सद्भावना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी को ९-१० वर्ष से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था। वे कितने मिलनसार तथा दयालुप्रकृति के व्यक्ति थे, उनको हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उनके निधन पर नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उनके साथ मैं अपने को और अपनी रिपब्लिकन पार्टी को संबद्ध करता हूं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी सद्भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय अष्टभुजा प्रसाद जी वर्मा के सम्बन्ध में जो विचार नेता सदन, तथा अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये हैं, उनसे मैं अपने को संबद्ध करते हुये आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप सब की समवेदना को उनके संतप्त परिवार तक अवश्य भेज दूंगा।

अब हम दो मिनट खड़े होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के संबंध में जानकारी--(क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं। मैंने शुरू में जो प्रश्न किया है कृपा करके उसके बारे में माननीया मुख्य मंत्री से अब आप पूछ लें कि वे आज वक्तव्य देंगी या कल बतायेंगी, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष--

माननीया मुख्य मंत्री क्या इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं इस विषय में शाम को ५ बजे वक्तव्य दूंगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मुझे एक सूचना देनी है। माननीय शराफत हुसैन अमरोहा निवासी, जिला मुरादाबाद को १६ तारीख को दिन के १ बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा ११७, ३२३ और ३३२ के अभियोग लगाये गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमोदन) नियमावली, १९६३ *

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६३ में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २५७—ब/२२—१८—आर—६२, दिनांक १२ सितम्बर, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २९ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २९ सितम्बर, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया।

---

*छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि (नयी दशमिक सिक्का प्रणाली द्वारा पुरानी सिक्का प्रणाली के निर्देशों का प्रतिस्थापन) विधेयक, १९६३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ३ अप्रैल, १९६३ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ३ अक्तूबर, १९६३ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६३ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८५२–८५३ पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह बिल लैप्स हो गया है और जब यह बिल लैप्स हो गया तो वह इस सदन की मेज पर नहीं आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—

मेज पर तो रखा जायगा ही । जब उसे विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय तब आप आपत्ति कर दीजियेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, जो बिल लैप्स हो गया, क्या आप उसे मेज पर रखने की आज्ञा दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपका नियम यह है कि विधान परिषद् से जो विधेयक पास होकर आवे उसको हम सूचना के लिये आपके सामने रखते हैं । उसके संबंध में आप कोई वैधानिक आपत्ति लाना चाहें तो बाद में ला सकते हैं, मगर इस वक्त उसे मेज पर तो रखा ही जायगा ।

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८५४–८५९ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८६०–८६३ पर)

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विशेषाधिकार के प्रश्न की तीन सूचनायें आयी हैं। एक तो माननीय कमला सिंह और श्री केसरी प्रसाद पांडेय की है। उसको मैंने इस आधार पर अस्वीकृति किया है कि वह अस्पष्ट है, उसमें कोई तिथि और समय नहीं है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसकी सूचना आवेगी। अभी गिरफ्तारी की बात तो है नहीं।

माननीय चन्द्रजीत यादव द्वारा एक प्रश्न उठाया गया है, उसको मैं पढ़े देता हूं।

"गत २७ सितम्बर को विधान सभा में राजस्व मंत्री एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने २५ प्रतिशत बढ़ी हुई लेबी के संबंध में सदन में गलतबयानी किया। इसी सदन में दिये गये वक्तव्य के विपरीत इन लोगों ने कहा कि सरकार ने एक वर्ष से अधिक के लिये यह लेवी बढ़ायी है। सदन के प्रत्यक्ष इन लोगों ने सदन का अपमान किया है। अतः मैं इन लोगों के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की आज्ञा चाहता हूं।

यह तो इंटरप्रिटेशन की बात है। आपका कहना है कि यह केवल एक साल के लिये लगायी गयी थी जबकि उनका कहना है कि इमर्जेंसी पीरियड के लिये सरकार की तरफ से कहा गया था तो यह तो प्रोसीडिंग्स में है। लिखी हुई बात में कोई धोखा नहीं होता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आप इसको इंटरप्रिटेशन की बात कह कर हल्के मन से पास आन न कर दें। २७ तारीख को जब सदन स्थगित हुआ, इस प्रश्न पर काफी विवाद हुआ। लेकिन इस प्रश्न पर आपने अपनी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं दी। उस दिन सरकार की बात से यह मालूम हो रहा था कि हाउस इस बात से कंविंस्ड है कि सरकार अपनी बात सही नहीं कह रही है। श्रीमन्, आप हाउस की प्रोसीडिंग्स निकलवा कर देख लें, सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि यह लैबी केवल एक साल के लिये है। माननीय नवलकिशोर जी ने भी बतलाया है और अखबारों में उन्होंने इस बात को माना है कि निश्चित रूप से उनकी राय में सरकार ने एक साल के लिये आश्वासन दिया था जबकि माननीय राजस्व मंत्री और मुख्य मंत्री ने दूसरी बातें कही हैं।

श्री अध्यक्ष—

बहरहाल, मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है। अब यह इंटरप्रिटेशन का सवाल है। उनका कहना है कि हमने एक वर्ष के लिये ही नहीं, बल्कि इमर्जेंसी पीरियड के लिये इस लेवी को लगाया था, जबकि आपका कहना है कि इसे केवल एक वर्ष के लिये लगाया गया था। खैर, जो कुछ भी हो लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है जो सदन के सामने आवे। इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आवे क्यों नहीं, इसको आप जरा बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरा आदेश हो चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं आपके आदेश का आदर करता हूं, लेकिन जहां तक इंटरप्रिटेशन की बात है, वह तो अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन आप उस पर अपनी राय तो नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—

सायंकाल आप इस बारे में मुख्य मंत्री से निपट लेंगे ।

श्री गया प्रसाद जी ने 'ब्लिट्ज' अखबार के विरुद्ध एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । उसमें लिखा हुआ है "सुचेता मार्क्स गुप्तागिरी इन यू० पी०" ब्लिट्ज ने सदन के अन्दर की किसी कार्यवाही की टीका नहीं की है, उसमें सदन के बाहर की बातों का जिक्र है, वह बातें हुई या नहीं हुयीं उनसे हमारे कोई विशेषाधिकार की बात का हनन नहीं हुआ । आप का खयाल है कि ऐज ए लेजिस्लेटर हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न उसमें आता है, बात ऐसी नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर अखबार इस तरह का प्रचार करेंगे तो सदन की मर्यादा कैसे रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—

जैसे शराफत हुसेन गिरफ्तार हुये, वह सदन की मर्यादा का सवाल नहीं है, बाहर की बात है ।

प्रदेश में छात्र आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब श्री नेकराम शर्मा जी का एक कार्यस्थगन प्रस्ताव है जो अनेक विद्यार्थियों के बारे में है, इसी संबंध में नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत भी प्रस्ताव आये हैं । एक श्री चन्द्रजीत यादव का है, श्री ऊदल का है, श्री विजयपाल सिंह का है, ५२ में और ५३ का है श्री काशी नाथ मिश्र का, श्री गया प्रसाद जी का है और श्री राधे श्याम जी का भी है । एक और कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री राम किशोर जी त्रिपाठी का है, एक दूसरा है माननीय कल्पनाथ सिंह जी का, एक और है श्री कल्याणचन्द जी मोहिले का, एक श्री शारदा भक्त सिंह जी, विपिन बिहारी तिवारी, राजेंद्र सिंह, तमेश्वर प्रसाद जी का है । यह चन्द्रजीत जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है और आखिर में है श्री शिव नाथ सिंह का....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, देवरिया के बारे में श्री चन्द्रबली सिंह का है ।

श्री अध्यक्ष—

विद्यार्थियों के बारे में जो थे वह मैंने बताये हैं, मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह कल शाम को ही इस पर २ घंटे का विचार होने दें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ढाई घंटे का कर दीजिये नियम ५३ के अनुसार....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं नेता सदन से बातचीत कर के समय निश्चित कर दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मुझे कोई एतराज नहीं है, कल ले लिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैंने अपना प्रस्ताव कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया है, उसका एक महत्व होता है और इस कारण से कार्य-स्थगन प्रस्ताव को कल नहीं लिया जा सकता, या तो आप उसे अस्वीकार कर दीजिये या आज ही उसे लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको नियम ५३ में ले रहा हूं। आप कहते हैं कि मुझे अधिकार नहीं है तो मैं आप के कार्य-स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं और ५३ को स्वीकार करते हुये कल बहस की इजाजत देता हूं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सारे उत्तर प्रदेश में आतंक छाया है, माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया, तमाम शहरों में लड़के गिरफ्तार हुए हैं, उनको पीटा गया है . . .

श्री अध्यक्ष—

उस पर कल बहस होगी।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इलाहाबाद में मेरे सामने दुर्घटना हुई, मैं आप को बताता हूं कि पुलिस लड़कों का खून कर रही है और आप इस महत्वपूर्ण लोकमहत्व के प्रश्न को कामरोको का विषय नहीं बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आज ही सदन का कार्य स्थगित किया जाय और इस पर बहस हो। माननीय गृह मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देकर गृह युद्ध का न्योता दिया। मैं आप से सविनय सानुरोध प्रार्थना करता हूं कि इसको आप स्वीकार करें और विद्यार्थियों के मसले पर आज ही बहस की जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मेरा निर्णय हो चुका है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा नम्र निवेदन है श्रीमन्, एक व्यवस्था आप दें कि कार्यस्थगन प्रस्ताव का एक महत्व होता है, यह विद्यार्थियों पर जो अत्याचार हुआ है और जो घटनाएं हुई हैं उनसे सम्बन्धित है। आप यह कह दें कि इन कारणों से मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, आप कारण दें। यह कहना कि आप इसको नियम ५२ या ५३ में लेंगे यह हमारे अधिकारों की अवहेलना है। एक चीज आप के सामने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाई गई, आप को अधिकार है कि आप उस को अस्वीकार कर दें। आपने परम्परा डाली है कि पढ़ कर यहां सुनाते हैं और कहें कि इन कारणों से अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बता दूं कि इस सदन में पिछले २० साल से मेरे पहले जो यहां का रिकार्ड है वह यह है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये जा सकते हैं और कारणों को सदन के

[श्री अध्यक्ष]

सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुझे अधिकार नहीं है। खेर साहब ने एक नहीं बीसों बार कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियम ५३ में लिया है और मैं भी इसको ले रहा हूं, मैं इसे पढ़ कर सुना दूंगा, लेकिन आज मैं दूसरा विषय ले रहा हूं इस वजह से मुझे उलझन थी और मैंने पढ़ कर नहीं सुनाया...

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नियम ५२ की जगह नियम ५३ में २ घंटे के वाद विवाद की जो व्यवस्था की गई है, विवाद चाहे दो घंटे का हो या २ दिन हो, लेकिन जिन लोगों ने भी सदन के समक्ष आप के माध्यम से काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उनकी मंशा यह नहीं है कि इस प्रश्न पर सदन केवल वाद-विवाद कर ले बल्कि सदन चाहता है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो जनता में बयान दे कर कुकृत्य किया है और जिसके कारण हमारी भावी सन्तान का भविष्य और मार्ग अवरुद्ध हुआ है और उन्होंने उसमें जो विरोधी दल को गालियां दी हैं उसके सम्बन्ध में जब तक सदन में कोई सफाई नहीं हो जाती है, जो विद्यार्थी आज जेलों में बन्द हैं, जिनकी पढ़ाई आज बन्द है, उनके बारे में जब तक सदन अपनी निश्चित राय नहीं बनाता है तब तक के लिये सदन का काम बन्द होना चाहिये। केवल नियम ५३ में विवाद करा देने से काम नहीं चलेगा। दफा ५२ में हम विवाद कर सकते हैं लेकिन उस पर कोई रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकते हैं, अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। काम रोको प्रस्ताव की एक मान्यता है, उसके माध्यम से हम कोई विनिश्चय करते हैं। अतः आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसका सम्बन्ध प्रदेश के विद्यार्थियों से है, कामरोको प्रस्ताव के माध्यम से बहस करने की इजाजत दें।

*श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)---

आपने कहा कि कामरोको प्रस्ताव को बगैर कोई कारण दिये अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव जिस कार्य के लिये रखा गया है उसके अविलम्बनीय महत्व को आप अनुभव करते हैं और इस सम्बन्ध में अगर सरकार की ओर से कुछ ऐसे बयान दिये गये हैं जिससे भ्रान्ति प्रदेश में पैदा हुई है, मेरा तात्पर्य गृह मंत्री के बयान से है जिसमें उन्होंने विरोधी दलों को कुछ गाली और उन पर कुछ लांछन किया है, तो जब दूसरी तरफ से लांछन हुआ है और प्रश्न अविलम्बनीय है तो उस को आप कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में ही स्वीकार कर लें। यह जरूर है कि आपको कारण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की भावना को समझते हुए और नियमावली के अन्तर्गत अगर वह प्रश्न कामरोको प्रस्ताव में आ सकता है तो उस मामले पर तुरन्त विचार होना चाहिये। अतः हम चाहते हैं कि सदन का काम रोका जाय और सारी बातों पर विचार हो सके, उस पर वोटिंग हो सके। अन्त में फिर आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में ही आप स्वीकार करें।

श्री झारखंडेराय---

श्रीमन्, इस सदन में पिछले १०, ११ सालों में विद्यार्थियों के मसले को लेकर कई बार कामरोको प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं और बहस भी हुई है। इस बार जो घटनायें हुई हैं वह इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चन्दौसी, देवरिया आदि जगहों में, प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के व्यापक तरीके से झगड़े हुए हैं और स्थान-स्थान पर पुलिस से भिड़ंत हुई है। अतः इसके महत्व और व्यापकता को देखते हुए, वह घटनायें आज भी जारी हैं, कुछ न कुछ वारदातें रोज हो रही हैं, इसको आप कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार करें और अपने निर्णय पर पुनः विचार कर हमारी मांग को स्वीकार करें। कामरोको का एक महत्व होता है, उसका जनता पर असर पड़ता है और हम भी अपने वोटिंग के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिये जो आपने निर्णय दिया है उस पर विचार कर हमारे आग्रह को स्वीकार करें ताकि इसका वांछित प्रभाव पूरी तरह जनता पर पड़ सके।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक संबंधित विषय का प्रश्न है उसके लोक महत्व के होने में कोई भी शंका नहीं रखता और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसी नीयत से मैंने इसको कल रखा है। आज शाम को एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने आ रहा है जो कानपुर में बिजली के बारे में है। तो जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, स्कूल बन्द हैं, यूनिवर्सिटी बन्द हैं और दशहरे की छुट्टियां भी हो रही हैं। इस वजह से मैंने यह सोचा कि इसके ऊपर हम कल भी विचार कर सकते हैं और कर लेंगे और २ घंटे के बजाय २ १/२ घंटे भी मिल जायेंगे। मैं यह चाहता हूं कि कानपुर में जो बिजली का प्रश्न आया है वह आज शाम को ले लिया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

यह कामरोको प्रस्ताव के रूप में लिया जायगा या किस रूप में?

श्री उग्रसेन--

आपने इस पर व्यवस्था नहीं दी है कि नियम ५३ में लेने के बाद कामरोको प्रस्ताव का क्या होगा और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर आप कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो कल आयेगा। आज तो नहीं आता। अब इसके ऊपर विचार खत्म किया जाता है।

सिंचाई मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)--

अभी जो आपने आदेश दिये कि केसा, कानपुर पर आज शाम को बहस रखी जाय, तो मेरी प्रार्थना यह है कि इसको परसों के लिए रख दिया जाय।

श्री रामायणराय--

गवर्नमेन्ट कितनी अर्जेन्सी मानती है इस प्रश्न पर!

श्री अध्यक्ष--

मैं अगर स्वीकार करूं तब आप कहिए। परसों तो छुट्टी है। १९ और २० को हम नहीं बैठेंगे।

श्री गिरधारीलाल--

तो मैं आज ही के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आज लिया जायगा तो कल विद्यार्थियों वाले पर विचार होगा।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष, यह विद्यार्थियों का प्रश्न है और उससे तमाम विश्वविद्यालय और स्कूल बन्द हैं। गृह मंत्री जी ने हम लोगों को चुनौती दी है। विद्यार्थी मारे जा रहे हैं और आप कामरोको प्रस्ताव को नामंजूर कर देते हैं इसलिए आपकी व्यवस्था के विरोध में हम एक बजे तक के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

कानपुर में गंगा के जल स्तर के गिरने से उत्पन्न बिजली संकट के सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज अविलंबनीय प्रश्न कानपुर के बारे में जो है वह लिया जायगा । उसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। एक माननीय बहुगुणा जी का है, एक माननीय संतसिंह यूसुफ का है, कामरोको के रूप में और एक राम किशोर जी का है ५२ में और माननीय हरीश कुमार गंगवार का है, माननीय मतोला सिंह, माननीय रक्षपाल सिंह का नियम ५२ में है और एक माननीय नरसिंह नारायण पांडेय का भी है कामरोको प्रस्ताव के रूप में। अब ५२,५३,५४,५७ मिलकर ५३ हो गये और वह आज शाम को होगा।

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मेरा निवेदन है कि सदन उठने के पहले जब नेकराम जी का एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित था उस पर ४ दिन तक मुतवातिर बहस हुई, अब उस पर आप कब व्यवस्था देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मेरी व्यवस्था तैयार है। मैं उसी दिन देने वाला था।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

नियम ५३ के अन्तर्गत मैंने भी एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने नहीं देखी है फिर देखूंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

उस पर कब विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में कोई नियम नहीं है कि उसी दिन विचार हो। मैं कोशिश जरूर करता हूं और जब देख पाता हूं सदन के सामने रख देता हूं।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

एक दफा ५२ का मेरा भी प्रस्ताव आपके सामने है।

श्री अध्यक्ष--

वह अभी सब देख रहा हूं। एक माननीय हरिनाथ तिवारी जी ने नियम ५२ का दिया है। इसमें कानपुर के गंगा के पुल के बारे में दिया गया है कि उसमें दरार पड़ गयी है और दूसरा है माननीय सहदेव सिंह का इटावा जिले में पुलिस के अत्याचार और धांधली का। पुलिस की धांधली और अत्याचार हमेशा चलते रहते हैं।

(श्री सहदेव सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों घबराते हैं ? अब मैं आपको बताये देता हूं। एक श्री कृष्णानन्द राय और श्री शिवनाथ सिंह और श्री चन्द्रबली सिंह का है। ये लोग मौजूद नहीं हैं इसलिये वह समाप्त हो गया।

एक प्रश्न है श्री चन्द्रजीत यादव, भीखालाल, ऊदल और विजयपाल सिंह जी का। वह अमरोहा में बीड़ी मजदूरों के चल रहे मामले से सम्बन्धित है। इस प्रश्न को भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के जरिये उठाया जा सकता है। एक हफ्ते के अन्तर में जवाब दिलवा दूंगा।

श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

पुलिस ने शराफत हुसैन रिजवी साहब को लाठियों से मारा। सर फूट गया और ८ घंटे तक हिरासत में रखा। इसे भी आप दफा ५२ में नहीं लेना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैं मानता हूं कि वे गिरफ्तार हुए। वह सब ठीक है। आप सब बातें अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में दे दीजिये। कानूनी कार्यवाही के लिये नियम ५२ नहीं है, और चीजों के लिये यह है। आप मिल लीजिये और बात चीत कर लीजियेगा।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

इटावा जिले के एम० एल० ए० नत्थू सिंह के घर की पुलिस ने तलाशी ली। उनको फिर पकड़ कर थाने में ले जाया गया और तीन घंटे हिरासत में रखा.....

श्री अध्यक्ष—

कोई ज्यादती लोकली होती है तो कानून का रास्ता मौजूद है। उसके लिये नियम ५२ नहीं है।

श्री सहदेवसिंह—

सारे जिले में आंतक की स्थिति पैदा हो गयी है। उसकी अवाज सदन में ही उठाई जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—

किसी आदमी की कानून के अन्तर्गत अगर गिरफ्तारी होती है तो ठीक है। वह पकड़ कर ले जाये जाते हैं। थाने पर तो कानून के अन्तर्गत ले जाये जाते हैं। यह सब नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

नत्थूसिंह जी गिरफ्तार हुए हैं इसकी कोई सूचना आपको दी गई है?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मुझे कोई सूचना उनकी गिरफ्तारी की नहीं मिली है। मैंने लिखा दिया है कि अगर दिन भर में आज गिरफ्तारी की सूचना नहीं आई तो कल आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। गिरफ्तारी एक चीज है और तलाशी दूसरी चीज है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर सदन के किसी माननीय सदस्य को पुलिस पकड़ती है, पीटती है, ह्यमिलियेट करती है तो यह बड़ी गंभीर बात है, इस पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जिस रूप में मैंने बतलाया उस रूप में आप प्रश्न को ला सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आपने अमरोहे के प्रश्न को तारांकित प्रश्नों के जरिये पूछने को कहा है। १० दिन पहले शराफत हुसैन साहब यहीं थे दफा ५२ में प्रश्न रखने के सम्बन्ध में। वहां भूख हड़ताल हो रही थी। इस सम्बन्ध में मैं और वह आप से मिले थे और मुख्य मंत्री अमरोहा गये थे। उनके बीच-बचाव में पड़ने के बाद बीड़ी मजदूरों का मसला हल किया गया था। बीड़ी कारखानों के मालिकों ने मुख्य मंत्री की उस मध्यस्थता के बाद उसका उल्लंघन किया कोई रास्ता नहीं रह गया, सरकार को लिखा गया, उसके बाद बीड़ी मजदूरों के चार नेताओं ने अनशन किया। फिर माननीय शराफत हुसैन साहब ने एक आदमी के साथ अनशन शुरू किया और कल जब शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तहसील के सामने हो रहा था उस वक्त पुलिस ने लाठी चार्ज किया। शराफत हुसैन साहब के शिर में लाठी की चोट आयी। पुलिस ने ८ घंटे तक उनको बगैर पानी वगैरह पिलाये टिन शेड के अन्दर रखा। ८ साढ़े ८ घंटे बाद उनका चालान किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों की मांगों का सवाल है, जिसमें मुख्य मंत्री जो मध्यस्थता करें, उसका उल्लंघन किया जाय, वहां के क्षेत्रीय विधायक अगर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये उनकी मांगों को आगे लेकर बढ़ते हैं और पुलिस बर्बरता से हमला करती है . . .

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे मिल लीजियेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

अगर आपने आज के लिये कोई दूसरा महत्वपूर्ण विषय नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया होता तो मैं प्रेस नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे कमरे में मिल लीजियेगा। अगर आप मुझे समझा देंगे तो मैं मान लूंगा।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—

अब मैं आपको यह बता दूं कि राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ की धारा ३ की उपधारा (२) की मद (ङ) के अनुसार विधान सभा के ४ सदस्यों और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट में विधान सभा द्वारा निर्वाचित श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह के निधन के रिक्त स्थान पर कार्य करने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) के मद १७ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (१) के अनुसार विधान सभा के १ सदस्य के निर्वाचनों हेतु निम्नलिखित कार्य-क्रम स्वीकृत किया गया है।

(१) नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की तिथि तथा समय—२१ अक्तूबर, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक।

(२) नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २२ अक्तूबर, १९६३ को १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में।)

(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २८ अक्तूबर, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक।

(४) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो ३० अक्तूबर, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष--

(श्री शारदानन्द के खड़े होने पर) माननीय शारदानन्द जी, यह तो लेवी के बारे में है।

श्री शारदानन्द (जिला हरदोई)--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

तो सांयकाल मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें उसके बाद कहियेगा । आपकी याचिका कोई खारिज थोड़े ही हो गयी ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, दो माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी और वह भी कानूनी नहीं बल्कि गैरकानूनी कार्यवाही जो पुलिस ने की है उसके सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया। मैं समझता हूं कि जो कानून के मुताबिक कार्यवाही हो उसमें तो हम अदालत में जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को और सदस्य ही नहीं मैं तो समझता हूं कि किसी भी नागरिक को पुलिस अगर गैरकानूनी तरीके पर गिरफ्तार करे, उसको अपमानित करे तो मैं अपना यह अधिकार समझता हूं कि आपके सामने उस मामले को रखूं। यह बात जरूर है कि वह नियम ५२ में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है या नहीं इस पर विचार करने का आप ही को अधिकार है। अगर आपके विचार में वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है तब तो नियम ५२ में स्वीकार करेंगे, अगर नहीं समझते तो नहीं करेंगे । मेरी आपसे अपील है कि दो माननीय सदस्यों के साथ जो बर्ताव पुलिस द्वारा मुरादाबाद जिले में हुआ है....।

श्री अध्यक्ष--

आपको मालूम है कि माननीय नत्थूसिंह जी गिरफ्तार हुये हैं ?

श्री गेंदासिंह--

वह यहां मौजूद हैं । लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया और थाने ले जाया गया....

श्री अध्यक्ष--

इसमें लिखा है कि उनको गिरफ्तार किया गया लेकिन वे यहां मौजूद हैं तो इसमें साफ होना चाहिये और स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिये । यह नहीं कि एक अस्पष्ट सी बात लिख दी जाय कि अपमान किया, बल्कि किस तरह से अपमान किया यह उन्हें स्पष्ट लिखना चाहिये था तब तो वह नियम ५२ के अन्तर्गत आ सकता है । बातें स्पष्ट होनी चाहिये । जिससे हम समझ सकें और वह प्रा-र्शन में अपमान का विषय बन सके । इसलिये मैंने उनसे कहा है कि वह मेरे कमरे में आकर बातचीत कर लेंगे । मेरी कोई राय अन्तिम नहीं हो सकती है । मुझे हमेशा समझाया जा सकता है कि मैंने यह गलती की और इसका परिमार्जन करना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री गेंदासिंह--

श्रीमन्, इसमें तो केवल इतना है कि गवर्नमेन्ट को एक वक्तव्य देना पड़ेगा और उससे सरकारी अधिकारियों की आंखें खुलेंगी कि अगर वह कोई हाई--हैंडेडनेस करते हैं तो उनको उसके लिये जवाब देना होगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो आप हर वक्त मुझसे मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें गलती की, उसमें गलती की ।

एक सदस्य—

आपने जो कानपुर विद्युत् संकट के विषय में नियम ५३ में स्वीकार किया है उसके सम्बन्ध में में यह जानना चाहता हूं कि वह कब लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आज के कार्य-क्रम के समाप्त होने के बाद लिया जायगा ।

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, २७ तारीख को जब यहां सदन की कार्यवाही चल रही थी तो.... ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो माननीय कल्पनाथ सिंह ने लिखकर दिया है कि सदन साइन डाई क्यों स्थगित हुआ ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

लेकिन श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आपने कार्य-क्रम निर्धारित किया था और सदन का भी प्रस्ताव हुआ था और आपने ३० तारीख तक कार्यक्रम तय कर दिया था और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके ऊपर आपको निर्णय देना था, कुछ वाद-विवाद भी होना था, जो आपके द्वारा निश्चित किया गया था । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने गुस्से में आकर, जल्दी से बड़ी घबराहट के साथ अनिश्चित काल के लिये सदन को स्थगित कर दिया । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का कृत्य वास्तव में ठीक है या नहीं वैधानिक है या अवैधानिक है, इसका निर्णय करें । क्योंकि इस प्रकार हमारे कार्यक्रमों में व्यवधान पड़ता रहेगा । मेरी समझ में कोई ऐसी बात उस समय नहीं हुई थी कि अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय, थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जा सकता था । इस पर आप निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें स्वयं आपने कहा है कि आदरणीय उपाध्यक्ष ने जल्दी में या परेशानी में एक व्यवस्था दी । जो व्यवस्था इस अध्यक्ष पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति देते हैं वह व्यवस्था उस प्रसंग में अंतिम होती है और उसके सम्बन्ध में मेरे यहां कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं हो सकता है । सिद्धान्त की दृष्टि से अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मत है कि जो कार्य सदन या कार्य मंत्रणा समिति निर्धारित करती है उस कार्य के अनुरूप इस सदन को काम करना चाहिये और सदन काम करता है । जो भी इस प्रकार कार्य निर्धारित हो, यह होते हुए भी, सदन को चलाना और सदन में व्यवस्था रखना

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अगर आप इस पर व्यवस्था देने जा रहे हैं तो मुझे सुनने के बाद व्यवस्था दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको लिखना था आपने लिख दिया है। अब मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

मैं कह रहा था कि जब सदन का कार्यक्रम निश्चित हो जाय, चाहे सदन द्वारा या कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा वह कार्य तो होना चाहिये लेकिन उस कार्य को करने के लिये जब सदन तैयार हो, उसी समय वह सम्पन्न हो सकता है। अगर सदन के सदस्य कार्य न करना चाहें तो सिवा, इसके कि मैं भी उठ कर चला जाऊं और आप भी चले जाय और क्या हो सकता है? अब रहा यह कि क्या ऐसी परिस्थिति आ गयी थी या नहीं जिससे पीठासीन व्यक्ति इस परिणाम पर पहुंचे कि ऐसी अवस्था है कि कार्य नहीं हो सकता है, यह विश्वास, जो व्यक्ति यहां बैठेगा, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या अधिष्ठाता मंडल का सदस्य हो, कोई व्यक्ति हो, वही यह निश्चित कर सकता है कि कार्य चलाया जा सकता है या नहीं। सम्भव है कि उपाध्यक्ष महोदय यही समझते थे कि जो वातावरण था, जो मौसम था वह ऐसा था, जो एक दिन में साफ न हो सके तो उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन के लिये उठ जाओ, और उन्होंने स्वविवेक से आदेश दे दिया। अब उसके ऊपर पुनर्विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कार्यक्रम होते हुए भी अगर सदन में ऐसा वातावरण हो जाय जिससे कार्य नहीं चल सकता है, तो वह कार्य को स्थगित कर सकता है। हमारा नियम १८ भी शायद यही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप जरा अपनी रूलिंग मुल्तवी रखें और कल इस सवाल को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले से मैंने इसलिये नोटिस दे रखा था.....

श्री अध्यक्ष—

"अध्यक्ष स्वयं अथवा सभा के तद्विषयक संकल्प पर, सभा की बैठक को स्थगित कर सकेंगे :

किन्तु यदि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो तो सभा के पुनः समवेत होने की तिथि की सूचना सदस्यों को साधारणतया दस दिन पूर्व दी जायेगी।" इससे स्पष्ट है कि नियम १८ में अध्यक्ष को अधिकार है इस सदन को स्थगित करने का और यह भी अधिकार है कि अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दें।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

यह प्रश्न नहीं है कि अधिकार नहीं है, बल्कि यह कहना है कि जब यहां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित था और उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, तो अधिकार की बात पर मैं कहना चाहूंगा श्रीमन्, कि अधिकार तो मुहम्मद तुगलक का भी था जिसने दिल्ली से दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

अब यह बहस की बात है। अगर आपने एक बार मान लिया कि अधिकार है तो अब समाप्त हो जाता है। (व्यवधान)

विधान सभा के १६ सितम्बर को आहूत सत्र को निरस्त किये बिना २३ सितम्बर को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब एक रूलिंग मुझे और देनी है जिस पर कि चार दिन तक बहस हुई थी। उसको मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता इसलिये कि समय नहीं है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आज मैंने

[श्री अध्यक्ष]

अखबार में पढ़ा है कि यह सवाल कि सेशन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, हाईकोर्ट में था और उसके बारे में आज के अखबार में कुछ छपा भी है। तो मैं माननीय उपनेता सदन से इस बारे में जानना चाहता हूं।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

अखबार में हमने भी देखा है, लेकिन मैं डरता बहुत हूं सदन से, कि कहीं कोई लफ्ज पकड़ लिया तो मुश्किल हो जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी के कथित त्याग-पत्र के सम्बन्ध में जानकारी

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

मैं एक सूचना चाहता हूं। माननीय सुदामा प्रसाद जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनके इस्तीफे के बारे में प्रेस में छपा है। क्या वह आपके पास पहुंच चुका है या नहीं? अगर पहुंच चुका है तो ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुदामा प्रसाद जी के कंधे इतने चौड़े हैं कि वह अपना काम खुद संभाल सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

सवाल यह नहीं है। अखबार में निकला है कि उन्होंने स्पीकर को इस्तीफा दे दिया है और स्पीकर को दे देने के बाद इस्तीफा वापस नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

विधान सभा के १६ सितम्बर को आहूत सत्र को निरस्त किये बिना २३ सितम्बर को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्नों पर निर्णय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

तो मैं आपको बता दूं। नार्दर्न इंडिया पत्रिका में....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

उसको पढ़ने के पहले मेरा निवेदन सुन लें। जब तक कि वह जजमेंट की कापी न मिल जाय जिसके ऊपर कि अखबार में निकला है तब तक सेशन कब से बुलाया गया, कब से नहीं बुलाया गया, प्लेट में क्या था, जजमेंट में क्या है, इसके बारे में किसी एक निश्चित स्थान पर हम नहीं पहुंच सकते।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन मुझे तो अधिकार है अपनी रूलिंग देने का। तो वह मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, आपको तो बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन क्या कामराज योजना में कुछ उस अधिकार का त्याग करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये, वह रूलिंग लम्बी है। पांच मिनट में खत्म नहीं होगी। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वह आखिर का हिस्सा पढ़ देता हूं और हर पार्टी के पास यह पहुंच जायगा और प्रोसीडिंग्स का पार्ट हो जायगा। यह मैं सब नेताओं के पास भेज दूंगा और प्रेस को भी दे दूंगा। मुझे सिर्फ आखिर के अंतिम वाक्य पढ़ने दीजिये—

"The result is that ;

(1) The Governor's order summoning the House to meet on 23-9-1963 was a vaild order, the previous one for 16-9-1963 having been thereby revoked by implication,

(2) The house was not in session on the 17th September, 1963."

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह अध्यक्ष महोदय, इसको हिन्दी में बता दीजिये। यह तो अंग्रेजी में आपने पढ़ दिया।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में भी पढ़ देता हूं" परिणामतः (१) राज्यपाल का आदेश कि २३ सितम्बर, १९६३ के लिये सदन को आहूत किया जाय, वैध आदेश था जिसके कारण पूर्ववर्त्ती आदेश जो सदन का १६ सितम्बर, १९६३ से आहूत करने के लिये था, निरसित हुआ। (२) १७ सितम्बर, १९६३ को सदन सत्र में नहीं था।"

यह रूलिंग हमारी प्रोसीडिंग्स का पार्ट होगी और जो विभिन्न दल हैं उनके नेताओं के पास मैं इसको भेज दूंगा। प्रेस को भी दे दी जायगी और कल कार्यवृत्त में भी दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष का निर्णय जो पढ़ा हुआ माना गया—

"अनुच्छेद २१३ के अधीन, अध्यादेश के प्रख्यापन के लिये यह अनिवार्य है कि विधान मंडल यानी दोनों सदन, सत्र में न हों। गत बार, सत्रावसान के पश्चात्, विधान सभा का अधिवेशन २३ सितम्बर, १९६३ को हुआ। अध्यादेश, १७ सितम्बर, १९६३ को निर्गत किया गया। तर्क यह है कि सत्र वस्तुतः १६ सितम्बर, १९६३ से प्रारम्भ हो चुका था। विवाद संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं—

राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद १७४ के अन्तर्गत दो आदेश २९ अगस्त, १९६३ को जारी किये, एक आदेश के द्वारा विधान सभा को १०–३० बजे दिन व दूसरे आदेश द्वारा विधान परिषद् को ११ बजे दिन, १६ सितम्बर, १९६३ के लिये अधिवेशनार्थ आहूत किया। इसकी सूचना विधायिका विभाग से विधान सभा सचिवालय को २९ अगस्त, १९६३ को प्राप्त हुई। ये दोनों सूचनायें पृथक-पृथक आदेशों के अधीन दी गयी थीं। विधान सभा के आह्वान और सत्रावसान के संबंध में, राज्यपाल के आदेश, विधान सभा सिचिवालय को विधायिका विभाग द्वारा संचारित किये जाते हैं। यह प्रथा दीर्घकाल से प्रचलित है।

पूर्व इसके कि उन आदेशों की सूचना के आधार पर नियमावली के नियम ४ के अन्तर्गत सदन को १६ सितम्बर, १९६३ के लिये समवेत करने की कार्यवाही सम्पन्न होती, विधायिका विभाग से ३० अगस्त, १९६३ को फोन द्वारा यह सूचना मिली कि चूंकि तिथि का प्रश्न पुनर्विचाराधीन है, अतः २९ अगस्त, १९६३ की सूचना पर सम्प्रति कार्यवाही स्थगित रक्खी जाय। तत्पश्चात् ३१ अगस्त, १९६३ को अपराह्न में निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई :

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा को दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ को साढ़े दस बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६३ ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं।

[श्री अध्यक्ष]

स्पष्ट है कि विधान सभा को आहूत करने के लिये अलग-अलग दो आदेश प्रसारित किये गये। एक २९ अगस्त को व दूसरा ३१ अगस्त को। दूसरे आदेश में पहले आदेश को निरस्त करने या परिष्कृत करने का कोई सुव्यक्त उल्लेख नहीं है। प्रश्न यह है कि एक देश और काल में एक ही प्रसंग से संबंधित दो आदेश, जिनमें विभिन्नता हो, प्रसारित किये जायें, तो दोनों में से कौन सा आदेश अभिभावी होगा? इस संबंध में तर्क यह है कि चूंकि ३१ अगस्त, १९६३ की सूचना में पूर्व निर्गत सूचना, दिनांक २९ अगस्त, १९६३ के निरसन का कोई उल्लेख नहीं है, अतः २९ अगस्त वाली सूचना ही सप्रभाव है तथा अनुवर्ती आदेश व्यर्थ व निरर्थक है।

निर्वचन का समान्य सिद्धांत यह है कि यदि दो आदेशों, नियमों, विधि आदि में विरोधात्मक उपबन्ध हों तो अनुवर्ती आदेश, नियम, विधि आदि ही प्रभावी समझे जाते हैं, क्योंकि उपाशय से (by implication) पूर्ववर्ती नियम, विधि आदि अनुवर्ती प्रसारण से निरस्त किये हुये माने जाते हैं। कृपया देखें पृष्ठ ८१७ The Interpretation of Statutes and General Clauses Acts (3rd Edition) by N. S. Bindra.

विचाराधीन विषय में, इस महत्वपूर्ण तथ्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि दोनों आदेशों, अर्थात् २९ अगस्त, १९६३ और ३१ अगस्त, १९६३ के आदेशों के मध्य,यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि राज्यपाल महोदय विधान सभा के समवेत होने की तिथि पर पुनर्विचार कर रहे हैं। वर्तमान प्रसंग में, यह निस्सन्देह है कि राज्यपाल महोदय ने पुनर्विचार किया और अधिवेशन की तिथि को १६ सितम्बर, १९६३ से परिवर्तित करके २३ सितम्बर, १९६३ कर दिया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह आवश्यक नहीं है कि अनुवर्ती आदेश, पूर्ववर्ती आदेश को सुव्यक्त शब्दों से ही निरस्त करें। सहवर्ती (attendant) परिस्थितियों से भी ऐसे निरसन व परिष्कार का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राज्यपाल महोदय, ने सामान्य व्यवहृत माध्यम (usual channel) से विधान सभा सचिवालय को सूचित कर दिया था कि १६ सितम्बर वाली बैठक की तिथि पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इस प्रकार उस तिथि की अन्तिमता को मौखिक सूचना द्वारा भंगकर दिया गया। अनुवर्ती आदेश दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ में दूसरी तिथि नियुक्त करके, वह पूर्णतया निरस्त हो गयी। स्मर्त्तव्य है, कि सदन की नियमावली के नियम ४ द्वारा, आह्वान-पत्र निर्गत करने की अपेक्षित प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हुई। सदस्यों को किन्ही अधिकृत सूत्रों से, विज्ञप्ति नहीं किया गया कि विधान सभा का अधिवेशन १ सितम्बर, १९६३ को होगा। ऐसी दशा में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ३१ अगस्त, १९६३ के आदेश में, पूर्ववर्ती आदेश के निरसन अथवा खंडन करने वाले शब्दों के समावेश करने की कोई आवश्यकता ही न थी। अतः मेरा निर्णय यह है कि १६ सितम्बर १९६३ की बैठक के लिये राज्यपाल द्वारा प्रसारित प्रथम आदेश, दिनांक ३१ अगस्त, १९६३ के आदेश द्वारा निरस्त किया गया हो गया।

राज्य पाल महोदय के ३१ अगस्त, १९६३ के आदेश पर दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि राज्यपाल महोदय को अपने २९ अगस्त, १९६३ वाले आदेश को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। इस तर्क का उत्तर संविधान के उपबन्धों में ही विद्यमान है। अनुच्छेद ३६७ के खंड (१) में यह उपबन्ध है कि "जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक संविधान के निर्वचन के हेतु साधारण परिभाषा अधिनियम, १८९७ लागू होगा," साधारण परिभाषा अधिनियम की धारा २१ में यह निहित है कि जिस प्राधिकारी को किसी आदेश को देने की शक्ति है, उनको अपने आदेश को संशोधित, परिष्कृत या निरस्त करने की भी शक्ति होगी। इसके उत्तर में यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि :

(१) साधारण परिभाषा अधिनियम की धारा २१ में आह्वान (summons) का उल्लेख नहीं है।

(२) श्री मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "भारत में संसदीय प्रक्रिया" के पृष्ठ २३ २४ पर यह माना है कि एक बैठक जो एक बार विधिवत् संयोजित कर ली जाये उसे संयोजक द्वारा स्थगित नहीं किया जा सकता।

मैं उपर्युक्त दोनों तर्कों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। अनुच्छेद १७४ में प्रयुक्त शब्द "आहूत (summon)" प्राविधिक अर्थ (technical sense) में प्रयुक्त नहीं हुआ है। आहूत करने का केवल अर्थ है "बुलाना"। अनुच्छेद १७४ के शब्द सुस्पष्ट हैं "राज्यपाल समय-समय पर सदन को अधिवेशन के लिये आहूत करेगा ....।"

"सदन को आहूत करने" से तात्पर्य है कि तदर्थ, राज्यपाल महोदय आदेश देंगे। उस आदेश के आधार पर आह्वान-पत्र (summon) निर्गत (issue) किये जावेंगे। ऐसा आदेश उपर्युक्त विधि के अनुसार अपने प्रवर्तक (author) द्वारा संशोधित, परिष्कृत, या निरसित किया जा सकता है। दूसरे तर्क के संबंध में यह कहना पर्याप्त होगा कि श्री मुकर्जी का कथन उन्हीं मामलों तक सीमित होगा, जहां बैठक विधिवत् संयोजित की जा चुकी हो, अर्थात् विज्ञप्ति जारी होकर आह्वान-पत्र निर्गत हो चुके हों। विचाराधीन प्रकरण में १६ सितम्बर के लिये न तो कोई विज्ञप्ति हुई थी और न सदस्यों को कोई आह्वान-पत्र ही निर्गत हुये थे। अतः श्री मुकर्जी के जिस कथन का आश्रय लिया गया है, वह वर्तमान प्रसंग में असंगत हो जाता है। इसके अतिरिक्त, श्री मुकर्जी ने अपनी पुस्तक में अनुच्छेद ३६७ के प्रभाव पर न तो ध्यान दिया है और न उसके प्रभाव की चर्चा ही की है। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधार पर अनुच्छेद १७४, अनुच्छेद ३६७ के प्रभाव से बहिर्गत समझा जा सके। अतः उपर्युक्त तर्क अमान्य प्रतीत होते हैं। श्री मुकर्जी अपनी पुस्तक में --notification पर भी बल देते हैं। अनुच्छेद १७४ में, सदन को आहूत करने के लिये विज्ञप्ति निर्गत करने का कोई उपबन्ध नहीं है। श्री मुकर्जी का यह कथन कि राज्यपाल कार्यपालिका के प्रधान की हैसियत से (as executive Head of the State) विधान मंडल को आहूत करते हैं, भी मुझे मान्य नहीं है। विधान मंडल के अंग होने के नाते ही विधान मंडल आहूत करने की शक्ति, राज्यपाल में निहित है—१९६२ ऐक्ट १२८ से इस तर्क की पुष्टि होती है।

इस संदर्भ में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के उद्धरणों का निर्देश या चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि ब्रिटेन में संसद को आहूत करने या सत्रावसित करने की कार्यवाही, अधिनियमों से शासित होती है, जो हमारे लिये प्रवृत्त नहीं होते। हमें तो संविधान के उपबन्धों और अपने नियमों पर ही निर्भर रहना होगा।

अंतिम तर्क यह है कि यदि यह मान भी लिया जाये कि २३ सितम्बर, १९६३ के लिये ही सदन का आह्वान वैध है, तब भी सत्र उस तिथि से आरम्भ हुआ कि जिस तिथि को सदन को आहूत करने का आदेश दिया गया अर्थात् ३१ अगस्त, १९६३ से। हमारे नियम ३ में सत्र की जो परिभाषा दी गई है, उसको देखते हुये यह तर्क पूर्णतया निराधार हो जाता है। परिभाषा निम्न प्रकार है :

> "सत्र का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद १७४(१) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन से...."

इस परिभाषा के अनुसार सत्र के संगठन के हेतु, दो तत्व आवश्यक हैं। प्रथमतः राज्यपाल महोदय द्वारा सदन का आहूत किया जाना और दूसरे, तदुपरान्त अधिवेशन का होना। पहले अधिवेशन से सत्र प्रारम्भ होता है। आल इंडिया रिपोर्टर, १९५२ (उड़ीसा), २३४ में प्रतिवेदित निर्णयों से मेरे इस विचार का समर्थन होता है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, (१६ वें संस्करण) के पृष्ठ २७८ के अनुच्छेद ४ में भी निम्नलिखित अभ्युक्ति की गई है :

"A session is the period of time between the meeting of a Parliament, whether after a prorogation or a dissolution, and its prorogation."

[श्री अध्यक्ष]

सत्र की हमारी परिभाषा भी बिलकुल यही है। इसी प्रकार बसु ने भी संविधान की टीका के चतुर्थ संस्करण के खंड २ के पृष्ठ ५१३ पर कहा है:

"A session is the period of time between the meeting of a Parliament, whether after a prorogation or dissolution and its prorogation..... The period between the prorogation of Parliament and its reassembly in a new session is termed a 'recess'."

"पुनः समवेत होना (Reassembly)" का तात्पर्य है एक साथ वस्तुतः उपविष्ट होना। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाये कि सत्र आह्वान की तिथि से प्रारम्भ होता है न कि प्रथम अधिवेशन से तो परिभाषा में प्रयुक्त शब्द "सभा के प्रथम अधिवेशन से" अनावश्यक एवं निरर्थक हो जाते हैं।

सत्र की कालावधि सभा के—प्रथम अधिवेशन से न कि—आहूत करने की तिथि से प्रारम्भ होती है।

परिणामतः

(१) राज्यपाल का आदेश कि २३ सितम्बर, १९६३ के लिये सदन को आहूत किया जाये, वैध आदेश था जिसके कारण पूर्ववर्ती आदेश जो सदन को १६ सितम्बर, १९६३ से आहूत करने के लिये था, निरसित हुआ।

(२) १७ सितम्बर, १९६३ को सदन सत्र में नहीं था।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

वह अंग्रेजी वाला हिस्सा निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने हिन्दी में लिखा, उसका अनुवाद अंग्रेजी में भी है। वह हिन्दी में भी है और अंग्रेजी में भी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा यह कहना है कि आपने अनुवाद पहले पढ़ दिया।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विवरण

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ के संबंध में सूचना सब माननीय सदस्यों को बांट दी गई है। सदन से मेरी प्रार्थना है कि उस विवरण को पढ़ा हुआ समझा जाय। उनके पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर अब कल बहस होगी। वह प्रोसीडिंग में छपेगा ऐज रेड।

राजस्व मंत्री का निम्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया—

उत्तर प्रदेश की बाढ़ की स्थिति का विवरण देने के पूर्व, सर्व प्रथम मैं इस अवसर पर बाढ़ पीड़ितों तथा उन व्यक्तियों के सम्बन्धियों के प्रति जिनकी अभाग्यवश बाढ़ में जानें गई हैं, अपनी हार्दिक सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करता हूं।

राज्य में बाढ़ से हुई क्षति तथा पीड़ितों के सहायतार्थ गृह निर्माण सहायता, अहेतुक सहायता तथा तकावी आदि बांटने के लिये जिलाधीशों को दी गई धनराशियों का एक विवरण-पत्र माननीय सदस्यों की मेजों पर गत २७ सितम्बर को रखा गया था। तत्पश्चात् जिलाधीशों से प्राप्त रिपोर्टों

के आधार पर एक संशोधित विवरण पत्र (५-१०-१९६३ तक की स्थिति का) माननीय सदस्यों की मेजों पर आज पुनः रखवा दिया गया है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि यह राज्य विगत कई वर्षों से दैवी आपदाओं से, विशेष रूप से बाढ़ से ग्रस्त होता रहा है। इस वर्ष भी अनेक जिलों में बाढ़ आई है किन्तु अब अधिकांश क्षेत्रों से बाढ़ का पानी हट चुका है।

वर्षा की स्थिति—इस वर्ष वर्षा कुछ देर से प्रारम्भ हुई। किन्तु जुलाई के दूसरे पखवारे में कुछ पूर्वी जिलों में जैसे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ में अधिक वर्षा हुई है।

अगस्त के महीने में, कुछ जिलों में, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, जालौन, सीतापुर, हरदोई, खेरी, फैजाबाद और बहराइच में अत्यधिक वर्षा हुई।

ऐसी परिस्थिति सितम्बर के महीने में भी चालू रही और आगरा व मेरठ मंडलों के कुछ जिलों में असामान्य रूप से अधिक वर्षा हुई। मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मैनपुरी, एटा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खेरी और बाराबंकी जिलों में १५ सितम्बर तक बहुत अधिक वर्षा हुई जो महीने की औसत वर्षा के आधे से अधिक थी।

निम्नलिखित तालिका कुछ जिलों में अगस्त तथा सितम्बर मास (प्रथम पक्ष) में हुई अत्यधिक वर्षा की स्थिति को अलग-अलग बताती है—

क्रम-संख्या	जिला	अगस्त		सितम्बर	
		वास्तविक वर्षा	औसत वर्षा	वास्तविक वर्षा १५ सितम्बर तक (आधे महीने की)	महीने की औसत वर्षा
१	२	३	४	५	६
			(इंचों में)		
१—मुजफ्फरनगर	..	१९.८२	७.८३	८.०६	५.५९
२—मेरठ	..	१९.७१	७.८२	७.६४	५.०१
३—बुलन्दशहर	..	१७.६८	७.६०	५.१८	४.८३
४—अलीगढ़	..	११.८६	७.५८	१०.३३	४.६०
५—मथुरा	..	१२.३४	७.३३	१०.१९	४.३८
६—आगरा	..	१२.५२	८.००	४.९४	४.५५
७—मैनपुरी	..	१५.४१	९.४३	१०.४९	४.२१
८—बदायूं	..	१९.८४	९.११	८.२८	५.९९
९—मुरादाबाद	..	१५.४९	१०.५९	५.९९	६.८०
१०—शाहजहांपुर	..	१९.९०	१०.७४	७.९२	७.१४
११—फर्रुखाबाद	..	१८.९३	९.२५	७.३१	५.७४
१२—देवरिया	..	१९.४६	१२.१०	२.५६	८.१६

क्रम-संख्या	जिला	अगस्त		सितम्बर	
		वास्तविक वर्षा	औसत वर्षा	वास्तविक वर्षा १५ सितम्बर तक (आधे महीने की)	महीने की औसत वर्षा
१	२	३	४	५	६
			(इंचों में)		
१३—सीतापुर	..	२१.८०	१०.०६	४.३७	६.९२
१४—फैजाबाद	..	१६.३७	११.३१	३.४४	७.५२
१५—बहराइच	..	१७.६८	१२.२४	३.२०	८.१५
१६—एटा	..	१२.५४	८.३३	९.४८	५.१४
१७—बरेली	..	—	—	७.८९	७.८९
१८—बिजनौर	..	१५.३१	१२.०३	८.३७	७.२९
१९—इटावा	..	—	—	१०.५५	५.३५
२०—कानपुर	..	—	—	४.२२	५.७२
२१—फतेहपुर	..	—	—	४.८९	५.९४
२२—झांसी	..	—	—	१०.९०	५.७९
२३—जालौन	..	१४.८०	१०.०३	६.६२	५.०९
२४—मिर्जापुर	..	—	—	५.२७	७.३६
२५—रायबरेली	..	—	—	५.९०	६.८९
२६—हरदोई	..	१७.७६	१०.०८	५.१७	६.१९
२७—खीरी	..	२१.७२	११.८१	४.८४	७.७३

ऐसी भारी वर्षा से स्थानीय नदियों व नालों में बाढ़ आ गई।

इस वर्ष बाढ़ की तीन अवधियां रहीं। प्रथम अवधि जुलाई के द्वितीय पक्ष भर रही। इससे गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बाराबंकी तथा बस्ती आदि कुछ जिले प्रभावित हुए।

बाढ़ का दूसरा दौर अगस्त के महीने में हुआ। इसका कारण नदियों के ऊपरी भागों तथा स्थानीय भागों में अधिक वर्षा का होना था। और अन्त में बाढ़ के तीसरे दौर में जो सितम्बर में आया, कुछ पश्चिमी जिले बुरी तरह प्रभावित हुए।

इस वर्ष अब तक निम्नलिखित जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं—

१—सहारनपुर
२—मुजफ्फरनगर
३—मेरठ
४—बुलन्दशहर
५—अलीगढ़
६—मथुरा
७—आगरा
८—मैनपुरी
९—एटा
१०—बिजनौर
११—बदायूं
१२—बरेली
१३—मुरादाबाद
१४—शाहजहांपुर
१५—पीलीभीत
१६—रामपुर
१७—फर्रुखाबाद
१८—इटावा
१९—कानपुर
२०—फतेहपुर

२१—इलाहाबाद
२२—जालौन
२३—जौनपुर
२४—गोरखपुर
२५—बस्ती
२६—आजमगढ़
२७—देवरिया
२८—गढ़वाल
२९—टेहरी-गढ़वाल
३०—अल्मोड़ा
३१—लखनऊ
३२—उन्नाव
३३—रायबरेली
३४—सीतापुर
३५—हरदोई
३६—खीरी
३७—फैजाबाद
३८—गोंडा
३९—बहराइच
४०—बाराबंकी

शेष जिलों में या तो बाढ़ नहीं आई और यदि आई तो वह इतनी सूक्ष्म थी कि उससे कोई विशेष क्षति नहीं पहुंची ।

नदियां जिनमें बाढ़ आयी

गंगा—मुजफ्फरनगर, मेरठ, बदायूं, रायबरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, फतेहपुर, कानपुर और फर्रुखाबाद आदि जिलों में इस नदी में बाढ़ आई ।

यमुना—मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा आदि जिलों में इस नदी में बाढ़ आई ।

गोमती—शाहजहांपुर, लखनऊ, हरदोई तथा सीतापुर आदि जिलों में इस नदी में बाढ़ आई ।

घाघरा—गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी आदि जिलों में इस नदी में बाढ़ आई ।

बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती, रोहिन—इन नदियों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती आदि जिलों में बाढ़ आई ।

इनके अतिरिक्त, सरजू, शारदा, टोंस, सराई, क्वानो, भनावर, अमी, कठनैया, रामगंगा, काली नदी, हिंडन आदि नदियों तथा अनेक नालों तथा झीलों में भी इस अवधि में बाढ़ आई ।

सम्पत्ति आदि की हानि

फसलों तथा अन्य सम्पत्ति को विस्तृत क्षति पहुंची है । बाढ़ तथा जल-प्लावन से बड़ी संख्या में घर नष्ट या क्षति-ग्रस्त हो गए ।

जिलाधीशों द्वारा भेजे गए हानि के आंकड़ों के आधार पर अद्यतन स्थिति निम्नांकित है:—

१—प्रभावित ग्रामों की संख्या	..	..	१९,२५३
२—प्रभावित क्षेत्रफल (एकड़ में)		..	६०,९८,१४७
३—प्रभावित जन-संख्या	..	..	६४,१५,७८०
४—नष्ट हुए अथवा क्षति-ग्रस्त मकानों की संख्या		..	२,६५,२४

५—जीव-हानि—

(अ) मनुष्य	३००
(ब) पशु	१,७६४

वास्तविक हानि का मूल्यांकन किया जा रहा है। क्वारी तथा अगहनी धान, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, मक्का आदि मुख्य फसलों को विस्तृत क्षति पहुंची।

बंध, सड़कों तथा पुलिया आदि में दरारें

(१) मुजफ्फरनगर—कैराना तहसील में नगला ग्राम के निकट रिंग बंध क्षति-ग्रस्त हो गया और कई स्थानों पर सड़कों को हानि पहुंची।

(२) मेरठ—तहसील गाजियाबाद में पूर्वी जमुना नहर में कई स्थानों पर दरारें पड़ गईं। सहदरा-सहारनपुर रेल लाइन पर घठौरा तथा खेखरा के बीच में आवागमन बन्द हो गया। हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर सड़क पर भी दरारें पड़ गईं और बाबूगढ़ तथा कछेसर के बीच ८६ नं० रेलवे पुल टूट गया। अत्यधिक वर्षा से आबू नाला में बाढ़ आ जाने तथा निचले स्तर के क्षेत्रों में पानी जमा हो जाने से मेरठ शहर के २२ मुहल्ले और मेरठ छावनी के ७ मुहल्ले प्रभावित हुये, जिससे अनुमानित ४,००० घरों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षति पहुंची, तथा ८ मनुष्यों और २० पशुओं की जानें गईं।

(३) बुलन्दशहर—काली नदी के किनारे बने बंध में दरारें पड़ने के कारण बुलन्दशहर नगर का एक बड़ा भाग बाढ़-ग्रस्त हो गया। अनूपशहर तहसील में काली नदी पर बना पुल आवागमन के अयोग्य हो गया। नहर में कई स्थानों पर दरारें पड़ने के कारण खुर्जा नगर में भी बाढ़ आ गई।

(४) अलीगढ़—बाढ़ से चंदौस क्षेत्र को खतरा पैदा हो गया था। इसकी रक्षा के लिये दिन-रात प्रयत्न जारी रहे। सिकन्दरा राव ड्रेन में दरारें पड़ गईं। अलीगढ़ ड्रेन के टूटने का भी खतरा पैदा हो गया था किन्तु ठीक समय पर बंध को मजबूत करने की कार्यवाही से अलीगढ़ शहर बाढ़ की गंभीर स्थिति से बच गया। कई स्थानों पर सड़कों में दरारें पड़ गईं जिनसे यातायात रुक गया। अलीगढ़ खैर तथा अलीगढ़ आगरा सड़कों पर से कई स्थानों पर जल बहने लगा।

(५) मथुरा—आगरा-देहली, बरेली मथुरा, मथुरा सादाबाद और कोसी बरसाना सड़कों में कई स्थानों पर दरारें पड़ गईं। वर्षा का रुका हुआ जल रोनई के निकट रेलवे लाइन पर से बहने लगा। नबीपुर-कोटपत माइनर पर कई स्थानों में दरारें पड़ गईं। दो पुल बह गये। बाढ़ का पानी मथुरा शहर के बंगाली घाट सड़क के ऊपर तथा सदर बाजार क्षेत्र में भी आया।

(६) आगरा—फिरोजाबाद का एक भाग एक नाले की बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ।

(७) मैनपुरी—सिकन्दराबाद-आगरा और सिकन्दराबाद-एटा आदि अनेक सड़कों में दरारें पड़ जाने के कारण यातायात बन्द रहा। तहसील जसराना में गोपालपुर के पास नहर में दरार आ जाने के कारण नहर पर बने पुल को क्षति पहुंच गई।

(८) बदायूं—गंगा की मुख्य धारा से १८ अगस्त की रात्रि में उसेहट बांध में एक बड़ी दरार हो गई। गंगा और सोत नदियों के बीच का देहाती क्षेत्र जल-प्लावित हो गया। पिपरौल बंध में भी दरार पड़ी।

(९) बस्ती—तहसील खलीलाबाद में माधोपुर और रामपुर के बीच एक बांध और तहसील हरैया में मिसोरिया बांध में दरार पड़ गई।

(१०) देवरिया—घड़ी गंडक ९-८-६३ को अधिकतम बिन्दु पर पहुंची और उसने छितौनी बंध को काटना शुरू कर दिया। २१ अगस्त को १०-४ तथा ११ मील के बीच एक करीबन ३ फर्लांग लम्बी दरार पड़ गई।

(११) मुरादाबाद—अधिक वर्षा के कारण अनेक सड़कों में दरारें पड़ गईं।

(१२) टिहरी-गढ़वाल—अधिक वर्षा के कारण अनेक सड़कें कई स्थानों पर टूट गईं। भागीरथी-नदी पर बने हुए पैदल यातायात के लिए पुल के स्तम्भ और शान्ता नदी पर बने मोटर यातायात के पुल बह गये।

(१३) पौड़ी-गढ़वाल—ऋषिकेश से श्रीनगर जाने वाली सड़क, श्री नगर से पौड़ी जाने वाली सड़क और पौड़ी से कोटद्वारा जाने वाली सड़क टूट गई।

(१४) सीतापुर—गोबरिया नदी पर लोहारपुर-तामपुर सड़क के पुल को क्षति पहुंची जिससे यातायात अवरुद्ध रहा।

(१५) फर्रुखाबाद—घाटिया घाट से अल्लाहगंज जाने वाली पक्की सड़क तीन स्थानों पर टूट गई। एक पुलिया को भी क्षति पहुंची।

कर्मचारियों आदि द्वारा पुलों, नहरों और सड़कों में हुई टूट-फूट की मरम्मत के लिये शीघ्र कदम उठाये गये। बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी और अलीगढ़ के जिलों में सैनिक सहायता भी ली गई।

सहायता-कार्य जो किये गये

वर्षा ऋतु के शुरू होने से बहुत पहिले शासन द्वारा कमिश्नरों के पास आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ ग्रस्त जिलों में बांटने के लिये कुछ धनराशियां रख दी गई थीं। समय-समय पर मांगों के अनुसार उन धनराशियों में वृद्धि भी कर दी गई है। अब तक निम्नांकित धनराशियां जिलाधीशों के पास शासन, कमिश्नरों और राजस्व परिषद् द्वारा रखी जा चुकी हैं :—

	रु०
१—अहेतुक सहायता	४,५१,७००
२—गृह-निर्माण सहायता	१०,०१,२५०
३—अन्य विविध कार्य	२,२४,५००
४—तकावी	५१,१६,६२५

जिलाधीशों की ऋणों व अनुदान की मांगों की पूर्ति के लिये पर्याप्त धनराशियां उपलब्ध हैं। जिलाधीशों को स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं कि धनाभाव के कारण सहायता कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं पड़नी चाहिये। धनराशि कम पड़ने पर और धन मांग लें जो उनको तुरन्त ही दे दिया जायेगा।

जिलाधीशों के पास २५ मोटर बोट और इन्सपेक्शन लांचेज मौजूद हैं और इसके अतिरिक्त सहायता तथा बचाव कार्यों के लिये उनके पास १,३६१ देशी नावें भी हैं। शासन ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत गांव सभाओं को देशी नावें बनाने के लिये सहायता दी जाती है। इस वर्ष २२० नई नावें बनाने के लिये १ लाख रुपये की धनराशि निर्दिष्ट (अलाट) की गई है।

यू० पी० फ्लड इमरजेंसी पावर्स (इवैकुएशन ऐण्ड रिकवीजीशन) ऐक्ट, १९५१, के अन्तर्गत जिलाधीशों को सहायता तथा बचाव कार्यों के लिए नावें प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रदत्त हैं। जिलाधीशों को यू० पी० एक्वीजीशन प्रापर्टी (फ्लड रिलीफ) (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४८ के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ मकान बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने तथा मकान बनाने की सामग्री प्राप्त करने के भी अधिकार प्राप्त हैं।

गरीबों तथा जरूरतमन्दों को बांस, बल्ली, लकड़ी आदि दिलाने के लिये सभी जिलाधीशों को निर्देश दे दिये गये हैं। जिन जिलों में बाढ़ आने की उम्मीद थी उनके जिलाधीशों के पास १,२५,००० रु० की धनराशि रख दी गई है। यह वस्तुओं को ढोने तथा उससे सम्बन्धित अन्य विविध कार्यों के व्यय के लिये रक्खा गया है।

जिलाधीशों की मांगों को पूरी करने के लिये शासन ने एक ठेकेदार नियुक्त किया है जो भूसा ११ रु० ९० नये पैसे प्रति क्विन्टल की दर से देगा।

प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम, दवाइयां बांटने तथा रोकथाम की अन्य कार्यवाही करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान और इसके पश्चात् जिले के तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जो कार्यवाही करनी है उसके बारे में निदेशों का एक विस्तृत कोड सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

उन पश्चिमी जिलों के जलप्लावित क्षेत्रों से जिनमें स्थिति बहुत बिगड़ गयी थी सेना की सहायता से जमा हुआ पानी हटाने के लिये अतिशीघ्र कार्यवाही की गयी। सेना की सहायता बन्धों की दरारें बन्द करने तथा सहायता और बचाव कार्यों के लिये भी ली गई।

जरूरतमन्दों को आवश्यक सामग्री जैसे गुड़, चना, सत्तू, मिट्टी का तेल और दियासलाई के डिब्बे बांटे गये। जो अहेतुक सहायता लकड़ी व सामान के रूप में बांटी गयी उसके अतिरिक्त जिन्होंने मांग की उन्हें तकावी ऋण भी दिये गये। जिलाधीशों ने खंड मंडलाधीशों तथा तहसीलदारों के पास काफी रुपये इसके लिये रख दिये हैं।

फसलों की क्षति का सर्वेक्षण किया जा रहा है और लगान तथा मालगुजारी में, यदि नियम के अन्तर्गत सम्भव हुआ, तो छूट दी जायगी। तथापि बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों को कम करने के हेतु शासन ने मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, एटा, मैनपुरी, मथुरा, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, अलीगढ़, बदायूं, सीतापुर, फैजाबाद, बाराबंकी, खीरी और मुरादाबाद जिलों के जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि जिन खातों में रुपये में ५० नये पैसे से अधिक की अनुमानित क्षति बाढ़ के कारण हुई हो उनमें मालगुजारी तथा तकावी देयों की वसूली १५ नवम्बर, १९६३ तक स्थगित कर दी जाय।

(बाढ़ द्वारा हुई क्षति का विवरण देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ८६५–८६९ पर)

२० फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १७–१९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २० फरवरी, १९६३ को श्री गेंदासिंह के प्रश्न संख्या १७–१९ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि :

"जो वेयर हाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम बना या उसके अनुसार किराये पर भी मकान की व्यवस्था की जा सकती है जैसा कि इसमें भी बताया गया है कि किराये की व्यवस्था की गयी, वह भी नहीं की गई उसमें क्या दिक्कत पड़ी"।

सदन में उत्तर देते समय, यह भी सूचित किया गया था कि :

".....अतः जो हमारे यहां प्राप्त हुई है, गल्ला जो पहले दो लाख कुछ मन से शुरू किया था अब हमारे भंडारों में ८२ लाख ५० हजार मन गल्ला है..."

इस उत्तर में सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी थी अतः यह आवश्यक समझा गया है कि उपरोक्त उत्तर निम्न प्रकार समझा जाय :

"आरम्भ से ३१ जनवरी, १९६३ तक इन गोदामों में ८२ लाख ५० हजार २३० मन गल्ला रखा जा चुका है। सन् १९६२–६३ में १ अप्रैल, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक २३,८०,८१० मन गल्ला इन गोदामों में रक्खा गया।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ८६४ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३†

डाक्टर सीताराम (जिला देवरिया)—

श्रीमन्.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपसे निवेदन किया कि कोई भी व्यक्ति, जिसको माननीय मुख्य मन्त्री जी अधिकृत करें, वह बोल सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—

किसी भी सदस्य को मंत्री की पावर डेलीगेट कर सकती हैं, लेकिन मंत्री नहीं बना सकती। आप भी उसका नाम ले सकते हैं, मंत्री के नाम से नहीं पुकार सकते।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा मैं कहता हूं कि माननीय डाक्टर सीताराम, आप बोलिये।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं अब विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं। आपने जो व्यवस्था दी उस व्यवस्था के विरोध में माननीय मुख्य मंत्री सुचेता जी ने जो मंत्री का कार्य करने का अधिकार दिया कि वह कार्य करें तो उस व्यवस्था के विरोध में यह रूल काम नहीं कर सकता। अगर एक मिनिस्टर किसी माननीय सदस्य को यह कह सकता है कि अब मैं जा रहा हूं और यह करते रहिये तो यह उसी हालत में हो सकता है कि जब यहां पर कोई मिनिस्टर न हो। सब की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। यहां पर ५ मिनिस्टर मौजूद हैं, यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन मिनिस्टरों में से ठाकुर हुकुम सिंह विसेन, चौधरी गिरधारी लाल यहां पर मौजूद हैं। अगर वे न होते तब किसी दूसरे मेम्बर के बारे में यह कह सकते थे कि मैं जा रहा हूं, आप थोड़ी देर यहां पर बैठें। लेकिन जब तक १६ वें संविधान के संशोधन के अनुसार शपथ न ले लें तो दूसरे को इस प्रकार का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? श्रीमन्, आपकी रूलिंग की अवहेलना हुई है। मैं जो कुछ लिख कर दिया गया है मुख्य मंत्री जी द्वारा उसे जानना चाहता हूं कि वह क्या है? उसे श्रीमन्, पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बतला दूं। बात यह है कि अगर मंत्री मौजूद हों तो मंत्री की मौजूदगी में दूसरा आदमी उसके प्रस्ताव को रख सकता है या नहीं, यही तो आप जानना चाहते हैं?

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नेकराम शर्मा—

किस रूल के अन्दर ? मेरा मतलब यह है कि अगर यहां कोई मंत्री न रहे और खाली एक मंत्री किसी बिल को पालट करे और कोई नेचुरल काज से वह जाना चाहे तो वह कह सकता है किसी आदरणीय सदस्य को वह बैठे और काम देखता रहे। लेकिन हमेशा यह नहीं हो सकता कि जिन्होंने ओथ ली है वे चार मंत्री, जिनको विधिवत् आपने मंत्री घोषित किया है, वह यहां बैठे हों और उसके बाद भी आप किसी माननीय सदस्य से कह दें कि उनका काम वे करें। यह आपकी रूलिंग की अवहेलना है और संविधान की अवहेलना है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। अब मैं रूलिंग दे रहा हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी भी बिल को पायलट करें और जब उनको यह अधिकार है, तो उनको यह भी अधिकार है कि किसी भी सदस्य को कह सकती हैं कि वह उस बिल को पायलट करे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

किस नियम के मुताबिक यह रूलिंग है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सुनिये। कृपया बहस मत करिये। "मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य है और इसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रयोजन करें" तो वह अपनी पावर किसी सदस्य को दे सकती हैं।

अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह दो बजकर ७ मिनट हो रहे हैं। यह ५–५, ७–७ मिनट तक घंटी बजती रहती है और सदन में कोई भी नहीं आया, तो सदन का समय बदल दिया जाय, नहीं तो मर्यादा का पालन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक कोरम नहीं होता तब तक कायदा है कि घंटी बजती रहेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नियमों के अनुसार आपको तो २ बजे ही आ जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, जब कोरम हो जाता है तब घंटी बजना बन्द हो जाती है।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान "उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन, अप्रैल १९५२ से मार्च, १९६२ तक" के पृष्ठ २२२ की रूलिंग २५३ की ओर दिलाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :

"मंत्री अपनी अनुपस्थिति में किसी सदस्य को कोई कार्य करने के लिये अधिकृत कर सकते हैं।" इससे स्पष्ट है कि किसी मंत्री को या मुख्य मंत्री को हमारे नियमों के अनुसार अधिकार है कि अपनी गैर-हाजिरी में, अगर वह सदन छोड़ कर जा रहा हो, कोई आवश्यक कार्य आ

गया हो, कोई टेलीफोन हो या नैचुरल काल हो, उस बीच में अगर कोई मिनिस्टर, उप-मंत्री या सभा सचिव नहीं है, तो किसी अन्य माननीय सदस्य को भी अधिकृत कर सकते हैं, जब तक लौट कर न आयें। मैं आपको पढ़ कर सुना दूं—

"२७ मार्च, १९५३ को करघा उद्योग की रक्षा तथा प्रोत्साहन के सम्बन्ध में संकल्प पर विचार के समय सदन में किसी मंत्री के न होने पर और उनके स्थान पर केवल सभा सचिव के रहने पर उठाई गई एक आपत्ति के सम्बन्ध में निर्णय देते हुये श्री उपाध्यक्ष ने कहा "मैंने जैसा कि अभी कहा...।"

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस पर तो माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है, मैं उसको दोहराने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

ऐसा हुआ है पहले भी कि अध्यक्ष महोदय एक रूलिंग दे चुके हैं, और फिर आपने उसको बदला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसलिये आप अपनी रूलिंग दें, नहीं तो बड़ा अनहित होगा और संविधान की मर्यादा का हनन होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में जो अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है वह रहेगी, उस पर और विवाद नहीं होगा।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह कह रहा हूं कि माननीय खेर साहब भी एक रूलिंग दे चुके हैं और वह यह है कि जब कोई मंत्री उपस्थित न हों तब वे किसी को अधिकृत कर सकते हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह रूलिंग हो चुकी है कि मंत्री जी किसी को भी अधिकृत कर सकते हैं, अब आप कृपया बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा—

आप कृपया पिछली कार्यवाही मंगा कर देखिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, आप बैठिये।

श्री नेकराम शर्मा—

हम श्रीमन्, एक संवैधानिक प्रश्न उठाना चाहते हैं, और आप सुनना भी नहीं चाहते। आप यह स्वयं कह चुके हैं कि कोई व्यवस्था अगर गलत हो चुकी है तो आप उसे दोहरा सकते हैं। श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जो मिनिस्टर हाजिर न हों, वे किसी को अधिकृत कर सकते हैं, लेकिन जो हाजिर हों, वे ऐसा नहीं कर सकते। यह सदन की अवहेलना है। आप इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचें और उस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बातें पहले आ चुकी हैं और अध्यक्ष महोदय अपनी रूलिंग दे चुके हैं। उन्होंने न सब बातों को समझ कर ही अपनी रूलिंग दी है। मैं उसको बदल नहीं सकता। जो रूलिंग अध्यक्ष महोदय की है, वही रहेगी।

(डाक्टर सीताराम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि डाक्टर सीताराम को क्या लिख कर माननीय मंत्री जी ने अधिकृत किया है ? जो लिखा है, वह पढ़वा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जरूरी नहीं है कि वे उसे यहां पढ़ कर सुन यें । जब मन्त्री जी ने उनको अथराइज किया है तो वे उसको पालइट कर सकते हैं । आप कृपया बैठें ।

श्री नेकराम शर्मा—

वह काम अगर रामभूति जी को या जगदीश प्रसाद जी को दे दिया जाता कि तुम यह पेश करो. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं ज्यादा समय आपको नहीं देता हूं । आप विराजें । डाक्टर सीताराम जी इसे पायलट करें ।

डाक्टर सीताराम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में अधिकांश नगरपालिकाओं और नोटीफाइड कमेटियों आदि का चुनाव अक्तूबर-नवम्बर, १९६३ में होने को था । लेकिन अभी तक उनकी सूचियों का सर्वेक्षण ठीक से नहीं हो पाया है, जो कि किया जा रहा है । इसमें अभी समय लगेगा । साथ ही साथ अक्तूबर-नवम्बर सन् १९५७ में हुए सामान्य निर्वाचन के कारण स्थानीय निकायों का समय ४ वर्ष से बढ़ाकर ६ वर्ष कर दिया गया था । कहने का तात्पर्य यह है कि जो अवधि इन निकायों के बढ़ाने में २ वर्ष की होनी चाहिये थी वह बढ़ा दी गई है । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को भलीभांति पढ़ लिया होगा और उसके बाद मुझे अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । लेकिन चूंकि समय समाप्त हो गया है इसलिये ३० जून, तक इस विधेयक में समय बढ़ाने की प्रार्थना की गई है । साथ ही साथ सुपरसीडेड कमेटीज का भी समय बीत चुका है, उनकी अवधि भी इसमें बढ़ाने की बात है । म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज का इलेक्शन २ अप्रैल, १९६४ से शुरू होगा और ६ जून, १९६४ को समाप्त होगा । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मेरा सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखते हुए सदन अपनी अनुमति प्रदान करे ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, को जनमत संग्रह हेतु तीन मास के लिये परिचालित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि सरकार हमेशा यह कहती है कि वह डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है और कोई काम वह डिक्टेटरशिप से नहीं करना चाहती है । लेकिन इसका शुरू से अब तक का रवैय्या-आगे की हम कह नहीं सकते क्योंकि ओल्ड आर्डर चेन्जेथ ईल्डिंग प्लेस टु न्यू (old order changeth yielding place to new) लेकिन अभी तक का इस सरकार का रवैय्या डिक्टेटरशिप का ही रहा है । नतीजा यह है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम अभी तक तो कम्युनिस्ट पार्टी को ही कहते थे कि जब इनके राज्य में कोई इलेक्शन होगा तो ये दूसरों का मुंह बन्द कर देंगे कोई और चुनाव नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस सरकार भी उसी सीढ़ी पर जा रही है जिसे हम क्रिटिसाइज करते आये हैं। नगरपालिका ऐक्ट से साफ जाहिर हो जायगा कि सरकार को क्या करना चाहिये था और वह क्या कर रही है।

इसके पहले कि मैं इस विधेयक पर आऊं, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जितने हिन्दुस्तान के या प्रदेश के रहने वाले हैं उनका राइट आफ सिटीजनशिप जो है वह फंडामेंटल राइट है। तो इस प्रदेश के रहने वालों का हक है कि वे इलेक्शन लड़ें। उसके लिये लिमिटेशन्स बने हुए हैं और उनके अन्दर वे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर हमारे इस वोट देने के अधिकार से सरकार हमें डिबार करना चाहती है तो इसका मतलब है कि वह हमारे राइट आफ सिटीजनशिप से डिबार करना चाहती है। इस प्रकार जिस संविधान की शपथ लेकर हम यहां बैठे हैं उसको यह सरकार अवहेलना कर रही है। इस विधेयक के खण्ड १० (ए) में दिया है कि (Except as provided under section 31 or 31-A, the term of every board shall be four years.) उसके साथ ही प्रोवाइजो है कि (Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any of the boards, so that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed two years,) इसमें बोर्ड का टर्म ४ साल है और सरकार को पावर है कि उसे २ साल तक एक्सटेंड कर सकती है। इस तरीके से कुल ६ साल हो जाते हैं और उससे आगे सरकार नहीं बढ़ा सकती है। साथ ही यह भी है कि इस विधेयक से हम पहले तो उन स्थानीय निकायों से डील करते हैं जो चालू हालत में हैं और दूसरे जो सुपरसीडेड हैं। सुपरसीड करने के सर्टेन रीजन्स हैं और उन पर ही सस्पेंड कर सकते हैं। किसी निकाय को सुपरसीड करके सजा दी जाती है किसी बात के लिये। सुपरसीड किया जाता है फार ब्रीच आफ सर्टेन आर्डर्स या लाज। सुपरसेशन की टर्म उतनी ही होगी जितनी कि उसकी टर्म है, यानी अगर वह ४ साल है तो ४ साल के आगे सुपरसेशन की अवधि नहीं जानी चाहिये। इस तरीके पर तो उस पनिशमेंट की टर्म को बढ़ा रहे हैं। कांस्टीट्यूशन के २०वें क्लाज में साफ लिखा हुआ है—

"20. (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence."

अब यह कहा जा सकता है कि टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटीज परसन में नहीं आ सकतीं, लेकिन चूंकि इनको स्यू किया जा सकता है, इसलिये सर्टेन कैपेसिटी के लिये उनको परसन्स समझा जा सकता है। यह सजा उनको दी जा रही है। इसलिये किसी कीमत पर भी आप उनकी पनिशमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जहां तक नगरपालिका का सवाल है उसमें इस प्रकार का एक अमेंडमेंट किया गया है। लेकिन नगरपालिका के सम्बन्ध में जो चीज रखी गयी है उसके सम्बन्ध में क्लाज ५८० में दिया हुआ है—

"580. Power to remove difficulties (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, or, by reason or anything contained in this Act, to any other enactment for the time being in force, the State Government may, as occasion requires, by order direct that this Act shall during such period as may be specified in the order but not extending beyond the expiry of four years from the date of coming into operation of this section have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to the necessary and expedient."

[श्री कमलासिंह यादव]

इसके जरिये से नगरपालिकाओं का पीरियड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इसको म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा ३३८ के साथ पढ़ा जाय तो उसका मतलब साफ हो जायगा। वह इस प्रकार है—

"338. (1) Extension of enactments to, imposition of taxes in, and constitution of Committee for notified areas."

इसका मतलब यही है कि इसके मातहत टाउन एरिया में अगर कोई टैक्सेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, फार्मेशन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके दो ही भाग हैं एक तो है इम्पोजीशन आफ टैक्सेज और दूसरा है कान्स्टीट्यूशन आफ कमेटीज। इसलिये इसके द्वारा कमेटीज के पीरियड को आप बढ़ा सकते हैं। फार्मेशन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके क्लाज सी० में कहा गया है—

"(c) Fix the number of persons who shall form a committee for the purposes of the assessment and recovery of a tax imposed under clause (b)".

इसलिये यह सेक्शन तो केवल सर्टेन परपज के लिये है। कमेटीज के पीरियड को बढ़ा सकते हैं। यह जो नया विधेयक लाया गया है और जो सेक्शन आपने उसमें कोट किया है उस सेक्शन में आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई डिफीकल्टी थी तो म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके जरिये से आपको ऐसी राहत मिल सके। श्रीमन्, जब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, तो उस समय जब कि एक चीज कांस्टीट्यूशन के खिलाफ और उस ऐक्ट के खिलाफ आलरेडी एक्जिस्ट करती है, इनफोर्स्ड है, तो उसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, जिस रूप में यह सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, वह आप कभी भी नहीं कर सकते। जहां तक डेमोक्रेटिक राइट का सम्बन्ध है, उसका तो आप हनन कर रहे हैं और इस कांग्रेस सरकार के सामने फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेटिक राइट का कोई सवाल नहीं है। इसका कांस्टीट्यूशन से भी कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक हम लोगों ने ओथ जो लिया है उसे भी फालो करने के लिये सरकार तैयार नहीं है।

एक बात और है सरकार के सामने। एलेक्शन के सम्बन्ध में हमारे कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि अगर असेम्बली या पार्लियामेंट को ऐडजोर्न करना हो, इस पीरियड को बढ़ाना हो, तो एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। उसमें भी शर्तें दी हुई हैं कि प्रोक्लेमेशन करना होगा और प्रोक्लेमेशन खत्म होने के ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जाने चाहिये। और यह अधिकार भी उस समय के लिये दिया गया है जब कोई इमर्जेन्सी हो या कोई वार वगैरह डिक्लेयर हो गयी हो। इस विधेयक के प्रस्तुत करते समय सरकार द्वारा वही पढ़ दिया गया जो विधेयक में लिखा हुआ है, उसके अलावा डाक्टर सीताराम जी ने कुछ नहीं कहा। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा डाक्टर साहब से और सरकार से पूछता हूं कि ४ साल तक उनकी सरकार क्या करती रही जो वह म्युनिसिपैलिटीज व टाउन एरिया कमेटीज के चुनाव नहीं करा सकी। उसके बाद भी दो साल का समय बढ़ाया गया, फिर भी चुनाव नहीं हो सका। उसके बाद फिर ६ महीने के लिये समय जो बढ़ाया जा रहा है, वह क्यों? आखिर कौन सी वजह है जिससे इस काम को नहीं किया गया? जितने वोटर्स असेम्बली और पार्लियामेंट के होते हैं करीब-करीब वे ही वोटर्स म्युनिसिपैलिटीज के लिये भी होते हैं। उन वोटरों की लिस्ट पहले ही से मौजूद है और वह इन्फोर्स भी हो चुकी और उसके बाद प्रोक्लेमेशन भी हो चुका, तो फिर उनके एलेक्शन क्यों नहीं कराये गये? इसका मतलब यह है कि यह सरकार भी निकम्मी है जैसी कि पहले वाली सरकार थी, या इस सरकार का अपने अधिकारियों के ऊपर ठीक सुपरविजन नहीं है जिससे अब तक ये एलेक्शन नहीं हो सके। इस बीच में कई बार इस पीरियड को एक्सटेंड किया गया। ४ साल के बाद जब पीरियड एक्सटेंड किया गया तो उस वक्त तक आपको

चाहिये था कि एलेक्शन करा के खत्म करा देते क्योंकि दो साल का जो मैक्सिमम पीरियड है वह दिया गया था, उसको भी आपने एवेल नहीं किया। इसका साफ मतलब यह है कि आपकी सरकार निकम्मी है और आपका सुपरवीजन ठीक नहीं है। इसके लिये यह भी कहा जा सकता है कि आपके अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अगर हम इस विधेयक को इसी तरह से इस सदन से पास कर देते हैं तो सब यही कहेंगे कि यह नयी कांग्रेस सरकार भी पुरानी कांग्रेस सरकार की तरह से ही निकम्मी है। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि कामराज योजना के बाद कांग्रेस अपने को मजबूत करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम यहां देखते हैं कि आज फिर उसी पुराने कानून को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। अगर आप अब भी इसको नहीं देखते और आंखें नहीं खोलते तो इस से ज्यादा घातक चीज आप के लिये और क्या होगी?

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो सुपरसीडेड टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके पीरियड को अगर बढ़ाते हैं आप तो उसके माने यह होते हैं कि आप सुपरसेशन के पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं और इस तरह से यह तो एक पेनल क्लाज हो जायगी। ऐसा करने का अधिकार भी आपको नहीं है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर दिया है कि किसी टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी का सुपरसेशन का इतना टर्म होगा और सुपरसीड करते वक्त उसके कारण भी आप लिखते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अपने अधिकारी के द्वारा टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी को चार्जेज देती है, लेकिन जब एक बार सुपरसेशन हो गया तो इसके माने यह होते हैं कि आप ने उस लोकल संस्था को अपने चार्ज में ले लिया और आप उसका काम चला रहे हैं। तो फिर उस पीरियड में टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी का क्या दोष, वहां के मेम्बरों या कमेटी का क्या दोष है और फिर आप किस बुनियाद पर सुपरसीडेड बाडीज का पीरियड बढ़ायें, जब आप उस पीरियड में ओनर हैं, शासन आप के हाथ में है, आपके द्वारा वहां का काम हो रहा है तो गलती किस की है और अगर आप के पीरियड में आप की गलती है तो उसको वह मेम्बर या लोकल बाडी के सदस्य क्यों भुगतें? आप उनके अधिकारों का हनन क्यों करते हैं? जब जिम्मेदारी सरकार की है तो लोकल बाडीज के अधिकारों का हनन सरकार क्यों करती है और उन्हें एलेक्शन से वंचित क्यों करती है? ४ साल बाद जब टर्म खत्म होता है तो निश्चय ही आटोमैटिकली एलेक्शन हो जाना चाहिये।

बहुत से लोग सोचते थे कि असेम्बली और संसद के चुनाव नहीं होंगे, लेकिन बड़ी सावधानी से सब चुनाव हुये और उनमें कोई दिक्कत सरकार के सामने नहीं आई क्योंकि इस वक्त वोटर लिस्ट हर जिले में मौजूद है, हर जिले में करेक्शन हो चुका है तो उसमें दिक्कत क्या है? यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है इस के द्वारा आप समय क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें कोई प्लान वगैरह बनाने की बात नहीं है। जब कि लिस्ट्स एजिस्ट करती हैं और उसमें संशोधन भी हो चुके हैं तो आप चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? मेरी समझ में इस में भी कुछ दाल में काला है। आप अपने यहां आपस के पार्टीबाजी देख रहे हैं, प्रदेशों में और जिलों में आप वह सब देख रहे हैं, जिला परिषदों के चुनाव में देख चुके हैं, वह चाहते हैं कि जहां उनके मेम्बर्स के हाथ में शक्ति है वह कायम रहे, उनके काबू की जो स्थिति है उसको कायम रखने के लिये ही वह एलेक्शन टालते हैं। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि ऐसी अनियमितता सदन के सामने नहीं होनी चाहिये। जो संशोधन मैंने रखा है वह जनमत संग्रह के लिये इस वास्ते रखा है क्योंकि एक नई चीज विधेयक के द्वारा की जा रही है। अभी तक टर्म या पीरियड का लिमिटेशन ४ साल का था और २ साल तक मेक्जिमम पीरियड एक्सटेंड हो सकता था, इस तरह से ६ साल हुये। अब इस से भी अधिक समय बढ़ाने की बात है तो इसे अवश्य ही पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय। इस तरह से सरकार चुनावों को रोकना चाहती है कि चुनाव न हों। इस शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि हमारे संशोधन को पास किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री उग्रसेन का नाम पुकारने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसको मूव करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस आर्डर में नाम हैं उसी आर्डर में पेश किया जायगा। जब आपका नाम आयेगा तो आप पेश करेंगे। मैं किसी को डिबार नहीं कर सकता। अब माननीय विजयसिंह खड़े हो गये हैं, पहले वह पेश करेंगे। आप अपने टर्न पर बोलियेगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प-कालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो।

अभी माननीय डाक्टर सीताराम ने अपने सूक्ष्म और संक्षिप्त भाषण में यह स्पष्ट कर दिया कि इस समय इस बिल की अति आवश्यकता है कि इस विधेयक को सदन में लाया जाय। इसके मुख्य कारण दो बताये। पहला यह कि अभी तक कोई निर्वाचन सूची तैयार नहीं हो सकी और दूसरे यह कि कुछ सुपरसीडेड टाउन एरियाज हैं जिस पर भी यह इफेक्ट करता है। तो वे चाहते यह हैं कि इस बिल से उनका सभी का समय बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, सरकार की इसके अन्दर पालिसी है, एक पोलिटिकल करप्शन निहित है। पिछला चुनाव १९५७ में हुआ था, तब से अब तक ६ साल हो गये तो कौन-सी बड़ी भारी सूत्री थी जिसको सरकार अभी तक तैयार नहीं करा सकी? जैसी यहां सरकार कल बनती है और गलत शपथ लेने के कारण आज फेल हो जाती है वही नक्शा सारे प्रदेश के शासन में नजर आता है कि सरकार इस बढ़े हुये समय में भी चुनाव को करा पायेगी।

बहुत से लीगल डिफेक्ट्स माननीय कमलासिंह यादव ने बताये, पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। विधेयक की ओर देखने से सरकार की छिपी पालिसी नजर आती है और विशेष बात है कि जहां म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया सुपरसीड हुए हैं वहां पर या तो सरकार का कोई आदमी नहीं चुना गया या कोई अवैधानिक कार्यवाही करने पर उसको सुपरसीड कर दिया था। तो जो कारनामे सरकार के रहे म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज में कि न तो जहां पर उनका ही बोर्ड रहा है वहां जनता के धन का व्यय सुचारु रूप से नहीं हुआ और शासन प्रबन्ध भी गड़बड़ रहा और जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, धन का दुरुपयोग किया गया इसको जनता समझ गई कि आगे वह अब रिटर्न न हो सकेंगे और सरकार देख रही है कि किस प्रकार उसके आदमी आउस्ट किये जा रहे हैं और दिनोदिन हारते जाते हैं। इसलिये सरकार घबड़ा रही है कि यदि लोकल बाडीज का चुनाव करा देते हैं तो शायद यह सत्ता हाथ से निकल जायगी और हो सकता है आम चुनाव में एक बहुत बड़ी दिक्कत सरकार के सामने आये सरकार जिस विधेयक को साधारण रूप से प्रस्तुत करती है उसके पीछे कोई बड़ा भारी राज होता है। सारा कारण जनमत प्राप्त न करने का है तथा सरकार चाहती है कि मुस्तकिल रूप से जमी रहे तथा समय बढ़ता रहे। सरकार इतने समय में निर्वाचन सूची न तैयार करा सकी तो कैसे उम्मीद की जाय कि अब तैयार करा लेगी। माननीय सदन के समक्ष एक ज्वलन्त उदाहरण है, जिला परिषद् का चुनाव बड़े जोर से सामने आया वह टल गया। अन्त में मनोनीत करने के अधिकार का भी प्रयोग किया गया उसके बाद भी चुनाव न करा सकी अभी तक। अधिकार का दुरुपयोग किया गया, फिर भी एलेक्शन की हिम्मत नहीं पड़ रही है। उसी प्रकार यहां भी सत्ता हथियाने के लिये विधेयक लाया गया है। इसमें सरकार का मंशा अच्छा और स्पष्ट नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसको परिचालित करे तथा इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय ताकि विधेयक की परिधि को भी परिवर्तित कर सके। यही मुझे कहना है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे लायक दोस्त माननीय कमला सिंह जी और माननीय विजयसिंह जी सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि ये टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव जो हैं, कराना नहीं चाहते और जैसा कि उन लोगों ने ६ वर्ष तक बढ़ाया है इस अवधि को और लम्बा कर रहे हैं और इसलिये यह विधेयक लाये हैं। यदि इन लोगों का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय जैसा कि माननीय कमलासिंह जी कह रहे हैं कि इस विधेयक को ३ महीने के लिये जनमत के लिये प्रसारित किया जाय और श्री विजय सिंह जी कह रहे हैं कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, तो इस चीज के आरोप लगाने से वह स्वयं उस आरोप के पात्र बन जायंगे और सरकार जो चाहती है कि टाउन एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड जिनकी अवधि ६ वर्ष तक बढ़ाई जा चुकी है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस समय एक बहुत ही सीमित समय तक की अवधि बढ़ाने के लिये इस सदन के सामने सरकार आई है और जून, १९६४ तक म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया की सरकार यह अवधि बढ़ाना चाहती है।

माननीय कमला सिंह जी ने कान्सटीट्यूशन और रूल्स की बड़ी दुहाई दी है, लेकिन अगर वे अपने संशोधन पर विचार करें तो स्वयं इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि उनका संशोधन जो है वह स्वयं नियम के प्रतिकूल है। इस विधेयक का एक मात्र ध्येय रहा है कि चूंकि इस समय टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड की जो इलैक्टोरल लिस्ट है वह पूर्ण रूप से संशोधित नहीं हो सकी है, उसमें विलम्ब है। इसलिये इस अवधि में वह संशोधित हो जाय और जून, १९६४ तक के लिये म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरियाज की अवधि बढ़ा कर रखी जाय। दिसम्बर, १९६३ में जो अवधि समाप्त हो रही है उस पर थोड़ा सा गौर करने का मौका दिया जाय। यदि इनका संशोधन मान लिया जाय तो विधेयक का जो ध्येय है वह प्रतिकूल जाता है। यदि प्रस्तुत अमेन्डमेंट्स और रूल्स आफ प्रोसीजर देखें तो उनमें दिया हुआ है कि इस प्रकार के संशोधन नहीं लिये जायगे। संशोधन का अर्थ यही होता है कि बिल का ध्येय जो है उसको अमेन्ड करें, उसमें कुछ आवश्यक संशोधन आदरणीय सदस्य लाते हैं, लेकिन संशोधन का यह ध्येय नहीं होता कि पूर्ण विधेयक को निगेटिव वोटिंग के रूप में रख दिया जाय। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे संशोधनों पर सदन के सम्मुख वाद-विवाद करने का मौका रहता है और माननीय कमला सिंह जी के संशोधन के जरिये नियमों की उपेक्षा होती है। यह डिपार्टमेंट की कृपा है कि आपके डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया है और माननीय कमला सिंह जी उस संशोधन पर १/२ घंटे बोल भी लिये हैं और उसके उत्तर भी हमें देने पड़ रहे हैं। तो, न तो इस विधेयक के संशोधन को सदन में रखना चाहिये और न उन्हें इसपर बोलना ही चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है। जिस समय यह प्रस्तुत किया गया था उस समय आप आक्षेप कर सकते थे, इस समय इस पर आक्षेप नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अपनी समझ से समझते हैं कि ऐसा न होना चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

यह संशोधन आउट आफ आर्डर है। आज १७ अक्तूबर है और ३ महीने का समय ७ जनवरी को होगा। अतः मैं समझता हूं कि यह संशोधन ही आउट आफ आर्डर है।

श्री कृष्णानन्दराय—

आप नियमों के संरक्षक हैं और जब श्रीमन् की तरफ से इस तरह के निर्णय आते हैं जो उनकी इच्छा के अनुकूल होते हैं तो टेबिल पर थपेड़े पीटते हैं, किन्तु जब हम ऐसे नियमों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

पेश करते हैं जो उनकी इच्छा के प्रतिकूल पड़ते हैं तो यह कहते हैं कि ऐसी बात नहीं की जा सकती है। कमला सिंह जो संविधान और रूल के ऊपर कितना समय इस सदन का लेते हैं। जब संशोधनों को रखा करें तो पढ़ लिया करें। इस बार गलती हो गयी लेकिन, भविष्य में गलती न करें। नियम २८४ (२) में लिखा हुआ है :

An amendment may not be moved which, if carried, would have merely the effect of a negative vote."

अब यदि अमेंडमेंट देखा जाय तो टाउन एरिया और म्युनिसिपल बोर्ड की जिन्दगी जो है वह ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त होने जा रही है और अमेंडमेंट के मातहत आज से उसे ३ महीने के लिये जनमत संग्रह के लिये घुमा दिया जाय, तो दिसम्बर, में जो टर्म समाप्त हो रहा है वह बढ़ाया नहीं जा सकेगा जिसके लिये सरकार को आर्डिनेंस लाना पड़ेगा। फिर कहा जायगा कि यह डिक्टेटोरियल स्टेप है। तो एक कांसिस्टेंट स्टेप आपको लेना चाहिये और इस अमेंन्डमेंट पर कतई विवाद नहीं होना चाहिये और यह हाउस के सामने पुट-अप नहीं होना चाहिये।

जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह बहुत ही सरल विधेयक है। माननीय कमला सिंह जी को पता है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स में वार्ड्स का नये सिरे से बटवारा हो रहा है और नई जन-संख्या के आधार पर, नये सेन्सस के आधार पर पुनः इलेक्टोरल लिस्ट ठीक की जा रही है और उसके ठीक हो जाने पर ही इलेक्शन हो सकते हैं। अब स्वाभाविक है कि किसी टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड की अपनी इलेक्टोरल लिस्ट नहीं बन सकी है और सरकार चुनाव कराना भी चाहे तो नहीं करा सकती है। दूसरा आल्टरनेटिव उसके पास नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड को अवसर दें कि वह अपनी इलेक्टोरल लिस्ट का पुनरीक्षण करा लें, सेन्सस के मुताबिक संशोधन करा लें, तब उसके बाद एक नियमित चुनाव हो सकेगा। विधेयक के उद्देश्य में लिखा हुआ है कि "६ वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है और सरकार नहीं चाहती कि वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड्स तथा टाउन एरियाज की अवधि और बढ़ाई जाय, इसलिये केवल एक सीमित अवधि तक जब तक कि चुनाव कराये जाने संभव हों, जून, १९६४ तक के लिये अवधि बढ़ाने का यह संशोधन विधेयक लाया गया है।" मेरी समझ में माननीय विरोधी दल के सदस्यों के यह हित में होगा कि वे इस संशोधन विधेयक को निर्विरोध स्वीकार कर लें ताकि म्युनिसिपल बोर्ड्स तथा टाउन एरियाज के चुनाव ठीक से सम्पन्न हो सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र —

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस संशोधन विधेयक को एक प्रवर समिति में भेजने हेतु आया है उसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि इस तरह की व्यवस्था बार बार इस सदन में होती रही है और यह बड़े शर्म की बात है कि पिछले १२ सालों में जितने भी विधेयक इस विधान सभा में पेश हुये हैं उनकी तरफ दृष्टिपात किया जाय तो इसी बात का आभास मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के मन्त्रिगण बराबर आराम-तलबी से सोते हैं और यह मन्त्रिगण की जमात नहीं है, नवाब वाजिदअली शाह की जमात है।

श्री उपाध्यक्ष—

माइक पर आ कर बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब भी कोई विधेयक आता है तो आप देखेंगे कि या तो वह सुधार विधेयक होता है या अवधि बढ़ाने का होता है। जब देखिये संशोधन विधेयक ही आता है। प्रवर समिति के सुपुर्द करने का हमारा एक ही मतलब है। बड़े शर्म की बात है कि जब से देश आजाद हुआ उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में कोई भी मुकम्मिल

कानून नहीं पेश हुआ, चाहे स्वर्गीय पंत जी की सरकार रही हो, चाहे सम्पूर्णानन्द जी या गुप्तजी की सरकार रही हो और इस सरकार को तो अभी एक दिन हुआ बने हुये। हमारे माननीय हुकुम सिंह ऐसे बुजुर्ग उधर बैठे हुये हैं जो अखबारों में बयान निकालते हैं कि हम तो छः बार से शपथ ले रहे हैं। जब माननीय हुकुम सिंह ऐसे मन्त्री के रहते हुये स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में कोई मुकम्मिल कानून नहीं बन सका तो आने वाली पीढ़ी ऐसे मंत्रियों के बारे में क्या सोचेगी? यह अवधि बढ़ाने का कानून आया है, तो जो सरकार दो, तीन महीनों में निर्वाचन सूची नहीं तैयार करवा सकी वह कब तक तैयार करवा पायेगी? निर्वाचन सूची तैयार करने के नाम पर अवधि बढ़ाने की अपील करते हैं। अवधि बढ़ाने के माने क्या होते हैं? आज संविधान में लिखा हुआ है कि पांच वर्ष के बाद विधान सभाओं का चुनाव होगा। अब अगर कोई उधर का मन्त्री आ कर कहने लगे जो आरामतलबी की जिन्दगी बिताता है कि हम पांच वर्ष में तैयारी नहीं कर पाये, इसको सात वर्ष कर दिया जाय तो कहां तक उचित होगा? वह संविधान की मर्यादा है। आप करते क्या रहे मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि? आप तो लड़ते रहते हैं कि कौन इन कुर्सियों पर आये। गांधी जी राम-राज्य की बात करते थे, लेकिन नेहरू जी ने कामराज योजना चला दिया और उस कामराज योजना की आड़ में.....

श्री उपाध्यक्ष---

इर्रेलेवेन्ट बात न कहिये। इससे कामराज से क्या मतलब है?

श्री काशीनाथ मिश्र ---

क्योंकि ये अवधि बढ़ाने की बात कह रहे हैं इसलिये मैं कहता हूं। ये अवधि क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ये बैठ कर चैन करेंगे और जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे और अपनी जिम्मेदारी के प्रति वफादार नहीं होंगे। यह बड़ा अहम सवाल है। मैं तो यह कहूंगा कि इस विधेयक को कतई पास न करें बल्कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें और एक मुकम्मिल कानून स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में विधान सभा में आये। लोकल-बाडीज के क्या अधिकार होने चाहिये, नागरिकता के क्या माने हैं आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग इसे नहीं समझ पाते। १९१४ में अंग्रेज जो कानून बना गये और जो अधिकार हमें दे गये, आज बड़े शर्म की बात है कि १९६३ में जबकि इस देश को आजाद हुये १५ साल गुजर चुके हैं आप उन अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। १९१४ में जो यह लिख दिया गया कि चुनाव की अवधि नहीं बढ़ायी जायगी उसको भी आप इस विधेयक के द्वारा छीन रहे हैं। आज इस प्रदेश में जो स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में कानून है वह बिलकुल अधूरा है। जब से आजाद हिन्दुस्तान की सरकार बनी है तब से चर्चा के लायक वह एक ही कानून पेश कर पायी है और वह है जमींदारी अबालिशन ऐक्ट और वह भी गलत-सलत। आये दिन उसमें तरमीमें होती हैं। अभी दो दिन बाद ही उसमें फिर तरमीम आयेगी और माननीय हुकम सिंह जी ही उसे पेश करेंगे। इसलिये मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिस से इसके ऊपर ठीक तरह से विचार हो सके। इसके बाद एक मुकम्मिल विधेयक टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के बारे में सदन में लाया जाय।

आज उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति दोनों तरफ से पीड़ित हैं। एक तरफ तो उनके ऊपर स्थानीय निकायों के अनापशनाप टैक्सेज लगते हैं और दूसरी ओर अभी तक जमींदारियां कायम हैं। वहां पर उचित व्यवस्था कायम हो सके इसके लिये मुकम्मिल अधिकार मिलने चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी बराबर यह कहती रही है कि प्रदेश की आय का एक चौथाई हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाय। इसके लिये एक विधेयक लाया जाय। लेकिन ऐसा न करके समय बरबाद करने के लिये सरकार यह संशोधन लाई है कि इसका समय बढ़ा दिया जाय। इसके बाद आप फिर दूसरा संशोधन लायेंगे और फिर तीसरा संशोधन लायेंगे, इसके ऊपर भी तुर्रा यह है कि ६ बार से हम बराबर शपथ ले रहे हैं। मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को हरगिज पास न होने दें। इसको प्रवर समिति

[श्री काशीनाथ मिश्र]

के सुपुर्द किया जाय जिस से उत्तर प्रदेश की स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में एक मुकम्मिल कानून बनाया जाय। उसके बाद वह सदन के सामने आये जिस से हर बार जो संशोधन लाया जाता है उस से हमको छुटकारा मिले और आने वाली पीढ़ी समझे कि विधान सभा में ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रदेश की स्थानीय निकायों के लिये एक मुकम्मिल कानून बनाया।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय काशीनाथ जी के भाषण को गौर से सुनता रहा हूं और मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि वे एक ही सांस में उल्टी और सीधी बात कह रहे थे। वे कह रहे थे कि चार साल की अवधि है और दो साल तक १९१४ के ऐक्ट के अनुसार मियाद बढ़ाने का अधिकार है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक नया मुकम्मिल कानून लाया जाय और चुनाव कराये जायं। नये कानून के आने में ४, ६ महीने लगेंगे, तो उनकी दोनों बातें मेरी समझ में नहीं आईं।

मान्यवर, यह इतना छोटा सा संशोधन विधेयक लाया गया है कि जिसके पास करने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिये। मुझे तज्जुब है कि माननीय सदस्य इस पर बल देने के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप करते रहे कि मंत्री जी ६ दफा से आराम करते रहे हैं। अब मैं उनके तर्कों की बाबत संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक बात उन्होंने कही है कि प्रदेश की विधान सभा ने उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलीशन के कानून के अलावा और कोई कानून नहीं बनाया और उसमें भी आये दिन सरकार संशोधन लाती रहती है।

मान्यवर, इसको सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। समय के अनुसार अमेंडमेंट तो बराबर लाये जाते हैं। अगर सरकार इतनी सख्त है, इतनी रिजिड है और न मुड़ने वाली है और समय के अनुसार संशोधन नहीं लाती है तो फिर वह सरकार प्रजातंत्र की सरकार नहीं हो सकती है। हमें पब्लिक ओपीनियन को रिफ्लेक्ट करके उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करना चाहिये। अगर उन्होंने यह बात कही होती कि जिस समय आप इसको लाये थे उस समय हमारी बात मान ली होती तो यह संशोधन विधेयक लाने की जरूरत न होती तब तो हम उनकी काबलियत को मान लेते और हम अपनी नाकाबलियत को मान लेते। यह चीज आप पहले सोच पाते तब तो ठीक था। लेकिन जिस तरह से समय बदलता है उसी तरह जिचुएशन भी बदलती है और प्रजातंत्र में उसके अनुसार एडाप्ट करना पड़ेगा।

उसकी परिस्थितियों को भी देखना चाहिये कि ऐसा क्यों हुआ। अगर पुरानी सेंसस की फीगर्स पर चुनाव करवा देते तो आपका यह आक्षेप होता कि लाखों व्यक्ति जिनको मतदान के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उनको वंचित करने के लिये सरकार ने उन्हीं पुरानी लिस्टों पर म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव करवा दिया है। हमने सोचा कि १९६१ के सेंसस के फीगर्स आ जायं, तब उसके मुताबिक चुनाव करवाये जायं, इस पर यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि सरकार गुलछर्रे उड़ाती है। १९६१ की सेंसस रिपोर्ट आने में कुछ देर हुई। इतने में इमरजेन्सी डिक्लेयर हो गयी। इमर्जेन्सी की वजह से एलेक्शन रोक दिये गये। अगर उस वक्त एलेक्टोरल रोल्स को बदलते रहते तो लाखों रुपये खर्च होते। तब यह कहा जाता कि देखिये कि कैसी अफीमचियों की सरकार है कि इधर इमरजेंसी हो रही है, उधर कोई चुनाव नहीं होंगे और करोड़ों रुपये एलेक्टोरोल रोल्स के बदलने में खर्च कर रहे हैं। हमारी सरकार को यह पता नहीं था कि नेशनल इमरजेन्सी के बाद तुरन्त स्थिति हलकी पड़ जायगी और बाई-एलेक्शन करवा सकेंगे।

इस वक्त अगर आप विधेयक पास नहीं करते हैं तो सरकार के सामने इसके सिवाय कोई चारा नहीं होगा कि पुराने सेंसस के मुताबिक चुनाव करवा दें। लेकिन यह सरकार के लिये एक कलंक होगा कि नया सेंसस होने के बाद लाखों आदमियों को वोट के अधिकार से वंचित किया जाय। मैं समझता हूं कि यह इतना लम्बा चौड़ा बिल नहीं है जिस पर बहस होनी

चाहिये । अगर आप संशोधन को पास नहीं करते हैं तो एक तरीका तो यह है कि आर्डिनेन्स लाया जाय और दूसरा तरीका यह है कि जो पुरानी लिस्टें बनी हुई हैं उन्हीं के अनुसार चुनाव करवाया जाय । लेकिन जो लिस्टें गलत हैं या नामुकम्मिल हैं उनके मुताबिक चुनाव करवाया जाय तो यह प्रजातांत्रिक नहीं होगा । इसलिये यह विधेयक बहुत इन्नोसेंट है और मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वह इसको फौरन पास कर दें ताकि चुनाव को मुकम्मिल करवाया जा सके ।

श्री उग्रसेन—

यह कब तक चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें टाइम निश्चित है, पांच बजे तक यह चलेगा । इसमें हाउस का रेजोल्यूशन हो चुका है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

मुझे आप से यह निवेदन करना है कि मेरे बोलने के बाद बन्द कीजियेगा ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह विधेयक जो लाया गया है बहुत छोटा-सा है और साथ ही इन्नोसेंट है । क्या हर छोटी चीज इन्नोसेंट हुआ करती है ? यह गलत चीज है । जितना छोटा देखा उतना ही खोटा देखा । असलियत यह है कि हर जिले के अन्दर कानूनन जब एलेक्शन आफिस मौजूद हैं, वह एक परमानेन्ट चीज हो चुकी है, तो कानून के मुताबिक हर सितम्बर के महीने के अन्दर नई सूची तैयार हो जानी लाजिमी हो जाता है । क्या वजह है, उन्होंने समय से काम नहीं किया तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की ? कभी इमरजेन्सी, कभी कुछ, कभी कुछ के नाम पर एक साल बढ़ा लिया, फिर दूसरा साल बढ़ा लिया और अब फिर बढ़ाने जा रहे हैं । कौन जिम्मेदार है इसके लिये ? अगर सूची तैयार नहीं हो सकी तो यह हमारा कसूर तो नहीं है, पब्लिक का कसूर तो नहीं है, सरकार का कसूर है ।

इस सदन के अन्दर मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इलेक्शन नवम्बर में लाजमी तौर से होंगे । लेकिन बार-बार आश्वासन को भंग करना यह कहां का उसूल है, कहां की परम्परा है । एक आश्वासन आप देते हैं कि २५ परसेन्ट लेवी को एक साल के बाद वापस ले लेंगे । दूसरे साल कहते हैं कि हमने तो ऐसा कहा नहीं । दूसरा आश्वासन म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन के बारे में दिया गया और उसमें अब रोड़ा अटकाने जा रहे हैं । कहते हैं कि अगले साल होगा । अगर नई सरकार को यह सोचना था कि इलेक्शन नहीं कर पायेंगे तो पुरानी सरकार, गुप्ता सरकार को क्या अधिकार था इस तरह का आश्वासन दे कर इस नई सरकार के ऊपर एक बन्दिश लगा देने का कि इलेक्शन नवम्बर में होंगे ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अपने प्रान्त के अन्दर म्युनिसिपैलिटीज जिस प्रकार से चल रही हैं वह एक दुखद कहानी है । सहारनपुर के बारे में मैं अर्ज कर सकता हूं । एक तरफ एमरजन्सी है, एम० डी० एफ० के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और हमारे यहां क्या हो रहा है ? महात्मा गांधी का बुत लगाने के लिये म्युनिसिपलिटी का डेढ़ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है । आज के वक्त में एक पब्लिक हाल बनाने के लिये ७ लाख रुपये का बजट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

पास किया जाता है। जगह-जगह पर शिकायतें हुईं। मंत्री जी गये, हमारी बहन तारा जी वहां गई, उन्होंने सारी करतूतें देखीं। लेकिन यह सरकार ऐसी है कि कानों पर हाथ रख लेती है। न कुछ सुनना, न करना। उसके हाथ हिलते ही नहीं हैं। अगर हिलते भी हैं तो कान तक पहुंच कर उनको बन्द कर देते हैं। ऐसी-ऐसी चीजें ६ साल से चल रही हैं। अगर गल्तियां पकड़वाते हैं तो ऊपर प्रान्त की सरकार में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं कि जो हर गलत बात को सही साबित कर देते हैं और कोई कार्यवाही नहीं होने देते। हम तो यह चाहते हैं कि अगर आप इलेक्शन इस वक्त नहीं करवा सकते, वैसे कोई बात नहीं है, क्यों नहीं करवा सकते और फिर अप्रैल में करवाने जा रहे हैं, गर्मी के दिन होंगे, बच्चों के इम्तिहान होते होंगे, उस वक्त यही बात लेकर कहेंगे कि ६ महीने और बढ़ा दिये जायें। मैजारिटी आपकी है, जो चाहेंगे पास करवा लेंगे। इधर के बोलने वाले तो अपनी बात कहते ही रह जायेंगे, लेकिन उधर के बैठने वाले बड़ी आसानी से कह देंगे कि कितनी छोटी सी चीज है। मैजारिटी आपकी है, आप पास कर लेंगे। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस सरकार के अन्दर सच्चाई सुनने वाला भी कोई है? अभी हमारे यहां एक भंगी कालोनी बनी। बहिन तारा जी ने जा कर देखा, बनारसीदास जी ने उसका उद्घाटन किया। कमिश्नर को और बहिन जी को दिखाया गया कि किस तरह से लाखों रुपया बरबाद किया गया। वहां की हालत आप इस वक्त चल कर देखें कि किवाड़ से किवाड़ नहीं भिड़ता है। हाथ लगा लीजिये तो सीमेन्ट क्या छत गिरी जा रही है। ४० कमरे बने हैं। ४० में १४ गिर गये बिना हाथ लगाये। तीन लाख रुपया कालोनी के लिये मंजूर किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी की ओर से, लेकिन अध्यक्ष महोदय ५ लाख रुपये अपनी मर्जी से खर्च कर देते हैं। शिकायत की गई, रिटेन शिकायत की गई, मंत्री जी वहां गये, उसे देखा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पूरा अंधेर है हर तरफ।

हमारे यहां म्युनिसिपैलीटी का चुनाव हुये ६ वर्ष हो गये हैं। एक दफा शुरू-शुरू में सब कमेटी का इलेक्शन हुआ। उसके बाद की सब-कमेटी नहीं बनी। यह एक ऐसी इल्लीगलिटी है कि जिसके कारण सरकार को उसे सुपरसीड कर देना चाहिये। लेकिन नहीं किया गया। इसलिये कि पुरानी जो सरकार थी उसमें हमारे यहां के सहारनपुर के एक माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे। उनका ऐड्रेस अगर आप पढ़ें तो पता लगेगा कि नगरपालिका सहारनपुर के अध्यक्ष के मकान का ऐड्रेस है। तो हमें मानना चाहिये कि अध्यक्ष वह नहीं है बल्कि माननीय मंत्री जी उस अध्यक्ष की संरक्षता करते हैं। वही अध्यक्ष हैं सही माने में। यह नीचे से ऊपर तक ऐसी श्रंखला बनी हुई है कि कोई सही चीज नहीं हो सकती। अब नये मंत्री जी आये हैं। हमें उम्मीद है, वे नौजवान हैं, पढ़े-लिखे भी हैं, शायद वे कुछ कर पायें। अच्छा विभाग उन्हें मिल गया है इसलिये हमें आशा रखनी चाहिये कि कुछ भला काम वह कर लेंगे। लेकिन जिस सरकार में वह बैठे हुये हैं उसको देखते हुये ऐसी आशा कम ही है। मैं सब-कमेटीज के बारे में कह रहा था। एक दफा पिछले साल जब सदन में यह शिकायत की गई कि कोई सब-कमेटी नहीं बनी तो पिछले साल उन लोगों ने सब-कमेटी बना ली। उसने १५ जनवरी तक काम किया। उसके बाद आज तक डेढ़ साल फिर हो गया कोई कमेटी नहीं बनी। अध्यक्ष ने तमाम ताकत अपनी मुट्ठी में करली है क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधे सरकार के एक मंत्री से है। अभी हाल ही में उन अध्यक्ष के खिलाफ लगभग ६ महीने पहले मंत्री जी को वहां के १४ माननीय सदस्यों ने लिखित शिकायतें दीं और एक तीन पेज का टाइपनामा पेश किया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने पिछले दो साल के अन्दर बीसों बार नहीं पचासों बार लिखित शिकायतें कीं कि इस-इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे यहां हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी पिछले दिनों ५० लाख रुपये की लकड़ी पंजाब सरकार की हिमांचल प्रदेश से आई वह चोरी हो गई। उसमें से कुछ लकड़ी मौके पर अध्यक्ष महोदय के मकान पर पकड़ी गई। पंजाब पुलिस ने आकर वह लकड़ी पकड़ी, लेकिन चूंकि वह सम्बन्धित थे एक मंत्री से इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस से इस बिल का क्या ताल्लुक है ? इस वक्त चेयरमैन के खिलाफ तो कोई बात है नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है और प्रान्त के अन्दर और भी इस तरह की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके खिलाफ भी शिकायतें हैं । अगर इलेक्शन होना है तो उन तमाम को सुपरसीड कर दें ताकि सही माने में इलेक्शन हो सके और सही रिप्रेजेन्टेटिव आ सकें । (व्यवधान) नये चुनाव तो होंगे तब जब मैजारिटी चाहेगी । उसके पहले हो नहीं सकते ।

हमारे यहां फायरब्रिगेड बना । म्युनिसिपैलिटीज उसके लिये ६० हजार रुपया तय करती हैं । अध्यक्ष महोदय ने दुबारा बजट पास करवा कर ६८ हजार करवा दिया, लेकिन बिना म्युनिसिपैलिटी की मंजूरी के, बिना सदस्यों की जानकारी के १,२०,००० रुपया उसके ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया और अपनी मर्जी से खर्च कर दिया, और कोई पूछने वाला नहीं है । तो ऐसी हालत जहां हो वहां सरकार के सामने क्या यही कार्य रह जाता है कि वह उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो वहां बैठकर मनमानी करें और जिस ढंग से पब्लिक को लूटना चाहें लूटें ? लेकिन साथ में सरकार हमें राम राज्य का आश्वासन देती है, ईमानदारी का आश्वासन देती है और चाहती है कि अच्छा राज्य कायम करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार जितना दिखावा दिखाती है कि अच्छा राज्य होना चाहिये, अच्छा काम होना चाहिये उल्टे उसके उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और उसके ऊपर सरकार यहां से उस लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन देती है, उनको शील्ड किया जाता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इलेक्शन आप कराइये, अब कराइये या ६ महीने के बाद कराइये या ६ साल के बाद कराइये, लेकिन इन दि मीन व्हाइल मेरी यह प्रार्थना है कि जब एलेक्शन हो वह सही ढंग से हो और इस दौरान में जितनी कार्यवाही सरकार की तरफ से भ्रष्टाचारी लोगों को खिलाफ हो सकती हो वह करनी चाहिये ताकि पब्लिक के दिमाग के अन्दर जो यह बात घुसी हुई है कि सरकार में उन लोगों के आदमी हैं, जो इलेक्शन नहीं होने देते हैं, वह निकल जायं । सहारनपुर के आम लोगों के दिमाग में यह बात है कि सहारनपुर म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि माननीय फूल सिंह वहां पर बैठे हुये हैं और वह एलेक्शन नहीं होने देना चाहते हैं । इस तरह का प्रचार प्रान्त भर में हो रहा है कि उनका सम्बन्ध सीधा मंत्रि मंडल से है । अगर जनता चुनाव चाहे भी तब भी वह नहीं हो सकता है । इस वजह से इसकी मियाद बढ़ाई जा रही है और यह बात दो साल पहले बतला दी गई थी कि सन् १९६५ तक एलेक्शन नहीं हो सकेंगे । अब इस तरह के हालात नजर आ रहे हैं कि बहा की भी मियाद बढ़ाई जायेगी जिस से चुनाव न हो सके ।

इन सब बातों को देखने की जरूरत है । जहां पर सही काम नहीं होता है वहां की म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड किया जाय ताकि पब्लिक को संतोष हो और उनका रुपया वेस्ट न हो । सहारनपुर हमारी स्टेट के अन्दर सेकिन्ड इंडस्ट्रियल सिटी है । लेकिन वहां पर ऐसे टैक्स लगाये गये हैं कि जिनकी कहानी, अगर माननीय मंत्री जी फाइल निकाल कर देखें, तो मालूम हो सकती है । जो आदमी वहां पर हैं और खासकर अध्यक्ष ने अपनी फैक्टरी से सम्बन्ध कायम करने के लिये, अपना निजी गेन करने के लिये इतना टैक्स लगवा दिया है कि वे लोग परेशान हैं । यहां पर सरकार के पास भी वह कहानी आई है और भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय गुप्त जी ने कहा कि उसी अध्यक्ष से जाकर बात कर लो, यानी सौदेबाजी वहीं पर जाकर करो । जब सरकार की यह हालत है तो बाकी स्टेट का क्या हाल होगा इसका भगवान ही मालिक हैं । हमारा काम अपनी कठिनाई और दिक्कत को सरकार के सामने रखना है चाहे सरकार हमारी उन बातों को सुने या न सुने ।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कमलासिंह जी के संशोधन के विरोध में कुछ बातें आपके सन्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्यों सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा और क्यों सन् १९६४ तक मियाद मांगनी पड़ी इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह रहस्य यह है कि विरोधी दल के लोगों ने गलत लिस्टें दी हैं, टाउन एरिया में और म्युनिसिपल बोर्ड में अपने वोटरों की संख्या को बढ़ाने के लिये ताकि गलत वोटरलिस्ट से इन संस्थाओं पर कब्जा कर लें। प्रान्त में जहां पर यह लिस्टें आईं वह गलत तरीके से आईं। इसी लिस्ट के नामों के मिलान करने के लिये अधिकारियों को बहुत काफी समय देना पड़ा। एक महीना, दो महीना और एक साल के बाद भी जो लिस्टें आईं या जो दूसरी लिस्टें तथा सप्लीमेंटरी लिस्टें आईं वह साल भर या ८ महीने से कम में नहीं बन पाई। इसका सारा बोझ इन विरोधी दलों और सामने के बैठे हुये दोस्तों पर है। इस बारे में सरकार की नीति बड़ी साफ रही है। हमारा विरोधी दल फर्जी लिस्ट बढ़ाना चाहता है और सरकार ने उसको स्वीकार करने में अपनी मजबूरी जाहिर की है। इस वजह से यह विधेयक लाना पड़ा यह असल बात है।

मैं आपको क्या बताऊं, जो ६ महीने की मियाद बढ़ाने की मांग इस विधेयक द्वारा की गई है इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी विरोधी दलों के ऊपर है। यह विरोधी दल उन संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है गलत तरीके से और गलत लिस्ट तैयार करके। यह एक बात है।

दूसरी बात मैं कमला सिंह जी के संशोधन के बारे में अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम लोगों का ऐसा संशोधन होता तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उसको रूल आउट कर देते।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बात गलत है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अच्छा, मैं वापस लेता हूं। १७ अक्तूबर को तीन महीने की मियाद मांगने का यह प्रस्ताव आया है जिसका मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार को मजबूर कर दिया जाय कि ३० दिसम्बर को जब मियाद खत्म हो तब आर्डिनेन्स लायें और फिर उसके बाद उसका मजाक उड़ाया जाय। अगर दो महीने होता तो बात समझ में आती, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में ३ महीने की अवधि के लिये जाय इसके पीछे भेद है। रिलेवेन्ट बात इतनी थी जिसका मैंने जवाब दिया। ६ महीने की मियाद अर्थात जून सन् ६४ में तो विरोधी दल को भी मौका मिलेगा, लेकिन यह तो सिर्फ आलोचना के लिये सारी बातें करते हैं सीरियस नहीं हैं। यह खुद भी इलेक्शन के लिये तयार नहीं हैं। हम कांग्रेस वाले तो आधी रात को भी इलेक्शन का ऐलान हो तो मौके पर विरोधी दल वालों के लिये क्या है, न इनका कोई सिद्धान्त, न पार्टी अनुशासन, न कोई नेता, न कोई उपनेता, जिसका जो मिजाज चाहे कहे, कामराज खराब हैं, हुकुमसिंह खराब हैं वगैरह वगैरह। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने कामराज ऐसा एक भी इन्सान पैदा किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि है किसी के पास कामराज जैसा इन्सान जो देश की रखवाली करता है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

सभी पार्टियों में कामराज से सैकड़ों गुना अच्छे लोग मौजूद हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

सोशलिस्ट पार्टी में तो जीरो हैं। कम से कम उसमें तो एक भी ऐसा इन्सान नहीं है जो कामराज का बस्ता भी ढो सके। श्रीमन्, मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि एक कामराज से आज हिन्दुस्तान के तमाम विरोधी दलों में खलबली पड़ गई है और अगर कहीं एक दर्जन कामराज पैदा हो जांय तो विरोधी दलों का खात्मा हो जायेगा, इनका एग्जिस्टेन्स

खतरे में पड़ जायेगा और यह सामने की कुर्सियां जो हैं इन पर सिर्फ गांधी टोपी दिखलाई पड़ेगी। यह खतरा है हमारे दोस्तों को और इसीलिये इतना चिल्लाते हैं। इतनी बात तो मैंने इरेलेवेन्ट वालों का जवाब देने के लिये कही कि ठाकुर हुकुम सिंह सौ वर्ष तक रहेंगे और १६ बार अभी शपथ लेंगे। ऐसा काबिल आदमी हमें चाहिये, है किसी के पास, आये तो! हुकुम सिंह, मुजफ्फर साहब, राम मूर्ति, कमलापति त्रिपाठी इनकी जोड़ छांटो तो जरा, १८० या १७२ आदमी हो, एक भी अपने में से इनके मुकाबिले में लाओ तो जरा!

श्री उपाध्यक्ष--

आप जरा समय का ख्याल रक्खें।

श्री जे० पी० मिश्र--

क्या मैं बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप जल्दी से अपनी बातें कह दीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र--

ठीक है। कांग्रेस पार्टी कानून के मुताबिक ही सारा काम करती है और करना चाहती है। उसके कुछ सिद्धान्त हैं जिन पर वह चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह से सिर्फ हवा में नहीं बहकती। इतनी बातें इरेलेवेन्ट हो गई थीं जिनको सुनते-सुनते मेरे कान पक गये थे, उनका जवाब देना जरूरी था जिन्हें मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया है। मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि उनका जो सेलेक्ट कमेटी का अमेन्डमेन्ट है उसको कृपा करके वापस लें और विधेयक को स्वीकार होने दें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय जे० पी० मिश्र जी को बहुत बेचैनी है। वह चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल की कतई इच्छा नहीं है कि स्वशासन संस्थाओं के चुनाव टाले जांय। समय-समय पर इस आदरणीय सदन में विरोध पक्ष से बराबर इस बात पर बल दिया गया है कि इन संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न हों। कांग्रेस पक्ष का यह दोष है कि वह येन केन प्रकारेण इन चुनावों को टालती रही है। यह कांग्रेस संस्था और इस कांग्रेसी सरकार की नियत की खामी है, क्योंकि यह चुनाव से स्वयं डरती है। माननीय मिश्रजी ने कहा कि कांग्रेस तो रात में चुनाव कराती है, यह सही है, सोलह आनों सही है। आप जिस संस्था के सदस्य हैं, आपको ठीक ही पता है कि कांग्रेस संगठन का चुनाव आधी रात में ही होता है। दफ्तर में बैठकर रात के समय चुपके-चुपके प्रीसाइडिंग आफीसर के घर पर हो जाता है। ऐसे चुनाव से कोई गठित संस्था या उस संस्था के मेम्बर इस आदरणीय सदन में बैठें और फिर कहें कि हम रात में चुनाव करा लेते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस बात से कौन इन्कार करेगा, करना भी नहीं चाहिये, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं।

कामराज योजना की चर्चा हमारे साथी माननीय काशी नाथ मिश्र और माननीय जे० पी० मिश्र ने भी की। यह कामराज योजना क्या बला है? क्या माननीय विचित्र नारायण शर्मा जैसे निस्पक्ष और ईमानदार व्यक्ति को हटाकर डाक्टर सीता रामजी जैसे व्यक्ति को स्वशासन मंत्री बनाना ही कामराज योजना का उद्देश्य था? क्या इसी से कांग्रेस अच्छी संस्था बन सकेगी और उसका शासन चलेगा? श्रीमन्, मैं कहता हूं कि कांग्रेस रसातल में जायगी। कामराज योजना के द्वारा ईमानदार आदमियों को हटाया जा रहा है। जिनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल है आज उन्हीं को कुर्सी दी जा रही है, तो यह कामराज योजना देश को रसातल में ले जायगी।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह माननीय सदस्य इनडाइरेक्टली आक्षेप कर रहे हैं। आपने डा० सीताराम जी का नाम लेकर अभी इस आदरणीय सदन में आक्षेप किया है। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य किसी की ईमानदारी पर या नीयत पर कोई इस प्रकार से हमला नहीं कर सकता है। यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। तो आप इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये ऐसी चीजों को एवायड करना चाहिये और किसी का नाम आदि नहीं आना चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, अभी हमारे माननीय जे० पी० मिश्र ने विरोध पक्ष वालों के ऊपर हमला किया था और बहुत सी इस प्रकार की बातें कहीं थीं। तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। माननीय एस० के० पाटिल साहब का कहना कि कामराज योजना के द्वारा जो योग्य आदमी अपने पद से हटाये जा रहे हैं, यह बात देश के लिये शुभ नहीं है। आप देखें कि यह कामराज योजना गुटबाजी के लिये ही अमल में लाई गई है। इस बात को मैं ही नहीं कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता भी कहते हैं। केवल यही नहीं इस बात का समर्थन इस सदन में बैठे अधिकांश साथी जो उधर बैठे हैं, वह भी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बिल पर आ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह---

श्रीमन्, उसी पर आ रहा हूं। मैं तो यह स्पष्ट कहता हूं कि डाक्टर सीताराम जी के मंत्रित्व काल में ही चुनाव न हों, तभी मैं खुश होऊंगा। पता नहीं कि रात में ही कहीं चुनाव न हो जाय उन स्वायत्त शासन संस्थाओं का। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जनतन्त्र की मर्यादाओं को और संवैधानिक मर्यादाओं को ऐसा करके नष्ट कर रही है। यह सरकार चाहती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस संगठन का फर्जी चुनाव होता है, उसी प्रकार से स्वायत्त शासन संस्थाओं का भी हो जाय। केवल यही नहीं विधान सभा का चुनाव भी इसी प्रकार से कराने की कुचेष्टा में हैं। यह सरकार कांग्रेस संगठन का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी यही मंशा है कि चुनाव को फर्जी बना दिया जाय और किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण सभा को अपने हाथ में रखा जाय। यही तिकड़म यह संस्था चलाना चाहती है। माननीय जे० पी० मिश्र जी ने कहा कि उनके हाथ में ताकत है। लेकिन हवा का क्या रुख है, इसको भी समझना चाहिये। इस आदरणीय सदन में १९५७, १९६२ में काफी अन्तर हुआ है,। उपाध्यक्ष जी, कि १९६७ के चुनाव में और अधिक अन्तर हो जायगा। यदि आपको यहां पर आने का अवसर मिला तो आप यहां पर बैठकर देखेंगे कि वह अन्तर होगा। आज जो स्थिति है, यदि वही स्थिति रही, तो आप देखेंगे कि यह सरकार बहुमत में नहीं बैठ पायेगी। मैं तो यह स्पष्ट कहता हूं कि यह सरकार चुनावों से भागती है। तो फिर चुनाव जल्दी कैसे हो सकता है?

इस प्रकार के उपायों को सरकारी पक्ष को प्रयोग में लाना सरकारी पक्ष को शोभा नहीं देता है। यह सरकार के लिये अकर्मण्यता का द्योतक है और अयोग्यता का प्रतीक है। मेरा यह कहना है, कि यदि नियत साफ होती, तो आज बरसों से चुनाव टाला नहीं जाता। हमारे माननीय काशीनाथ मिश्र ने ठीक ही कहा कि सन १९१४-१६ में म्यूनिसिपैलिटी और टाउन एरिया ऐक्ट में जो एक प्रतिबन्ध था कि दो सालों से अधिक चुनाव नहीं टाला जायगा, तो अंग्रेजी राज्य के जमाने का वह प्रतिबंध था वह भी आज नहीं रह गया है। इस प्रकार गणतन्त्र

के नाम पर की जाने वाली चीजें समाप्त होनी चाहिये। और इस प्रकार से चुनाव नहीं टालना चाहिये। यह सरकार आज जनतन्त्र के नाम पर कहती है कि दो साल नहीं वह ढाई साल और तीन साल कर दी जाय। कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंन्ट अपनी मरजी के अनुसार एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस सीमा को बढ़ा दे। इस प्रकार से प्रजातन्त्र के नाम पर हरकत कोई सरकार करने की हिम्मत कैसे करती है? इस प्रकार के कार्य कांग्रेस पार्टी के लिये ही संभव हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार जनतन्त्र विरोधी सरकार है। यह विधेयक काले कानून के रूप में हमारे सामने यहां आया है उसको प्रवर समिति में ही नहीं बल्कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था हमारे नियम में हो तो कूड़ेखाने में भेज दिया जाता।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार जिसका बात करने का ढंग कामराज योजना से बदल गया है। कामराज योजना के अन्दर, कुछ रुख अवश्य बदला है, लेकिन जब तक इस सरकार की करनी और कथनी एक नहीं होगी तब तक इस देश में जनतन्त्र नहीं चल पाएगा। ये लोग जनतन्त्र की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। आदरणीय सदन में इसी सरकार ने कहा था कि नवम्बर में चुनाव अवश्य हो जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर हमारे मित्र माइक पर धीरे से बोलें तो उनकी आवाज हम लोगों को ठीक से समझ में आएगी।

श्री मैनेजरसिंह—

हमारे ठाकुर साहब को शायद बदहजमी हो गई है। मैं इतना कहना चाहता हूं अपने उप-नेता सदन से कि कामराज योजना आई, उसकी अच्छाइयां अपनी जगह पर हैं। उन अच्छाइयों से कुछ फायदा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। माननीय ठाकुर हुकुम सिंह जी अपनी छोटी बहन जो इस प्रदेश की मुख्य मंत्री के सहायक हैं, यदि भाई बहन मिल कर यानी नेता और उप नेता सदन मिल कर इस प्रकार से प्रदेश के राज काज को चलायें कि कुछ सुधार नजर आये।

एक सदस्य—

वह बहन नहीं हैं, भाभी हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उनकी तो बहन हैं और हमारी भाभी हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

श्री चन्द्रभानु गुप्त जो श्री ठाकुर साहब के भाई हैं उन्होंने जलसे में कहा था कि वह अपनी छोटी बहन को भार सौंप रहे हैं। चूंकि ठाकुर साहब श्री चन्द्रभानु गुप्त के भाई हैं इसलिये वह उनकी बहन ही होती हैं। पता नहीं, बहराइच का क्या कायदा है। बहन को भाभी बना लिया जाय तो शायद यह कायदा बहराइच का हो सकता है।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

यह विधेयक जिस पर हम लोग यहां पर विचार कर रहे हैं दरअसल ऐसा विधेयक है कि इस पर किसी प्रकार की बात करने की आवश्यकता नहीं थी। विधेयक का जो मकसद है वह केवल इतना ही है कि चूंकि चुनाव इस वक्त सम्भव नहीं हो सकता है यानी जो चुनाव नवम्बर में होने जा रहे थे उसके लिये सरकार ने मुनासिब समझा कि विधेयक के द्वारा छः महीने बढ़ाकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

जनवरी में चुनाव करा दिये जाय, क्योंकि जो त्रुटियां थीं वह दुरुस्त नहीं हो पाई थीं। सिर्फ इतना ही उसमें है। अब इसके खतरनाकपन पर आप क्या सोच सकते हैं। एक भाई ने कहा कि छोटे बड़े खतरनाक होते हैं और वह इस बिल को मासूम नहीं बल्कि बड़ी खतरनाक शक्ल में समझते हैं। माननीय मैनेजर सिंह जी ने तो इस विधेयक को काला कानून तक कह दिया है। काला कानून शब्द बहुत दिनों से मैं सुनता चला आ रहा हूं। मामूली सी बात के लिये खतरनाक कानून, भयावह कानून, हिन्दुस्तान को मिटा देने वाला कानून आदि शब्दों का प्रयोग कर देते हैं चाहें उसका इस तरह का इरादा हो या न हो। हमारे एक भाई ने तो बातचीत के दौरान में कामराज योजना को भी घसीट लिया और इतनी बेरहमी से घसीटा कि उनको यह खयाल नहीं रहा कि इस बिल से कामराज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन कह गये।

एक साहब ने कहा कि सरकार बड़ी निकम्मी है, बड़ी भ्रष्टाचारी है और इसलिये यह बिल आ गया। मैं दरअसल बोलने के खयाल में नहीं था इसलिये कि हमारी तरफ से दो, चार माननीय सदस्य बोल चुके थे। लेकिन बैठे-बैठे दिमाग में आया कि यह आदत खराब है कि जो बात ठीक न हो, पसंद न आये, सही न मालूम हो, उसे विरोध में दो चार शब्द भी न कहना बड़ी गलती है और यह करके अपने संस्कार को खराब करना है। इसलिये मैं बोलने के लिये खड़ा हो गया।

हमारे साथी अगर इसके उद्देश्य और कारण को पढ़ लिये होते तो उन के सामने बात साफ हो जाती। इतना समय नहीं है, लिस्ट तैयार नहीं है, चूंकि सन् ५७ में विधेयक आया था, दो साल का समय बढ़ाया जा चुका है और समय बढ़ाना संभव नहीं है इसलिये ६ मास का समय बढ़ाया जा रहा है, यह इसका मकसद है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बहस मुबाहिसे को थोड़ा ही रखें ताकि जो लोग नये आये हैं, कुछ सीखना चाहते हैं उनके संस्कार खराब न हों, उनकी आदत खराब न हो और इसलिये आप लोग गैरजरूरी बातें लाकर यहां का वातावरण खराब न करें। यह जो सीधासादा विधेयक है, इसलिये आप इसको मान लें।

इसपर संशोधन आया कि इसको जनता में घुमाया जाय। हमारे एक साथी हैं, वकील हैं, उन्होंने संशोधन दिया कि इस पर जनमत संग्रह किया जाय। गांव की मिसाल है कि "ककरी का चोर, कटारी से मारा जाय।" सोचिये कि इस विधेयक पर जनमत संग्रह में सरकार का कितना पैसा खर्च होगा। तीन महीने में संभव भी न होगा कि इस पर जनमतसंग्रह हो सके। जिनको कुछ कहना है और कहने के लिये कोई रिलेवेंट चीज मिलती नहीं है उनके लिये यह एक आसान तरीका है कि इस तरह का कोई संशोधन ला कर रख दिया और कुछ बोल गये और उसके साथ सरकार को एक हजार गाली और मिनिस्टर को एक लाख गाली दे दी और साथ में दुनियां भर की बातें कह दीं। बहरहाल, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता इसलिये कि कुछ कहने से विशेषाधिकार का प्रश्न आ जायगा। जैसा कि मिश्र जी ने कहा कि हमारे लिये बड़ी दिक्कतें हैं। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हैं और आप लोग बेलगाम हैं। जहां चाहें जांय, जिसका चाहें खेत खा लें, चाहे जिसके घर में घुस जांय। न कोई रोकने वाला है और न आपके लिये कोई अनुशासन है। आपके लिये कोई नियम भी नहीं हैं। नियम है केवल आपके लिये गाली देना और वही एक रवैया आपने अख्तियार कर लिया है। सरकार को किसी तरह भी क्रिटिसाइज किया जाय ताकि अखबारमें नाम आ जाय सुबह, कि फलां महाशय ने सरकार और मिनिस्टरों को बड़ी गालियां दीं, यहांतक कि हुकुम सिंह और सुचेता जी को गालियां दीं। बड़ा बोलने वाला है और विरोधी दल का बड़ा नेता है, वहां तो जो जितनी ज्यादा गाली देगा वह उतना ही बड़ा नेता माना जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप थोड़ा स्तर ऊंचा करें ताकि नये लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले।

(श्री हरीशकुमार गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय गंगवार के बोलने के बाद आप प्रस्ताव ले आइयेगा।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कामराज, कामदेव या कामरस की बात तो मैं जानता नहीं। उस पर काफी बहस हो चुकी है और जिनको उस में रस लेना था उन्होंने उसमें काफी रस ले लिया है। हमारे भाई मिश्र जी कभी सोने पर गोली खाने के आदी नहीं हैं। उन्होंने यहां कहा था कि जब लड़ाई होगी तो सब से पहले गोली खाऊंगा, लेकिन वह यहां बैठ कर अपनी बात का जवाब भी सुनना नहीं चाहते, गोली क्या खायेंगे? बात भी पीछे से सुनते हैं। अपने भाषण में एक ही बात उन्होंने कहने से बाकी रखी कि यह बिल बड़ा मासूम है। यह बात ही उनके मुंह से नहीं निकली, वरना बाकी सारा भाषण तो पुराने भाषणों जैसा ही है।

अब इन सब बातों को छोड़ कर मैं माननीय ब्रजभूषण शरण जी की बात पर आता हूं। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र यहां पर लाये, हमने चुनाव का अधिकार यहां दिया, इतनी बड़ी जायदाद किसी और ने बख्शी नहीं। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि प्रजातंत्र आपने दिया, चुनाव की पद्धति भी आपने ही दी, आपने चुनाव भी कराये, लेकिन यह सारे चुनाव उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के चुनाव हिटलर ने जर्मनी में कराये थे। जब आपकी तबियत होती है तब चुनाव होते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि आप की बात सही हो जायगी, तभी चुनाव का हुक्म आ जाता है। अगर कहीं कोई खामी होती है कि जिस के कारण आप चुने नहीं जा सकते तो आप फौरन कानून बदल देते हैं। जिला परिषदों के चुनाव इसका उदाहरण हैं। आपने पिछले १६ वर्षों से वहां चुनाव नहीं कराये और आज भी आपने उनका नामांकन कराया जो हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया तो उसके लिये दूसरा आर्डिनेन्स ला कर आपने उसे फिर वैध कर लिया। यह आपके प्रजातंत्र की रूपरेखा है। इसी प्रकार और जगह भी है।

मिश्र जी ने कहा कि विरोधी दलों के कारण ही चुनाव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत सलत लिस्टें पेश कर दीं। मैं कहता हूं कि अगर हमारी लिस्टें गलत थीं तो आपकी लिस्टें तो सही थीं। उनके हिसाब से ही आप चुनाव करा लें। उसमें देर होने को कहां गुंजायश है? अगर मान लिया जाय कि यह लांछन है, तो १६ वर्षों से जिला परिषदों के चुनाव क्यों नहीं हो सके? तो इस तरह बात को बतंगड़ बना देना और कोई ठोस दलील न देना ही आपका तर्क है। इस प्रकार की दलीलों से हमारे संशोधन में कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय, कोई असर नहीं पड़ता। हमको यह ऐडमिट करने में कोई एतराज नहीं है कि हम बहुत बार बहस करने के लिये ही संशोधन देते हैं। हमारा यह मतलब नहीं है कि यह ३१ मार्च, १९६४ तक ही हो। हमारा मतलब यह है कि जब दो वर्ष आपने बढ़ा दिये तो आप चुनाव ३१ दिसम्बर, १९६४ तक तो करा ही सकते हैं। आप के पास मशीनरी है। अभी भी लिस्टें बदल सकती हैं, सही हो सकती हैं, नामिनेशन्स हो सकते हैं और चुनाव की तारीख निश्चित हो कर चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन आपने हमारे ऊपर दोष थोप कर चुनाव टालने की बात कही। यह इमरजेंसी की दलील देकर चुनाव न कराने की बात केवल ढोंग है, बनावटीपन है। यह सही बात नहीं है और कोई सिद्धांत वाला व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तरकीबें सोच रहे हैं कि म्युनिसिपल बोर्डस् के अध्यक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

हमारे ही पक्ष के लोग हों और इसलिये आपके दिमाग में कोई न कोई साजिश आ रही है। आखिर म्युनिसिपैलिटीज में कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है। उनकी आबादी जल्दी गिनी जा सकती है, लिस्टें सही हो सकती हैं। लेकिन दो वर्ष से आप उन्हें टालते आ रहे हैं। एक जनरल चुनाव हो गया तो उसके ६ महीने बाद करा सकते थे, लेकिन आप हमेशा अवधि बढ़ाते चले जा रहे हैं।

म्युनिसिपल बोर्ड्स की इस बीच में क्या हालत हुई है? उन्नाव और बरेली के उदाहरण आप जानते हैं। फिर चेयरमैन साहब को सफाई की तरफ ध्यान नहीं। चेचक फैल जाय, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं, लेकिन वोट आफ-नो-कानफिडेंस जो आयेगा तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे मेम्बरों को खरीदा जा सकता है, कैसे नाजायज तरीके से औरतों को भेजकर नैनीताल में हम कैसे कुर्सी बचा सकते हैं, ८-८, १०-१० हजार रुपया देकर वोट खरीदा जाता है। तो फिर यह रुपया कहां से आता है? वह रुपया अपने पास से खर्च नहीं करते। उन्होंने तो इस बीच में बीसयों दूकानें और बिल्डिंगें बना लीं। ८ महीने के बाद वोट आफ नो कानफिडेंस आना शुरू हो जाता है और भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है। यही आपके प्रजातंत्र के ढोल की पोल है जिसकी आप दुहाई दिया करते हैं?

इसी प्रकार से आपने यह बात कही कि आपके पास कोई योजना नहीं है। यह भी कहा कि हम तो आधी रात को चुनाव कराने को तैयार हैं। मिनिस्टर हटेंगे नहीं। हम कहते हैं कि हमारे पास कोई योजना नहीं है, क्योंकि योजना बनाने का सारा काम आपने ले रखा है। अगर आप मौका देंगे तो हम बतायेंगे कि कैसे योजना बनायी जाती है। जहां तक रात के चुनाव की बात है तो आपके यहां तो मिनिस्टर भी रात को शपथ लेते हैं, लेकिन हमें इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। जो लोग पुलिस के थाने में दर्ज होते हैं वह ही दिन के उजाले में कार्यवाही नहीं कर सकते, रात को ही करते हैं। हमें इसका दुख भी नहीं। और मिनिस्टर अपने आप से कहां हटने को तैयार हैं, कौन हटना चाहता है? इसी दफा ही कुछ मामला बन गया, कुछ लोग नहीं चाहते थे, लेकिन हट गये। जनता की बात का वजन होता है, उसके जरिये वह हटाये जाते हैं। आज भी जो लोग कम किये गये उनके दिल ही जानते होंगे कि उन पर क्या गुजर रही है और दो का नमूना भी मैंने देख लिया कि जब मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर थे तो बात भी सामने नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बातें उन्होंने यहां कहीं उनसे साबित हो गया कि वह कहां तक जा सकते हैं। तो कोई हटना नहीं चाहता। हम भी हटने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि फिर जो आप चाहेंगे बिल पास कर लेंगे, इस लिये हमारी भी इच्छा नहीं है कि जल्दी से हट जांय।

दो वर्ष से जो चुनाव नहीं हुए, वह कांग्रेस की फूट की वजह से नहीं हुए। वहां तो कौरवों और पांडवों में लड़ाई हो रही थी। कोई द्रोपदी बनी, किसी का चीर हरण हुआ, कोई नग्न हुआ, प्रदेश का शासन कैसा है इस ओर आपका ध्यान कहां था? जिला परिषद् और नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जा सकते थे, लेकिन आपको आपसी लड़ाई-झगड़े, द्वेष-भाव से फुर्सत नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि भगवान इस गवर्नमेन्ट को साल भर और चलने दे, मैं ऐसी दुआ करता हूं कि ऐसी मेहर हो कि साल भर इसे चला ले जांय। लेकिन इस प्रकार की बातों से आप प्रजातंत्र पर और हमारे वोटों के अधिकार पर कोई पर्दा नहीं डाल सकते। इन्हीं बातों से तो प्रदेश का शासन शिथिल होता है। मिनिस्टरी बदल, चाहे आदमी की जगह और चीफ मिनिस्टर हो, या इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा भी आ जाय, हमें इससे कोई मतलब नहीं, यह कोई चिन्ता की बात नहीं, हम तो यह चाहते हैं कि जनता के हकों की रक्षा होनी चाहिये, जनता के कामों की ओर आपका ध्यान होना चाहिये, जनता आपको बुरा न कहे, जब जनता का भला होगा, तभी प्रजातंत्र के सिद्धान्तों की रक्षा होगी और आप उसके रक्षक माने जायेंगे, अन्यथा नहीं।

मैंने जो बातें कहीं हैं, मैं चाहता हूं यह सरकार उसकी गहराई में जाने की कोशिश करे, असली काम की तरफ हम आवें। अगर आप यह निश्चय कर लें कि ३१ दिसम्बर तक चुनाव कराने हैं, तो वह निश्चित रूप से हो सकते हैं। आपने चुनाव कराये भी हैं, एक एक महीने के अन्दर आपने चुनाव कराये हैं। इसलिये ६ महीने की अवधि बढ़ाना, मेरी समझ में नहीं आता, ये गलत है। इसलिये आप हमारी बातों को मानने की कोशिश करें। और उसमें से मोती बीनने की कोशिश करें।

श्री रामप्यारे—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट श्री प्रेमसिंह और बोल लें, उसके बाद यह प्रस्ताव पेश किया जायगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, पहले तो मैं अपने मित्र को गहराई में जाने की और मोती बीनने की जो उन्होंने बात कही उसके लिये बधाई देना चाहता हूं, मगर मैं समझता हूं कि हम इतनी गहराई में न जायं जो उसमें डूब जायें।

मैं अपनी बात यह कह कर शुरू करता हूं—

"जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोटी,
उस खेत के हर खोशये गन्दुम को जला दो।

जो पुरानी सरकार थी, वह तो दफन हो गयी, जो नयी सकार आयी है उसमें मैं यह आशा करूंगा कि अब दूध की नदियां बहने लगेंगी। मान्यवर, जो मौजूदा सरकार बनी है वह बहुत मुतसर है और उसमें बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार बहराइच के लिये कम से कम ऐसा काम जरूर करे जिससे कि वहां के लोग खुशहाल हों। आप उसको ऐसी जगह पहुंचा दें जिससे कि हमको भी कुछ लाभ हो। जो गरीबों की झुग्गियां हैं वह महलों के रूप में बदल जाय और वहां भी उनके पास मोटरें हो जायं। यह मैं चाहता हूं कि इतना काम यह सरकार जरूर करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अब विवाद बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११८,
विपक्ष में—५५।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मिनिस्टर साहब जवाब दे दें तब मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मिनिस्टर साहब आखिर में जवाब देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने जो कुछ कहा है जब तक वे उसका जवाब न देंगे तब तक मैं क्या बोलूंगा? इसलिये पहले उनको जवाब दे देने दिया जाय।

डाक्टर सीताराम---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने, माननीय कमला सिंह यादव, श्री काशीनाथ जी मिश्र, श्री विजय सिंह तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर आदि माननीय सदस्यों के सुझावों को भलीभांति सुनने का प्रयास किया। सुनने के पश्चात् मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिन माननीय सदस्यों ने अपनी राय को रखा है उन्होंने खासतौर से इस बात को रखने का प्रयास किया है कि अक्तूबर नवम्बर में चुनाव हो जाने चाहिये थे और यह इसमें देरी नहीं होनी चाहिये थी, सरकार ने इसमें देरी की, उन्होंने इन्हीं बातों को कहा। इस प्रदेश में टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया आदि की तादाद मिला कर करीब ४५० हैं। जिनमें टाउन एरियाज की संख्या २७५ है, नोटिफाइड एरियाज की संख्या ३८ है और म्युनिसिपल बोर्ड्स की संख्या १३७ है। जैसा कि मैंने अभी इस विधेय के उद्देश्य और कारणों में बतलाया है कि खास तौर पर चुनाव सन् १९६१ के अक्तूबर, नवम्बर में हो जाने चाहियें थे, लेकिन सन् १९६१ में जनरल एलेक्शन की तैयारी में ये चुनाव नहीं हो सके।

दूसरी बात यह है कि माननीय कमलासिंह जी ने हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया कि अगर सन् ६१ में चुनाव नहीं हुये तो सन् ६२ में अवश्य हो जाने चाहिये थे। जैसा कि आप सब को मालूम ही है कि सन् ६२ में चुनाव की तैयारी होने लगीं, लेकिन इस प्रान्त में या यह कहिये कि सारे देश में इमर्जेंसी डिक्लेअर हो गयी, इसलिये जाहिर है कि इस चुनाव की बात को या इस राय को छोड़ना पड़ गया। अब सन् १९६३ के अक्तूबर-नवम्बर में जरूर चुनाव हो जाने चाहिये थे, लेकिन यह सभी को विदित है कि सन् ५१ की जनसंख्या के अनुसार सन् ६१-६२ में असेम्बली के चुनाव हो गये थे। अगर सन् ६१-६२ की जनसंख्या को देखा जाय तो मालूम होगा कि इस बीच में शहरों की या टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज या म्युनिसिपल बोर्ड्स की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। सभी लोग यह मानते हैं कि १० साल में २२ प्रतिशत आबादी हमारे प्रदेश की या देश की बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में एक साल में २.२ प्रतिशत आबादी जब बढ़ती है तो सन् १९६१ से लेकर ६३तक टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड्स में कितनी आबादी बढ़ी है, हमारे सरकारी अधिकारियों ने इसकी गणना शुरू कर दी है। उस गणना के पश्चात् उनको देखना है कि वार्ड्स किस तरह से निर्धारित किये जायं। इस तरह से वार्ड्स निर्धारित करने में कुछ समय तो अवश्य ही लगेगा। इस तरह से अभी जितने दिन का समय बतलाया गया है कि बोर्ड्स का टाइम अभी बाकी है वह भी खत्म हो जायगा और टाउन एरियाज का भी समय नवम्बर के अन्त तक खतम होता है। ऐसी परिस्थिति में जैसा कि माननीय सदस्यों ने तीन महीने के लिये इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित करने का संशोधन रखा है और जिस भावना से रखा है, मैं समझता हूं कि इससे उन माननीय सदस्यों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च इन तीन महीने के बाद २ अप्रैल से लेकर ६ जून तक जैसा कि सरकार ने उसके लिये तिथि निर्धारित की है, चुनाव खतम हो जायगा।

अभी अपने संबोधन में माननीय ब्रह्मदत्त मायर ने कहा है कि अप्रैल के महीने में स्कूल चलते रहेंगे। तो फरवरी-मार्च में भी चुनाव शुरु कराने का खास कारण यह है कि शिक्षा संस्थाओं में ही अधिकतर बूथस होते हैं छात्रों के स्कूल्स उस वक्त तक चलते रहेंगे, तो बड़ी कठिनाई हो जायगी। तो फरवरी-मार्च में चुनाव किये जायं इसके ऊपर सरकार ने पूर्ण रूपेण विचार किया है और विचार करने के पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि २ अप्रैल से चुनाव शुरू करके उसे ६ जून तक खतम कर दिया जाय। इसी के अन्तर्गत यह विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैं आशा करूंगा कि माननीय कमला सिंह या और जिन सदस्यों ने यह संशोधन रखा है कि जनता की राय लेने के लिये इसे तीन महीने के लिये प्रसारित किया जाय, वे अपने संशोधनों को वापस लेंगे और इस विधेयक को पारित होने देंगे।

*श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव इस सदन में मैंने पेश किया है और प्रवर समिति में भेजने का भी प्रस्ताव इस सदन के सामने हैं। जहां तक प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का संबंध है जितने संशोधन आये हैं यदि उनको देखा जाय तो केवल एक ही संशोधन है कि जो टर्म के मुताल्लिक है। इस कार्यक्रम को भी अगर शुरु से अन्त तक पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि जितने बिल इस में इनक्लूडेड हैं उन सब में कार्य काल बढ़ाया गया है, इसके अलावा और किसी नई बात या अन्य चीजों से कोई संबंध नहीं है। जहां तक प्रवर समिति का सवाल है अगर कोई और दूसरी तरह के संशोधन होते या कार्यकाल बढ़ाने के अलावा और किसी बात को लेकर होते तो मैं अवश्य आग्रह करता कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। जहां तक प्रवर समिति में भेजने की बात है इसको वहां भेजने की जरुरत नहीं है। लेकिन जनमत संग्रह की बात यह है कि आज का पूरा दिन इस बिल में लग गया, एक दिन में असेम्बली का खर्च ७३२७ रुपया होता है और इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि इस सदन में अब उन को यह कोशिश करनी चाहिये कि जो पुरानी परिपाटी रही है कि समय बढ़ाने के लिये जो एक दो दिन लिया जा रहा है उस को खत्म करने की कोशिश करें और मिनिस्टर्स या दूसरे अधिकारी संबधित हों तो कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करना चाहिये क्योंकि अगर इस तरह से समय बढ़ाने के लिये १ दिन लिया गया तो उसमें सरकार का ७ हजार रुपया व्यय होता है। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है टैक्स लगना चाहिये। लेकिन दूसरी तरफ हम यह कर रहे हैं कि हम ७०००रुपया समय बढ़ाने पर खर्च कर रहे हैं। आप ४ साल में चुनाव नहीं करा सके, २ साल में भी नहीं करा सके और अब ६ मास और बढ़ाना चाहते हैं। इस पर इतना विवाद इस बात का द्योतक है कि जितने अधिकारीगण हैं, और मिनिस्टर लोग हैं, हम मंत्रियों पर आक्षेप नहीं कर सकते, अधिकारियों पर कर सकते हैं लेकिन गलती या कमी उनकी है यह चीज अपने स्थान पर ठीक है, या जो भी उस के लिये जिम्मेदार हैं और जो काम उनको दिया गया था उसका पालन उन्होंने नहीं किया और अगर पालन किया होता तो निश्चित ही समय से यह चुनाव हो गये होते।

एक बात मैं और कहूंगा कि मंत्री जी ने अभी कहा कि चूंकि स्कूलों के द्वारा यह कराना चाहते हैं तो मई में ठीक रहेगा और जनवरी फरवरी में ठीक न होगा। मैं मंत्री जी को बता दूं कि जितने प्राइमरी स्कूल म्युनिसिपैलिटीज में हैं उन्हीं के द्वारा वोटर लिस्ट्स का संशोधन कराया गया है और होता है। मई में तो परीक्षा का समय होता है और इस का मतलब है कि लड़कों को दिक्कत होगी। जब परीक्षा का समय होगा तब वह समझते हैं कि लड़के और मास्टर खाली होंगे तो वह जनवरी फरवरी में ही होंगे। वे भी असेम्बली या संसद का एलेक्शन होता है तो हमेशा जनवरी फरवरी में होता है, उस वक्त सब खाली होते हैं। इस वक्त करायेंगे तो स्कूल के लड़कों के समय की बचत होगी और नुकसान नहीं होगा और परीक्षा के वक्त तो अधिक नुकसान होगा। इसलिये मंत्री जी ने जो कहा है कि मई से चुनाव करायेंगे यह ठीक नहीं है और अगर वह चाहते हैं तो चुनाव जनवरी-फरवरी में ही करायें।

साथ ही एक बात और है कि चुनाव के बारे में जो उन्होंने कहा है वह संतोषजनक नहीं है। मैंने तो चाहा था कि माननीय अलीजहीर साहब मेरी बातों का जवाब देते क्योंकि कांस्टीट्यूशनल बात मैंने लाकर रखी थी। आज यहां श्री महाबीर प्रसाद जी भी नहीं हैं, वह होते तो अवश्य ही जवाब देते कि ३३८ सेक्शन जो है जिस के आधार पर यह बिल आया है वह अलाउ नहीं करता कि ऐसा बिल लाया जाय। माननीय मंत्री जी और सरकार की तरफ से मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिला कि किस तरह से वह इस बिल को पास कराना चाहते हैं, क्योंकि मूल अधिनियम में मेक्जिमम पीरियड १० (ए) में साफ दिया हुआ है; उसे मैं फिर पढ़ देना चाहता हूं :

"Except as provided in section 31 or 31-A the term of every board shall be 4 years;

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

Provided that the State Government may by notification in the official gazette, extend from time to time the term of all or any of the boards, so however, that the total extension in the case of any Board does not in the aggregate exceed two years."

यानी ४ साल के बाद केवल दो साल का मैक्सिमम पीरियड दिया है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस विधेयक के जरिये सिर्फ समय को बढ़ाया जा रहा है। अगर इसके साथ और कोई बात होती तो हो सकता था कि नया विधेयक है। लेकिन सिर्फ कार्य-काल बढ़ाने के लिये नया विधेयक लावें यह उचित नहीं मालूम होता और खास तौर पर उस समय जब सेक्शन ३३८ दो बातें कोट करता है। पहली तो यह कि टैक्स जो म्युनिसिपैलिटी में लागू हैं या उनको टाउन एरियाज में लागू करना चाहते हैं तो सेक्सन ३३८ की मदद ले सकते हैं तथा दूसरे यह कि अगर कोई कमेटी बने जिसमें ७ सदस्य हैं उनकी संख्या ७ से दस करना चाहते हैं तो सेक्शन उस समय ३३८ की मदद लेते हैं। लेकिन जहां तक कार्य-काल बढ़ाने का सवाल है वह इसके जरिये नहीं बढ़ सकता। इस लिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह लीगल रिमेम्बरेंसर से राय ले लें और बहुमत के बल पर इसको न पास करें। आजकल जो ला विभाग की राय है वह हम सबको मालूम है, जितने भी विधेयक यहां से पास होते हैं वह दूसरे ही दिन हाई कोर्ट से रद्द कर दिये जाते हैं, एक तमाशा होता है। इसलिये मैं चाहता हूं वह ऐनोमली जो अब तक होती रही है अब आगे न हो।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस पर अंकुश लगावें। ऐसी बातें अगर लीगल रिमेम्बरेंसर या ला डिपार्टमेंट की वहज से होती हैं तो अब आगे सदन को बरदाश्त नहीं करना चाहिये और मुख्य मंत्री को नहीं करना चाहिये। इस तरह काफी रुपया बर्बाद होता है, समय बरबाद होता है। अतः जो ऐसी बातें अब तक प्रचलित रही हैं, चाहे किसी की गलती से रही हों, आगे उन्हें नहीं बरदाश्त करना चाहिये तथा यह देखना चाहिये कि जितना जिसका कार्यकाल है उससे एक दिन भी न बढ़ाया जाय। अमरीका में चाहे जो चुनाव हो एक दिन भी नहीं बढ़ सकता। हमारे यहां तमाशा है ४ साल के बाद २ साल का समय दिया गया उसमें भी सरकार नहीं कर सकी और फिर ६ महीने बढ़ाने जा रही है। तो मैं सरकार से कहूंगा ऐसी बातें न हों। जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे सदन स्वीकार करे।

श्री विजयसिंह---

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पक्ष में या विपक्ष में मेरे संशोधन के संबंध में भाग लिया। मैंने बड़ी गौर से सभी माननीय सदस्यों की बातें सुनीं। माननीय शरण साहब ने अपने भाषण में कहा कि चुनाव में जो देर हो रही है तथा जो संशोधन हमारी तरफ से पेश हुआ है वह अनुकूल नहीं है। हो सकता है उनकी नजर ठीक हो सकती है। पर यह बात अवश्य है कि यदि सरकार अपने काम ठीक से चलाये और सख्ती बरते तो चुनाव अवश्य १० दिन में हो सकते हैं, कोई बहाना उचित नहीं मालूम होता। जैसा उन्होंने कहा, छोटे-छोटे अमेंडमेंट हैं, मायर जी ने स्पष्ट कर दिया कोई बड़ी पुस्तक नहीं है, पर जैसा बिहारी जी ने कहा कि बिहारी के दोहे तो छोटे होते हैं लेकिन घाव गंभीर करते हैं। मान्यवर, माननीय कृष्णानन्द जी ने बहुत अच्छी बातें कहीं और यह भी बताया कि जब तक सूची न बन जाये उस समय तक अवधि बढ़ाई जाय। जो उन्होंने सुझाव दिये उनके संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि जो कार्य १९६१ में नहीं हुआ, १९६२ में नहीं हुआ वह कैसे १९६३ में हो जायगा? मान्यवर, श्री मिश्रा जी भी कामराज प्लान के बारे में बोल कर अपना स्थान छोड़ कर चले गये। वह सदन में कामराज की जोड़ ढूढ़ते रहे हैं। जोड़ा तो ढूंढ़ा नहीं जाता है, स्वंय मिल जाता है जैसा कि हमारे माननीय साथी ने कहा कि सरकार क्या क्या करती और चुनाव का भी कार्य कर रही है, तो मेरा कहना यह है कि सरकार जरा भी सतर्क रहती और अपने कार्य की ओर विशेष ध्यान देती तो कोई वजह नहीं थी कि ये चुनाव सरकार अभी तक न करा सकती। हमारे संशोधन

पेश करने का मतलब यह है कि सरकार इसको समझ ले और दूसरे लोग भी समझा लें कि सरकार की मंशा क्या है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस संशोधन को मान ही लिया जाय ।

डाक्टर सीताराम--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री कमला सिंह यादव और माननीय विजय सिंह की बातों को फिर से सुना । जो मैं पहले कह चुका हूं उससे अधिक मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है । माननीय कमला सिंह यादव जी ने यह बात उठाई कि सेक्शन ३३८ में सरकार ने इसे स्पष्ट नहीं किया । मैं आपकी आज्ञा से यह कह देना चाहता हूं कि एल० आर० से आपीनियन ले ली गयी है । यह एक सिर्फ टैम्पोरेरी एक्सटेन्शन बिल है । अगर बिल के प्रीएम्बिल को देखें तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि यह टेम्पोरेरी एक्सटेन्शन बिल है इसलिये अब किसी प्रकार की आशंका नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सेक्शन १०(ए) उन्होंने पढ़ा नहीं या समझा नहीं । यह नहीं कह सकता कि समझा नहीं, लेकिन उसमें साफ दिया हुआ है कि ४ साल का जो कार्य काल है नये विधेयक द्वारा उस कर्यकाल को बढ़ा सकते हैं लेकिन जो प्रावाइजो है जिसमें २ साल की मियाद है उसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं । इसलिये इस समय एक्सटेन्शन का पीरियड है वह उस प्रोवाइजों में किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह हेतु तीन मास के लिये परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

परिभाषायें--

२--इस अधिनियम में--

(क) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ के अर्थ में म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के अर्थ में टाउन एरिया कमेटी से है ; यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(ख) "पुनः संघटन" का तात्पर्य--

(१) म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी की दशा में यू० पी० म्युनिसिपैलीटीज एक्ट, १९१६ की धारा ५६ के अधीन, यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

(२) टाउन एरिया कमेटी की दशा में, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ६—एच के उपबन्धों के अनुसरण में,

विज्ञप्ति द्वारा नये स्थानीय निकाय के संघटन से है;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६

(ग) नोटिफाइड एरियाज के संबंध में यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की किसी धारा का अभिदेश उस धारा का अभिदेश समझा जायगा जो उक्त ऐक्ट की धारा ३३८ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति द्वारा नोटिफाइड एरियाज पर प्रवृत्त हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट, संख्या २, १९१४
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

कतिपय स्थानीय निकायों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाना

३—किसी स्थानीय निकाय का बढ़ाया गया कार्यकाल जो ३० जून, १९६४ से पहले समाप्त होने वाला है और जिसे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ा रहेगा, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाये गये कार्यकाल का वही प्रभाव होगा मानो वह, यथास्थिति यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १०—ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ६ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अधीन बढ़ाया गया हो ।

*श्री कमला सिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ में जहां जहां '३० जून, १९६४' आया है वहां '३१ मार्च, सन् १९६४' कर दिया जाय ।

जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य और कारण का सवाल है, इससे साफ जाहिर है कि निर्वाचन सूची बनाने का काम पहले से आरम्भ हुआ । हर जिले में एलेक्शन आफिस स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और वहां पर्मानेन्ट स्टाफ भी है जिसके जरिये से सारी कार्यवाही हो रही है । जहां तक मेरा जिला गाजीपुर है, वहां निर्वाचन सूची पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां सूची पूरी न हुई हो और अगर न भी हुई हो तो १ महीने के अन्दर जो लिमिटेशन पीरियड है वह सूची तैयार की जा सकती है। लेकिन, चूंकि सरकार को और भी कार्य करने हैं, इन्तजाम भी करने हैं, इसलिये उसके लिये ज्यादा से ज्यादा समय, जैसा कि मैंने प्रपोज किया है, ३१ मार्च, सन् ६४ कर दिया जाय । लेकिन इसके लिये सरकार यह कहेगी कि मार्च में बजट आयेगा । तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जनवरी, फरवरी में हमेशा चुनाव हुआ करते हैं और असेम्बली तथा पार्लियामेन्ट के चुनाव से बढ़कर यह चुनाव नहीं है । यह लोकली लिमिटेड एरिया है जहां पर यह चुनाव होना है । मेरी समझ में इस काम के लिये सब बातों को देखते हुए ६ महीने का टाइम दिया जाय, यह उचित नहीं मालूम होता ।

मैंने पहला जो अपना संशोधन रखा था उसमें बतलाया था कि जो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज हैं उनका भी कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है । तो ज्यादा पीरियड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ाना उचित नहीं मालूम होता। जितनी जल्दी हो सके इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिये और मार्च के बाद कोई दूसरी बात हो तो उसे करने में आसानी होगी।

मैं पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि old order changeth yielding place to new. माननीय सुचेता जी के समय में मैं चाहूंगा कि कुछ प्रगति हो। जितने कार्य सरकार के ढिलाई के हैं उनमें प्रगति आना चाहिये और अगर पहले की तरह वेस्ट आफ टाइम एन्ड मनी हुआ तो उनके आने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये जितना समय वह उचित समझें उतना समय लेकर उसमें निर्वाचन करा लें, लेकिन उसके बाद अगर फिर कोई दिक्कत आई तो वह काबिले बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने यह जो संशोधन रखा है मुझे उम्मीद है सदन उसे स्वीकार करेगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कमला सिंह जी ने कहा कि जब असेम्बली और पार्लियामेन्ट के चुनाव जनवरी और फरवरी में होते चले आये हैं पिछले १५ वर्षों से तो क्या कारण है कि अब म्युनिसिपल बोर्ड स के चुनाव उन दिनों में नहीं हो सकते? अप्रैल और मई में काफी गरमी हो जाती है और इसके अलावा बहुत से लोकल इम्तहान बच्चों के उन दिनों में हुआ करते हैं। तो ये दोनों चीजें एक बाधा बनेंगी। दूसरी एक बड़ी मुश्किल यह होगी कि जो म्युनिसिपैलिटीज मई और जून में बनेंगी उनकी अवधि भी चार वर्ष हो जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। रूल्स आफ प्रोसीजर के नियम १३९ के (२) को देखें। उसमें लिखा है—

"An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question."

यह सदन फैसला कर चुका है कि तीन महीने तक न घुमाया जाय। तो फिर मार्च और जून वाला सवाल नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। एक निर्णय हो गया कि घुमाया न जाय। अब वे प्रस्ताव करते हैं कि ३० जून, १९६४ के बजाय ३१ मार्च हो जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ऊपर वाला भी पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह देख लिया। उनका अमेंडमेन्ट इस आर्डर है।

श्री कमला सिंह यादव—

जब मैंने अमेंडमेन्ट रखा था उसी वक्त आपत्ति करने का अधिकार था, अब कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जी हां।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं कह रहा था कि चार वर्ष की अवधि हमेशा मई और जून में खत्म हुआ करेगी और इसका मतलब यह होगा कि जब भी सरकार को एलेक्शन करवाने होंगे तो मई और जून का ही महीना निश्चित हो जायगा। तो इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए जब असेम्बली और पार्लियामेन्ट का चुनाव जनवरी और फरवरी में हो सकता है तो मैं आशा करता हूं कि इस जिद्द को छोड़ कर कि अप्रैल में ही करवायेंगे माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे। इस प्रार्थना के साथ मैं आशा करता हूं कि हमारी नयी सरकार इस पर विचार करेगी और अपनी जिद्द को छोड़ेगी।

*श्री हरीशकुमार गंगवार--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सारा सवाल टाइम का है कि कितने समय में चुनाव हो जाने चाहिये और इसी पर हम लोग जोर दे रहे हैं क्योंकि सरकार का विश्वास तो हमको रहा नहीं, वायदे कर के भी मुकर जाती है जैसा कि आपने देख लिया कि हमारे माल मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि २५ फीसदी लगान एक साल के लिये बढ़ा रहे हैं मगर उसको भी उन्होंने माना नहीं। परन्तु अब वह सरकार चली गयी और दूसरी सरकार बनी है इसलिये हम विश्वास करते हैं कि अब जो बात कही जायगी वह सही होगी और मानने के काबिल होगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई टाइम जरूर निश्चित कर दें कि इस समय तक हम चुनाव करा लेंगे तो हम लोगों को तसल्ली हो जायगी क्योंकि सारा मामला इसी टाइम का है।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन बड़ा अच्छा है, नयी सरकार आयी है और नये महानुभावों के आज दर्शन हुए। महानुभाव तो वही हैं, लेकिन कुछ विभाग बदल कर आये हैं। तो इसमें नयी बात होनी चाहिये। सिर्फ यह बात है कि ये चुनाव ज्यादा न टाले जायं। सरकार की जिद्द भी पूरी होनी चाहिये क्योंकि जिद्दी सरकार है और यह सीधी बात कभी नहीं मानती है। इधर से न जाने कितने विद्वान सुझाव देते हैं लेकिन यह सरकार उनको नहीं मानती है। सरकार उलट गई फिर भी अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है। मैं मंत्री जी से और मुख्य मंत्राणी जी से निवेदन करूंगाम कि आज के दिन जो इधर से बात कही जाय उसको मान लेना चाहिये। २५ प्रतिशत वाले। मिले में ठाकुर साहब ने बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी और आपने सदन को स्थगित कर दिया था इसलिये आज कोई ऐसी बात नहीं कही जाय वरना यह सदन बिगड़ जायगा और यह सरकार भी उलट जायगी। मैं यह कहूंगा कि माननीय काशीनाथ जी ने जो संशोधन रखा है उसको मान लेना चाहिये। उधर बलिया और इधर मथुरा है। मंत्री जी और मुख्य मंत्राणी जी को यह सुझाव मान लेना चाहिये क्योंकि आज सगुन का दिन है।

डाक्टर सीताराम--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय कमला सिंह जी ने रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि ३१ मार्च तक एलेक्शन हो जाने चाहिये और जो उन्होंने अपना संशोधन रखा है उसके मानने में कठिनाई इसलिये है कि उस समय म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज में जो इंस्टीटयूशन्स हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, चाहे जूनियर हाई स्कूल हों या हाई स्कूल हों, सब में बच्चे बराबर पढ़ते होंगे। मैंने यह बताया कि एलेक्शन का कार्यक्रम २ अप्रैल से शुरू होकर ६ जून तक समाप्त हो जायगा और मतदान अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होगा और जैसा कि मायर साहब ने कहा, उस समय बच्चों के इम्तहान हो रहे होंगे। लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि बच्चों के इम्तहान २५ अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

१२ मई तक होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

डाक्टर सीताराम—

इसके पहले जो कार्यवाही होगी वह की जायगी । अतः मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि अब अक्ल वाली बात होगी । लेकिन मुझे अफसोस है कि उल्टी बात की जा रही है । इसलिये कि आप जानते हैं कि अप्रैल के महीने में फसल भी तैयार होकर कटनी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही साथ पूरे मार्च के महीने तक हम लोग असेम्बली में रहेंगे और असेम्बली छोड़कर हम लोग नहीं जा सकते हैं । इसके बाद परिषद् के एलेक्शन हैं । मंत्री जी ने अप्रैल में चुनाव कराने की बात कही है तो वे जनवरी में क्यों नहीं करा देते हैं ? आपने लिखकर दिया है कि जनवरी, ६३ में चुनाव होने वाले थे तो फिर अप्रैल में क्यों करा रहे हैं ? इससे परिषद् वाले इलेक्शन में भी दिक्कत होगी । क्योंकि नवम्बर हो रहा है, और भी तरह तरह के एलेक्शंस हैं, श्रीमन्, इसलिये मैं चाहूंगा कि समय का खयाल करें । मार्च में असेम्बली होगी । उस समय असेम्बली छोड़ कर हर आदमी टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी में नहीं जायगा । उस समय फसल भी तैयार होगी । किसान उसको काटने में लगा रहेगा । इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें । आप बतला रहे हैं कि दस मई तक स्कूलों में इम्तहान होते रहते हैं । उस वक्त स्कूल खाली करवा कर एलेक्शन करवाया जाय, अगर ऐसी उल्टी बुद्धि का विकास होगा तो मैं समझता हूं कि बड़ी हानि होगी देश की । इन शब्दों के साथ, ताकि ठंडक में एलेक्शंस हो सकें, ताकि दिमाग भी सबका ठीक ठीक रहे और प्रचार करने का भी काफी मौका मिल सके और उसके बाद ठीक से चुनाव हो सकें, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जिद न करें, वह इस पर पुनः विचार करें और इसको मंजूर करें ।

डाक्टर सीताराम—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि यह संशोधन स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ३ में जहां-जहां "३० जून, १९६४" आया है वहां "३१ मार्च, सन् १९६४" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाना ।

खंड ४

४—जेवर, बहजोई और कुरावली टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि इन टाउन एरियाज के लिये कमेटियों के पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ी रहेगी, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि का वहीं प्रभाव होगा जो यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का होगा । यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय स्थानीय निकायों के कार्यकाल और कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । और प्रसार

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सीताराम—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में जो प्रश्न है वह तारीखों की लड़ाई नहीं है, उसूलों की लड़ाई है। अभी जो विधेयक पेश हुआ, सरकार की तरफ से तीन बातें कही गयीं । यह कहा गया कि किसी कानून में बार बार संशोधन करना जनतंत्रीय सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है । दूसरी बात यह कही कि संकटकाल के कारण वोटर लिस्ट नहीं बना पाये, इसलिये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं । तीसरी बात यह कही कि जनतंत्र में यकीन करने वाली सरकार सही वोटर लिस्ट बनाकर ही चुनाव करायेगी । पहली बात तो कोई नीति की बात

नहीं थी। प्रश्न यह आता है कि इलेक्टररोल ठीक नहीं करा पाये एमर्जेन्सी के कारण, यह बात गलत है। और जनतंत्र में रोज-रोज कानून में संशोधन करना यह भी एक ढुलमुल यकीन सरकार ही करेगी। संकटकाल के कारण जो उन्होंने कहा, तो मान्यवर, दुनिया की डेमोक्रेसी में देखिये, इंग्लैन्ड में संकटकाल का समय था, लड़ाई चल रही थी और साथ-साथ चर्चिल चुनाव करा रहे थे। भयानक परिस्थिति में, संकटकाल में, संकटकालीन कानून बनाकर जनता के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा माइक्रोफोन पर बोलिये, ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, सरकार संकटकाल का बहाना करती रहती है, लेकिन संकटकाल की वजह से सरकार के कौन से काम रुके? एक बात यह जरूर हुई है कि सरकार बदल गई, आपस में कितना लड़ाई झगड़ा चला उसकी वजह से नौकरशाही के काम में कुछ ढील हुई और उसी वजह से इलेक्टररोल ठीक नहीं हो पाया। यह बात नहीं है कि संकटकाल की वजह से ठीक नहीं हो पाया। यह बात बिलकुल बेबुनियाद है।

एक बात यह भी कही गई कि जनतंत्रीय सरकार कानून में बराबर संशोधन करती रहती है। श्रीमन्, सरकार कानून में कोई ऐसा संशोधन लाये जिसमें बालिग मताधिकार और चुनाव का प्रश्न उठता हो और जिसमें कि स्थानीय निकायों में भी कांग्रेस को बदलने का प्रश्न आता हो वहां सरकार चुनाव को टालने के लिये संशोधन लाये यह बात बिलकुल गलत है। मैं कहूंगा कि आदरणीया नई मुख्य मंत्राणी को गुप्ता जी के बहुत से पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। यह उनकी ही गलती है कि इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं हो पाये। उसे ठीक कराइये और जल्दी से जल्दी चुनाव कराइये। एक दिन भी चुनाव नहीं टलना चाहिये जब तक कि कोई बहुत बड़ी विस्फोटक परिस्थिति न हो, ऐसी नीति आप निर्धारित करें। कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा दोष यही रहा है इन १५, १६ साल के बीच में कि उनकी कथनी और करनी में समानता कभी नहींर ही। आज जनता में जहां कहीं भी हम जाते हैं यही सुनने को मिलता है। जो यह कहा जाता है कि कोई विरोधी पक्ष मजबूत नहीं है उसका कारण भी यही सरकार के कारनामें ही हैं क्योंकि इनकी कथनी और करनी में कभी समानता नहीं रही। और जनता यह समझने लगी है कि आने वाली विरोधी दल की सरकार भी ऐसी ही होगी। जनतंत्र में आने वाली पीढ़ी और इतिहासकार कभी इस सरकार को इसके लिये लिये माफ नहीं करेंगे। सरकार को एक नीति निर्धारित करना चाहिए कि चुनाव के सम्बन्ध में जो भी दिन या तिथि निश्चित करे उस दिन चुनाव अवश्य करा दिया जाय जब तक कि कोई बहुत बड़ी विस्फोटक परिस्थिति न हो। मैं दिसम्बर और मार्च के झगड़े में नहीं जाना चाहता। बुनियादी जो नीति का प्रश्न है, जो संवैधानिक प्रश्न है, वह यह है कि जो तारीख सरकार निश्चित करे उस तारीख को चुनाव अवश्य हो जाना चाहिये। १६ साल से डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव नहीं हुआ और फिर हुआ भी तो किस तरह से हुआ, किस तरह से इसमें गलत काम हुए और फिर उसके लिये आर्डिनेन्स लाना पड़ा। और मैंने तो सुना है, गलत या सही मैं नहीं कह सकता, कि हमारे पश्चिमी जिलों में तो गरकी और बाढ़ के बहाने से नवम्बर में भी चुनाव सरकार नहीं कराने जा रही है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह जो भी बात कहे बिल्कुल सही कहे और निश्चित कहे। जब तक सही एलान नहीं करेंगे तब तक काम सही ढंग से नहीं चल सकता। आज अगर स्थानीय निकायों में इस तरह की गड़बड़ी होती है तो एक दिन विधान सभा के चुनाव को भी इसी तरह से संकटकालीन और इलेक्टोरल रोल के नाम के पर टाला जा सकता है। तो फिर, मान्यवर, क्या हालत होगी इस देश की और प्रदेश की? इसलिये सरकार जो भी एलान किया करे उस पर अमल होना चाहिये।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

इलेक्टरल रोल कोई बड़ा काम नहीं है। १५ दिन के अन्दर ठीक हो सकता है। सरकार के पास बहुत बड़ी फौज है। तमाम प्लानिंग की फौज है, म्युनिसिपल बोर्ड की फौज है, मास्टर हैं, और आपका इलेक्शन आफिस हैं। आठ दिन में इलेक्टरल रोल ठीक कराया जा सकता है और चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही बात है कि सरकार उचित अवसर तलाश करेगी जिसमें कि विरोधी दल सही ढंग से अपना काम न कर सकें। यही एक उद्देश्य इसके पीछे हो सकता है। और सरकार का यह उद्देश्य न भी हो, तो भी जनता और विरोधी दल को ऐसा लगता है कि सरकार अपने स्थान सुरक्षित रखने के लिये ऐसा कर रही है। इसलिये अब तक जो कुछ हुआ वह तो हुआ ही, अब आगे के लिये यह सरकार एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाये और जो भी चुनाव की तारीख तय करे उस तारीख को चुनाव करा दे। यह तो हमारे मौलिक मताधिकार का प्रश्न है। नीति का प्रश्न है। ऐसा न करने से जनतंत्र के प्रति विश्वासघात होता है। मैं आशा करता हूं कि आदरणीया मुख्य मंत्राणी जी मेरी बात को ध्यान रखेंगी और आगे जो भी तिथि निश्चित की जायगी उस तिथि तक चुनाव अवश्य हो जाया करेगा, तब जाकर जनतंत्र फलेगा और फूलेगा।

डाक्टर सीताराम—

श्रीमन्, सरकार जो भी निर्णय लेती है उन सब बातों को कार्य रूप में परिणत करती है। अभी माननीय राधेश्याम शर्मा ने जनतंत्र की दुहाई दी। जनतंत्र की भावना की पूर्ति करने के लिये कौन-कौन से कार्य सरकार के द्वारा संपादित किये जाने चाहिये इस पर विचार करना अति आवश्यक हो जाता है। जहां तक स्थानीय निकायों, म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज इत्यादि का सम्बन्ध है मैं अपने पूर्व भाषण में बता चुका हूं कि इलेक्टोरल रोल अभी तैयार कराया जा रहा है और जनतंत्र की हम दुहाई देते हैं उस जनतंत्र में एक भी नागरिक जो वोट देने का अधिकार रखता हो उसे वोट देने से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये। इसी वजह से देरी हुई और जिनके कारण सदन के सामने यह मांग रखने की जरूरत हुई। तो इन सब बातों को कहने के पश्चात् जो कि मैं अपने पहले भाषणमें कह चुका हूं अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। माननीय राधेश्याम जी ने जनतंत्र के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहने का प्रयास किया है। वह इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखतीं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकास (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने के प्रश्न पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अक्तूबर, १९६२ में हमारी मातृभूमि पर चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप देश में संकटकाल की घोषणा की गई। इस स्थिति का सामना करने में सरकार का खर्च बढ़ना अनिवार्य था। देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिये इस राज्य को नागरिक सुरक्षा के उपाय, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षा दल तथा विशेष पुलिस दल में भर्ती तथा और ऐसे ही अन्य उपाय करने पड़े।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन सभी योजनाओं के लिये काफी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हुई जिसके लिये अतिरिक्त साधन जुटाने पड़े। साथ ही यह भी जरूरी था कि देश की सुरक्षा के कारण आयोजना के व्यय में कोई कमी न हो क्यों कि देश की सुरक्षा नियोजित विकास पर ही निर्भर करती है। इस बढ़े हुये खर्चे को पूरा करने के लिये कर लगाने के विभिन्न उपाय अपनाने पड़े जिनमें - भू-राजस्व पर अधिभार (सरचार्ज) लगाना भी सम्मिलित है।

यद्यपि इस समय लड़ाई स्थगित है, परन्तु संकट काल की स्थिति अभी जारी है। संकट-काल की स्थिति तथा आयोजना के लिये जो व्यय अनिवार्य है, उनमें कोई कमी नहीं हो सकती। तथापि यह निर्णय किया गया है कि भू-राजस्व पर अधिभार (सर चार्ज) द्वितीय वर्ष से नहीं लगाया जायगा। फिर भी इस बात को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता कि हमारी वित्तीय जरूरतें अभी कायम हैं और आयोजना तथा सुरक्षा की योजनाओं को कार्यान्वित करने में वे बढ़ भी सकती हैं। इस निर्णय से निधि के साधनों तथा आवश्यकताओं के बीच का अन्तर बढ़ जाना लाजिमी है। इसलिये इन जरूरतों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त साधनों का सहारा लेना आवश्यक हो जायगा जिसके लिये इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को और त्याग करना पड़ेगा।

मैं आशा करती हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य उन उपायों का समर्थन करने में अपन पूरा सहयोग प्रदान करेंगे जो कि इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मेरा इस विषय में यह कहना है कि देर आयद दुरुस्त आयद। जब यह कानून लाया गया था तो हमने इस कानून का विरोध किया था। उस समय भी हमने कहा था कि जो यह कानून लगाया जा रहा है वह गलत तरीके से लगाया जा रहा है और मेरा यह निवेदन है कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी भी हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है। इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री उग्रसेन—

इस पर हमको कुछ कहने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय बिलकुल नहीं है। दूसरा काम सामने है।

श्री उग्रसेन—

प्रदेश में इस समय लाखों करोड़ों आदमी इस कर से परेशान थे....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपा कर बैठ जायं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३*

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

* २३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। वह यह है कि धारा १३१ के मुताबिक मैं यह मांग करता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है उसके लिये यह बतलाया गया है कि वह एक रिट की वजह से लाया गया है। तो हम आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि वह सम्बन्धित पत्र हमको दिये जायं। वह सब कागजात हमको मिलने चाहिये ताकि हम समझ सकें कि वाकई किस वजह से यह विधेयक आया है। जिस पर यह बेस्ड है वह पेपर हम चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब जजमेंट हो जाता है तो उसको सब जान लेते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

उस जजमेंट को सब नहीं जान पाते हैं। हमको नहीं मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जिस पर बेस्ड है अगर सरकार उन पत्रों को दे दे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं दे सकती तो यह कोई जरूरी नहीं है कि दिये ही जायं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मुझे भी यह निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं इस सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिये, तो जो विधान सभा की नियमावली है उसके अनुकूल ही तो आप व्यवस्था देंगे। इस विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि एक निर्णय के कारण इसको लाने की जरूरत पड़ी तो जब तक उसका ज्ञापन पत्र नहीं होगा तब तक यह आयेगा कैसे? हम लोगों को कैसे मालूम होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

किस रूल के मुताबिक आप कह रहे हैं? ज्ञापन देने का कोई ऐसा रूल नहीं है।

श्री उग्रसेन—

यह जो उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ है उसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है "किन्तु उच्च न्यायालय ने शाहनजफ ट्रस्ट (किंग्स साइड और क्वीन्स साइड) से सम्बद्ध एक रिट याचिका (writ petition) पर निर्णय देते समय यह मत व्यक्त किया कि चूंकि इन ट्रस्टों का प्रबन्ध सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त प्रबन्धकों के रूप में ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है, न कि हुसैनाबाद इन्डाउमेन्ट के ट्रस्टियों के रूप में, इसलिये १९६० के अधिनियम की धारा २ की उपधारा (२) के उपबन्ध शाहनजफ ट्रस्ट्स पर लागू नहीं होते। तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अधीन बनाई गई प्रशासन की योजना, जहां तक उसका सम्बन्ध शाहनजफ ट्रस्ट्स से है, अवैध घोषित कर दी गयी।"

उच्च न्यायालय द्वारा बताई गई न्यूनता को दूर करने के निमित्त उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० की धारा २ की उपधारा (२) को संशोधित करने और उसकी अन्य संगत

धाराओं में कतिपय आनुषांगिक संशोधन करने के उद्देश्य से अध्यादेश संख्या ४, १९६३ प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक का अभिप्राय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।"

तो यह विधेयक आधारित है हाई कोर्ट के एक फैसले पर और जब तक वह फैसला ज्ञापन के रूप में न प्राप्त हो जाय हम कैसे समझें कि किस आधार पर यह बिल लाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जजमेंट एक पब्लिक डाक्यूमेन्ट है, उसको यहां लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उग्रसेन—

आपका उत्तर यह है कि जब वह पब्लिक डाक्यूमेंन्ट है, और पूरे कोर्ट में खुले आम घोषणा माननीय न्यायाधीश करता है तब उसको यहां रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी प्रति सब को मिल सकती है। मेरा यह प्रश्न है कि जब यह पूरा विधेयक उच्च न्यायालय के महामहिम के फैसले पर आधारित है और प्रक्रिया नियमावली में ज्ञापन पत्र पाने का हमको हक है तब आप क्यों नहीं देंगे ? आज ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाउस को बन्द कर देंगे और चले जायेंगे, मैं उस दिन था नहीं।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस ऐक्ट का ताल्लुक है उसके पीछे कुछ थोड़ी-सी पुरानी तवारीख है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप दफा १३१ को पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको बोलने दीजिये और काशीनाथ जी आप बैठ जाइये।

श्री सैयद अली जहीर—

सन् १९३६ में एक मुस्लिम वक्फ ऐक्ट बना था जिसकी दफा २ में एक क्लाज था कि जितने औकाफ हैं मुसलमानों के उन पर यह ऐक्ट लागू होगा सिवाय उन औकाफ के शिड्यूल में जिनके नाम लिखे हुये हैं। और उसके साथ जो शिड्यूल दिया हुआ था उसमें ५ वक्फ लिखे हुये थे।

श्री उग्रसेन—

यह प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री जी व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं यह कह रहा हूं.....

श्री उग्रसेन—

आप व्यवस्था के प्रश्न पर ही बोलिये और विधेयक से सम्बन्धित पत्र मांगने की जो शक्ति नियम १३१ में हमें दी गयी है उसके अनुसार हमें ज्ञापन मिलना लाजिमी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको सुन तो लें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप मिनिस्टर साहब से क्यों पूछते हैं? आप स्वयं पढ़ कर उसको रूल आउट करें, उनसे आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

काशीनाथ जी आप विराजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं तो विराज रहा हूं, लेकिन प्वाइन्ट आफ आर्डर पर रूलिंग आप दीजिये। आप मिनिस्टर से उसके बारे में पूछ कर उनके हुकुम से रूलिंग नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई प्वाइंट आफ आर्डर उठेगा तब उसका जवाब गवर्नमेंट से नहीं सुना जायेगा, यह कहां का कायदा है?

श्री सैयद अली जहीर—

वही मैं अर्ज कर रहा था कि उसमें ५ औकाफ की फेहरिस्त दी गई है। उसको हमने ६० में तरमीम किया और तरमीम करके जो अल्फाज लिखे गये. . .

श्री उग्रसेन—

अली जहीर साहब फिर भी दूसरी बात कह रहे हैं और हमारी व्यवस्था का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

वह मंत्री नहीं हैं फिर भी जो जवाब वह दे रहे हैं वह मंत्री की हैसियत से आप उनको सुनना चाहते हैं, वह उनका उत्तर व्यवस्था के प्रश्न के बारे में नहीं है। वह गलत जवाब दे रहे हैं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइये। एक-एक साहब बोलिये।

श्री उग्रसेन—

आज अली जहीर साहब गवर्नमेंट के सदस्य नहीं हैं, फिर भी गलत जवाब दे रहे हैं। उनसे कहिये कि ठीक जवाब दें।

श्री सैयद अली जहीर—

तो उपाध्यक्ष महोदय, जो ऐक्ट बना उसमें यह अल्फाज लिखे गये :

"This Act shall also apply to the properties governed by the Husainabad Endowment Act of 1878 and to the properties administered by the Trustees appointed thereunder".

यह अल्फाज इसमें लिखे हुये हैं और इनके लिखे जाने पर. . . .

श्री उग्रसेन—

मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर का जवाब जहीर साहब बिलकुल नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके प्वाइन्ट आफ आर्डर का वह जवाब दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बिलकुल वही जवाब दे रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर—

जब तक मैं न चिल्लाऊं तब तक वह समझेंगे ही नहीं कि मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो जब वह अल्फाज लिखे गये तो उसके ऊपर रिट एप्लीकेशन फाइल हुई और उस रिट एप्लीकेशन में यह कहा गया कि—

"Husainabad Endowment Act of 1878"—"to the properties administered by the Trustees appointed thereunder."

के हिसाब से जो ट्रस्टी हुसैनाबाद ऐक्ट के मातहत जो प्रापरटीज के इन्तजाम करने के लिये होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। तो बहस यह अदालत में हुई कि कुछ प्रापरटीज, जैसा आपने देखा, वह ५ प्रापरटीज हैं, उनमें से एक प्रापरटी शाहनजफ ट्रस्ट (किंग्स साइड और क्वीन्स साइड) यह भी उसमें शामिल थे उसके मुताल्लिक यह बहस की गई कि उसका इन्तजाम अलग है और बहैसियत मैनेजर उसका इन्तजाम करते हैं और बहैसियत ट्रस्टी उसका इन्तजाम नहीं करते। लिहाजा यह प्रापरटी इस ऐक्ट से गवर्न नहीं होती, हालांकि हमारी मंशा थी कि जो शिड्यूल की ५ प्रापरटीज हैं वह कुल इस ऐक्ट के मातहत हैं। तो हाई कोर्ट ने इस राय को मंजूर नहीं किया और यह फैसला कर दिया कि यह प्रापरटीज चूंकि उसमें दिया है—

Trustees appointed thereunder.

तो सिर्फ ट्रस्टीज उसमें आते हैं और मैनेजर्स नहीं आते हैं। और चूंकि उसका मैनेजर था लिहाजा वह प्रापरटी इस ऐक्ट से गवर्न नहीं होती, हालांकि सन् १९०३ व सन् १९०२ से यह सारी प्रापरटी एक ही ट्रस्ट के मातहत, जो उस वक्त कायम हुई थी, आती थी।

दूसरी बात यह है कि शाहनजफ के मामले में एक ट्रस्टी जो एप्वाइन्ट हुआ कोई जी० ओ० या पहले का उसमें उसको मैनेजर कहते थे तो वहां उन्होंने भी उसको मैनेजर कह दिया था तो ट्रस्टी और मैनेजर दो चीज हैं, वह नहीं हो सकतीं। इसकी वजह से गड़बड़ पड़ गई और यह खयाल ठीक है कि अब दोनों को अगर-अलग कर देना पड़ेगा तो उसका नतीजा अलग-अलग होगा, हालांकि इनका इन्तजाम सन् ६० से होता चला आ रहा है। इसी वजह से हमें आर्डीनेंस पास करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हमारी मंशा है कि ५ प्रापरटीज जो शिड्यूल में दी हैं वह इस ऐक्ट में आती हैं। इसी को साफ करने के लिये यह आया है, इसमें उस जजमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है। जजमेंट पब्लिक प्रापरटी है, अखबारों में रिपोर्ट्स छपती हैं, जिसको चाहिये सर्टीफाइड कापी ले सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के पब्लिक डाक्यूमेन्ट को ऐक्ट के साथ शामिल करके पेश करे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

रूल १३१, रूल्स आफ प्रोसीजर को हमें पढ़ देने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा मतलब यह है कि जो पब्लिक डाकूमेन्ट्स हैं और जो ईजिली एवेलएबुल हैं, जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के पजेशन में नहीं हैं, उनका जिक्र भी है, तो उनकी सप्लाई की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है।

(व्यवधान)

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, आप को अधिकार है कि आप जो चाहें वह व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन आपसे यह आग्रह किया जा रहा है कि इस नियम में यह कहा गया है कि....

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

आप के कागजात जो हैं, उनको....

श्री रामायणराय—

श्रीमन्, १३१ की मंशा यह है कि कोई भी माननीय सदस्य किसी बिल से सम्बन्धित जो कागजात होंगे, उसमें एक एक्सेप्शन है कि केवल एक हालत में वह नहीं पेश करेंगे। अगर वह कोई सीक्रेट डाकूमेन्ट हो—

"Otherwise in all the cases in all the conditions, this will be the obligation of the Government."

आप देखें कि शैल अल्फाज लिखा हुआ है। आपकी मरजी पर है कि वह आप मानें। यह हमारा एक अधिकार है कि कोई भी माननीय सदस्य इस सदन का, बिल से आधारित कागजात को मांग सकता है। उसका यह अधिकार है। आपने शायद उसको पढ़ा नहीं है। शायद माननीय मंत्री जी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की है।

(व्यवधान)

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, आप ने जो व्यवस्था दी है, उसे शिरोधार्य करते हुए कि अगर पब्लिक डाकूमेन्ट है, तो उसके देने की आवश्यकता साथ में नहीं है। लेकिन जो नियम १३१ है, उसमें यह नहीं है। देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक सदस्य मांगे तब तो आपको उस पर विचार करना ही होगा। १३१ में यह प्रश्न नहीं है कि साथ में दिया गया या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि सदस्य के क्या अधिकार होंगे ? १३१ में है कि "विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।" इसलिये अगर वह गोपनीय नहीं है, तो वह सदन की मेज पर रख दिया जाय। मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर सदस्य ने मांग रख दी कि वह सदन की मेज पर कागज रखे जायें तो .....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस पर व्यवस्था नहीं हुई है। यह क्लैरिकल एडवाइस से इस सदन का काम नहीं चल सकता है। आप प्रोसीज्योर के खिलाफ कैसे व्यवस्था दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायें। रूल में प्रतिलिपियों के बारे में जो लिखा हुआ है, उसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट के पजेशन में हों, एक्सक्लूसिवली पजेशन में हों। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमान्, एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि पिछली बार आप विधान सभा को बन्द करके भाग गये थे, तो अब यह फिर सरकार के पैसे की बरबादी हो रही है और यह सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है।...

(व्यवधान)

श्री भगवानसहाय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री भगवानसहाय—

यह जो लिस्ट में आइटम दिये हुये हैं उनमें एक आइटम यह भी है कि जो आर्डीनेंसेज आये हैं उनके ऊपर हम असेम्बली की नियमावली के हिसाब से बहस चाहते हैं। और जो मुस्लिम वक्फ है इसके ऊपर भी बहस चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, उस दिन इस पर कोई बोला नहीं था, इसलिये खत्म हो गया है। क्योंकि अगर कोई चीज बहस के लिए रखी जाती है और उस पर बोलने के लिये कोई खड़ा नहीं होता है तो बहस खत्म हो जाती है, फिर उस पर बहस नहीं चलती है।

श्री उग्रसेन—

मैंने तो अननुमोदन का प्रस्ताव किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अननुमोदन का प्रस्ताव करने वाले ने पेश नहीं किया है लिहाजा वह समाप्त हो गया है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि जो डाकूमेन्ट सरकार के पास न हो....

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं कह रहा था कि जो जजमेंट सरकार के पास आया है उसका सरकार ने अध्ययन किया, मनन किया तब विधेयक को लाने की आवश्यकता समझी । यह उनके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है । उसी से प्रमाणित जजमेंट का मनन किया वह जजमेन्ट उनके पजेशन में है तो वे क्यों नहीं दे सकते हैं ? यह जो आपने व्यवस्था दी है वह अपनी जगह पर ठीक है लेकिन यहां पर लागू नहीं होती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं वह पब्लिक डाकूमेन्ट है, आप ले सकते हैं ।

श्री मैनेजरसिंह—

आपकी व्यवस्था को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता है । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि विधेयक के कारणों में सरकार ने इस बात को लिखा है कि हाई कोर्ट के निर्णय से हमें यह विधेयक लाने की जरूरत पड़ी है । हाईकोर्ट का जजमेन्ट सरकार के पास है । सरकार ने उसका मनन किया है तब इस विधेयक को पेश किया है । वह जजमेन्ट उनके पजेशन में है इसलिये यह नहीं कह सकते कि यह नहीं दिया जाएगा ।

श्री उग्रसेन—

यह अध्यादेश जो यहां पर आया है वह किस तारीख का है ? हम लोगों ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव दिया था वह कहां गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव जब पेश नहीं किया गया तो खत्म हो गया । किस डेट का है हमें खयाल नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह—

आपकी छत्रछाया में जब हाउस की व्यवस्था इस प्रकार की होगी तो किस प्रकार से हाउस चल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप बैठ जाइए ।

श्री मैनेजरसिंह—

आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप जाकर संगठन के कार्य करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराज जाइए ।

श्री सैयद अली जहीर —

यह उन कागजात पर बेस्ड नहीं है । जजमेंट चूंकि इसके खिलाफ है····(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है·····

श्री उपाध्यक्ष---

अब कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा। स्पीचों के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। क्या हो सकता है ?

श्री कमलासिंह यादव---

वह तो मैं बतलाऊंगा।

श्री मैनेजरसिंह---

पहले बात तो सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप से बार-बार अर्ज किया गया कि आप बैठ जाइये।

श्री कमलासिंह यादव---

माननीय अली जहीर साहब ने यह कहा था....

श्री उग्रसेन---

पहले अली जहीर साहब को बैठा दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव---

अली जहीर साहब ने यह कहा था कि हम अखबारों में पढ़ पर अपनी बातों को उनके आधार पर यहां नहीं कह सकते। इस प्रकार की रूलिंग भी है कि उनकी सूचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो माननीय अली जहीर साहब को गलत सूचना नहीं देनी चाहिये। समाचार पत्रों के आधार पर कोई बात कहना हाउस में उचित न होगा। मैं नहीं चाहता कि वह पूरा जजमेंन्ट दें। हमको उसके एक्सट्रैक्टस दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप उस रूलिंग के बारे में कह रहे हैं कि जो मैं दे चुका हूं। आप कृपा कर बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री सैयद अली जहीर---

मैं अर्ज कर रहा था कि उस फैसले की वजह से हमारा मकसद पूरा नहीं हो सका और उसके दूसरे माने लगा लिये गये। लिहाजा हमको यह ऐक्ट लाना पड़ा और मुझे उम्मीद है कि हाउस इस बिल को मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

उग्रसेन जी आप जल्दी समाप्त कर दें।

श्री उग्रसेन---

सब से पहला मेरा एतराज यह है कि हमारे बार-बार मांग करने पर भी नियम १३१ के अन्तर्गत विधेयक जिन कागजात पर आधारित था वह हमको नहीं दिये गये। इसके लिये मेरा सख्त एतराज है।

इसके बाद में अपना संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो।

[श्री उग्रसेन]

श्रीमन्, सरकार की जैसी हालत है, उसको हम से ज्यादा आप जानते हैं। सरकार कामराज योजना को कालराज योजना बना रही है। और इसे चेत और अचेत की कोई तमीज नहीं है। मैं तमीज शब्द को माननीय अलीजहीर साहब के लिये इस्तेमाल कर रहा हूं, वह न्याय मंत्री हैं। (व्यवधान) हां, ठीक है, थे और जब से वह न्याय मंत्री थे तब से उनके राज्य में न्याय की निरंतर हत्या होती रही है। सरकार के किसी कानून के विरुद्ध जब हाईकोर्ट में कोई रिट हुआ और उस कानून के विरुद्ध उन्होंने कुछ लिख दिया तो फौरन सरकार ने वह कानून ही बदल दिया। इस सरकार का एक कानून विभाग है जिसे यह पता नहीं कि शपथ पत्र कैसा दिया जाय? उस कानून विभाग को यह तमीज नहीं कि २९ की विज्ञप्ति को वापस कराया जाय या नहीं, जिस को यह तमीज नहीं कि १६ से सदन का सत्र हो गया, फिर १७ को अध्यादेश निकालना गैर कानूनी होगा। उस कानून विभाग को यह भी नहीं मालूम कि गुप्त जी ने जगह खाली नहीं की, श्रीमन्, कलकत्ता, बंबई में टुलेट का बोर्ड लटका रहता है कि मकान खाली है। यहां जगह खाली नहीं हुई और दूसरा निमंत्रण दे दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिल तक ही सीमित रहें। समय हो गया है।

श्री उग्रसेन—

समय हो रहा है लेकिन न्याय का समय समाप्त नहीं हुआ। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मुझे पूरा समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस ने इसके लिये आधा घंटा समय तय किया है। वह समय समाप्त हो चुका है लिहाजा मुझे प्रश्न उपस्थित करने दें।

श्री उग्रसेन—

यह तो साढ़े पांच तक चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस का प्रस्ताव है कि यह आधे घंटे में समाप्त होगा। फिर दूसरा काम है।

श्री उग्रसेन—

मैं तो ज्यादा कानून नहीं पढ़ा हूं, लेकिन यह जानता हूं कि भले ही ९९ गुनहगार छूट जायं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिये। आप तो एम० ए०, एल० एल० बी० हैं। तो जब न्यायाधीशों ने सरकार के कानून को पलट दिया तो सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं था चाहे वह कोई भी कानून हो। और इस कांग्रेस सरकार ने जो १६, १७ कानून बनाये हैं उन सबमें उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। यह सरकार बहुत बेहयायी तक चली गयी है। जब कभी कुछ हुआ, फौरन उसके लिये आर्डिनेंस निकाल दिया। मुझे तो अफसोस है कि इस चक्कर में सुचेता जी कैसे फंस गयीं?

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ।

श्री उग्रसेन—

मेरा भाषण अभी समाप्त नहीं हुआ। मैंने तो अभी भूमिका भी शुरू नहीं की। आप सुनिये तो।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप से अर्ज करूं .....(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह--

अब सुचेता जी पर भी अंकुश लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री उग्रसेन--

मेरी बात पूरी नहीं हुई । मेरे कहने का मतलब यह है....

श्री उपाध्यक्ष--

साढ़े पांच बज गये हैं। सदन का संकल्प था कि इसके लिये आधा घंटा दिया जायगा... (व्यवधान) .... अध्यक्ष किसी भी प्रक्रम पर प्रश्न उपस्थित कर सकता है..... (व्यवधान) ।

श्री उग्रसेन--

तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त कर दूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ...(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

मैं आपकी बात दोहरा रहा हूं । क्या आप नहीं चाहते कि उग्रसेन सदन के समक्ष अपना संशोधन रखे ? (व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय ५ बज कर ३१ मिनट हो गये हैं ....

श्री मैनेजरसिंह--

समय समाप्त हो गया है । अब आप इसको नहीं ले सकते । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आलरेडी रेजोल्यूशन हो चुका है हाउस का कि यह आध घंटे में पास किया जायगा । (व्यवधान)

कई सदस्य--

५ बजे कर ३२ मिनट हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर रेजोल्यूशन चाहते हों तो मैं पढ़कर सुनादूं । (व्यवधान)

माननीय मैनेजर सिंह, आप बैठ जाइए ।

श्री मैनेजरसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि साढ़े ५ बजे तक आपके कथन के अनुसार इस विधेयक को समाप्त करना था । वह समय समाप्त हो गया। अब कोई प्रस्ताव इस संबंध में साढ़े पांच बजे के बाद नहीं आ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्य-मंत्रणा समिति में था और ५ बजे तक पास होना था। इसलिए जो यहां पास हो गया है वह रहेगा।

श्री उग्रसेन—

यह पेश यहां नहीं हुआ, आप मुझे बोलने ही नहीं देते।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

२७ तारीख को जो कुछ हुआ वह भी देखा। ३० तारीख तक कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निश्चित था और आपने बैठक साइने डाई स्थगित कर दिया, तो कार्य-मंत्रणा समिति की क्या वकअत रह गयी ?

श्री उग्रसेन—

आपने उस दिन क्यों असेम्बली बन्द की ? हम पर पुलिस के डंडे बरसाये गये तब आपने बन्द नहीं की। समय किसने बरबाद किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कराया।

श्री उग्रसेन—

आप कुर्सी पर हमको बैठ जाने दीजिये तो हम समय का सदुपयोग करके दिखायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

कार्य-मंत्रणा समिति अभी तक कोई बैठी नहीं है जो कि कार्य निर्धारित कर सके कि हमारा कार्य-क्रम क्या होगा ? पिछली कार्य-मंत्रणा समिति ने ३० तारीख तक के लिये आपना कार्य निर्धारण किया था, यह हम लोगों की गलती नहीं है कि आपने सदन स्थगित कर दिया। अब आज आप कार्य-मंत्रणा समिति के प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बताया जाय कि यह प्रोग्राम कब कार्य-मंत्रणा समिति ने निर्धारित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो ५ तारीख को यहां का प्रपत्र प्रसारित किया गया है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है और मंत्रणा समिति ने जो अपना निश्चय किया था उसके बारे में यहां प्रस्ताव पास हुआ और उसी के मुताबिक इसमें सब लिखा हुआ है और इसके लिए आधा घंटा मुकर्रर है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उसकी कोई प्रति और कार्य-मंत्रणा का क्या प्रोग्राम था उसकी जानकारी हमें नहीं है और न हमें कोई ऐसा प्रपत्र भेजा गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

५ अक्तूबर को चला गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

हमें नहीं मिला है। हमें आगे का प्रोग्राम का कोई पता नहीं है और न यह मालूम है कि कौन-कौन छुट्टियां हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है, यह प्रोग्राम सभी लोगों को भेजा जा चुका है ।

कुछ सदस्य—

प्रोग्राम नहीं आया (शोर) ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत है, प्रोग्राम भेजा गया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, नियम २२७ को देखें उसमें है "सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा" तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये कोई प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ...

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आध घंटे का टाइम पहले ही निश्चित हो चुका है । वह समय समाप्त हो चुका है, अब उसे पेश किया जायेगा । (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

उसमें श्री अली जहीर के भाई भतीजे हैं...

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस का प्रस्ताव हो चुका है, आप बैठिए । उग्रसेन जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप काम चलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की कार्यवाही अब किस नियम के अनुसार चल रही है, क्योंकि साढ़े ५ बज चुके हैं और समन का समय बढ़ाया नहीं गया है ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि साढ़े पांच बजे के बाद अब किस नियम के अनुसार यह कार्यवाही चल रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा इसके लिये समय निर्धारित हो चुका है, इसमें और कोई सवाल नहीं उठ सका । इस तरह से शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है । आगे काम चलने दीजिये ।

*श्री शारदाभक्तसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप इसका अनुभव कर रहे होंगे कि बहुत से प्रश्न व्यवस्था के रूप में उठाये जा रहे हैं और हर प्रश्न पर विचार किये बगैर जल्दी हो जाय, जल्दी हो जाय, यह कोई बहुत अच्छी परिपाटी नहीं है । मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि जिस तरह से सदन का समय नष्ट हो रहा है और वातावरण बन रहा है वह इस प्रकार से नहीं संभल सकता है कि सदस्यों की भावनाओं और व्यवस्था के प्रश्नों का कोई समुचित उत्तर दिये बिना जल्दी की जाय । अभी कहा गया कि अध्यादेश पर भी प्रस्ताव हो गया । किसी सदस्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

को पता नहीं चला, किस तिथि में हो गया, हमको याद नहीं है। मैं समझता हूं कि आप हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हैं। यह किसी की इच्छा नहीं है कि अच्छा वातावरण न रहे लेकिन हम अपने अधिकारों को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम सदन की व्यवस्था को नहीं बिगाडना चाहते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों को केवल यह कह कर टाल दिया जाय कि जल्दी है हम मान जावें, इसके लिये भी हम तैयार नहीं हैं। जनता के प्रतिनिधि हम हैं और किसी भी विधेयक में जिसमें इतना घुटाला हो उस पर हम एक भी शब्द न कहें और सरकार को यह मौका दें कि उसे चुपके से पास कर दे इसे निबाहने में हम अपने को असमर्थ पा रहे हैं। जनता के प्रति हम अपने कर्त्तव्यों को भूल नहीं सकते। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे और अपने कर्त्तव्यों को निबाहने की बात को ध्यान में रखते हुये व्यवस्था दें। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात न हो जो भविष्य में हमारे लिये हानिकारक हो। सबेरे जो काण्ड हुआ है वह हमें बहुत अच्छा नहीं लगा और कल अखबारों में कितनी बदनामी होगी जो कुछ उधर से आवे हम उसे आंख मीच कर मान लें इसमें हम पार्टी नहीं बन सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यादेश का एक दिन रखा गया था। प्रस्ताव के प्रस्तावक को पुकारा गया। २६ तारीख को प्रस्ताव के बारे में अननुमोदन का प्रस्ताव आया था। वह लिस्ट पर था। मैंने पुकारा। किसी साहेब ने भी उसे पेश नहीं किया तो वह लैप्स हो गया। यह तो अध्यादेश के बारे में बात हुई।

दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था का प्रश्न रखा गया वह यह था कि इस विधेयक के लिये कार्यमंत्रणा समिति ने आधे घंटे का समय रखा। वह प्रस्ताव सदन में २५ तारीख को आया। वह सदन से पास हुआ और यह तय हुआ कि इस विधेयक के लिये आधा घंटे हो। वह आधा घंटा प्वाइन्ट आफ आर्डर्स में आपने खत्म कर लिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप अपने अधिकारों को इस प्रकार स्वयं ही खत्म कर लें तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री उग्रसेन—

जितने समय में आपने व्यवस्था दी उतने समय में तो मेरा भाषण भी समाप्त हो गया होता। व्यवस्था के प्रश्नों का समय आप किस कानून के अन्तर्गत विधेयक के समय में से काट रहे हैं? आप तो सदन के पुराने सदस्य रहे हैं। माननीय खेर साहब के जमाने में जब हम लोग बोलते थे और बीच में व्यवस्था या व्यवधान होता था तो हम कहते थे कि यह हमारे समय से निकाल दिया जाय और वह हमारे समय में नहीं जोड़ा जाता था। यह अब नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। मैंने सब बातों का शान्तिपूर्वक जवाब दिया है। अब शान्ति से काम चलने दीजिये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जब यह समाचार 'नैशनल हैरल्ड' में छपा कि हमारी बैठक इस तरह से होगी तो उसमें यह दिया हुआ है कि डिसएप्रूवल आफ दी आर्डिनेन्स।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रोग्राम तो जो हमारे यहां से गया है वही माना जायगा। (प्रोग्राम दिखाते हुए) यह प्रोग्राम हमारे यहां से गया है।

श्री उग्रसेन—

यह चौधरी की चौपाल है या सदन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपने कर रखा है ।

श्री उग्रसेन—

यह हजूरवाला की कृपा से हुआ है ।

*श्री रामायणराय—

आपने सदन को अवगत कराया है कि अमुक तिथि को कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के लिए इतना समय निश्चित किया था । मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस समय कार्य मंत्रणा समिति ने इस विधेयक के समय का फैसला किया था उस समय परिस्थिति यह थी कि आग्रह किया जा रहा था कि बाढ़ आ रही है उस विशेष परिस्थिति में कार्य मंत्रणा समिति ने ३० तारीख तक का प्रोग्राम बनाया । वह नहीं चल पाया । आपने २७ तारीख को सदन अचानक स्थगित कर दिया । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस अचानक फैसले का आज आप हवाला देकर उसके माध्यम से सदन के इस अधिकार को कैसे छीन रहे हैं । मैं स्वयं उस कमेटी में मौजूद था । उस समय एक तर्क प्रस्तुत किया गया कि बाढ़ आई हुई है सेवा करने के लिये चालिये । हमने कहा कि जरूर हम सब लोगों को सेवा के लिये चलना चाहिये । लेकिन आज आप कार्य मंत्रणा समिति के उस फैसले के सहारे जिसे आपने स्वयं तोड़ा, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं, इस विधेयक को समाप्त कर रहे हैं । हमने फैसला किया था कि ३० तारीख को हम बाढ़ पर डिबेट करेंगे मगर २७ को अचानक सदन स्थगित कर दिया गया । आज उस फैसले का बहाना लेकर यह कहा जा रहा है कि अमुक समय तक इस बिल को पास करेंगे । अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी गलतियों को हमेशा शिरोधार्य करें तो आपके लिये भी यह अनिवार्य हो जाता है कि जो भी फैसला हो आप उसे ठीक ढंग से इम्पलीमेंट करने में हमारी मदद करें । कार्य मंत्रणा समिति किन परिस्थितियों में सदन का कार्य किया जाने वाला है उनको देखकर फैसला करती है । वे सारी परिस्थितियां चली गई । आज बाढ़ की स्थिति नहीं है । मैं नहीं समझ पाता हूं कि आप इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं । अगर माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इस विधेयक पर विचार व्यक्त करें तो आपको इस प्रजातंत्रिक संस्था के अध्यक्ष के नाते यह अधिकार उन्हें देना चाहिये ।

*श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

कार्य मंत्रणा समिति ने नियम २२७ के अनुसार यह निश्चय किया कि इस विधेयक के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा ।

अब प्रश्न यह है कि आज इसके लिये समय नहीं मिला या कम मिला । यह निश्चय तो हाउस का था । नियम २२७ के अन्तर्गत माननीय रामायण राय जी अगर उस समय को अपर्याप्त समझते थे तो उनको एक प्रस्ताव ले आना चाहिए था या माननीय नेता विरोधीदल की तरफ से प्रस्ताव आ जाता कि इस बिल के लिये आधा घंटे के बजाय इतना समय रख दिया जाय । सदन को स्थगित करने से कोई काम नहीं चलता । तो कोई भी साहब आध घंटे के बजाय १ घंटे का प्रस्ताव ले आते और कार्य सदन की मान मर्यादा के अनुसार चलता । जब तक ऐसा कोई संशोधन न हो जाय जब तक जो प्रस्ताव सदन के सामने मौजूद है उसी के अनुसार कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बनारसीदास]

होगी। माननीय उग्रसेन जी इस नियमावली के विरुद्ध बोलते हैं और कहते हैं कि उनको बोलने के लिये समय नहीं दिया जा रहा है।

(इस समय ५ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय उग्रसेन जी सदन के अधिकारों के संरक्षक अपने आपको बताते हैं और कहते हैं कि सदन का समय व्यर्थ बरबाद न किया जाय, लेकिन जब बीच-बीच में व्यवधान होगा तो मुख्य कार्य के लिए तो समय कम रह ही जायगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप समझते हैं कि इस विषय पर कुछ और समय आपको चाहिये तो वैसा प्रस्ताव आप सदन के सामने ले आइये कि कितना समय और चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसी दास जी ने जो नियम २२७ की बात फरमायी, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार हैं--

'२२७--समय का बटवारा--(१) सदन को सूचित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा।'

तो यह तो स्पीकर महोदय के अधिकार की बात है कि वे किसी आदमी को इस कार्य के लिये मुकर्रर करें। पहले इस प्रकार का प्रस्ताव हुआ था, लेकिन उस समय हाउस ए डजर्न कर दिया गया। स्पीकर साहब अब आपको भी इसका अधिकार दे सकते थे।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बतायें कि क्या चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

एलोकेशन आफ टाइम के बारे में झगड़ा है। सदन का समय ३ घंटे के लिये बढ़ा दिया गया है और कहा गया है कि कार्य-मंत्रणा समिति के निश्चय के अनुसार ऐसा किया गया है। जो विधेयक वक्फ वाला है उस पर माननीय उग्रसेन जी का संशोधन था, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने उनको बोलने नहीं दिया। कह दिया कि उसको आप पेश नहीं कर सकते, समय समाप्त हो गया। अब समझ में नहीं आता कि कार्यवाही किस प्रकार से चल रही है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मैं आपको सारी बातें बता दूं। मैंने अपना संशोधन पेश किया था, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि आध घंटे का समय हो गया और अब विधेयक पर कोई बहस न होगी। हमारा यह कहना है कि आप हमें समय दें ताकि हम अपना मत सदन के सामने रख सकें।

श्री अध्यक्ष--

आप पांच मिनट में समाप्त कर दें, बाद को मैं उसको पुट कर दूंगा।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तुत विधेयक है, इसको माननीय अली जहीर साहब ने पेश किया है।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह सदन बिना प्रस्ताव किये साढ़े पांच बजे के बाद नहीं चल सकता। अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि हम लोगों ने तय कर लिया था कि ६ बजे तक बैठेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

ठीक है आधा घंटा समय की बात थी, लेकिन सदन की ओर से इस बारे में जो प्रस्ताव आना चाहिये था वह नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उसमें यह है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने अपना एक कार्यक्रम बनाया, उसके अनुसार साढ़े ६ बजे तक का समय है। तो चलने दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरी बात आप समझ लें। आज के दिन के लिये साढ़े ५ बजे तक का कार्य निर्धारित था।

श्री अध्यक्ष—

नहीं-नहीं, साढ़े ५ बजे तक का नहीं था, बल्कि यह था कि वह विधेयक जो पहले से चल रहा था वह खत्म होगा, उसके बाद १ घंटा इन दो विधेयकों के लिये होगा। तो अब साढ़े ६ बजे तक कार्य होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इस सदन का समय तो साढ़े ५ बजे तक के लिये ही है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णय के अनुरूप साढ़े ६ बजे तक का समय है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, आप कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति कई बार कह रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने तो केवल ३० तारीख तक के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया था। उस अवधि में किसी दिन यह विधेयक लिया जाता तो उसके लिये आधा घंटा का समय निश्चित था, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब ने २७ तारीख को अनिश्चित काल के लिये सदन को समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में जब दूसरी बार सदन आया तो न तो कार्यमंत्रणा समिति ही बैठी और न उसकी कोई राय ही ली गयी। इस तरह से कार्य मंत्रणा समिति की राय का तो कोई सवाल ही नहीं है, केवल आपकी राय की बात है। तो उस राय के लिये मैं आपसे अपील करता हूं कि जब आध घंटे का समय व्यतीत हो गया तो उसके बाद कोई प्रस्ताव निश्चित रूप से नहीं आया जैसा कि आप परम्परागत पहले से करते आये हैं। नियमानुसार भी सदन का समय आधा घंटा के लिये बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, उसके बाद समय के अभाव में यह कार्य अब नहीं चल सकता। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है, वह केवल इस कारण से कि सदन का उपवेशन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उसका जो निश्चय था वह व्यपगत हो गया, ऐसा नहीं है। वह निश्चय हमारे ऊपर लागू है और लागू रहेगा। आदरणीय सदन ने भी उस निश्चय को स्वीकार कर लिया था तो यह तो हमारा निश्चय है। चूंकि कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया है, उसके भी हम कुछ पाबन्द हैं। मेरा निवेदन है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हो चुका है कि इतना समय इसमें लगना चाहिये, तो साढ़े ६ बजे तक इसको समाप्त कर दिया जाय। इसके बाद बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक आयेगा।

जो प्रश्न उठाया गया है उस पर विवाद हो चुका है, अब उस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री भगवानसहाय—

तो श्रीमन्, आयन्दा के लिये क्या हम यह समझ लें कि कार्य मंत्रणा समिति की जो भी सिफारिशें हैं वे हाउस के ऊपर बाइंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति का यह कायदा है कि जो कुछ भी वह निर्णय करती है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है, फिर यदि सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो वह हमारे ऊपर बाइंडिंग हो जाता है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। कार्य मंत्रणा समिति ने क्या यह भी निश्चय किया था कि साढ़े ५ बजे के बाद इतना समय लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—

जी हां।

श्री कमलासिंह यादव—

हमें तो मालूम नहीं है, जरा इसको दिखला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब श्री उग्रसेन जी बोलेंगे।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि "उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो।"

इस सम्बन्ध में दो तीन बातें मैं निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हुसेनाबाद इनडाउमेंट ट्रस्ट ऐक्ट तथा इस प्रस्तुत विधेयक के अन्तर्गत जो ट्रस्टी बनाये गये हैं, उनकी शाहनजफ आदि की लखनऊ में जो सम्पत्ति है वह कुछ ट्रस्टियों द्वारा शासित होती हैं। एक ट्रस्टी ने इससे दुखी होकर हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि वह ट्रस्टी नहीं माने जावेंगे और उन के द्वारा ट्रस्ट का शासित होना वैधानिक नहीं है। अब इस पर सरकार ने मजबूर हो कर ला विभाग से राय लेकर यह किया है। वह मैं बता चुका हूं कि यह कानून विभाग कितना निकम्मा है, उसी ने राय दी है कि फिर संशोधन ले आओ कि जितनी सम्पत्ति उनके द्वारा शासित होती थी वह शासित बनी रहेगी। इस सम्बन्ध में हमारी एक जानकारी है कि यह ट्रस्ट एक भूतपूर्व मन्त्री के घर का घरोंदा है। वह चाहते हैं कि

उन्हीं के नाना, मामा, फूफा वहां बने रहें। वह चाहते हैं कि यहां के राजाओं की जितनी सम्पत्ति है वह उन्हीं के हाथों में, बनी रहे वह नहीं चाहते कि वह किसी दूसरे पर जाय। तरह-तरह की सम्पत्तियां हैं उनके अलग-अलग ट्रस्टी बनते, अलग-अलग इन्तजाम होता तो अच्छा होता लेकिन यह तो कुनबापरस्ती चल रही है। अच्छा होता कि अनाथों के लिये मकतबों के लिये कुछ इंतजाम होता, उन की मदद होती लेकिन वह सब खत्म है। यह केवल एक कुनबे की चीज हो गई है और उसी कुनबे की जायदाद बनाने के लिये यह बिल यहां लाया गया है। न्यायाधीशों का जो फैसला हुआ है उसको ठीक करने के लिये, आप को तो स्वयं कानून की जानकारी है, मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से कोई कानून बनाया भी जाय तो भी वह लागू नहीं होगा। रेंट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन ऐक्ट के विषय में जस्टिस धवन ने व्यवस्था दी और आप पढ़े होंगे कि जब उनकी व्यवस्था हुई तो कमियां दूसरे कानून के लाकर पूरी की जाती हैं। हम चाहते हैं कि इस ट्रस्ट में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय और इसके इंतजामकारों में बहुत खामी है। प्रवर समिति में जाकर कुछ सुधार हो जाता लेकिन उस से भी इस विधेयक को महरूम कर दिया गया है। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि सदन इसको स्वीकार न करे और प्रवर समिति में इसको भेजे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक खंड १—८

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० को संशोधित करने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६०

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इस अधिनियम की धारा १, ७ और ८ तुरन्त प्रचलित होंगी और धारा २ से ६ तक, ३ सितम्बर, १९६० से प्रचलित हुई समझी जायगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६०की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२) यह अधिनियम ऐसे निबन्धों (endowment) पर, जो अब तक हुसेनाबाद इन्डाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित होते थे, ऐसे न्यासों

(ट्रस्ट्स) पर, जिन्हें शाहनजफ ट्रस्ट की किंग्स साइड और क्वीन्स साइड कहा जाता है, ऐसे वक्फों पर जिन्हें वक्फ अब्बू साहब, रौजा काजमैन वक्फ और वक्फ वजीर बेगम, लखनऊ कहा जाता है और किसी ऐसे अन्य निबन्ध, न्यास या वक्फ पर, जो अब तक उक्त हुसेनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होते थे, भी लागू होगा, और ये सभी निबन्ध, न्यास (ट्रस्ट) तथा वक्फ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये वक्फ समझे जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त निबन्ध, न्यास और वक्फ पर इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कोई अनुकूलन (चाहे वे परिष्कार के रूप में हों या परिवर्द्धन, अथवा लोप के रूप में) करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझे, और जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के मूलतत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (५) में—

(१) शब्द "या निबन्ध (edowment)" निकाल दिये जायें; और

(२) शब्द "ऐसे किसी निबन्ध" के स्थान पर शब्द "वक्फ" रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा ३ का संशोधन ऐक्ट सं० १५, १८७८

४—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा कामा "उन संपत्तियों पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण, जो अब तक हुसेनाबाद इंडाउमेंट ऐक्ट, १८७८ के अधीन शासित होती थी या तदधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित होती थी" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास पर नियन्त्रण तथा अधीक्षण" रख दिये जायें।

धारा १९ का संशोधन ऐक्ट संख्या १५, १८७८

५—मूल अधिनियम की धारा १९ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "या निबन्धों" निकाल दिये जायें; और

(२) उपधारा (२) के खंड (च) में शब्द "अब तक हुसेनाबाद इंडाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित वक्फों और उक्त ऐक्ट के अधीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित सम्पत्तियों से भिन्न वक्फों और वक्फ संपत्तियों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास से भिन्न वक्फ" रख दिये जायें।

धारा ४७ का संशोधन ऐक्ट संख्या १५ १८७८

६—मूल अधिनियम की धारा ४७ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उन संपत्तियों से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी जो अब तक हुसेनाबाद इंडाउमेन्ट ऐक्ट, १८७८ द्वारा शासित होती थी या जिनका प्रशासन तद्धीन नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा होता था," के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा २ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट वक्फ, निबन्ध और न्यास से सम्बद्ध प्रशासन की योजना निश्चित करेगी" रख दिये जायें ; और

(२) उपधारा (२) में शब्द "संपत्तियों" के स्थान पर शब्द "वक्फों, निबन्धों और न्यासों" रख दिये जायें।

७—धारा २ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन किये गये मूल अधिनियम के उपबन्धों के कोई अनुकूलन अथवा उक्त अधिनियम की धारा ४७ के अधीन निश्चित प्रशासन की कोई योजना अथवा तद्धीन की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन किये गये अनुकूलन, निश्चित योजना या की गई कार्यवाही समझी जायगी, भल ही किसी न्यायालय के निर्णय, आज्ञा या डिगरी में कोई बात दी हो। अनुकूलनों और योजनाओं के निश्चय आदि का अपवाद

८—(१) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम १४ अगस्त, १९६३ को प्रारम्भ हो गया था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६३ का निरसन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ से ८ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(न्याय मन्त्री को पुकारने पर)

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश....

अनेक सदस्य—

आप न्याय मन्त्री जी को न बुलायें, श्री अली जहीर को बुलायें।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो न्याय मन्त्री जी को ही बुलाऊंगा, यह दूसरी बात है कि वह किसी और को सुपुर्द कर दें।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन—

मैं श्रीमन्, इसका घनघोर विरोध करता हूं। विरोध का मेरे कारण यह हैं कि मन्त्री जी को या जिन्होंने इसे पेश किया है इस के साथ ज्ञापन लगाना चाहिये था। हुसेनाबाद की सभी सम्पत्तियों का उन के खर्च का ज्ञापन इसमें लगाना चाहिये था। अगर निकाल कर उसको अलग-अलग किया जाय तो उसमें कितनी सहूलियत होगी मन्त्री जी ने अपने भाषण में न तो द्वितीय और न तृतीय वाचन में बताया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं अब भी उनके पास समय है हमको बतायें कि क्यों हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध उनके विभाग ने राय दी कि इस किस्म का विधेयक लाया जाय। क्योंकि जब तक स्पष्टीकरण न करें तब तक सदन में सहज कानून बनाने के लिये हमारे पास कोई मसाला नहीं है। अतः मैं सदन से निवेदन करुंगा कि वह इस विधेयक को गिरा दे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, अल्लाह ताला की जितनी प्रापर्टी है उसको नेशनल डिफेंस फंड में दे दिया जाय तो कानून बनाने का झंझट ही खत्म हो जायगा। हर जिले में मुसलमान लोग खा पी रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

आपकी शोभा इसी में है कि जो हमारे नियम हैं उनका पालन हो। आपको इस समय बोलना नहीं चाहिये।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--८१

विपक्ष में--४४।)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३

श्री अध्यक्ष--

अब आपके सामने उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ है। इसको आज आप लेना चाहेंगे या कल ?

श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)--

अब चूंकि माननीय उग्रसेन जी नहीं चाहते इसलिये उचित होगा कल ले लिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, हम तो बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष--

सदन की सामान्य अधिक राय यही है कि इसको कल लिया जाय।

श्री उग्रसेन--

हम तो चाहते हैं कि असेम्बली १२ बजे रात तक चले।

कुछ सदस्य--

श्रीमन्, यह कल ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह हाउस की सेन्स है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३ आज न लिया जाय बल्कि कल लिया जाय।

जिला बुलन्दशहर के ऊंचा गांव विकास क्षेत्र को ड्योढ़ा विकास क्षेत्र बनाये जाने के संबंध में नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बहुत ही इम्पार्टेन्ट विषय को, जिसमें ऊंचा गांव विकास क्षेत्र के रहने वालों की खुशहाली का और बहबूदी का सवाल होता है, नियम ५० (१) के अन्तर्गत स्वीकार किया।

मान्यवर, यह विकास क्षेत्र जिला बुलन्दशहर में सबसे पुराना और सब से विशाल विकास क्षेत्र है। इसमें १०३ ग्राम सभायें थीं, ११ न्याय पंचायत और ११७ गांव थे। इसकी जन-संख्या भी १ लाख से अधिक थी। सन् १९५१ की जन गणना के अनुसार और सन् १९६१ की जन गणना के अनुसार जहां तक अन्दाजा किया जाता है इसकी जन संख्या लगभग १ लाख २० हजार के करीब हो गयी। यह एक बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र में वाक़ै है और इसी वजह से सरकार ने यह उचित समझा कि सब से पहले इस इलाके को एक विकास क्षेत्र बनाया जाय। इस कारण यह सब से पुराना विकास क्षेत्र है। इसके अन्दर विकास क्षेत्र बनने से पहले एक इंच भी सड़क नहीं थी, लेकिन बड़े दुख की बात है....

श्री अध्यक्ष—

जो खास बात हो और जो समझ में आ जाये उसको ही बताने का कष्ट करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैंने अर्ज किया....

श्री अध्यक्ष—

यह नियम ५० (१) के अन्तर्गत है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बड़े दुख की बात है कि वहां शुरू से ही विकास क्षेत्र समिति ने और दूसरे लोगों ने इस सिलसिले में कोशिश की कि इसको ड्योढ़ा बनाया जाय, लेकिन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई जो कि इसका हक था। यह बड़ा अन्याय है, बड़ा जुल्म है कि इस विकास क्षेत्र को, जो कि जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है उसको ड्योड़ा नहीं बनाया गया बल्कि उसके बाद ही एक और विकास क्षेत्र को, जो क्षेत्रफल में भी, आबादी में भी छोटा है उसको ड्योढ़ा बनाया गया जिससे ऊंचा गांव के रहने वालों का सरकार पर से विश्वास उठ गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह गल्ती किस की है? ये डिपार्टमेंट किस तरीके से इस प्रदेश का विकास कर सकते हैं जिसकी आंख में धूल हो। मान्यवर, मैं आपको यह बता दूं कि जहां तक मुझे पता चला है कि जब सरकार पंचवर्षीय योजना बना रही थी उस समय केन्द्रीय सरकार का जी०ओ० आया, इन्स्ट्रक्शन्स आयी थीं कि उन विकास क्षेत्रों को जो कि प्रदेश में १ लाख या उससे अधिक जन संख्या वाले हैं ड्योढ़ा ब्लाक विकास क्षेत्र का अवसर प्रदान कर दिया जाय। यह विकास क्षेत्र १ लाख से कई हजार अधिक जन संख्या रखता है उसके मुताल्लिक नहीं सोचा गया था। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो जवाब दिया गया वह मैं आपको पढ़ कर सुना दूं।

"विकास क्षेत्र समिति, ऊंचा गांव ने सरकार से दो मरतबा उसे ड्योढ़ा स्तर विकास खंड बनाने के लिये मांग की थी। फिर इन दोनों प्रस्तावों को जिला नियोजन अधिकारी ने नवम्बर, ६२ में शासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

को भेजा लेकिन उन प्रस्तावों को नहीं माना गया।" तो जिला नियोजन अधिकारी शासन का अंश है या नहीं, मेरा ख्याल है जरूर है। शासन ने उत्तर दिया कि शासन को यह मांग तब प्राप्त हुई जब विकास क्षेत्रों की सीमा पर अर्थात् डिलिमिटेशन के प्रश्न पर निर्णय हो चुका।

श्री अध्यक्ष--

आपने सवालात किये और उनका जवाब आपको मिला नियम ५० के अन्तर्गत और आप उनसे संतुष्ट नहीं हुये तो आप अब यह बतला दीजिये कि वे बातें क्या-क्या हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैं वही अर्ज कर रहा हूं। कितने विकास क्षेत्र ऐसे हैं जो कि ड्योढ़े विकास क्षेत्र हैं और उन्होंने इस तरह के प्रस्ताव किये हैं। कहीं भी इस तरह के प्रस्ताव नहीं हुये। हमने तो प्रस्ताव भी किये, लेकिन बावजूद इसके उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

आप यकीन कीजिये, इस विभाग को यह तक पता नहीं कि वहां कितने गांव हैं, कितनी न्याय पंचायतें हैं और कितनी जनसंख्या है। हमको साफ जवाब दे दिया गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि हम तो सन् ६२ में नवम्बर में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भेज चुके थे, लेकिन डिलिमिटेशन कब किया गया? डिलिमिटेशन २० सितम्बर को किया गया एक नोटिफिकेशन के जरिये"

"In exercise of the powers conferred under section 3 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 (U. P. Act no. XXXIII of 1961) and in partial modification of the Notification no. 3933—A/IX—A—26—R—61, dated January 1, 1962, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to order that the area of the Jadol Nyaya Panchayat Circle be excluded from the Uchagaon Khand in Bulandshahar District and be included in the Jahangirabad Khand in the same district."

इस तरह से जख्मों पर नमक छिड़का गया और हमारी एक न्याय पंचायत को उस सर्किल से काट दिया गया। यह इसलिये किया गया कि उनको इस विकास खंड की पापुलेशन १ लाख से कम गिनानी थी। इसलिये उन्होंने १२ गांव काट कर दिये जिससे जनसंख्या वहां की ९९०२१ रह गयी। इसके बरक्स सिकन्दराबाद विकास खंड जिसकी आबादी ६० हजार या ६१ हजार है को ड्योढ़ा ब्लाक का स्तर प्रदान किया गया, तो क्यों किया गया?

जिले के अन्दर जो रिपोर्ट्स मंगायी गयी है अगर उनको देखा जाय तो पता चल जायगा कि इस विकास क्षेत्र के साथ बड़ी हकतल्फी हुई है और सरासर नाइंसाफी हुई है। वहां के १ लाख २० हजार व्यक्तियों के साथ जुल्म हुआ है और उनकी खुशहाली और बहबूदी में रोड़ा अटकाया गया है। मैं यह आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस पर विचार करके सही उत्तर देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस संबंध में जो महानुभाव जवाब दें उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ऊंचा गांव उस जिले में है जो माननीय बनारसी दास का जिला है। वहां जिसको ड्योढ़ा करवाना होता है माननीय बनारसीदास के यहां दरख्वास्त देता है वे करवा देते हैं। उस जिले में जितने विकास खंडों को अब तक ड्योढ़ा प्रदान किया गया है उसकी टेक्निकल जांच करा ली जाय।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुमताज साहब ने जो ऊंचा गांव ब्लाक को डेढ़ ब्लाक न करने के संबंध में विवाद शुरू किया है उसमें मैं आरम्भ में इतना निवेदन कर दूं कि सन् १९६० में जब इस ब्लाक का संगठन हम कर रहे थे तो उस वक्त जिला नियोजन अधिकारी ने सूची भेजी थी

और हमारे प्लानिंग रिसर्च ऐंड ऐक्शन इंस्टीट्यूट में जो ब्लाकों का संगठन हुआ था तो यहां से एक लिस्ट अप्रूव हो कर गयी थी। मुझे अफसोस है कि किन्हीं कारणों से जिला स्तर पर पंचायत अदालतों के संगठन से जो ब्लाक बने थे वह वहां पर कार्यान्वित नहीं किये गये। ब्लाक जो पहले बने थे उसमें जहांगीराबाद ब्लाक, ऊंचा गांव ब्लाक, अनूपशहर ब्लाक थे। मैंने तीन ब्लाकों का नाम इसलिये लिया कि जैसा यहां से अप्रूव हो कर गया था पहले ऊंचा गांव ब्लाक में ८ अदालती पंचायतें थीं लेकिन पता नहीं किस अधिकारी को गलती से उसका पता हम लगायेंगे, कनोना, नरसेना और जदोल, ये तीन पंचायतें जो जहांगीराबाद ब्लाक में रखी थीं और यहां से एप्रूव्ड भी थीं वहां से हटा कर ऊंचा गांव ब्लाक में रख दिया और चौथी एक अदालत पंचायत खोली जो कि जहांगीराबाद ब्लाक में थी उसको भी वहां से काट कर अनूपशहर में फर दिया। इस वजह से ८ के बजाय ऊंचा गांव ब्लाक में ११ अदालती पंचायतें हो गयीं और जहांगीराबाद केवल ती अदालत पंचायतों का ब्लाक रह गया। जब आपने क्वेश्चन किया और सही बात भी है तब यह बात सामने आयी और हमारे अधिकारियों ने भी इस पर विचार किया और उसके बाद हमने इस प्रश्न को वहां के जिलाधीश को लिखा कि यह त्रुटि कैसे रह गयी और किन कारणों से ऊंचागांव ड्योढ़ा ब्लाक नहीं बनाया जा सका।

इस संबंध में एक निवेदन और करूंगा। आपने कहा था कि सिकन्दराबाद ब्लाक ड्योढ़ा ब्लाक हो गया। आदेश यह था कि म्युनिसिपल आबादी जब बीच में पड़ जायगी तो वह आबादी छांट कर के हिसाब लगाया जायगा। बुलंदशहर में हिसाब यह था कि १८० प्रति वर्गमील अगर आबादी है तो उसमें ३५ हजार पर भी ब्लाक बन सकता है और १८१ से ३०० तक है तो ५० हजार पर बनेगा, ३०१ से ६८० तक है तो ७५ हजार पर बनेगा और ६८१ से ऊपर की आबादी है तो ७५ हजार पर बनेगा। उत्तर प्रदेश में ८७५ खंड समितियां स्थापित की गयीं। भारत सरकार ने ८९९ यूनिट उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृत किये हैं। जिसमें ८७५ खंड समितियों में ८९८ यूनिट निहित कर दिये गये हैं। ऊंचा गांव जिसको आप कहते हैं कि उसमें हमने अभी ये आदेश दे दिये हैं कि जदोल को निकालकर ऊंचा गांव से मिलाकर जहांगीराबाद ब्लाक में कर दिया जाय। यह २० सितम्बर, १९६३ का आदेश है। जो प्रस्ताव आप पढ़ रहे थे क्षेत्र समिति का जब आया तो उसमें मिला दिया गया। लेकिन अब भी तीन पंचायतें हैं और जदोल को निकाल देने के बाद लगभग ९९ हजार की आबादी। आपके प्रश्न के संबंध में उत्तर सही था। डेढ़ साइज ब्लाक बनाना कोई ऐसा आसान नहीं है कि जब चाहे कर दें बल्कि इसका निश्चित मापदंड है। आबादी इसका मापदंड है कि एक लाख से अधिक होनी चाहिये और कुछ ऐसा एरिया होना चाहिये जो प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से ऐसा हो जो दूसरे क्षेत्र से न मिलाया जा सकता हो। तो इन विशेष परिस्थितियां में हम उसको डेढ़ ब्लाक कर देते हैं। हमने निवेदन किया कि हमने ८ के लिये स्वीकृति दी थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने उसको नहीं किया। उसकी जांच के लिये शासन से आदेश जा चुके हैं। किस अधिकारी ने इस आदेश को नहीं माना, यह सारी बात जब सरकार के सामने आयगी तो सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

श्री उग्रसेन—

इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा?

श्री बंशीधर पांडेय—

अब कोई शैडो ब्लाक तो नहीं रह गये हैं। अब सारा बजट किसी न किसी ब्लाक में रहता है जैसा कि १२ लाख का हमारा पैटर्न है। ८ के लिये हमने स्वीकृति दी थी लेकिन ११ के लिये अधिकारियों ने किया यह सही है। सरकार इस पर विचार करेगी और मैं आपको बताऊं कि जब जांच शुरू की गई तो हैडक्लार्क या क्लार्क इस्तीफा देकर हट गया। लेकिन इसके बावजूद डेवलपमेंट कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा है कि यह काफी नहीं है और वे कौन अधि-

[श्री बंशीधर पांडेय]

कारी हैं जो इसके लिये जिम्मेदार थे। तो यह सारी कार्यवाही होगी और अगर आवश्यक होगा तो क्षतिपूर्ति की बात पर सरकार विचार करेगी और ब्लाक का जो नुकसान हुआ है उस पर भी सरकार विचार करेगी और इस समय मुमकिन नहीं है कि इसको डेढ़ साइज ब्लाक कर दिया जाय।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आधार डेढ़ ब्लाक बनाने का है उसके अनुसार जो नहीं बनाये गये उनका क्या होगा? आबादी के लिहाज से या क्षेत्रफल के लिहाज से, जिनमें आज भी १०५, ९०, १२६ गांव सभायें हैं और भौगोलिक दृष्टि से भी एक उनमें डेढ़ साइज ब्लाक बनना चाहिये। मैं उदाहरण के लिये बलिया की चर्चा करना चाहता हूं। एक विकास खंड सियरा है वहां पर ११० गांव सभायें हैं और १ लाख १९ हजार की आबादी है.....

श्री अध्यक्ष—

आप व्यापक सिद्धांत का प्रश्न कर लीजिये।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, वही कर रहा हूं। एक नगरा ब्लाक है जहां ९० गांव सभायें हैं और वहां एक लाख ३० हजार की आबादी है। दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से में मुरलीछिपरा विकासखंड में २६ गांव-सभायें हैं, बेरिया विकास खंड में ३४ गांव सभायें हैं और बिलहरी विकास खंड में ३६ गांव सभायें हैं। तो इस तरह से विकास खंडों में भिन्नता है.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछिये।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, इस प्रकार की भिन्नता है। अधिकारियों की गलती के कारण उस समय सुधार नहीं हुआ तो क्या सरकार आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में छानबीन करेगी ताकि जहां-जहां गलती हुई है वहां फिर से विचार हो सके और पुनर्विचार करके नियोजित तरीके से एक माप दंड के आधार पर फिर उसे उसका परिसीमन हो और फिर केन्द्रीय सरकार की इस पर सहमति लेने की कोशिश करेगी?

श्री बंशीधर पांडेय—

जहां तक खंडों के परिसीमन का संबंध है एक जनवरी, १९६२ को गजट में पांच साल के लिये किया। हमने रूरल एरिया को खंडों में विभक्त करके क्षेत्र समिति की स्थापना की है। लेकिन जब उसके चुनाव फिर नजदीक आयेंगे तो ब्लाकों का फिर से संगठन कर सकेंगे। अभी तक तह-सील में होता है जिलों में हम तहसीलों से बंधे हुये हैं। ऐसा भी होता है कि कहीं पहाड़ी इलाका पड़ गया तो आबादी कम हो गयी, कहीं नदी नाले पड़ गये, इन सब बातों को ध्यान में रख कर जब ब्लाक्स पर कंसीडरेशन होगा तो जिलों से जो सुझाव आयेंगे उन पर सरकार विचार करके अपनी अंतिम स्वीकृति देगी।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऊंचा गांव विकास खंड में जो चार पंचायतें गलत ढंग से जोड़ दी गयीं, माननीय मंत्री ने चार पंचायतें निकाल दीं, अगर इनके निकालने के बावजूद भी ज्यादा क्षेत्रफल और ज्यादा जन संख्या है, जब कि बुलन्दशहर जिले में उससे कम क्षेत्रफल और कम जन संख्या वालों को ड्योढ़ा, ब्लाक बना चुके हैं, तो इसको भी ड्योढ़ा ब्लाक बना देंगे?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब पुनर्गठन होगा तो इस पर विचार किया जायगा कि क्या कानून और कायदे के तहत में हो सकता है, वह सरकार करेगी ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डेढ़ साइज ब्लाक में दो प्रतिनिधि होते हैं इसलिये जहां पर एक प्रतिनिधि है उनके रिप्रेजेन्टेशन के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

तीन जिले हैं जहां पर कुछ ब्लाक्स में दो-दो प्रतिनिधि आते हैं । डेढ़ साइज ब्लाक्स से दो प्रतिनिधि नहीं आते । एक ही प्रतिनिधि आता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

ऊंचा गांव जो डेढ़ ब्लाक नहीं हो सका है उसकी इनक्वायरी कब समाप्त हो जायगी और वहां के निवासियों को कब तक फायदा पहुंचाया जा सकेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मैंने पहले ही भाषण में कह दिया है कि सरकार ने इनक्वायरी के लिये आदेश किया है । ज्यों ही जांच हो जायगी, शीघ्र ही हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

आपने यह फरमाया था कि जदौल न्याय पंचायत सर्किल जहांगीराबाद विकास खंड में थी । जब ऐसा था और हकीकत यह है कि जदौल न्याय पंचायत सर्किल ऊंचागांव सर्किल में था । लेकिन आपने फरमाया है कि वह जहांगीराबाद विकास खंड में था । अगर वह वाकई जहांगीराबाद विकास खंड में था तो राज्यपाल महोदय को क्यों यह तकलीफ उठानी पड़ी कि वह एक नोटिफिकेशन के जरिये उसको ऊंचा गांव ब्लाक से अलग करते ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जदौल जो था पहले संगठन में मैंने आपसे बताया था कि जो यहां से भेजा गया था उसमें जहांगीराबाद ब्लाक के साथ करके भेजा गया था । लेकिन जिले के स्तर पर मैंने निवेदन किया....

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

राज्यपाल महोदय ने अलग किया है जदौल को ऊंचा गांव ब्लाक से ? आप कहते हैं कि जिले के स्तर पर हुआ, यह तो सूबे के स्तर पर हुआ ।

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है ? मैंने उनसे निवेदन किया कि यहां से जब पहली बार रचना हुई थी तो यह कहा गया था कि इसको जहांगीराबाद ब्लाक में रखा जाय, लेकिन बाद में जब गजट में १ जनवरी, सन् १९६२ को भेजा तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एथारिटीज ने गलती से ११ पंचायतों का ऊंचा गांव ब्लाक जिसमें जदौल भी था भेज दिया । डिस्ट्रिक्ट एथारिटीज ने भेजा था और उस वक्त तक कोई एतराज भी नहीं आया था । वह सारा का सारा ऊंचा गांव ब्लाक में गजट हो गया । बाद में जब प्रस्ताव किया क्षेत्र समिति ने तो प्रस्ताव के आधार पर २० सितम्बर, सन् ६३ को जदौल को अलग करके जहांगीराबाद में कर दिया गया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि किसी भी विकास क्षेत्र में कोई भी म्युनिसिपैलिटी नहीं आती है चाहे वह बीच में हों चाहे साइड में हो, तो आप यह कहकर हाउस को मिसलीड क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये मुमताज साहब ।

श्री उग्रसेन--

यह वह बतावें कि सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, जो जिले से रिपोर्ट आयी है, जो डी० पी० ओ० और डी० एम० ने भेजा है उसको आप जरूर पढ़ दें या सदन की मेज पर रखें ताकि सदन को पता चल सके कि इस विकास खंड के अन्दर कितनी गड़बड़ी है । क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट जिलाधीश या नियोजन अधिकारी ने हाल ही में भेजी है ? अगर भेजी है तो क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

बुलन्दशहर के जिलाधीश का एक पत्र अभी आया था जिसमें उन्होंने यह सब बताया है और उसी सारी स्थिति को तो मैंने आपके सामने वर्णन किया । उन्होंने स्पष्ट किया है कि शासन से यह रचना आयी थी और भूल से ११ अदालती पंचायतें उसमें हो गईं और वह गजट हो गया । बाद में क्षेत्र समिति के प्रस्ताव करने पर जदौल ब्लाक को उसमें से निकालने का प्रस्ताव किया गया । और अभी २० तारीख को डेवलपमेंट कमिश्नर ने फिर उनको लिखा है कि शासन सन्तुष्ट नहीं है इसके बारे में फिर जांच की जाय । तो उसकी जानकारी की जायगी और उसके बाद ही ठीक-ठीक वस्तुस्थिति बताई जा सकती है ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

यह केवल बुलन्दशहर या ऊंचा गांव की समस्या नहीं है बल्कि सारे उत्तर प्रदेश की समस्या है, तमाम जिलों की समस्या है । यह ब्लाक न मालूम कैसे बने, किसने बनाया, क्या हुआ यह सारे का सारा नक्शा ही गलत है । क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कृपा करेंगे कि इनको फिर से दुबारा ठीक कराया जाय और इन क्षेत्र समितियों का ठीक रकबा बनाकर के किसानों का भला किया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले ही जवाब दे दिया है कि जब इन क्षेत्र समितियों के चुनाव का सवाल फिर से आयेगा और उस वक्त उससे पहले डिलिमिटेशन का सवाल आयेगा तो इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जायगा और उन सारी बातों का ध्यान रखा जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

अब इसका समय समाप्त हो गया ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

एक सवाल का जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे अख्तियार में नहीं है कि मैं आधे घंटे से ज्यादा समय बढ़ा सकूं। आप अलग से पूछ लीजियेगा।

कानपुर में गंगा के जल-स्तर के गिरने से उत्पन्न बिजली संकट के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

कानपुर बिजली सप्लाई के संबंध मे मेरे पास माननीय बहुगुणा जी का नियम ५३ में प्रस्ताव आया है, माननीय सन्तसिंह युसुफ का कामरोको आया है और ५२ में माननीय रामकिशोरजी, मतोला सिंह जी, बसन्त सिंह जी, रक्षपालसिंह जी, हरीश कुमार जी गंगवार, और जगन्नाथ राव जी का आया है। तो चूंकि ५३ में चर्चा मैंने स्वीकार किया है इसलिये माननीय बहुगुणा जी शुरू करेंगे। (श्री बहुगुणा से) एक बात निवेदन कर दूं कि १५ मिनट आप लीजियेगा और शेष माननीय सदस्यों को १०–१० मिनट दिया जायगा। यह दूसरी बात है कि अगर कोई विशेष बात हो तो कुछ समय और बढ़ा दिया जायगा। दो घंटे बाद ठीक पौने नौ बजे यह समाप्त हो जायगा। अगर सदन पहले समाप्त कर दें तो और अच्छा है।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, कानपुर के अन्दर हाल में जो बिजली का संकट आया है उसके संबंध में चर्चा करने की मेरी सिर्फ एक नीयत है। कानपुर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक केन्द्र है, इन्डस्ट्रियल मेट्रोपोलिस है। कानपुर हमारे प्रदेश का ६५ प्रतिशत कपड़ा देने वाला केन्द्र है। कानपुर में कपड़ा मिल, डिफेन्स इन्स्टालेशन और इंजीनियरिंग यूनिट इन सबको लेकर लगभग बड़े-बड़े उद्योगों में १ लाख २० हजार मजदूर काम करते हैं। कानपुर में बिजली की सप्लाई पब्लिक सेक्टर से होती है। मान्यवर, मैं उन लोगों में हूं जो इस बात के हामी हैं कि पब्लिक सेक्टर एक्सपैन्ड करे। पब्लिक सैक्टर अधिक से अधिक इस तरह के जनोपयोगी सिलसिलों में दाखिल हो जो देश के जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। लेकिन मान्यवर, कानपुर बिजली एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है और जो उसका तर्जेअमल रहा है उससे मुझे सख्त शिकायत है। शिकायत मान्यवर, इसलिये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आफीसर्स ने कोई खास बुराई या भलाई की बात की हो। शिकायत इसलिये है कि कानपुर के इस बिजली के संकट के सिलसिले में जो आधारभूत बात है गंगा के धार के बदलने की, इस बदलती हुई गंगा की धारा को देखते हुये भी और गंगा की तरफ से बार-बार डेन्जर के सिगनेल मिलने के बावजूद भी १९३९ में पहली बार यह संकट मान्यवर कानपुर में आया था, ४५–४६ में यह संकट थोड़ा-सा फिर आया, सन् ५५ में दोनों संकटों से बड़ा संकट आया और १९६० में फिर एक बहुत बड़ा संकट आया, इतना बड़ा संकट आया कि महीने भर तक तो जो पानी की व्यवस्था कानपुर में थी उसमें चौबीसों घंटे पानी नहीं मिल पाया था और साथ में उद्योग धंधे ठप हो गये थे, फिर भी अधिकारी नहीं चेते। गंगा मइया बार-बार समझा रही थी कि मेरी धार बदलती है, मेरा मन बदल रहा से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनके मन पर गंगा की कही हुई बात का मान्यवर, कोई असर नहीं पड़ा। १९२८ में अंग्रेजों ने और उनके इंजीनियरों ने यह फोरसी किया था कि कानपुर में पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है और इसीलिये उन्होंने एक छोटी सी नहर जो लोअर गंजेज इरीगेशन सिस्टम है वाटर वर्क्स के साथ उसे मिला दिया था। यह जरूर था कि इसकी कैपेसिटी ९ मिलियन गैलन पानी ले आने की है जो कानपुर की आवश्यकता और बिजलीघर की आवश्यकता को पूरी तौर से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

पूरी नहीं कर सकती । लेकिन गंगा का बार-बार हटना, थोड़ा-थोड़ा करके हटना और फिर एक दम हटना और अंग्रेजी इंजीनियरों की इस संबंध की कार्यवाही यह दोनों इस बात की चेतावनी थी कि गंगा की धार अगर बदलती जायगी तो पानी का संकट आयेगा और पानी का संकट आयेगा तो बिजली का संकट आयेगा । लेकिन कानपुर इलेक्ट्रिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन न जाने क्या सोचता रहा ।

मान्यवर, मुझे दुख है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के संबंध में मैं बड़े खुले दिल से यह कह सकता हूं कि पिछले ५, ६ सालों में जो प्रगति यहां पर बिजली की हुई है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं और जो दूसरे मेम्बर हैं उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ काम किया है उसकी मैं प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, लेकिन जैसे चान्द के मुंह पर थोड़ा सा धब्बा होता है, सुन्दर लड़के के मुंह पर काला दाग लग जाता है कि उसको नजर न लगे उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह हुआ है कि इस हमारे अच्छे काम पर काला धब्बा हो गया है । बदकिस्मती से वह धब्बा नाक, मुंह या आंख पर जिस प्रकार से लगता है उसी प्रकार से यह कानपुर की घटना के बारे में हुआ क्योंकि कानपुर हमारे प्रदेश का कान भी है, मुंह भी है और आंख भी है । इसको दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । यह स्पष्ट बात थी कि गंगा बहुत दिनों से हम लोगों ने देखी नहीं है । यह पुरानी नदी है । उसकी सतह पर बालू बैठती जाती है और उसका बैंड ऊंचा होता जाता है और उसकी धार बदलती जाती है और उसकी तरफ हमारा रुझान नहीं हुआ है । वह बड़ी बात है और बहुत बड़े खर्चे की बात है, लेकिन यह देखते हुये और जानते हुये कि गंगा की धार बदलती जा रही है हमने कोई अपनी तवज्जह उस तरफ नहीं दी और आज तक नहीं दी कि हम क्या करें । सन् १९६० में जब क्राइसिस आई थी तो वह भी अक्तूबर के महीने में ही आई थी । उसने तब भी अक्तूबर के महीने में ही तंग किया था । कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वह अक्तूबर के महीने में ही तंग करती है । बदकिस्मती से हमारे केसा के अधिकारी गंगा की उस मर्यादा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाये और शायद उसकी उपासना करके बैठ गये और उसको उन्होंने उपहास समझा और अपने कर्तव्य को पालन करने में कोताही की । मैं इसको आगे बतलाऊंगा कि उन्होंने किस प्रकार से कोताही की ।

सन् १९६० में जब वहां पर पानी और बिजली का संकट आया था तो उत्तर प्रदेश की सरकार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दूसरे सदस्यों ने मिलकर रुड़की यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कहा था कि गंगा की इस समस्या को हल करने के लिये कोई उपाय बतलाइये । वह सन् १९६० का दिसम्बर का महीना था और अब १९६३ का दिसम्बर आ जायगा । रुड़की यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या जवाब मिला यह माननीय मंत्री जी या माननीय मंत्रीजी की तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्य इस प्रश्न पर जब प्रकाश डालेंगे तो मालूम होगा । लेकिन मैं मान्यवर, यह निवेदन करूंगा कि जब यह सवाल सन् १९६० में आया था तो कहा गया कि बैरेज बनाना मुश्किल है और गंगा का टेम करना भी मुश्किल है क्योंकि यह बड़ी नदी है और उसके लिये करोड़ों रुपये का खर्च है यह बहुत बड़ा सवाल है यह मैं मानता हूं, लेकिन एक सिम्पुल प्रपोजीशन है । अहमदाबाद में भी बिजली और पानी का खर्चा कानपुर से चौगुना है और वहां की कार्य क्षमता भी कानपुर से कहीं अधिक है । उस शहर के करीब एक छोटी सी नदी साबरमती जो गंगा के नाले की तरह से बहती है, लेकिन अहमदाबाद के लिये पानी और बिजली का संकट कभी हमने अपने कानों से नहीं सुना कि वहां पर पानी कम आया हो या बिजली उद्योगों के लिये बन्द हो गई हो । मुझे अफसोस है कि हमारे उत्तर प्रदेश ने बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता, जो कानपुर के लिये थी, उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया और उससे कोई सबक नहीं लिया । कुछ लोग होते हैं जो स्वयं गलती करके अनुभव उठाते हैं । केसा के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, मुझे क्षमा करेंगे शान्तिप्रपन्न जी, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, वे बड़ी तेजी से इस विभाग का काम करते रहे हैं, लेकिन न तो सरकार के स्तर पर और न केसा के स्तर पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन

नेकोई तवज्जह की और न पिछले अनुभव का लाभ उठाया। जिस तरह से कूलिंग सिस्टम से पावर को अहमदाबाद में मेन्टेन रखा गया है उसी तरह से कानपुर में भी किया जा सकता था, लेकिन यहां पर नहीं किया गया। यहां पर गंगा की धार बराबर कटते हुये देखने पर भी उस अनुभव से लाभ भी नहीं उठाया गया। नतीजा क्या हुआ ? नतीजा वही हुआ कि सन् १९६० में जिस तरह से १ महीने तक २४ घंटे पानी जनता को नहीं दे सके और मजदूरों को खाली बैठना पड़ा, आज सन् १९६३ में भी वही संकट उपस्थित है। कानपुर में हमारी स्माल आर्म्स फैक्टरी है, आर्डिनेन्स फैक्टरी है, पैराशूट की फैक्टरी है। वहां का काम ठप्प हो जाय और हम कहें कि क्या करें यह कुछ उचित सा नहीं लगता है।

(इस समय ६ बजकर ५१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

गंगा का बहाव बदलता जाय और उसके लिये कह दिया जाय कि भगवान की इच्छा थी, तो यह कुछ उचित नहीं लगता कि इस तरह से कह दिया जाय। यह मान्यवर न तो शोभनीय है और न अच्छा है। इसके साथ ही मैं इतना और कहूंगा कि इस वर्ष सन् १९६० के बाद कानपुर एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने, और मुझे क्षमा करेंगे, एलिक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों से मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम, कि गंगा और केसा के बीच जो जमीन उठ गई थी और जिसको कि मैं अब टेबिल लैन्ड के नाम से पुकारूंगा, उसमें हर साल कितनी सिल्ट जमा थी और कितनी ऊंची होती थी, क्या इसका कोई कयास उन्होंने लगाने की कोशिश की ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मन्त्रि-मन्डल में पहले आप भी थे। उस समय क्या आप कभी कानपुर पधारे और आपने यह सावल उठाया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय, उग्रसेन जी, मैं पहले भी आपसे एक बार निवेदन कर चुका हूं और आज भी कहता हूं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, जब यह लोग मन्त्रि-मन्डल से हटते हैं तो रोशनी आती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आप मेरे सम्बन्ध में ऐसी ही कृपा बनाये रहें, ऐसी मेरी आकांक्षा है।

मान्यवर, सन् १९६० से वह जमीन उठती गई और औसत में अब तक करीब-करीब साढ़े छः फुट ऊंचा यह टेबिल लैन्ड हो गया है। सिल्टिंग वहां इतना ज्यादा हो गया है। तो सन् १९६० के बाद उसको क्यों नहीं देखा गया, १९६१ में क्यों नहीं देखा गया, १९६२ में क्यों नहीं देखा गया और सन् १९६३ में तब देखा गया जब संकट सर पर आ गया तब यह रिपोर्ट की गई कि रेपिडली सिल्टिंग हो रहा है। अभी राव साहब आये थे जो केन्द्रीय सरकार के विद्युत् मन्त्री हैं और स्वयं एक इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियर को देखना तो छोड़ दीजिये एक मामूली आदमी नंगी नजर से कह सकता है जो इस टेबिल लैन्ड की ऊंचाई की काफी जानकारी नहीं रखता हो, कि वह पहले से अधिक ऊंचा हुआ है।

दूसरी बात यह है कि बिजली घर को पानी मिलता है और वाटर वर्क्स को पानी मिलता है। उन दोनों के लिये गंगा की धारा मुड़ने से कठिनाई होती है, दोनों जनता के लिये उपयोगी हैं और दोनों अपनी सेवायें जनता को देती हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई कोआरडीनेशन नहीं है

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

कि वाटर वर्क्स के और बिजलीघर के इंजीनियर दोनों मिलकर बैठें और गंगा की धार के मुड़ने से उत्पन्न परिस्थिति के सिलसिले में मिलजुल कर काम करें। हां, जब गंगा हट जाती है, जब पानी की त्राहि-त्राहि होती है तो फिर केसा चार्ज ले लेता है या वाटर वर्क्स के ड्रेजर को चार्ज दे देते हैं।

इस साल मान्यवर, पानी गंगा में जो बढ़ा उसमें गंगा ने एक काबिलियत की बात यह की कि तेजी से गंगा का हटना शुरू हुआ और ३० सितम्बर से गंगा में तेजी के साथ गिरावट आई। लेकिन केसा के इंजीनियर्स को इसका अन्दाजा नहीं हुआ कि अगर डेढ़ दो फुट रोज गिर रही है तो कितने रोज में यह संकट की स्थिति आ जायेगी। १० ड्रेजर्स हैं इनके पास और ४ वाटर वर्क्स के यानी दोनों मिलकर १४ हो गये। एक ड्रेजर का दाम २ लाख ८० हजार रुपया होता है और उससे छोट-छोटे तमाम हैं। यह सारी मेशीनरी उनके पास मौजूद हैं। एकाएक जब पानी रिसीड करने लगा तो कानपुर एलिक्ट्रिसिटी ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपने घर में बैठे रहे और ड्रेजर्स को अपने करीब रखे रहे जैसे सूम बांधता है धन को और उस पर बैठ जाता है। यहीं नहीं, वाटर वर्क्स के ये ड्रेजर्स को इंजीयिनर्स ने आगे चलाने की कोशिश की इसके लिये मैं उनको मुबारिकबाद देता हूं, लेकिन मैंने ऐसा समझा और उन्होंने स्वीकार भी किया, कि अगर ईश्वरीगंज की बजाय गड़रिया का पुरवा उन्नाव साइड में करते तो ज्यादा आसानी होती। तो वहां ड्रेजर का लगाना ठीक से नहीं हुआ और वह आगे नहीं बढ़ सके। खींचकर आगे गये और धीरे-धीरे काम होने लगा।

मान्यवर, कितना नुकसान हुआ? मैं स्वयं कानपुर में उस सिलसिले में रहा और उस एक रोज में जितने लोगों से मैंने बात की उसका अन्दाजा यह है कि ३ करोड़ की लागत का उत्पादन का नुकसान इस बिजली के संकट से कानपुर में हुआ। १ लाख २० हजार मजदूर जो रजिस्टर्ड संस्थाओं में फैक्टरी ऐक्ट के मातहत काम करते हैं, मैं उन छोटे मोटे कारखानों में काम करने वालों पर जो असर हुआ है, उसको नहीं लेता, बेकार हुये हैं। उत्तर प्रदेश के सेल्स टैक्स, बिजली घर के बिजली की रेवेन्यू आदि में जो नुकसान हुआ है वह इससे अलग है। इसके साथ-साथ जब घर पर संकट आया तब १ लाख आदमियों को इस पर लगाया गया, इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है कि आपत्ति काल में अगर मर्यादा टूटे तो उसे तोड़ना पड़ता है लेकिन जो खर्चा हुआ उस पर मेरे हिसाब से वह लगभग ७५ हजार रुपया हुआ। माननीय शान्ति प्रपन्न जी के हिसाब से कुछ कम हुआ, लेकिन मैंने जो हिसाब कूता है उसके हिसाब से, अकेले केसा का खर्चा ७५ हजार रुपया खर्चा हुआ और इस तरह से लाखों रुपया इसमें खर्च हुआ है। केसा और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कहा जाय कि कानपुर के मजदूरों को ७ रोज की तनख्वाह बोनस में दे दी जाय तो उनको दिक्कत आती है, २० हजार रुपया बोनस का नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने घरों में बैठे रहने के कारण साढ़े पांच लाख रुपया गंगा मइया को चढ़ा देने में कोई कोताही नहीं की जाती। हां, कुछ लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति जरूर होती है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप उपसंहार कीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

वहां पर अब स्थिति एक और उत्पन्न हो गई है। चक्कियां बन्द, तेल मिलें बन्द, बाजार में चावल ऊपर उठा, आटा मिलता नहीं, चावल महंगा होता जाता है। साथ ही इसके कपड़े का उत्पादन कम हुआ है। इसका असर पड़ने वाला है। दीवाली और दशहरा का मौका आने वाला है, कपड़े की खरीदारी बढ़ेगी और जो कोर्स क्लाथ ६५ फीसदी उत्तर प्रदेश में खपता है मुझे भय है कि उसके दाम पर भी असर पड़े बिना नहीं रह सकता। मजदूरों की दृष्टि से बेकारी बहुत हुई। अब तक मजदूर बेकार रहे, वे घर जा नहीं सकते क्योंकि वे नहीं

सोच सकते कि कब आपकी काबलियत की वजह से कारखाने को आप बिजली दे दें और कारखाना चलने लगे तो उनकी नौकरी छूट जाय। एकाएक कारोबार ठप्प हो जाय तो प्ले आफ का पैसा उनको मिलता है, लेकिन उसके लिये उनको हाजिरी लगवाने जाना पड़ता है। इसलिये १ लाख २० हजार मजदूर रोज गेट पर जाते हैं और गेट से लौट आते हैं। मालिकों ने एक पेंच और डाल दिया है। वह कहते हैं कि हम इस साल प्ले आफ का पैसा नहीं देंगे। मजदूरों में इसकी वजह से बेचैनी है और वह नहीं जानते कि उनका भाग्य क्या होगा। यद्यपि सन् १९६० से अब तक जब वे इसी स्थिति में बैठते थे तो उनको प्ले आफ का पैसा मिलता था। कानून भी स्पष्ट है, लेकिन मालिकों ने कोई चाल की है तो मैं डिमान्ड करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर में भविष्य में उस किस्म की स्थिति न आये इसके लिये कदम उठाये। कानपुर में रिवर साइड पावर हाउस,में कूलिंग टावर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये और पनकी से जो नहर आती है उसको चौड़ा किया जाना चाहिये। ड्रेजर्स के काम को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये, बिजलीघर और वाटर वर्क्स के कार्य में समन्वय करने के लिये कोई सिलसिला बैठाया जाय और उसके लिये कोई हाई ग्रेड का इंजीनियर जो अपना निश्चय जल्दी से जल्दी देकर काम शुरू कर दे मुकर्रर किया जाय ताकि अगली बरसात में फिर कानपुर में यह संकट न आये। जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है उन्हें पैसा दिलाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय ताकि उनमें बेचैनी न बढ़े और एक संकट न उत्पन्न हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जैसा कानपुर में बिजली का संकट हुआ उसके बारे में हमारे दोस्त बहुगुणा जी ने तमाम सवालों को यहां पर रखा। मैं सिर्फ दो बातों के द्वारा इस सवाल के ऊपर खाली जोर डालना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बहुगुणाजी ने जो अन्दाजा लगाया है नुकसान का वह बहुत कम है। हमारा अन्दाजा ७, १/२ करोड़ से लेकर १० करोड़ रुपये तक का है जो कानपुर में इस सिलसिले में हुआ है। १४ लाख रुपये का डेली सूती मिलों के प्रोडक्शन में नुकसान हुआ और इसके अलावा यह जितनी गवर्नमेंट फैक्टरीज हैं और गवर्नमेंट फैक्टरीज के अलावा जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं उन सब में करीब १, १/२ लाख आदमी बेकार रहे और करीब ७ १/२ करोड़ रुपये का लास हुआ कानपुर में।

अब यह बात कहना है कि इस लास के लिये कौन जिम्मेदार है, प्रजातन्त्र है, तो प्रजातन्त्र में स्पष्ट रेस्पान्सिबिलिटीज डालनी चाहिये। हमारे केसा के अधिकारी यह जानते थे कि गंगा जी चली जायेंगी। फिर भी उन्होंने इस ओर से अपनी आंखें बन्द रखीं कोई आदमी भी कानपुर में ऐसा नहीं है जो इस बात को मानने के लिये तैयार हो कि वह लोग पहले से इस बात को नहीं जानते थे। जैसा कि हमारे बहुगुणा जी ने कहा कि यह बात सरकार को भी मालूम थी और केसा के अधिकारियों को भी मालूम था कि इस महीने में गंगा जी हटती थीं तो मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि यही काम जो आठ दिन पहले हो सकता था, वह आठ दिन बाद क्यों किया गया। अगर वह काम आठ दिन पहले किया जाता, तो यह नौबत न आती। जैसा कि हमारे बहुगुणा जी ने कहा कि उन ड्रेजर्स का इस्तेमाल समय से यदि किया गया होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। इसमें केवल एक ही बात है और वह है लापरवाही यह साफ है कि बिलकुल उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। यदि ध्यान दिया गया होता, तो इतना बड़ा संकट न खड़ा हुआ होता।

जो बातें अभी हमारे माननीय बहुगुणा जी ने कहीं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इस मामले में कानपुर में काफी बहस और मुबाहिसा हो चुका है। इस मामले में सरकार को, मेरी राय में, जांच करवानी चाहिये। उसके लिये जुडिशियल इन्क्वयारी करायी जानी चाहिये। जो हाई पावर कमेटी इन्क्वायरी करे, उस रिपोर्ट के आधार पर ही जिम्मेदार लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

को चाहे वे कोई भी हों, उनको सजा दी जानी चाहिये। चाहे वे केसा के अधिकारी हों या सरकार के अधिकारी हों, उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जानी चाहिये। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि यह जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चैयरमैन थे, उनका भी इन्टरवेन्शन बाद में हुआ, तो उससे बाद में स्थिति में कुछ सुधार हुआ। आप यह देखें कि यह मामला कोई मामूली मामला नहीं है। जो लास इस प्रकार से कानपुर के हर सेक्शन का हुआ है, वह किसी प्रकार से पूरा होने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी कराई जानी चाहिये और जो भी कलप्रिट निकले, उसको सजा दी जानी चाहिये।

मैं यह बात क्यों कह रहा हूं? इसका कारण यह है कि कानपुर में पूंजीपतियों ने एक प्वाइंट आफ व्यू बना लिया है, और वह यह कि वह पब्लिक सेक्टरको चलने नहीं देना चाहते हैं। यह उनका उसके ऊपर एक जोरदार हमला है; वह पब्लिक सेक्टर को निकम्मा और नालायक साबित करना चाहते हैं। वह इसी बात के लिये जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसलिये जो लोग पब्लिक सेक्टर के समर्थक हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह उन अधिकारियों को जो इसमें कलप्रिट हैं, उनको सिंगल आउट करें। तभी लोगों में पब्लिक सेक्टर के प्रति कान्फिडेन्स पैदा होगा।

दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अभी तो कानपुर में बिजली का ही संकट आया है जिसके कारण कानपुर ८ दिन बन्द रहा। मगर जो संकट आगे आने वाला है वह मजदूरों का संकट है। वह संकट प्रारम्भ हो गया है। उसका कारण यह है कि बीच में जो मिलें बन्द रहीं, तो उनकी मिलों में हाजिरी नहीं लगाई गयी है। उस पर डिमान्सट्रेशन भी हुआ। हम लोग लेबर कमिश्नर से मिले, तो उन्होंने मिल वालों को हिदायत भेजी कि आपको मजदूरों की हाजिरी लगानी चाहिये। पिछली बार १९६० में जब वहां पर गड़बड़ी हुई थी, तो उस वक्त उनको पैसा मिल गया था। पर इस बार पूंजीपतियों ने केसा और सरकार से मिलकर यह पैसा न देने की ठानी है। यह सरकार का निकम्मापन है और केसा के अधिकारियों का निकम्मापन है कि उन बेचारे गरीब मजदूरों का पैसा न दिया जाय। सरकार के खिलाफ मुकदमा हम लोग करेंगे यदि उसने मजदूरों को पैसा न दिया। मैं सरकार को बताना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि उसके पास एक ही तरीका है और वह यह है कि वह उन आफिसरों को सजा दे जिनकी गलती हो। और इस मामले में यदि सिर्फ मजदूरों का ही गला घोटा गया तो अभी तो सिर्फ गंगा का ही संकट आया है फिर मजदूरों का भी संकट आ जायगा। गंगा जी का संकट तो टलने वाला है, लेकिन मजदूरों का संकट मत पैदा कीजिये। गंगा जी तो हम लोगों के पापों की वजह से, विभाग के अधिकारियों के पापों की वजह से, तथा अन्य लोगों के पापों की वजह से कानपुर छोड़ कर दूर जा रही हैं। गंगा जी तो दूर भाग ही रही हैं, लेकिन मजदूरों को दूर मत भगाइये। अब गंगा जी की पूजा करिये तभी ठीक रहेगा। मेरा कहना है कि आप मजदूर के मामले में कोई खराब हालत मत पैदा करिये। हमारे जो नये मन्त्री यहां हुये हैं उनका नाम बनारसी दास है। वह यहां पर बैठे हुये हैं। मैं श्री बनारसी दास जी से कहूंगा कि उनके श्रम विभाग के मंत्री बनते ही इस प्रकार का संकट आ गया। और यदि बिजली का संकट टल गया तो ऐसा न हो कि मजदूरों का संकट आ जाय; इस पर उन्हें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्रीउग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय बहुगुणा जी ने, जो कि इस समय हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, जब विवाद आरम्भ किया था तो मैं यह समझ रहा था कि माननीय बहुगुणा जी इसकी जड़ और बुनियाद क्या है तथा कहां से यह बीमारी आई यानी कहां से आरम्भ हुई, उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मुझे निराशा हुई इस पर। मैं तो उनके कार्यकलापों से परिचित हूं क्योंकि मैं उनके नगर इलाहाबाद में ही रह रहा हूं। लेकिन वह इस पर न आकर चले गये

केसा के अधिकारियों की बात पर और विद्युत् परिषद् के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसीबत बी० बी० लाल एन्ड को० की नहीं है, बल्कि यह माननीय चन्द्रभानु गुप्त एन्ड को० लिमिटेड की है जिसके कि शेयर होल्डर वह हैं ? मैं एक बात और बताना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय गुप्त जी जब मन्त्री थे उस समय भी इस प्रकार का संकट आया था। उस समय माननीय बहुगुणा जी उस मन्त्रि-मन्डल के सदस्य थे, लेकिन जब हम लोगों ने, हमारे पार्टी के सदस्यों ने तथा हमारी पार्टी के नेता श्री राजनारायण सिंह जी ने, इस माननीय सदन में प्रश्न उठाया तो यही वह माननीय सदस्य थे जिन्होंने अपनी कूची से उस चित्र को बिगाड़ दिया था और दूसरा भोंडा चित्र सामने रख दिया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह मामला कोई मामूली मामला नहीं है यानी मामूली प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि श्री बहुगुणा जी अब ऐन्ड को० लिमिटेड के शेयर होल्डर नहीं हैं तो उन्होंने आज इस तरफ गौर फरमाया। वह तो मजदूरों के नेता रहे हैं और उन्होंने काफी कार्य भी इस तरफ किया है। उन्होंने कामराज योजना के बारे में भी कह दिया कि यह उनकी स्पष्ट राय है कि कामराज योजना चलने वाली नहीं हैं। मैं भी उनकी इस बात में इत्तफाक करता हूं और कह सकता हूं कि कामराज योजना तो कालराज योजना है।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पता नहीं भविष्य में सिंचाई मन्त्री कौन होगा, पावर का मन्त्री कौन होगा, जो भी होगा वह इस ऐन्ड को० लिमिटेड का शेयर होल्डर तो बनेगा ही। और बीमारी इस तरह से बढ़ती जायगी ही। असली बीमारी तो यह है कि जब गंगा जी ऊपर से कट रही थीं और जब कटाव की प्रक्रिया होती है मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं और न इन्जीनियरिंग ही जानता हूं, लेकिन चूंकि एक बाढ़-ग्रस्त इलाके का रहने वाला हूं, इसलिये काफी अनुभव है और एक इन्जीनियर से भी अच्छा अनुभव इस बात पर रखता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा अनुभव इस मामले में काफी है। गंगा जब ऊपर से कट रही थी और जब गंगा कटेगी तो वह कानपुर के अन्दर घुसेगी और जब कटाव ऊपर हो जायगा तो गंगा जी दूर भागेंगी। यदि सरकार ने गंगा के कटाव को नियन्त्रित न किया तो नतीजा यही होगा कि गंगा जी कानपुर से दूर भाग जायेंगी। यह तो सभी लोग जानते ही हैं कि केसा विभाग और विद्युत् बोर्ड भी माताटीला बांध की तरह खाऊ-कमाऊ बनना चाहता है। यह विभाग समझता था कि जब गंगा जी दूर हट जायेंगी, जैसा कि अभी माननीय बहुगुणा जी ने भी कहा है, तो तभी वह मजदूरों को रखेंगे, तभी वह कई सौ रुपया प्रति हजार क्यूबिक फीट मिट्टी के दाम चार्ज करेंगे और इसी बहाने पैसा बनायेंगें। उसी का नतीजा यह हुआ कि हाहाकार मच गया। और इस हाहाकार से मजदूर ही क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं माननीय यूसुफ जी की बात से इत्तफाक करता हूं कि मजदूरों को हर बार पैसा मिला है, लेकिन इस बार सरकार और केसा के अधिकारी मिलकर मजदूरों को पैसा नहीं देना चाहते हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो छोटे मोटे कारखाने वाले होते हैं उनको तो लगाना पड़ जाता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वह तो सरकार से मिले होते हैं। वह तो कहते हैं कि हमने तो चुनाव में थैली खर्च कर लड़वाया है तो इस तरफ पैसा क्यों खर्च करें।

अब कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी अपने विभाग के संबंध में, जो प्रश्न उठा है, उसके उत्तर में स्पष्ट कर दें कि इस संकट की स्थिति को समाप्त करने के लिये उनके पास कौन-कौन योजनायें हैं और अगर कोई हों तो उन्हें तत्काल कार्यान्वित करें। मुझे डर है कि मंत्री जी कुछ करेंगे नहीं। इसकी सफाई भी यहां हो जानी चाहिये और मैं तो कहूंगा कि सरकार को इस मामले में इस्तीफा दे देना चाहिये। कानपुर इतना नजदीक का नगर और वहां इतना संकट आ गया। कोई यहां रहा ही नहीं, सब समझते थे कि हमको दिल्ली पोर्टफोलियो मिलेगा या नहीं। दिल्ली की दौड़ हो रही है, कारों में घूम रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो की फिक्र में है। अब शर्मा जी का इसमें क्या कसूर है, मंत्री जी को शपथ ही गलत दिलाई गयी, बड़ी मुसीबत में थे बेचारे। लेकिन मैं समझता हूं कि वह एक डकैतों के गोल की मुसीबत है कि

[श्री उग्रसेन]

डाके का माल कहां-कहां बांटे, लेकिन ग्रह जो संकट उन पर है उसे वह रामायण का पाठ करके टालें या गलत सही शपथ लेकर टालें, लेकिन इन प्रश्नों का उन्हें जबाब देना होगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न के तीन पहलू हैं । सबसे पहले हमको यह विचार करना चाहिये कि कानपुर में जो संकट आया यह दैवी आपत्ति थी, कोई प्राकृतिक संकट था या ऐसी चीज थी जो सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आयी । दूसरे, हम पर जो संकट आया उसका उचित समय पर निवारण करने के लिये कदम उठाया गया या नहीं और इन सब चीजों को सामने रखते हुए सरकार इस संकट का सामना आगे भी करने के लिये तैयार है या नहीं ?

सर्व प्रथम मैं यह कहूंगी कि पहले पहलू के बारे में भी दो राय हैं । अभी बहुगुणा जी ने स्पष्ट शब्दों में राय जाहिर की कि यदि केसा के अधिकारियों और संबंधित लोगों द्वारा कोशिश की गयी होती तो ऐसा अवसर नहीं आता । मैंने स्थल पर जाकर जो वहां का नक्शा था उसको दृष्टि में रखकर एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की । मैं आपके सामने दूसरा पहलू भी रखना चाहूंगी । सन् १९३९ के पहले यह विपत्ति अवश्य आयी थी और सन् १९५६ तक रानीघाट जो वहां पर सेंटर आफ ग्रैविटी हो गया था वहां इतना पानी था कि वहां अग्रवाल साहब के ८-१० वर्ष के बच्चे डूब गये थे और गंगा कानपुर को छोड़कर नहीं चली गयी थी, हालांकि उसका बहाव संभवतः बराबर उन्नाव की तरफ था ।

इसके बाद आप देखें कि सन् १९६० में एक बहुत बड़ी दिक्कत आयी । उस समय भी उनकी तरफ से यह कहा गया । पिछले साल यह आफत आयी, उस वक्त भी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया गया । यही नहीं, मार्च और अप्रैल में, जब यहां सदन में इस संबंध में प्रश्न हुए, तब भी मैंने सप्लीमेंटरी ३ प्रश्न रखे थे और सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि सरकार एलर्ट है । मैंने उस समय यह कहा था कि अक्तूबर और नवम्बर में यह आफत आने वाली है । हुआ भी वही, आपको मालूम है कि २३ सितम्बर को एकदम १० फीट पानी गिर गया । सितम्बर, में जो ४ ड्रेजर्स लाकर रखे थे कि वे काम करेंगे, वे भी अपना काम नहीं कर पाये । इतना सिल्ट जमा हो गया था कि वे चारों ड्रेजर्स काम नहीं कर पाये। अगस्त में ४ मील में से ढाई मील तक ड्रेजिंग आपरेशन्स हो चुके थे, डेढ़ मील में काम बाकी था । यह आफत सितम्बर में आई । फिर भी उस दरिया के प्रवाह को बचाने की जितनी कोशिश की जा सकती थी, केसा वालों ने उसको किया, मगर अपनी कोशिशों के बाद भी वे उसको कन्ट्रोल नहीं कर पाये ।

चीफ इंजीनियर मिस्टर मित्रा ने जब वहां का सर्वे किया था तो उन्होंने यह कहा था कि वहां पर स्पर बनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि उससे कानपुर में फ्लड आने की संभावना बनी रहेगी । उसके बाद यह बताया गया कि वहां पर बैरेज (Barrage) बनाया जाय । उसके लिये यह कहा गया कि वह भी मुश्किल है क्योंकि उससे भी यह गारन्टी नहीं की जा सकती कि दरिया के प्रवाह को कन्ट्रोल किया जा सकेगा क्योंकि उसका बहाव बदलता रहता है । तीसरी योजना फिर थर्मल प्लान्ट बनाने की थी । इन सब बातों की ओर मैंने अपने प्रश्नों में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला था कि सरकार उन सब बातों को जानती है और वह उचित कार्यवाही करेगी । तो इस तरफ पहले से ही ध्यान दिया जाना चाहिये था ।

इस संबंध में दो रायें नहीं हैं कि इससे कानपुर में बहुत क्षति हुई है। उद्योग और लेबर का भी बहुत नुकसान हुआ है। जो मजदूर बेचारे रोज कमा कर अपना पेट भरते थे, उनको तो बहुत ही नुकसान पहुंचा है। गरीब मजदूरों के परिवार पर इसका बहुत असर पड़ा है। इसके अलावा इससे वहां के लोगों को बहुत दिक्कत भी हुई है। इसलिये मैं यह कहूंगी कि सरकार को इस संबंध में पूरी जांच करानी चाहिये। इसके लिये मैं यह प्रार्थना करूंगी कि सरकार को एक हाई पावर इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त करनी चाहिये और जिसका भी कसूर हो उसको उचित दन्ड मिलना चाहिये। यह भी जांच होनी चाहिये कि जब यह विपदा आई तो शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही हुई या नहीं। वैसे मेरा यह मत है कि १८ हजार लोगों ने दिन-रात काम करके जिस तरह से उसको हैन्डिल किया, उसके लिये वे लोग बधाई के पात्र हैं। ६ हजार से १८ हजार की संख्या बढ़ाई गयी और लोगों ने रात-दिन कार्य किया। इसके लिये केसा को हमें बधाई देना चाहिये। जिन अधिकारियों ने भी वहां कार्य किया, जो रात-दिन इस कार्य में लगे रहे, उनको भी हमें बधाई देना चाहिये।

मैं माननीय बहुगुणा साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करती हूं कि जब यह आफत आई तो केसा के अधिकारी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। उनको जितनी दिलचस्पी लेनी चाहिये थी, उन्होंने ली। केसा के अधिकारियों ने रात-दिन एक कर दिया और मैं इस बात के लिये चैलेन्ज कर सकती हूं कि इस आफत के आने के बाद केसा के अधिकारियों ने जो परिश्रम किया है वैसा शायद ही कोई कर सकता है और इसके लिये वे सराहनीय हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

इस आफत के आने के बाद की बात नहीं है, यह झगड़ा तो उसके पहले का है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इन बातों को सामने रखते हुए सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इसके बारे में क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है और आगे क्या की जानी चाहिये। शायद १९६५ में कानपुर भी ग्रिड सिस्टम में आने वाला है और तब तक शायद कोई कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यह कार्य जल्दी नहीं हो सकता और यह संकट भी अभी दूर नहीं हुआ है। अक्तूबर, नवम्बर के महीनों तक यह आपरेशन्स चलाने होंगे, इसी तेजी के साथ में इन सब बातों को सरकार के सामने रखना चाहती हूं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक स्टेट्यूटरी बाडी है। उसमें जनता का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, चाहे वह प्रतिनिधित्व कंज्यूमर्स का हो अथवा कोआपरेटिव्स का। इससे उसकी देखरेख हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में फिर सरकार से निवेदन करूंगी कि वह हाई पावर कमेटी इस सिलसिले में बैठाये जो इसकी जांच करे।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, कानपुर में जो यह बिजली का संकट पैदा किया गया है वह केसा के अधिकारियों का सुनियोजित षड़यंत्र है। वास्तव में यह संकट न तो गंगा के प्रकोप की वजह से आया है और न किसी अन्य अचानक कारण से, यह तो केसा के अधिकारियों द्वारा पैदा किया हुआ संकट है ताकि उन्हें लाखों रुपयों के गोलमाल करने का अवसर मिल सके। (व्यवधान) जाकर जरा तलाश कीजिये, मैं चैलेंज करता हूं, मैं स्वयं देखकर आया हूं। चाहे वहां कितने ही बड़े-बड़े टैक्नीशियन्स और इंजीनियर्स लगे हों, लेकिन जो बात साधारण आदमी की समझ में आ जाती है वह उनकी समझ में नहीं आती। मैं उधर के बैठने वालों को चेलेंज करता हूं, वे मेरे साथ चलें और मौके पर चलकर देखें। तब उनकी भी समझ में आ जायगा कि असलियत क्या है। अखबारों में पढ़ने और नीचे के आफीशियल्स की रिपोर्ट को पढ़ने से काम नहीं चलता है। यह आज की बात नहीं है, बरसों से जब से गंगा कानपुर से उन्नाव की तरफ हटने लगी है तभी से यह समस्या हमारे सामने है। जो चैनेल पानी के लिये बनायी

[श्री बसन्तसिंह]

जाती है वह बरसात के दिनों में रेत से भर जाती है। मामूली दिनों में भी ड्रेजर्स के द्वारा उसकी बालू साफ की जाती है। तो इस वर्ष जब २३ सितम्बर से गंगा के पानी का स्तर गिरना शुरू हुआ, वाटर वर्क्स के ड्रेजर्स ने तभी से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन केसा के ड्रेजर्स वैसे ही खड़े रहे। अगर उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया होता तो यह संकट कदाचित् न आता। उनसे कहा भी गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ३० सितम्बर को जो मजदूर और कामों पर लगे हुए थे उनको भी अलहदा कर दिया गया। केसा के अधिकारी तो इस बात का इन्तजार कर रहे थे कि ऐसी समस्या पैदा हो और उनको ऐसी परिस्थिति से लाभ उठाने का मौका मिले, गबन करने का मौका मिले। उनके ड्रेजर्स ज्यादा पानी में काम नहीं कर सकते थे। कुछ ड्रेजर्स कम गहरे पानी में काम कर सकते हैं और कुछ अधिक गहरे में। जब उतना गहरा पानी नहीं रहा तो वे खड़े रह गये।

अचानक पानी के गिरने की बात कहना अज्ञानता का परिचय देना है क्योंकि यह तो सब ही जानते हैं कि जब बहिया आती है तो पानी अचानक ही गिरता है, यह कहना कि यह पानी अचानक उतरा, यह तो बच्चों को बहकाने वाली बातें हैं। ऐसी बात जो कहते हैं वे गलत कहते हैं। मेरी जानकारी तो यहां तक है कि केसा ऐडमिनिस्ट्रेशन में साम्प्रदायिकता का बोलबाला है, वहां भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जो अधिकारियों की शराबखोरी और ऐय्याशी में सहयोग देते हैं। आप जाकर इस बात को वहां देख सकते हैं। वहां जो गोखले और रेजिडेन्ट इंजिनियर हैं वे क्या काम करते हैं? कहा जाता है कि वे बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि केसा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपये की बरबादी हुई है।

मुझे यह भी बतलाया गया है कि गवर्नमेन्ट को लाखों रुपये टैक्स की शक्ल में मिलता और इस तरह से ४० लाख रुपये अतिरिक्त का सरकार का नुकसान हुआ है। इस तरह से नेशनल इमर्जेन्सी के टाइम में १२–१३ दिन के अन्दर कितना नुकसान गवर्नमेन्ट का हुआ है इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं, जब कि सरकार गरीबों का खून चूसती है और एक-एक पैसा उनसे टैक्स के रूप में वसूल करती है। इसकी वजह और कुछ नहीं है सिवा इसके कि केसा के अधिकारियों की नीयत में खराबी है। इसको मैं उनकी लापरवाही नहीं कहता उनकी नीयत की खराबी ही कहता हूं जिसकी जुडिशियल इनक्वायरी होनी चाहिये और इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस का सहयोग लेना चाहिये तथा इसके पहले उन अधिकारियों को सस्पेन्ड कर देना चाहिये, वरना उनको तो प्रोत्साहन मिलेगा। मैं जानता हूं कि मिनिस्टर लोग तो उनको डिफेंड करेंगे ही क्योंकि मिनिस्टर लोग तो उनके वकील की हैसियत से काम करते हैं। सरकार तो बराबर उनके प्रोटेक्शन में रहती है। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिये और सेंट्रल इंटेलिजेन्स का सहयोग लेना चाहिये।

अभी ग्रिड सिस्टम की बात आयी। इर्रीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने सन् ६० में एक योजना दी थी जिसको कार्यान्वित किया गया होता या उन्नाव साइड में पुल के बन्धे को बढ़ा दिया जाता तो जहां पुल के नीचे गंगा आती है, उसका पानी पावर हाउस के नीचे बहने लगता। दूसरी बात यह कि जो इसकी नहर निकली है वह भी गलत तरीके से निकाली गयी है। आप उसके निकालने वालों को बुद्धिमान कह सकते हो, लेकिन मूर्ख आदमी भी उस जगह से नहर नहीं निकालता। तीसरी बात यह कि पुल से दो मील ऊपर की ओर उन्नाव साइड में ५००–६०० ट्रक्स रेत रोज उठाई जाती है जिससे उधर का लेविल नीचे होता जाता है और दूसरी तरफ का लेविल ऊंचा होता जाता है। इससे भी बड़ा खराब असर पैदा होता है। इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, यह तो बिलकुल मामूली-सी चीज है। उस रेत को कानपुर साइड से उठाया जाय।

जो योजना रुड़की इन्स्टीट्यूट की थी उसके अनुसार ५ करोड़ रुपये लगने थे, लेकिन उसको हैवी रकम कह कर खर्च नहीं किया गया। परन्तु आप देखें कि १०–१२ दिन के अन्दर ही करोड़ों रुपये का जो नुकसान हुआ है उतना रुपया तो योजना के पूरी होने पर भी व्यय नहीं होता। साथ ही मजदूरों की जो मजदूरी की समस्या पैदा हुई है। लाखों मजदूर बेकार हो गये। यदि उन्हें पूरी मजदूरी न दी गयी तो उनके पैसे की भी काफी बरबादी होगी। मिल मालिक तो गवर्नमेन्ट से वसूल कर लेंगे ही क्योंकि यह तो बिलकुल केसा ऐडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही ही नहीं बल्कि उनकी बदनीयती की वजह से यह सब हुआ है। बहुत सी मिलों में तो ताले लगा दिये गये और वहां मजदूरों की हाजिरी तक नहीं लगायी गयी। जैसा कि माननीय सन्तसिंह यूसुफ ने कहा, वहां बिजली के संकट के साथ-साथ मजदूरों की मजदूरी का भी गंभीर संकट पैदा होने वाला है। यदि हम मजदूरों की इस कठिनाई पर इस समय विचार कर लेते हैं और उनकी कठिनाई को दूर कर लेते हैं तो भविष्य की कठिनाई से हम बच जायेंगे वर्ना कानपुर जो एक औद्योगिक नगर है उसका सारा उत्पादन ही बन्द हो जायगा और मजदूर संकट पैदा हो जायगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस प्रश्न को विरोधी पक्ष और मिनिस्ट्री पक्ष का सवाल न बनाया जाय, इसे प्रेस्टीज की इशू न बनाया जाय, इसकी पूरी ठीक-ठीक जांच कराई जाय और दोषी अधिकारियों को दन्ड दिया जाय और केसा के जो अयोग्य कर्मचारी हैं और जो एक विशेष वर्ग के होने के कारण रखे गये हैं उन्हें अयोग्य पाये जाने पर अलग किया जाय।

एक सदस्य—

इधर भी बोलने का मौका दें।

श्री अधिष्ठाता—

पहले मैं उन लोगों को मौका दूंगा जिनके नाम इससे सम्बद्ध हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विचार बहुगुणा जी ने प्रस्तुत किये हैं मैं समझता हूं विद्युत् संकट के संबंध में उन्होंने एक लम्बी तवारीख की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। आज हमें इस बात की ओर खास तरीके पर ध्यान देना है कि जब यह संकट करीब १२ सालों से चल रहा है तो सरकार ने इस संकट को दूर करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये तथा उसमें क्या प्रगति हुयी। मुझे याद है कि यू० पी० इलेक्ट्रीसिटी कंसलटेटिव कमेटी की पहली बैठक ३१ जनवरी, १९६१ को लखनऊ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, श्री बी० बी० लाल, की अध्यक्षता में हुई थी और उस समय भी कानपुर में बिजली के संकट का प्रश्न उपस्थित था। उसी प्रश्न को लेकर बैठक बुलायी गई थी तथा जहां तक मुझे खयाल है और माननीय शान्ति प्रपन्न शर्मा जी उसको विस्तार के साथ कह सकेंगे कि उस समय कहा गया था कि संकट को दूर किया जायगा और बहुत जल्दी दूर किया जायगा। मुझे नहीं मालूम कि उस बैठक के बाद चेयरमैन ने क्या प्रगति की, उस संकट को दूर करने के संबंध में उन्होंने क्या योजना अपनायी। उसके बाद फिर दूसरा संकट २२ दिसम्बर, १९६२ को प्रस्तुत हुआ और उस समय संकट को देखते हुए, प्रगति को देखते हुए, अनुभव किया गया कि यह संकट दूर नहीं हो सका, हालांकि उस ओर लाखों रुपया खर्चा किया गया। इस सारे मामले को रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की को दिया गया कि वह जांच करके बताये कि आखिर इसके संबंध में क्या तरीके अपनाये जायं ताकि यह संकट दूर हो। मुझे जहां तक खयाल है, उसने दो सुझाव दिये थे। पहला तो यह कि एक बैरेज (barrage) बनाया जाय और दूसरा यह कि स्पर (spur) बनाया जाय। बैरोज बनाने में ४, ५ करोड़ का सवाल था और स्पर बनाने को टेक्नीशियन्स ने कहा कि उसका बनाना मुनासिब नहीं होगा। इसलिये स्पर नहीं बनाया गया। लेकिन बैरेज भी नहीं बनाया गया। उसके बाद हमारे सामने कोई प्रगति नहीं आयी कि आखिर १९६२ के संकट को दूर करने के लिये क्या योजना

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

बनायी गई। मैं सरकार के बिजली विभाग को चार्ज करता हूं कि यह कैपरलेसनेस १९६०, १९६२ में की गई, कमेटी नियुक्त की गई, लेकिन क्या प्रगति हुई ? लाखों रुपया खर्च करने के बाद इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरसिंह नारायण जी, आप बैठें, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरसिंहनारायण सिंह पाण्डेय, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था कि इसके बाद फिर ७-१०-६३ को संकट उपस्थित हुआ। श्रीमन्, जिस समय संकट उपस्थित हुआ मुझे खयाल है और मैंने अखबारों में भी देखा है कि हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्राणी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, एक नहीं दो बार कानपुर तशरीफ ले गयीं और उसके बाद संकट को दूर करने की प्रगति पर क्या कार्य किया गया और कितनी प्रगति हुई ? इसको भी देखते हुए, श्रीमन्, मैं आदरणीय सदन को बता देना चाहता हूं कि मुझे जो बताया गया कि आज भी यह संकट दूर नहीं हुआ और यह संकट अभी शेष है और दूसरे रूप में नवम्बर के महीने में आने वाला है, ऐसी मुझे सूचना दी गयी। श्रीमन्, इतना ही नहीं आज तो सबसे बड़ा सवाल है कि प्रोडक्शन बढ़े इस एमर्जेन्सी के समय में और अगर इस प्रकार के बिजली के संकट प्रदेश में होंगे तो प्रदेश का क्या होगा ? यह सरकार सदन के अन्दर और बाहर के भाषणों में इस बात की चर्चा करेगी कि देश के सामने आपत्कालीन स्थिति है। उत्पादन बढ़ाने के संबंध में हम लोगों को सुनाया जाता है, आम जनता को सुनाया जाता है, लेकिन यह सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरुक नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि आज कानपुर का संकट फिर आया।

श्रीमन्, आज सरकार को भी यह सोचना चाहिये कि आज जब कि संकट आता है, किसी प्रकार का संकट क्यों न हो, हम इस आदरणीय सदन के अन्दर और बाहर स्वीकार करते हैं। कोई कहता है कि जुडिशियल इन्क्वायरी बैठा दी जाय, कोई कहता है कि सी० आई० डी० इन्क्वायरी बैठा दी जाय और कोई कहता है कि हाई पावर कमेटी बैठा दी जाय। जहां तक मेरी जानकारी है, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं विदेशों की हुकूमतों की तरफ। इंगलन्ड में परमानेन्ट ट्रिब्युनल स्थापित किया जाता है। सरकार का कोई अधिकारी जो सरकारी क्षेत्र में काम करता है और उसके अन्दर लापरवाही पायी जाती है, शिथिलता पायी जाती है या उसके किसी कार्यकलाप में सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, तो वह ट्रिब्युनल उसकी जांच करता है और यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होती है। स्कैन्डीनेविया में भी इस तरह के ट्रिब्युनल बनाये जाते हैं और ये ट्रिब्युनल जनता की किसी भी शिकायत पर, लेजिस्लेचर की शिकायत पर उस कमेटी के सामने अपनी शिकायतों को पेश करते हैं। वे ट्रिब्युनल उनकी शिकायतों की जांच करते हैं। उन शिकायतों की बहुत गंभीरता से जांच की जाती है और जो अधिकारी फिर दोषी पाये जाते हैं उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन हमारे यहां कोई पैटर्न इस तरह का नहीं बनाया गया। हमारी डेमोक्रेसी फेल हो रही है और हमारे जनतंत्र में ब्यूरोक्रेसी तानाशाही की तरफ जा रही है और वह इस आदरणीय सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अपने को अक्षम पा रही है। इस तरह का पैटर्न बनाया गया होता तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से सरकारी पैसे का वे दुरुपयोग करें। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ठोस तरीके से सरकारी क्षेत्र कार्य कर सके और इस दिशा में प्रगति हो सके, इसके लिये आप इस तरह का कोई पैटर्न स्थापित करें।

१ लाख २० हजार मजदूर विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। जब प्ले आफ किया जाता है तो इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स ऐक्ट के सेक्शन ६ के मातहत प्ले आफ के पीरियड की मजदूर को मजदूरी दी जाती है। लेकिन कानपुर के मिल मालिकों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि चूंकि सरकारी गलती के कारण बिजली का संकट उपस्थित हुआ, लिहाजा हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम मजदूरों को प्ले आफ का पैसा दे सकें, क्योंकि प्रोडक्शन में नुकसान हुआ है। तो क्या सरकार वायदा करेगी कि मजदूरों को इस प्ले आफ का पैसा दिलाया जायगा जिस प्रकार कि सन् ६० में प्ले आफ के लिये पैसा उनको दिलाया गया था ?

गंगा की धारा उन्नाव की तरफ जा रही है। यह मेरा निवेदन है कि यह बात मनुष्यकृत है, दैवी प्रकोप नहीं। इसके लिये हम और आप जिम्मेदार हैं। कोई हाई पावर टेक्निकल कमेटी को एप्वाइंट किया जाय जो इसकी जांच करे तो हमें पता चलेगा कि ड्रेजर खड़े रहे और हम कोई काम इस तरफ नहीं कर सके।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह निर्विवाद सत्य है कि कानपुर में विद्युत् संकट उत्पन्न हुआ और उसमें लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। हजारों स्त्री-पुरुष जो श्रमिक के रूप में फैक्टरियों में काम करते थे और जो लोग बिजली कंज्यूम करते थे उनको कष्ट हुआ। यह ठीक है कि इतनी बड़ी घटना हुई और संकट आया तो सदन में इस प्रश्न को उठाया जाता और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित किया जाता। लेकिन वाद-विवाद जो रूप पकड़ रहा है और जो सुझाव आ रहे हैं उस पर थोड़ा-सा विचार कर लेना आवश्यक है।

माननीय बहुगुणा जी का कहना है कि केसा के अधिकारी यदि संकट आने के पूर्व अपने कमरों में सोये न रहते या जनसंघ के एक नेता ने जैसा कहा कि वे ऐशोआराम में फंसे न रहते तो इतना बड़ा संकट न आया होता। इसमें मतभेद हो सकता है। बहुत ही विकसित और विज्ञान में आगे जो राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका और रूस, वहां भी प्राकृतिक तथा दैवी आपदाओं के कारण ऐसे संकट आते हैं और जिन पर विज्ञान का कोई बस नहीं चलता। नदियों और समुद्र में ऐसे तूफान आते हैं कि जिनमें १ से ले कर १० हजार आदमी तक बह जाते हैं। तो यह कहना कि थोड़ा सा अधिकारी अगर सचेत रहते, सजग रहते, तो इतना बड़ा संकट न आता, यह बहुत दूर की चीज होगी। कितनी भी सतर्कता क्यों न अपनाई जाय, कभी कभी ऐसे प्राकृतिक इंसिडेंट हो जाते हैं, नदियों की धारायें इस तरह का मोड़ ले लेती हैं कि उनका मुकाबला करना कठिन हो जाता है। कुछ सदस्यों ने यह मांग की कि एक ऐसी हाई पावर जुडीशियल इंक्वायरी बैठना चाहिये और यह निष्कर्ष निकले कि सचमुच मानवकृत यह संकट रहा हो तो ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिये जिससे भविष्य में यह संकट पैदा न हो। लेकिन जिस प्रकार के सुझाव आये हैं वे स्वयं एक दूसरा संकट उपस्थित करेंगे। माननीय बहुगुणा जी ने इशारा किया है कि कपड़ा मिलें ७–८ दिन तक बन्द रही हैं और दशहरा के समय ऐसा सम्भव है कि कपड़े के दाम बढ़ जायं। मेरी समझ में बहुगुणा जी को ऐसा संकेत नहीं करना चाहिये था क्योंकि ऐसा करने से मिलमालिकों को वे स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कपड़े के दाम बढ़ायें। हमारे प्रदेश में कपड़े के दाम ऐसे ही बहुत बढ़ गये हैं और यह कोई कारण नहीं हो सकता कि कपड़े के दाम और बढ़ें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इसीलिये कहा है कि उनको रोका जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं यह कह रहा था कि माननीय बहुगुणा जी के इस संकेत को पा कर हो सकता है कि मिल-मालिक कपड़े के दाम बढ़ायें या बढ़ाने की मांग करें और उस पर मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसा संकेत करना एक दूसरा संकट उपस्थित करना है।

इस बात से तो मैं सहमत हूं कि मजदूरों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति की जानी चाहिये, लेकिन जो यह एक धमकी की बात कही जाती है कि मजदूरों की हड़ताल वगैरह करायी जायगी उसके लिये मैं चाहूंगा कि सरकार को स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये कि इस संकट का बहाना ले कर जो राष्ट्रीय संकट उत्पन्न करेगा तो सरकार उसका मुकाबला करेगी।

एक और भी सुझाव आया है और जिसका समाचार-पत्रों में भी उल्लेख हुआ है और माननीया सुशीला जी ने भी मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी एक ग्रिड बन जाय और रिहन्द को कानपुर से कनेक्ट कर दिया जाय। विज्ञान के इस युग में उत्तर प्रदेश की सारी बिजली कनेक्ट हो जाय इस पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुझे यह डर लगता है कि ऐसा होने से केसा की अथारिटीज वहां की विद्युत् सप्लाई को कायम रखने पर बहुत ज्यादा गम्भीरता से विचार न कर के एक बहुत ही सरल रास्ते के चक्कर में हैं। मैं इस सुझाव का केवल इसीलिये विरोध करता हूं कि रिहन्द की बिजली की पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत दिनों से आशा चली आ रही है और लोग यह आशा करते हैं कि रिहन्द जब पूर्णरूपेण बिजली सप्लाई करने लगेगा तो उस बिजली का उपयोग करने के लिये सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश का औद्योगीकरण करना होगा। अगर रिहन्द की बिजली कानपुर से कनेक्ट कर दी गयी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की औद्योगीकरण की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकेगा। यही कारण है कि मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। बहुत सीधी सी चीज है कि एक प्राकृतिक कारण से यह संकट पैदा हुआ कि बिजली प्लांट में पानी नहीं पहुंच सका। इसका सीधा उपाय यह है कि वह चाहे जितने की योजना बने ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि गंगा का पानी बिजली प्लांट तक पहुंचता रहे और कानपुर के बिजली प्लांट में जो कि एक बहुत पुराना प्लांट है उसकी विद्युत् की धारा में अवरोध उपस्थित न हो। तो इस बात को छोड़ कर सरकार अन्य सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो बिजली का संकट उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन के समक्ष रखे। सब से पहले माननीय बहुगुणा जी ने विस्तारपूर्वक सदन के सामने जो अपने विचार रखे हैं उनसे बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। यह अवश्य है कि खुद पार्टी का लिहाज रखते हुये और, जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा था कि वे पिछले मंत्रिमंडल में भी थे, उसका ध्यान रखते हुये उन्होंने शब्दों का बड़ी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। जैसा कि उन्होंने वर्णन किया है उससे स्पष्ट है कि जो बिजली का संकट कानपुर में उत्पन्न हुआ, यह कोई दैवी प्रकोप हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। माननीया सुशीला जी ने कहा कि दस फीट पानी का लेविल नीचे आ गया और ड्रेजर्स चलना बंद हो गये और हमारे साथी माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि गंगा की धारा है और आपत्तिकालीन स्थिति है। धारा की जो नेचर है उसके लिये क्या किया जा सकता है? लेकिन माननीय बहुगुणा जी ने बताया कि अक्तूबर में ही यह संकट उत्पन्न होता है। इससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि यह जो संकट उत्पन्न हुआ वह ऐसा नहीं था कि वह न आता या पहली मर्तबा आया है और अधिकारियों को या इंजीनियरों को इसकी जानकारी नहीं थी।

दूसरी बात, यदि माननीय सुशीला जी की मान ली जाय कि गंगा जी में दस फीट पानी का स्तर कम हो गया तो मंत्री जी को, अधिकारियों और कर्मचारियों को जितने वहां पर ड्रेजर्स थे उन सबको एक साथ चलवा देना चाहिये था। लेकिन यह कार्य उस समय तक नहीं हुआ जब तक कि सारा काम ठप्प नहीं हो गया। इससे हमारी आशंका बढ़ जाती है और जैसा कि

माननीय बसंतसिंह जी ने कहा, मेरा भी मत यही हो जाता है कि यह चीज जानबूझ कर डेलीबरेटली की गई। वैसे लोगों का कहना यह है कि वहां के कर्मचारी चाहते हैं कि हर साल मजदूर काफी संख्या में वहां पर काम करें। इसके संबंध में मंत्री जी डिटेल्स में बतायेंगे। वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तीन रुपये रोज मजदूरी दी जा रही है। जो ठेकेदारों के या नगर के मजदूर हैं पता नहीं उनको क्या मिलेगा, लेकिन शहर में यह एक आम चर्चा है कि वहां के कर्मचारी चाहते हैं कि इसके लिये काफी मजदूर रहें और बहुत सा रुपया खर्च हो जिससे काफी पैसा बचे। श्रीमन्, दो विभाग साथ हैं। लेकिन वाटर वर्क्स का काम ठप्प नहीं हुआ और वहां पानी बराबर आता रहा। लेकिन इस विभाग का काम बंद हो जाय और ड्रेजर्स खड़े रह जायं, यह डेलीबरेटली किया गया है और जान बूझकर बेजा फायदा उठाने के इरादे से कर्मचारियों ने किया है।

यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि मंत्री जी इसको छोड़ दें और इसकी जांच होनी चाहिये कि किस तारीख को पानी का लेविल गिरा और घाटों के ऊपर लेविल क्या रहा। यह प्रतिदिन का देखा जाय और इस बात की जानकारी की जा सकती है कि कब काम शुरू किया जाना चाहिये था। इसके लिये जुडीशियल इंक्वायरी से पता लगाया जा सकता है और जान बूझकर यह चीज हो गई है तो संबंधित लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिये और अगर पैसा कमाने की दृष्टि से यह काम किया गया है तो उनको अधिक से अधिक कठोरतम सजा दी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह कि न यह बहुगुणा जी की भावना हो सकती है न और किसी सदस्य की भावना हो सकती है कि कपड़े के भाव बढ़ें, न यही चाह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में मजदूर हड़ताल करें। उत्पादन का जो घाटा हुआ है वह अलग बात है, परन्तु मजदूरों की जो समस्या उत्पन्न हो गयी है उसकी ओर सरकार का जरूर ध्यान जाना चाहिये। गेट पर जाने के पश्चात् भी मजदूरों की हाजिरी नहीं की जा रही है जिससे मिल मालिकों को किसी बात का पैसा न देना पड़े। मैं समझता हूं कि इस संबंध में माननीय सिंचाई मंत्री से ज्यादा माननीय श्रम मंत्री का जो भाग है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। उनका परम कर्त्तव्य है कि जो मजदूर सरकार की इस योजना के अन्तर्गत बेकार हुए हैं उनको जो भी पैसा मिलना चाहिये दिलाया जाय, ताकि उनको बड़े-बड़े लिटिगेशंस में जाना न पड़े और वह तबाह न हों। मैं एक दूसरा आल्टर-नेटिव रखता हूं। चूंकि सरकार की गलती है इसलिये सरकार को चाहिये कि सरकार मजदूरों को पैसा दे कर मिल मालिकों से वसूल कर ले।

माननीय बसन्तसिंह जी ने स्वयं जा कर देखा है, गंगा जी का चैनेल काट कर पानी लाने का प्रयास किया गया है। जहां ऊपर से पानी लाना चाहिये, ऐसा न करके, ठीक वाटर-वर्क्स के सामने, बीच में काट कर पानी लाने का प्रयास किया गया है। इसमें गड़बड़ी है, जब पानी का फोर्स नहीं होगा तो कैसे काम चल सकता है?

जैसा कि अभी बहुगुणा जी ने सुझाव दिया कि चैनेल लगातार जारी रहे, यह व्यवस्था हमेशा के लिये की जा सकती है। गंगा जी की धारा ऐसी नहीं है जो एकदम सूख जायगी या कानपुर से दस मील दूर हट जायगी। सिंचाई मंत्री महोदय अगर किसी की गलती है तो इनक्वायरी करवा कर उसको सजा दिलायें जिससे आगे ऐसी गड़बड़ी करने की हिम्मत न हो। दूसरे, मजदूरों को प्लेआफ मिलना चाहिये, उनको समुचित मजदूरी मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि जो गलती हो गयी है उसको स्वीकार करते हुए सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ा दुख का विषय है। निहायत तकलीफ है हम लोगों को कि यह घटना वहां घटी। जब १९६० में कानपुर में पावर हाउस में पानी नहीं पहुंचा और उसके बाद हम लोगों ने विचार किया तो, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, यह समस्या

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

रुड़की के इर्रीगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेजी गई। कानपुर कारपोरेशन के उस वक्त के मेयर से भी मेरी बातचीत हुई थी और यह भी हम लोगों ने सोचा था कि इस समस्या को कारपोरेशन और गवर्नमेंट मिलजुलकर हल करने का प्रयास करे, क्योंकि कानपुर के पावर हाउस की ही बात नहीं है। वहां से जो पानी जाता है वह वाटरवर्क्स को जाया करता है और जो समस्या बिजली की है वह पीने के पानी की भी है। इस साल पीने के पानी की समस्या ज्यादा नहीं हुई। नहर विभाग ने एक दूसरी नहर से पीने के लिये पानी दे दिया और जब नदी में पानी नहीं था तो भी काम चल गया। इर्रीगेशन रिसर्च में जो जांच हुई तो दो ही एक उपाय इसके थे। एक तो यह कि बैरेज बना दिया जाय जिसमें कि गेट लगा दिये जायं और उससे नदी के पानी को कंट्रोल कर सकें, जब आवश्यकता हो। हम नरौरा में एक बैरेज गंगा पर बना रहे हैं जो इससे बहुत ऊपर है और जिसमें पाट भी इतना नहीं है। उसमें साढ़े चार करोड़ का खर्चा है। कानपुर का पाट भी उससे बहुत ज्यादा है। अगर वह भी मापदंड लगाया जाय, तो उससे कुछ ज्यादा ही दाम लगेंगे जबकि हमारा पावर हाउस केवल साढ़े पांच करोड़ का है। तो उसकी कास्ट इससे भी ज्यादा हो जाती है। इसलिये यह कुछ अधिक ठीक नहीं था।

दूसरी बात स्पर्स की थी कि कुछ स्पर्स लगा दिये जायं और नदी का पानी ढकेल कर कानपुर में ला दिया जाय। यह एक बड़ी भयंकर बात है। साधारण समय में तो यह ठीक होता कि पानी उधर आ जाय। लेकिन असाधारण परिस्थिति में यह एक भयानक बात हो जाती। इससे सोचा गया कि यह भी बात ठीक नहीं है।

तीसरी चीज एक यह भी सोची गई कि कानपुर के स्टेशन को हम एक ग्रिड बनाकर रिहंड से जोड़ दें। जिससे यह हो कि संकट के समय में यदि कभी आवश्यकता हो तो कानपुर को रिहंड से बिजली मिल सके। भाई कृष्णानन्द राय की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि इस लिंक के करने का हमारा यह मतलब नहीं है कि रिहंड की बिजली की जहां आवश्यकता हो पूर्वी जिलों में वहां से उस बिजली को हम लें लेंगे। बल्कि रिहंड तो हमारी एक स्टोरेज स्कीम है। पांच मशीनें अब हैं। छठी ५० हजार की मशीन लगाने जा रहे हैं। तीन लाख किलोवाट बिजली वहां है और साधारणतः लाख सवालाख किलोवाट बिजली वहां से लेते हैं। संकट के समय में एक मशीन चला दी जाय और उससे यहां कानपुर के लिये बिजली ले ली जाय। आपकी जानकारी के लिये यह भी मैं बता दूं कि रिहंड के पास ही एक काफी बड़ा स्टेशन ओबरा का बनाने जा रहे हैं। फोर्थ प्लान में हमारी स्कीम है कि कम से कम पांच लाख का और एक स्टेशन बना दें और इस तरह से ओबरा का भी स्टेशन मिलाकर साढ़े आठ लाख के करीब वहां हो जायगा। तीन लाख का तो रिहन्ड ही है। वहां से लिंक करने से कोई यह बात नहीं थी कि वहां की बिजली यहां डाइवर्ट होती। हमारा यह प्रयास है कि अगले आने वाले अक्तूबर तक और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ वर्ष में हम कानपुर को २ लाख २० हजार की लाइन से रिहन्ड से जोड़ देंगे जिससे कि यह संकट साधारणतः नहीं आ सकेगा। मैं उन लोगों में से हूं कि जिन्होंने पिछली दफा यह कहा था कि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कानपुर में फिर यह संकट नहीं आने पावेगा। सन् ६० में हमने यह बात कही थी। इसके लिये एक तो हमने यह प्रयास किया, दूसरा यह किया कि एक दूसरा स्टेशन ६२ हजार किलोवाट का हम कानपुर में बनाने जा रहे हैं और यह संकट देखते हुए कि पानी का संकट यहां पर हमेशा रहेगा हमने यह किया कि दूसरा पावर हाउस गंगा के किनारे न बनाकर पनकी एक जगह है वहां ले गये जिससे कि संकट से बचे रहें।

एक चीज जो हमने सोची वह यह है कि जो हमारे पास ४ ड्रेजर्स थे उनको बढ़ाकर १० कर दिया और कानपुर के पास जो २ ड्रेजर्स थे उन्होंने भी उसमें दो बढ़ा दिये और इस तरह से उनके ४ ड्रेजर्स हो गये। तो हमें यह विश्वास था कि १४ ड्रेजर्स से हम साधारण संकट को निभा ले जायेंगे। ऐसी स्थिति में साधारणतः गंगा की जो स्थिति होती है वह हरिद्वार में ५ हजार

क्यूजेक्स के करीब होती है और इस साल भाई बहुगुणा जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा फ्लड आया वह सन् २४ के बाद सबसे पहले ६ लाख क्यूजेक पानी हरिद्वार में आया। यह कोई साधारण संकट की बात नहीं थी। यह एक फैक्ट है कि ३८ वर्ष में सबसे पहले ६ लाख क्यूजेक्स पानी गंगा में आया। हम साधारण स्थिति के लिये तैयार थे। दो लाख, सवा दो लाख क्यूजेक्स तक पानी आया करता है। उसकी जगह ६ लाख क्यूजेक्स पानी आ जाय यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी। अगर कहीं भूकम्प आ जाय और आप उसके लिये कहें कि आप इसके लिये तैयार क्यों नहीं थे, ऐसी ही बात इस संबंध में भी है। अगर साधारण बात होती तो हमारे ड्रेजर्स और हम इस स्थिति में थे..... (व्यवधान) मेरी बात पहले आप सुन लें। मैं फिर दोहराता हूं कि सन् २४ के बाद सबसे पहले इस प्रकार का फ्लड आया था जिसमें ६ लाख क्यूजेक्स पानी आया। तो यह कोई आदमी नहीं पैदा कर सकता था। यह नेचर का पैदा किया हुआ था.... (व्यवधान) मैं जानता हूं, बहुत से लोगों ने यह कहा कि ड्रेजर्स काम में नहीं थे, उनसे काम नहीं लिया जा रहा था। मैंने पता लगाया कि कौनसा ड्रेजर किस-किस दिन कहां काम कर रहा था और उसके लिये अगर आप चाहें तो मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक और आपको मैं निमन्त्रण देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की तरफ से। वहां बैठकर आप चाहे जो बात कह दें, लेकिन आप मौके पर चलकर देखें तो आपको विश्वास हो जायगा कि परिस्थिति ऐसी थी और इस परिस्थिति पर जिन्होंने काबू किया वह बधाई के पात्र हैं। मैं मंत्री जी की तरफ से यह निमन्त्रण आप सब लोगों को देना चाहता हूं ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया आपस में बात न करें और माननीय शान्तिप्रपन्न जी, आप भी मुझे सम्बोधित करें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तो मैं मंत्री जी की तरफ से यह आफर देता हूं कि जितने माननीय सदस्य चाहें उन सबको हम कानपुर ले जाने के लिये तैयार हैं और अगर आप निश्चय करें तो परसों जिस वक्त भी आप कहें हम बस या गाड़ी का इन्तजाम कर देंगे और सौ, डेढ़ सौ जितने भी सदस्य जाना चाहें सबको ले जायेंगे और बतायेंगे कि कहां-कहां कैसी-कैसी परिस्थिति थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को सपोर्ट करेंगे कि हमारी तरफ से कोई गल्ती नहीं की गई। हमारे लोगों ने जितना भी प्रयास किया वह तारीफ के ही लायक नहीं था, बल्कि वे इससे अधिक बधाई के पात्र हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

हम चलने के लिये तैयार हैं कानपुर।

श्री शान्तिप्रपन्नशर्मा—

जो भी लोग चलें हम सबको ले चलने के लिये तैयार हैं।

ड्रेजर की बात आपने कही। हमारा एक ड्रेजर नीचे था और वह नीचे इसलिये रहा करता है कि जब कभी पानी कम होता है वहां पर बालू इकट्ठा होने की वजह से तो उसमें वह काम करता है। दो ड्रेजर्स वहां पर बीच में थे। जितने ड्रेजर थे वह ऊपर की तरफ थे जहां पर धारा बहती है। उसके बीच में हमारे ६ ड्रेजर्स थे। उनकी क्या पीजीशन थी, जब मेम्बर साहबान वहां पर चलेंगे तो हम उनको दिखलायेंगे। उनका हमारे पास सब नक्शा है कि कौन कहां पर था और क्यों था।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

मान्यवर, आपकी जानकारी के लिये मैं यह भी बताऊं कि जैसी भयंकर स्थिति हुई २३ तारीख से उसका पूरी तरह से मुकाबिला किया गया। २३ तारीख से पानी गिरना शुरू हुआ। साधारणतः कानपुर में हमारा पावर हाउस दिन में ५५ हजार कि० वा० बिजली पैदा करता है। सायंकाल को करीब ६५ हजार कि० वा० बिजली पैदा करता है। २३ तारीख से यह संकट आया जब से कि पानी कम होना शुरू हुआ। हमारे लोग उन ड्रेजरों से काम चलाता रहे और करीब ढाई, ३ मील से एक नाली बनाकर वह पानी लाये, लेकिन फिर भी अचानक उसमें पानी कम हो गया और पानी के कम होने से ७ तारीख को स्थिति यह हो गई कि पानी का आना बिलकुल बन्द हो गया। तब यह किसी तरह से संभव नहीं था कि पावर हाउस को चलाया जाय बिना पानी के, फिर भी हमारे लोगों ने इस बात का प्रयास किया। वहां पर एक नाली है उससे पानी लिया। यह नहीं, बल्कि जो पावर हाउस वहां से गंगा का पानी भेजा करता था पम्प करके उसके लिये हमने इस बात का प्रयास किया कि उल्टे उस नहर से पानी लें और वहां पर एक झील बन गई। वाटर वर्क्स की मारफत पम्प करके उस पानी को लिया। हमने बराबर प्रयास किया। दिन में हम १५ हजार कि० वा० बिजली और शाम को ३० हजार कि० वा० बिजली बनाते रहे। इससे लाइट और पंखे बन्द नहीं हुये। यह जरूर हुआ कि बिजली कम बनी और कुछ इंडस्ट्रियल लोड को भी कम करना पड़ा फिर भी इस बात का प्रयास किया गया कि पावर कुछ न कुछ मिलती रहे। १० तारीख को हमने अपनी स्माल आर्म्स फैक्टरी को दो हजार कि० वा० बिजली देना शुरू किया क्योंकि वहां बिजली देना बहुत जरूरी था। ११ तारीख को हमने ४ हजार कि० वा० बिजली दी। १२ तारीख को हमने लोगों से यह कहा कि हमारे पास इतनी बिजली हो गई है कि हम एक शिफ्ट के लिये मिलों को बिजली दे सकते हैं। इसलिये उनसे कहा कि मिल को चलाओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिये मैं यह बतला दूं कि उस दिन इतवार था। वहां पर जो मजदूर थे उन्होंने यह कहा कि इतवार को हम काम करने के लिये नहीं आयेंगे। वह मजदूर काम करने के लिये तैयार नहीं थे। फिर भी हम प्रयास करते रहे कि बिजली उनको दी जाय ताकि वे अपना काम चला सकें। कुछ मिल मालिकों की भी समस्या थी। जब हमने उन मिल मालिकों से कहा तो वे भी तैयार नहीं थे।

१४ तारीख से हम पूरी बिजली दे रहे हैं और कोई रेसट्रिक्शन अब वहां उस पर नहीं है। जैसा कि बहुगुणा जी ने बताया, इस काम को करने में हमारे यहां के करीब १६ हजार आदमियों ने ३ शिफ्ट में काम किया। कुछ भाइयों ने कहा कि पहले इन आदमियों को क्यों नहीं लगाया गया। जब १० फीट पानी होता है तब यह आदमी काम नहीं कर सकते, ड्रेजर्स ही काम कर सकते हैं। जब तक पानी २, २ १/२ फीट न आये तब तक लेबर से काम नहीं हो सकता। बालू तभी उठ सकती है जब वहां घुसा जा सके और बालू निकाल सके। जब २ १/२ फीट हो गया तब वह काम पर लगे उससे पहले संभव नहीं था, फिर भी १६ हजार आदमियों ने निरंतर काम करके हमको इस पोजीशन पर पहुंचा दिया कि १४ तारीख को हम पूरी की पूरी बिजली वहां दे सके। इस तरह से ७ तारीख को यह संकट प्रारम्भ हुआ और १४ को समाप्त हो गया। मैं इस बात को जानता हूं कि इसमें हमारा बड़ा भारी नुकसान हुआ, बहुत से मजदूर भी बेकार हो गये।

मेरा एक सुझाव है इधर और उधर के माननीय नेताओं से और माननीय मंत्री जी से कि यह दैवी प्रकोप था और उस प्रकोप से बड़ा भारी नुकसान हो गया। इसलिये इन तीन चार महीनों में अगर चार इतवार के बदले दो इतवार हमारे मजदूर लोग काम करें तो ६ दिन तीन महीने में निकल जायेगा और उनके निकल जाने में मजदूरी भी, बहरहाल कुछ एक्सट्रा वेजेज भी मिलते हैं, ज्यादा मजदूरी मिल जायेगी और जो हमारा नुकसान प्रोडक्शन का है वह भी पूरा हो जायेगा। इस तरह से हम एक स्थिति में होंगे। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस बात के लिये तैयार हो जायेगी, मैं जानता नहीं लेकिन

कानूनी जो रेसट्रिक्शन्स हैं गवर्नमेंट यदि उनको हटा दे तो आने वाले दिनों में दो इतवार की छुट्टी और दो इतवार में मजदूर काम करें तो हमारे प्रोडक्शन में कोई नुकसान नहीं होगा और मजदूरों को तनख्वाह भी मिल सकेगी ।

जहां तक इन दिनों में प्ले आफ वाली चीज है, सरकार इस बात को देखेगी कि इस सम्बन्ध में जो नियम हैं उनका पालन किया जाय और मजदूरों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

उनको उस समय का पैसा दे दिया जाय ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पैसा भी उनको दे दिया जायगा अगर आपकी कुछ ऐसी कृपा हो ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सन् ६० में बहुगुणा जी जब डिप्टी मिनिस्टर हुये थे उस वक्त भी ऐसा ही संकट आया था और मजदूरों को उस संकट के समय का पैसा मिला था । इसलिये सन् ६३ में भी उसी तरीके से मिलना चाहिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसको देख लेंगे । माननीय मंत्री जी ने मुझको यह भी आदेश दिया है कि मैं बताऊं कि हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको तो लिंक कर दें और एक दूसरा पावर हाउस भी बनायें, लेकिन उसके साथ-साथ हम इस बात के लिये कमेटी भी बैठाना चाहते हैं कि वहां यह संकट आगे न आये, क्या इसके लिये कोई उपाय ऐसा संभव है जैसे कि कूलिंग टावर का बनाना, वगैरह । इस कमेटी में हमारे जो सेंन्ट्रल वाटर बोर्ड के कुछ लोग होंगे, कुछ हमारे यहां के जो सीनियर ग्रेड के इंजीनियर्स हैं वह होंगे और वह कमेटी हमको १५ रोज के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट पर हम काम करें । साधारणतया हम समझते हैं कि वह एक कूलिंग टावर का सजेशन देंगे. उसमें भी करीब एक करोड़ रुपया खर्च होने वाला है उसके लिये जब हम आपके पास आयेंगे तो मुझे यकीन है कि आप उस बात को सपोर्ट करेंगे ।

अन्त में, केसा के बारे में बहुत सी बात कही गई हैं । मेरा यह विश्वास है कि केसा का एडमिनिस्ट्रेशन एकोनामीकली चलने में और अपनी एफीशिएन्सी के लिये काफी अच्छा है, उसकी काफी प्रसिद्धि है । यूसुफ साहब तो मुझ से एग्री नहीं करते, लेकिन जब आप कानपुर जायेंगे और कानपुर के लोगों से बात करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे । मुझे डेफिनिटली मालूम है कि सन् ६० में जब यह संकट आया था तो वहां के जो मिलमालिकान हैं और जो लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं उनके ऐसोसियेशन ने हमको यहां एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें यह कहा था कि कानपुर के ऐडमिनिस्ट्रेशन ने और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जिस तरह से काम किया है उसके लिये वह सब लोग बधाई के पात्र हैं । आखिर में एक बात दोहराता हूं कि सब लोग मिल कर अगर आप निश्चय करें तो परसों या किसी और टाइम हम लोग चलेंगे और देखेंगे तो उसके बाद उसी नतीजे पर आयेंगे जिस पर मैं आया हूं ।

श्री संतसिंह यूसुफ—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि नेचुरल कैलेमेटी हुई, कुछ लोग यह कहते हैं कि केसा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह हुआ, तो आप इसकी जानकारी के लिये क्यों नहीं एक जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाते कि यह जो १० करोड़ की क्षति हुई इसमें किसकी जिम्मेदारी है, केसा की है या खुदा आप से नाराज हो गया आपके कर्मों की वजह से, यह भी तय हो जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यूसुफ साहब, आपका प्रश्न हो गया है। माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि १५ मिनट बाकी हैं; १५ मिनट आप बोलना चाहेंगे या कम ?

(सिंचाई मंत्री) श्री गिरधारीलाल—

मैं १० मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

तब माननीय गेंदासिंह जी, आप कृपया ५, ६ मिनट बोल लें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस मौके पर अपने होनहार नौजवान साथी बहुगुणा जी को दाद देना चाहता हूं इसलिये कि उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इस मामले को उठाया और इसलिये भी कि चूंकि उन्होंने यह नियम ५३ का सवाल उठाया है तो इससे मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को भी उस पर कोई कार्यवाही करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी आदत रही है पिछले जमाने में अंग्रेजों के वक्त से कि ऐसे वक्त पर हम नेचुरल कैलेमिटी कह कर अपने सर से बला टाल देते हैं। यू० पी० का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आज सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खर्चीला है जहां बहुत ही फय्याजी के साथ सरकार अपने मुलाजिमान को बड़ी-बड़ी तनख्वाह देने में बहुत-सा रुपया खर्च करती है....

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

यह गलत बात है।

श्री गेंदासिंह—

मैं आपके सामने फीगर्स रखने को तैयार हूं, कोई ऐसी उड़ी हुई बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि आज सारे भारतवर्ष में हमारे मुंह पर जो कालिख लगी है उसको धोने में इस सरकार को थोड़ी देर लगेगी। श्रीमन्, कानपुर जैसे शहर में जो कहा जाता है हमारे समूचे सूबे का हृदय है, इंडस्ट्रियल सेन्टर है, उस पर बहुगुणा जी ने सफाई से काफी कह दिया है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं शान्ति प्रपन्न जी से जानना चाहता हूं कि बहिन सुशीला जी ने जब उनका ध्यान दिलाया था कि ऐसा खतरा आने वाला है तो क्या शान्ति प्रपन्न जी ने कभी वहां जाने का कष्ट उठाया। आपने नहीं उठाया। मैं पूरी सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुगुणा जी ने कहा कि सन् ३९ में ही अंग्रेजों के जमाने में यह खतरा हुआ था, २८ में भी किसी ने सोचा था। ३९ से ६३ तक यह पता था कि वह संकट आ सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संकट पर जिम्मेदारी के साथ सरकार ने कौन सी कार्यवाही की। पांच करोड़, १० करोड़ रुपया खर्च हो जायगा। मैं आपके पक्ष में बैठे हुये माननीय राममूर्ति जी से यह कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में फ्लड कंट्रोल पर खर्च हो रहा है, तो उसका कौनसा अंश यू० पी० में खर्च हो रहा है। इस बात की जानकारी पिछले मर्तबे उनको नैनीताल में हुई थी जबकि माननीय हाफिज मोहम्मद इब्राहीम ने कहा था कि यू० पी० गवर्नमेंट ने कभी लिखा नहीं था कि उनको इसके लिये धन दिया जाय, न कभी यहां से मांगा गया। अगर नदियों को टेम करने के लिये धन मंगाया गया होता, तो धन की कमी न होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो के० एल० राव साहब आये थे, और कुंवर सेन साहब आये थे, तो उनकी रिपोर्ट इतनी मोटी छपी है कि यदि माननीय शान्ति प्रपन्न जी कहें, तो मैं उनकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। मैं यह चाहता हूं कि वह उसको देखें। वह चाइना गये थे, वहां पर दौरा करके आये थे। आप यदि यह कहें कि वह तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम्युनिस्ट देश की है इस कारण से नहीं देखेंगे तो आप अपने पड़ोसी राज्य, मद्रास, पंजाब और बिहार से क्यों नहीं सीखते हैं कि वहां पर नदियों को किस तरह से टेम किया जाता है, कौन कौन से उपाय वहां पर उनको टेम करने के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश आज बिजली में, खेती में और आबादी में सब बातों में पीछे है। मैं आबादी के झंझट में इस समय नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई आप मास्टर प्लान बनायें, तो उस वक्त कानपुर में पानी की बात आपने सोची कि गंगा का पानी कानपुर से किस तरह से होकर जाय। एक तरफ यदि आप यह सोचें, तो दूसरी तरफ आपको यह भी सोचना है कि सीटी को खतरा न उत्पन्न हो। तो क्या दोनों तरफ इस तरह से नहीं बनाया जा सकता है कि जिससे कारखानों को बिजली की कमी किसी प्रकार से न होने पाये। मैं समझता हूं कि यदि १०, ५ करोड़ उसमें खर्च भी हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक मर्तबा की ही बात तो है।

हमारे बहुगुणा जी ने कहा और हमारी माननीय सुशीला जी ने भी कहा कि यह बड़ा भारी काम इस वक्त हो रहा है। मैं उसकी निन्दा नहीं करने जा रहा हूं। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि आग लगने से पहले रोक देना चाहिये, यदि आग बुझाने में सारी ताकत खर्च कर दी जाय, तो यह कोई बड़ी बुद्धिमानी की बात न होगी। इस वक्त सरकार को आंख खोल कर केसा के अधिकारियों को और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारियों को, जिनका भी दोष पाया जाय, उनको इस बारे में कड़ी सजा दी जाय। इस तरह से यह काम चलने वाला नहीं है। आप जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट लोगों की राय लेकर के १०–५ करोड़ रुपया खर्च करके कानपुर को इस मुसीबत से आगे के लिये बचायें। यदि भविष्य में आगे ऐसा कभी हुआ तो यह यू० पी० के सम्मान के विरुद्ध बात होगी। हमारी हिम्मत इससे और बातों में टूट जायेगी और इससे हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो हम देहात में और छोटे-छोटे गांवों में इंडस्ट्री को पनपा नहीं पायेंगे। इतना मैं और कह कर आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि फिर इस तरह की हरकत न होने पाये। इसलिये इसके लिये एक कमेटी बिठाई जानी चाहिये कि किस तरह से आगे इस पर कार्य हो कि इस प्रकार का संकट भविष्य में दोबारा न उत्पन्न होने पाये। वह इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दे और उन सुझावों पर पूर्णरूप से अमल किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अगर बहुत आवश्यक हो तो तिवारी जी कुछ देर बोल सकते हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी बोलने के मूड में नहीं मालूम होते हैं।

*श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शर्मा जी ने यह बात कही ....

श्री अधिष्ठाता—

आप २-३ मिनट से ज्यादा न लें।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

बहुत कुछ कहा कि कानपुर को सब्ज-बाग बना देंगे, इतने प्लान बना रहे हैं, इतना रुपया वहां खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं कहा कि जहां पर केसा के अधिकारी, टेक्निकल एक्सपर्ट्स बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेते हैं लेकिन वह सोते रहे कि पानी ऊपर से २ लाख क्युजेक्स चला आ रहा है और .....

श्री अधिष्ठाता—

आप नयी बात कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट—

यह नयी बात है कि पानी ऊपर से चला आ रहा है और सो रहे हैं और जब रिसीड कर रहा है उस वक्त भी तैयार नहीं होते कि हमको क्या कदम उठाना चाहिये। साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि पावर हाउस का ड्रेजर काम कर रहा था। दो काम कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ड्रेजर बेकार पड़ा हुआ है। फिर टेबिल लैंड कितने दिनों से ऊंचा हो रहा था? वह करते क्या हैं? आज उस तरफ से उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह बड़ा अच्छा काम करते हैं। जब करोड़ों का नुकसान हो गया फिर भी वकालत उनकी तरफ से की जा रही है। यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार था। किस लिये वह तनख्वाह पाते हैं? एक तो उनकी आवश्यक जांच होनी चाहिये जिनकी गलती के कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया और दूसरे जो संकट आने वाले हैं लेबर का २० हजार मजदूरों की तनख्वाह बाकी है, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। यह एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि सरकार की तरफ से शान्ति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा वह ठीक ही कहा। उनको पूरे तौर से उस सम्बन्ध में वाकफियत है। मैं बात इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने सदस्य हैं, वह जब जायेंगे, वहां जाकर उन चीजों को देखेंगे तो अपने आप पता चल जायगा कि कहां क्या हुआ और वह खुद इस राय के ऊपर आयेंगे कि वहां के लोगों ने किस तरीके से काम किया।

और बातें जो कही गयीं, मैं समझता हूं कि जो ग्रिड सिस्टम का तरीका बताया गया है वही असली और ठीक तरीका है और वही काम करेगा। जैसा कि कमेटी के बाबत कहा, तो उसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे केन्द्र के और यू० पी० के और उनकी एक कमेटी बनेगी जो अपना फैसला करेगी।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ अक्तूबर, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

१९६२–६३ को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों में चीनी के उत्पादन के आंकड़े व गुड़ तथा खंडसारी के सुरक्षित तथा अभ्यापित क्षेत्रों में उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों का विवरण।

वर्ष	चीनी	गुड़	खंडसारी
१	२	३	४
		लाख टनों में	
१९६०-६१	१४.०४	१२.९८	२.५०
१९६१-६२	११.८५	१३.२०	२.४०
१९६२-६३	८.३४*	१३.२५	२.००

*संख्या सामयिक है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८६ पर)

तालिका

वर्ष	थाना	अपराध	अपराधों की संख्या	मामले, जो सजायाब हुए	मामले जो छूट गए	अन्य विवरण
१९६०	कैम्पियरगंज ..	कत्ल	४	१	२	१ में अन्तिम रिपोर्ट।
		डकैती	१	..	१	..
		चोरी	१३	२	३	७ में अंतिम रिपोर्ट, १ अदम तफतीश।
	पुरन्दरपुर ..	कत्ल	२	१	२	..
		डकैती	४	१	२	१ में अन्तिम रिपोर्ट।
		चोरी	२९	१	१०	१६ में अंतिम रिपोर्ट, २ अदम तफतीश।
	नईकोट ..	कत्ल	..	..	..	
		डकैती	..	..	..	
		चोरी	७	१	२	३ में अंतिम रिपोर्ट, १ अदम तफतीश।
१९६१	कैम्पियरगंज ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	२९	२	१	२१ में अंतिम रिपोर्ट, ४ अदम तफतीश, १ खारिज।
	पुरन्दरपुर ..	कत्ल	१	..	१	..
		डकैती	६	३	३	..
		चोरी	२२	६	१	११ में अंतिम रिपोर्ट, ४ खारिज।
	नईकोट ..	कत्ल	१	..	..	अन्तिम रिपोर्ट।
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	४५	५	६	२२ में अन्तिम रिपोर्ट, २ न्यायालय में, ३ अदम तफतीश, ७ खारिज।

वर्ष	थाना	अपराध	अपराधों की संख्या	मामले, जो सजायाब हुए	मामले, जो छूट गए	अन्य विवरण
१९६२	कैम्पियरगंज ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	२०	४	३	८ में अंतिम रिपोर्ट, ४ अदम तफतीश, १ खारिज।
	पुरन्दरपुर ..	कत्ल	१	..	१	..
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	२३	१	३	१८ में अन्तिम रिपोर्ट, १ खारिज।
	नईकोट ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	३	२	१	..
		चोरी	३७	१	२	२५ में अन्तिम रिपोर्ट, ५ न्यायालय में, ३ अदम तफतीश, १ खारिज।
मार्च, १९६३ तक	कैम्पियरगंज ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	८	२	..	३ में अन्तिम रिपोर्ट, ३ न्यायालय में।
	पुरन्दरपुर ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	..	..	..	..
		चोरी	६	..	१	१ न्यायालय में, ३ में अंतिम रिपोर्ट, १ अदम तफतीश।
	नईकोट ..	कत्ल	..	..	..	..
		डकैती	१	..	..	न्यायालय में विचाराधीन।
		चोरी	६	..	१	४ में अंतिम रिपोर्ट अदम तफतीश।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८८ पर)

प्रेषक,

चन्द्रबलीसिंह, एम० एल० ए०,
रुद्रपुर, देवरिया।

सेवा में,

श्री पुलिस मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

प्रिय महोदय,

दिनांक १२ जुलाई, १९६३ को रुद्रपुर में रुद्रपुर राप्ती कछार जन सम्मेलन का सातवां सम्मेलन श्री चन्द्रबलीसिंह के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ, जिसमें निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति पास हुआ। उसे उचित कार्यवाही के लिए आप की सेवा में भेज रहा हूं :—

प्रस्ताव

१—रुद्रपुर कछार जन सम्मेलन का यह सातवां सम्मेलन, रुद्रपुर थाने के वर्तमान दरोगा, श्री सुरेन्द्रसिंह द्वारा गत १० जुलाई को ग्राम प्रधान, डाला, श्री रामहीत यादव को ग्राम के दो दलों के कथित झगड़े के मामले में बुलाकर, यह पूछ कर कि क्यों न कोई कार्यवाही की गई कुछ उत्तर न दे सकने के कारण भद्दी-भद्दी हजारों गालियां देना, जूते से मारने का उपक्रम कर रुक जाना और इसी कारण दफा ५१ में बन्द करने और गत १ जून का रामप्रस्त के एक मामले के जांच के अवसर पर, ग्राम प्रधान, श्री राम नक्षत्र सिंह का बयान आदि लेते समय आदर के साथ आसन वगैरह न देने की घटना को अपने प्रधानों और जनतंत्र की खुली बेइज्जती समझता है। ऐसी ही हरकतें आमतौर पर पुलिसगण, ग्राम नेता को कौन कहे, प्रधानों तक के साथ कर रहे हैं। उपरोक्त दोनों घटनाएं दरोगा, श्री सुरेन्द्रसिंह द्वारा की गईं बदतमीजी की घटनाएं हैं, जिसके प्रति सम्मेलन गुस्सा एवं रंज व्यक्त करता है और इसकी घोर निन्दा करता है। सरकार और जनपद के अधिकारियों से मांग करता है कि जांच कर उचित कार्यवाही करें।

(२) रुद्रपुर राप्ती कछार जन सम्मेलन का यह सातवां सम्मेलन सरकार से मांग करता है कि रुद्रपुर थाना सरका मवेशी और कच्ची और हरी फसलों की चराई कटाई के लिए कुख्यात है। इस साल सैकड़ों बैल मवेशी चुराये गये और हजारों बीघे खेतों की फसलें चुरा और काट खिलाई गईं। गत साल भी ऐसी ही हालत रही। सम्मेलन सरकार से किसी विशेष प्रयत्न या विधि द्वारा इस हरकत को रोकने की मांग करता है।

(३) रुद्रपुर राप्ती कछार जन सम्मेलन का यह सातवां सम्मेलन जानता है कि रुद्रपुर की पुलिस बजाय २॥) के १) सेर जबरदस्ती गोश्त खरीदती है। सभी सूचनाओं की रपट दर्ज नहीं करती है। फर्जी मुकदमें चलाती है। बदनीयतन सच्चे मुकदमें बिगाड़ती है। घूस लेने और ग्राम जनता को पीटने में माहिर है। अवांछनीय तत्व पालती है। नायब दरोगा द्वारा तिबई ग्राम से घूस लेना और पीटना मात्र सबूत काफी है।

अस्तु सम्मेलन जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग करता है।

भवदीय,

चन्द्रबली सिंह, स० वि० सभा०,
सातवां रुद्रपुर राप्ती कछार,
जन सम्मेलन, रुद्रपुर।
देवरिया १७-७-६३।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९१ पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी जाने वाली प्रति माह मजदूरी

मजदूरी की दरें

जिले या क्षेत्र	मेट रुपया	मजदूर रुपया
गाजीपुर	४५	३४
जौनपुर	..	..
देवरिया	४३ से ४५	३३ से ३५
आजमगढ़		
पूर्वी उत्तर प्रदेश .. .. .. (औसत)	४३ से ४५	३० से ३४
पश्चिमी उत्तर प्रदेश .. .. (औसत)	४७ से ५८	३७ से ४५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९४ पर)

दिनांक १०-८-६३ को श्री बख्शी मंगल स्वरूप निवासी १७ बी, श्रृंगार नगर, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ ने साइकिल की चोरी की एक रिपोर्ट मोहल्ला रामनगर के एक दूकानदार, महेन्दर-सिंह के विरुद्ध थाना कृष्णानगर में लिखाई। इस मामले की जांच एस० आई०, श्री डी० डी० वर्मा, सेकेंड आफीसर, थाना कृष्णानगर के सुपुर्द हुई। वे कान्सटेबुल शब्बीर अहमद व जयकरन सिंह के साथ महेन्दरसिंह की दुकान पर पहुंचे। महेन्दरसिंह ने बताया कि चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित साइकिल मेरे घर पर मोहल्ला आदर्शनगर में रखी है। सब-इन्सपेक्टर ने महेन्दरसिंह को हिरासत में लिया और उनके घर पर मोहल्ला आदर्शनगर में साइकिल बरामद करने के लिए गये। उनके साथ दो गवाह भी मौजूद थे। महेन्दर सिंह को लेकर जब सब-इन्सपेक्टर उसके घर में दाखिल हुए तो महेन्दर सिंह का भाई ईश्वर सिंह आ गया और महेन्दर सिंह से पंजाबी में कुछ बातचीत की और चला गया। थोड़ी ही देर में सरदार अमरीकसिंह, उनकी बीबी, उनका लड़का, सुरेन्द्रसिंह व उनकी लड़की हरजेन्दर कौर आ गए। अमरीकसिंह ने आते ही महेन्दर-सिंह को हिरासत से छुड़ाने की कोशिश की और सब-इन्सपेक्टर को धक्का दिया। उन्हें करीब १५ औरतों व मर्दों ने घेर लिया। जब वे मुलजिम को छुड़ाने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने लात, घूंसों व डंडों से पुलिस वालों को मारना शुरू किया और एक सरदार साइकिल लेकर पीछे वाले दरवाजे से निकल गया। कान्स्टेबुल जयकरन किसी तरह से वहां से निकल कर भागा और पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी को सूचना दी। कंट्रोल रूम के स्टाफ ने बड़ी कठिनाई से सब-इन्सपेक्टर व कान्सटेबुल को छुड़ाया।

सब-इन्स्पेक्टर डी० डी० वर्मा की सूचना पर धारा १४७/३३२/२२५/२२४/३४२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना आलमबाग पर एक मुकदमा कायम हुआ। श्री अमरीकसिंह ने भी पुलिस स्टेशन आफीसर आलमबाग को जब वह उपरोक्त सूचना पर मौके पर पहुंचे, एक रिपोर्ट दी। सरदार अमरीकसिंह की इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा १४७/३२३/४५२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत सब-इन्सपेक्टर डी० डी० वर्मा व अन्य पुलिस वालों के विरुद्ध थाना आलमबाग में कायम हुआ।

इस घटना में कान्स्टेबुल शब्बीर अहमद को दो साधारण चोटें, जयकरनसिंह को ६ साधारण चोटें, तथा सब-इन्स्पेक्टर राम शकल चौबे, जो कंट्रोल रूम की गाड़ी में थे, के हाथ में एक साधारण चोट पहुंची।

जिन बारह आदमियों को चोटें पहुंचने को सरदार अमरीक ने लिखाया था उनमें से एक व्यक्ति ने डाक्टरी ही नहीं कराई, ६ व्यक्तियों के जिस्म पर कोई चोट नहीं पायी गई, बाकी ५ व्यक्तियों के जिस्म पर एक-एक चोट पायी गई।

उपरोक्त दोनों मुकदमों में जांच हो रही है।

परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

फर्रुखाबाद जिले के स्थानों के नाम, जोकि विद्युतीकरण के लिये चुन लिये गये हैं, निम्नलिखित हैं—

१—समधिन
२—सिरोली
३—बरझाला
४—तिरवागंज
५—कमपिल
६—रायपुर
७—धीरपुर
८—बारेकेशो
९—सरायप्रयाग
१०—पखाना
११—रुहिला
१२—भूरमगरिया
१३—महमोदाबाद
१४—मदनपुर
१५—अफबरपुर
१६—उबरिखेरा, मकरन्द
१७—भउरसिदाबाद
१८—चिलौली
१९—अतोपुर
२०—कुनियाखेरा
२१—नवाबगंज
२२—निवकरोरी
२३—खेमसेपुर
२४—पिपरगांव
२५—सिकन्दरपुर
२६—जलालाबाद
२७—तलग्राम

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०५ पर)

जिला बुलन्दशहर में जिला चौकी रामघाट के अन्तर्गत जनवरी, १९६१ से मई, १९६३ तक दर्ज हुई चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी की रिपोर्ट से संबंधित सूचना

क्र० सं०	अपराध	दर्ज हुई रिपोर्ट की संख्या	जांच की गई	चालान किए गए	सजायाब हुए	सजायाब नहीं हुए	जो मुकदमे सजायाब नहीं हुए उनके छूटने का कारण	अन्य विवरण
१	चोरी	६७	६३	१५	४	८	गवाहों का विरुद्ध हो जाना	४ मामलों में जांच नहीं की गई। ४८ मामलों में कुछ पता नहीं लग सका। ३ मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।
२	डकैती	१	१	१	१	..	..	..
३	कत्ल	५	५	३	२	१	गवाहों का विरुद्ध हो जाना।	२ मामलों में कुछ पता नहीं लग सका।
४	राहजनी	..	..	..	..	..	..	..

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६पर)

प्रश्न सं० १५ में उल्लिखित रोड एक्सीडेन्ट्स के निम्नलिखित कारण थे :—

(१) चालकों का वाहनों को असावधानी से चलाना,

(२) चालकों का नशा पीकर वाहनों को चलाना,

(३) चालकों का तीव्र गति से वाहन को चलाना,

(४) चालकों का सड़कों पर लगे संकेत चिह्नों पर कोई ध्यान न देकर, वाहनों को चलाना।

जिला मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए जन मार्गों तथा चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त चेकिंग सतर्कता से की जाती है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६ पर)

	देने की तिथि	रुपया
१—एफ० आर० शुगर फैक्टरी, बरेली ..	५-११-६२	२,००८.८०
	१६-११-६२	१,०००.००
	३०-११-६२	३५०.००
	२२-१२-६२	१,०००.००
	११-१-६३	५०.००
	२२-३-६३	७०.००
	५-५-६३	२००.००
	९-७-६३	८,२७२.००
कुल ..		१२,९५०.८०
२—केशर शुगर वर्क्स, बहेड़ी (बरेली) ..	२०-११-६२	१,००१.००
	९-१२-६२	१०,००१.००
	२९-१२-६२	५,०००.००
	१४-१-६३	४०५.६४
	२४-१-६३	१०१.४१
	११-२-६३	१,००,०००.००
कुल ..		१,१६,५०९.०५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०८ पर)

इलाहाबाद जिले में जून, जुलाई, अगस्त, १९६३ में पिस्तौल, छूरे और लाठियों से की गई हत्याओं का विवरण

क्रम-संख्या	थाना	मारे गए व्यक्ति का नाम व पता	हत्या का स्थान	किन हथियारों से हत्या की गई
१	कोतवाली	अब्दुल जब्बार, नि० रानी-मंडी।	काजी की मस्जिद के पास खुल्दाबाद।	चाकू
२	कर्नलगंज	राजाराम, सा० कटरा	टी० स्टाल, कोर्ट कम्पाउंड, इलाहाबाद।	पिस्टल
३	कोखराज	महादेव प्रसाद, ग्राम दरवेशपुर।	ग्राम असावा	लाठी व कांता
४	कोखराज	१—बिश्रा पासी २—मंगल पासी ग्राम कसिया।	ग्राम चन्दवारी	लाठी व कांता
५	नवाबगंज	ब्रिजराजी, सा० सुकल का पुरवा।	सुकल का पुरवा	पिस्तौल
६	मंझनपुर	गजराज अहीर सा० था०, खखेरू, जिला फतेहपुर।	मौजा बल्ला	लाठी, बल्लम
७	मंझनपुर	श्रीमती निसारून, अफजल-पुर वारी।	ग्राम अफजलपुर वारी	करौली से
८	मंझनपुर	भोला पासी, ग्राम बरूई	ग्राम बंकई	लाठी, बल्लम
९	सैनी	लड़की होली, उम्र ११ साल ग्राम हब्बूनगर।	हब्बूनगर	करौली
१०	पश्चिम सरीर।	अश्वनी कुमार, ग्राम बेरूवा।	ग्राम गढ़ी	फरसा, बल्लम, लाठी
११	,,	अमरनाथ, सा० डूडो-मजरा सहरा।	ग्राम डूडी	तमंचा, फरसा से
१२	सराय ममरेज	हीरामनी, ग्राम सिर्सा	ग्राम सिर्सा	लाठी
१३	हंडिया	रघुनाथ, ग्राम बढ़ौली	ग्राम बढ़ौली	लाठी, बल्लम
१४	नैनी	विश्वनाथ, सा० मन्नाका	पुरावा मन्ना का पुरवा	लाठी व फर्सा
१५	नैनी	मोतीलाल, ग्राम अरैल	ग्राम अरैल	रिवाल्वर
१६	मांडा	जगनारायन, ग्राम घरांव गजपत।	ग्राम घराव गजपत	कांता, बल्लम, लाठी
१७	करछना	श्रीमती सीवादेवी, ग्राम बोघा का पुरा।	बोघा का पुरा	लाठी बल्लम

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३४ पर)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९६३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७

यह इष्टकर है कि यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन

२—यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९६३" के स्थान पर संख्या "१९६८" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में बिजली के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण तथा उसके वाणिज्य और व्यवसाय पर एक सीमित अवधि तक नियन्त्रण रखने के अधिकार की व्यवस्था की गयी है। बिजली की मांग सप्लाई से कहीं अधिक होने के कारण इस विधि के बनाने की अपेक्षा हुई तथा यह आवश्यक समझा गया कि सरकार के पास बिजली के उत्पादन, सप्लाई वितरण आदि पर नियन्त्रण का अधिकार होना चाहिये।

२—इस अधिनियम की वर्तमान अवधि ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होती है। बिजली सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, किन्तु बिजली की मांग उससे कहीं अधिक है जितनी कि व्यवसाय सप्लाई कर सकता है। अतएव, यह आवश्यक है कि यह अधिनियम पांच वर्ष के लिये और बढ़ा दिया जाय।

३—यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

यूनाइटेड प्राविंसेज एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ का उद्धरण

(U. P. ACT No. VI OF 1947)

X X X X

X X X X

It is hereby enacted as follows :

Short title, extent, commencement and duration.

1. (1) This Act may be called the United Provinces Electricity (Temporary Powers of Control) Act, 1947.

(2) It extends to the whole of the United Provinces.

(3) It shall come into force on the Ist day of October, 1946.

(4) It shall cease to have effect after September 30, 1963 except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof, and section 6 of the United Provinces General Clauses Act, 1904, shall apply upon the expiry of this Act as if it had then been repealed by an Act of this Province.

X X X X

X X X X

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ठ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ७३४ पर)

उ० प्र० अधिनियम सं० ३४, १९५८

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है)

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) के अंग्रेजी रूपान्तर की धारा २ के खंड (बी) में "कोलन" के स्थान पर "सेमीकोलन" रख दिया जाये।

धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(१) उपधारा (२) में, शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायें; और

(२) वर्तमान उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) यदि अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो ऐसे अस्वीकरण के आधार प्रार्थी को, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर संदिष्ट किये जायेंगे।

नयी धारा ७-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ७-क बढ़ा दी जाये—

कपट से प्राप्त अनुज्ञा का रद्द किया जाना

"७-क—यदि धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ऐसी अनुज्ञा किसी सारवान व्यपदेशन (misrepresentation) या किसी कपटपूर्ण वक्तव्य या सूचना के परिणामस्वरूप दी गयी थी तो नियत प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञा को, उन कारणों से जो अधिलिखित किये जायेंगे, रद्द कर सकता है, और तदधीन किया गया कोई कार्य, ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझा जायगा।"

धारा ८ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ८ के खंड (ग) में, शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायं।

धारा ८-ख का संशोधन

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ८-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"८-ख—(१) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही निर्विष्ट कर सकता है, या उसका प्रतिवाद कर सकता है।

(२) नियत प्राधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से ही अथवा, जब नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाय—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही वापस लेगा ;

(ख) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम अथवा प्रचारित आदेश के अधीन किसी अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है ; और

(ग) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।"

७—मूल अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (१) में—

धारा ९ का संशोधन

(१) शब्द "भवन का निर्माण" और शब्द "अथवा" के बीच में कामा तथा तत्पश्चात् शब्द "पुनः निर्माण अथवा उसमें सारवान परिवर्तन करना" बढ़ा दिये जायें ; और

(२) शब्द तथा अंक "धारा ५" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रख दिये जायें।

धारा १० का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १० में जहां-जहां भी शब्द "महत्वपूर्ण परिवर्तन" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सारवान परिवर्तन' रख दिये जायें और मूल अधिनियम के अंग्रेजी रूपान्तर की धारा १० में, जहां-जहां भी शब्द "alteration" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "change" रख दिये जायें।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

धारा १५ का संशोधन

(१) उपधारा (२) में शब्द "या न देने" और शब्द "अथवा धारा' के बीच में शब्द "अथवा धारा ७-क के अधीन "अनुज्ञा रद्द करने की आज्ञा" बढ़ा दिये जायें।

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारायें (३) और (४) बढ़ा दी जायें—

"(३) नियन्त्रक प्राधिकारी उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत की गई अपील पर निर्णय होने तक उस आज्ञा के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित कर सकता है।

(४) उपधारा (३) के अधीन आज्ञा नियन्त्रक प्राधिकारी की ओर से उसके सभापति द्वारा दी जा सकती है और ऐसी आज्ञा नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा दी गयी समझी जायेगी, भले ही धारा ४ में कोई प्रतिकूल बात दी हो।"

धारा १९ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (छछ) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् शब्द "और 'बढ़ा दिया जाय।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ में नियन्त्रक प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना, जिसकी सामान्यतया एक या दो महीने में एक बार बैठक होती है, नियत प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन विधिक कार्यवाहियां नि वष्ट करने या उनका प्रतिवाद करने की व्यवस्था नहीं है। इससे अनावश्यक विलम्ब और अ विधा होती है। नियत प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति द्वारा भवन का पुनः निर्माण या उसमें कोई सारवान परिवर्तन करने पर दन्ड की कोई व्यवस्था अधिनियम में न ीं है। नियत प्राधिकारी की आज्ञाओं को तब तक के लिये स्थगित करने की भी व्यवस्था अधिनियम में नहीं है जब तक कि आज्ञा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर नियन्त्रक प्राधिकारी निर्णय न दे दें। इस अधिनियम में सम्बद्ध पक्ष द्वारा किये गये सारवान व्ययपदेशन (mis-representation) या कपटपूर्ण वक्तव्य के परिणामस्वरूप दी गयी अनुज्ञा के रद्द करने भी की व्यवस्था नहीं है। अधिनियम की इन न्यूनताओं को दूर करने के लिये यह संशोधन विधेयक पुरः स्थापित किया जा रहा है।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में दिये हुये ऐसे उपबन्धों के संबंध में ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकार के प्रतिनिधान की प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हैं

उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा ७ की वर्तमान उपधारा (३) में राज्य सरकार को विनियमों द्वारा वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार नियत प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा अस्वीकार करने के आधार प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से ९० दिन के भीतर संदिष्ट किये जायेंगे।

इस विधेयक के खंड ३ के उपखंड (२) द्वारा उक्त उपधारा (३) के स्थान पर परिष्कृत रूप में एक नयी उपधारा रखने का प्रस्ताव है, किन्तु इसमें उक्त उपबन्ध रखा गया है, जिसमें राज्य सरकार को विनियमों द्वारा वह रीति नियत करने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार ऐसी अस्वीकृति के आधार प्रार्थी को संदिष्ट किये जायेंगे। इस प्रकार इस प्रस्ताव में विधायन अधिकार का कोई नया प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त नहीं है और वर्तमान प्रतिनिधान सामान्य प्रकार का है।

विचित्र नारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

विवरण-पत्र उन धाराओं का, जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है

In this Act unless the context otherwise requires— Section 2

(b) "building" means any structure or erection or part of a structure or erection which is intended to be used for residential, commercial, industrial or other purposes, whether in actual use or not:

धारा ७ अनुज्ञा के लिए प्रार्थना-पत्र

(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह धारा ५ के अधीन प्रचारित आदेशों के सम्बन्ध में अथवा अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, तथा ऐसे आदेशों का ध्यान रखते हुये, या तो ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन यदि कोई हों, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायं, अनुज्ञा दे देगा अथवा ऐसी अनुज्ञा नहीं देगा।

धारा ८ भवनों में प्रवेश का अधिकार

(३) यदि धारा ५ में उल्लिखित आदेशों के प्रचारित होने के पश्चात अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी जाती है, तो पूर्वोक्त आदेशों के प्रकाशन अथव ऐसे प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति, इनमें से जो भी पश्चात् हो, के ९० दिन के भीतर ऐसे अस्वीकरण के आधार ऐसी रीति से जो नियत की जाय प्रार्थी को संदिष्ट किये जायेंगे। नियत प्राधिकारी किसी व्यक्ति को भी भवन अथवा स्थल में अथवा उस पर सहायकों या श्रमिकों सहित अथवा उनके बिना निम्नलिखित प्रयोजनों के निमित्त प्रवेश करने के लिये अधिकृत कर सकता है—

(ग) यह पता लगाने के लिये कि किसी स्थल का विकास अथवा भवन का निर्माण, धारा ५ के अधीन प्रचारित किसी आदेश का उल्लंघन करते हुये अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लघंन करते हुये जिसके अधीन उक्त अनुज्ञा दी गई है, हुआ है अथवा हो रहा है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच समय को छोड़कर तथा अध्यासी को कम से कम २४ घंटे का लिखित नोटिस दिये बिना अथवा यदि कोई अध्यासी न हो तो भवन अथवा भूमि के स्वामी को ऐसा नोटिस दिये बिना कोई प्रवेश न किया जायगा।

धारा ८-ख

नियत प्राधिकारी, नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुये—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई विधिक कार्यवाही निर्दिष्ट कर सकता है, उसका प्रतिवाद कर सकता है या उसे वापस ले सकता है ;

(ख) इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियम अथवा प्रचारित किसी आदेश के अधीन अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकता है, उसके सम्बन्ध में समझौता कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

धारा ९ शास्तियाँ penalties.

(१) किसी व्यक्ति (person) को, जो धारा ५ के अधीन किसी आदेश का उल्लंघन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके, जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गई हो, किसी स्थल विकास अथवा किसी भवन का निर्माण अथवा कोई खोदाई का करना या उसका बढ़ाना अथवा किसी सड़क के लिये रास्ते का बनाना आरम्भ करता है अथवा

उसे पूरा करता है (under takes or carries out), दस हजार रुपये तक का अर्थदन्ड दिया जा सकता है और अपराध अनवरत रूप से होने की दशा में अपराध के निमित्त प्रथम दोष-सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त, जिसमें अपराध जारी रहे, उसे पांच सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थदन्ड दिया जा सकता है ।

धारा १०
कुछ दशाओं में भवन गिराने की आज्ञा

यदि इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेश का उल्लघंन करके अथवा धारा ६ में अभिदिष्ट अनुज्ञा के बिना अथवा किसी ऐसे प्रतिबन्ध का उल्लघंन करके जिस के अधीन अनुज्ञा दी गई हो, किसी भवन का निर्माण या पुन : निर्माण अथवा इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आरम्भ किया गया हो, अथवा हो रहा हो अथवा पूर्ण हो चुका हो तो नियत प्राधिकारी किसी ऐसे अभियोजना (prosecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निविष्ट किया जाय, यह आज्ञा दे सकती है कि उसका स्वामी ऐसे निर्माण, पुन : निर्माण या महत्वपूर्ण परिवर्तन को ऐसी अवधि के भीतर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय और जो किसी दशा में दो मास से अधिक न होगी, गिरा दे और स्वामी द्वारा आज्ञा का अनुपालन न किये जाने पर नियत प्राधिकारी उसे स्वयं गिरवा सकता है तथा इस प्रकार गिरवाने का व्यय उसके स्वामी से उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा जैसा कि मालगुजारी की बकाया (as arrear of land revenue):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसी आज्ञा तब तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि स्वामी को सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया गया हो ।

Section 10.
Order of demolition of buildings in certain cases.

Where the erection or re-erection of or material alteration in any building has been commenced or is being carried on or has been completed in contravention of any direction issued under this Act or without the permission referred to in section 6 or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted, the prescribed authority may, in addition to any prosecution that may be instituted under this Act, make an order directing that such erection, re-erection or material alteration shall be demolished by the owner thereof within such period not exceeding two months as may be specified in the order, and on the failure of the owner to comply, with the order the prescribed authority may itself cause the erection, re-erection or material alteration to be domolished and the expenses of such demolition shall be recoverable from the owner in the same manner as an arrear of land revenue :

Provided that no such order shall be made unless the owner has been given an opportunity of being heard.

धारा १५
अनुज्ञा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने वाली आज्ञायें अन्तिम होंगी

(१) धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा देने या न देने की कोई आज्ञा, उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगी और उस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

(२) धारा ७ के अधीन अनुज्ञा देने या न देने अथवा धारा १० के अधीन किसी निर्माण को गिराने अथवा इस अधिनियम के अधीन दन्ड किसी अपराध का अभियोजन प्रारम्भ करने की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर नियन्त्रक प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है और नियन्त्रक प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा तथा इस पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जा सकेगी ।

(२) विशेषतः एवं पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् —

धारा १९ नियम बनाने का अधिकार

(छछ) इस अधिनियम की धारा ५ और १४ में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में इसकी धारा ७(१) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र पर, लेखों तथा मानचित्रों आदि की प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना-पत्र पर तथा अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन प्रस्तुत अपील के ज्ञापन पर शुल्क लगाना ।

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely—

Section 19. Power to make regulations.

(gg) for the levy of fee on an application for grant of permission under section 7(1) of this Act in respect of matters specified in sections 5 and 14 thereof and for obtaining copies of documents and maps, etc., and on a memorandum of appeal filed under sub-section (2) or section 15 of this Act.

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३५ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इस अधिनियम की धारा २, ३, ४ तथा ५, दिनांक १८ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुई समझी जायगी, तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रचलित होंगे ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा १७ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १७ की उपधारा (१) में शब्द "जिला परिषद्" और शब्द "स्थापित करेगी" के बीच में कामा, शब्द तथा अंक "धारा १८ की उपधारा (१) तथा (२) के अधीन उसकी रचना के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र," रख दिये जायं ।

धारा १८ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) में शब्द "उक्त उपधारा के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र" निकाल दिये जायं ।

धारा १९ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, जिला परिषद् का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के लिये अर्ह किसी व्यक्ति को तब तक के लिये अध्यक्ष नामांकित कर सकती है जब तक कि धारा १७ के अधीन प्रथम जिला परिषद् की स्थापना के पश्चात् अध्यक्ष का निर्वाचन न हो जाय ।"

धारा २० का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "की उपधारा (१)" और शब्द, कोष्ठक तथा अंक "तथा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके अनुमेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा" निकाल दिये जायं ।

नामांकन का वैधीकरण

६—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड, जैसा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (पंचम) आदेश, १९६३ द्वारा बढ़ाया गया है, के अधीन किये गये नामांकन, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किये गये समझे जायेंगे

और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री अथवा आदेश में किसी विपरीत बात के होते हुए भी इस प्रकार किये गये नामांकन वैध होंगे और सदा से वैध समझे जायेंगे ।

७—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ निरस्त किया जाता है । उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९६३ का निरसन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की अवधि ३० जून, १९६३ को समाप्त हो रही थी और यह इरादा था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन जिला परिषदें उसके तुरन्त बाद कार्य करने लगेंगी । अतएव उनके संघटन के लिये आवश्यक कदम उठाये गये और अध्यक्षों के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया । किन्तु इस बीच उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकायें प्रस्तुत हो गयीं जिनमें धारा १८(२) के अधीन किये गये सदस्यों के अनुमेलन की तथा अध्यक्षों के प्रस्तावित चुनाव की वैधता को चुनौती दी गई । क्योंकि याचिकाओं पर निर्णय होने से पहले चुनाव नहीं किये जा सकते थे, अतएव उक्त अधिनियम की धारा २७२ के अधीन कठिनाइयों को दूर करने की एक आज्ञा जारी की गई, जिसके द्वारा धारा १९ में परिष्कार किया गया । इस प्रकार हुई अपरिहार्य अन्तरिम अवधि के लिये परिष्कृत उपबन्ध के अधीन अध्यक्षों के नामांकन किये गये । किन्तु उच्च न्यायालय ने १७ सितम्बर, १९६३ को यह निर्णय दिया कि कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा-शक्ति अतीत है और यह भी कहा कि उक्त उद्देश्य ऐसी आज्ञा के बजाय एक अध्यादेश द्वारा पूरा हो सकता था ।

अतएव १७ सितम्बर, १९६३ को राज्यपाल ने एक अध्यादेश नामांकनों के वैधीकरण के लिये और मूल अधिनियम की व्याख्या के विषय में उत्पन्न हुए संदेहों के निवारणार्थ कुछ छोटे मोटे संशोधन करने के लिए, प्रख्यापित किया ।

प्रस्तुत विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये है । क्योंकि अध्यादेश 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार विधान सभा के पुनः समवेत होने के छः सप्ताह के समाप्त होने पर प्रवर्तन में न रहेगा ।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

सुचेता कृपालानी,
विकास मंत्री ।

विवरण, जिसमें मूल अधिनियम की वे संगत धारायें दी गई हैं, जिनमें संशोधन करना है

जिला परिषदों की स्थापना तथा उनका निगमन

१७—(१) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, और विज्ञप्ति में उल्लिखित किये जाने वाले दिनांक से, प्रत्येक जिले के लिये एक जिला परिषद् स्थापित करेगी, जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा, जिसके लिये वह स्थापित की जाय ।

* * *

१८—(२) उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्य, उक्त उपधारा के अधीन जिला परिषद् का संघटन या पुनस्संघटन होने के पश्चात् यथा क्य शीघ्र, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी रीति से जो नियत की जाय, निम्नलिखित को जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में अनुमेलित करेंगे:—

(१) उतनी महिलाएं जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्याओं (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या ऐसे जिले के संबंध में जिसमें खण्डों की संख्या सात से अधिक न हो, कुल मिलाकर तीन और किसी अन्य जिले के संबंध में कुल मिला कर पांच हो जाय; और

(२) अनुसूचित जातियों के उतने व्यक्ति जिनसे उपधारा (१) में उल्लिखित सदस्यों में से अनुसूचित जातियों के सदस्यों (यदि कोई हों) के सहित उनकी संख्या उतनी हो जाय जो निर्दिष्ट की जाय और यह संख्या ऐसे जिले के संबंध में जिसमें खण्डों की संख्या सात तक हो तीन से कम या दस से अधिक न होगी और किसी अन्य जिले के संबंध में पांच से कम या दस से अधिक न होगी :

प्रतिबंध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम जिले से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न हो, अनुमेलित नहीं किया जायेगा; और

प्रतिबन्ध यह भी है कि खंड (२) के अधीन उस दिनांक के पश्चात् कोई अनुमेलन नहीं किया जायेगा, जब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३३४ के अधीन अनुसूचित जातियों के लिये स्थानों का रक्षण करने की व्यवस्था समाप्त हो जाय ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद 'निर्दिष्ट' का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के पूर्व, गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट से है ।

* * *

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

१९—(१) प्रत्येक जिला परिषद् में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा, जिनका निर्वाचन जिला परिषद् के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा ऐसी रीति के किया जायगा जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय और उन नियमों में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन से सम्बद्ध शंकाओं तथा विवादों के निवारण की भी व्यवस्था की जायगी ।

जिला परिषद् और उसके सदस्यों का कार्यकाल

२०—(३) धारा १८ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल जिला परिषद् के कार्यकाल के प्रारम्भ होने के दिनांक से प्रारम्भ होगा तथा उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित किसी सदस्य का कार्यकाल उसके उन्मेलन के दिनांक से प्रारम्भ होगा और, इस धारा में अथवा इस अधिनियम में अन्यत्र की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जिला परिषद् के कार्यकाल तक होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई आकस्मिक रिक्ति हो तो उस सदस्य का कार्यकाल, जो उस रिक्ति की पूर्ति करे, उस दिनांक से प्रारम्भ होगा जब वह उक्त रिक्ति की पूर्ति करने का अधिकारी हो जाय।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५७ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री गेंदासिंह के तारांकित प्रश्न संख्या १७-१९ के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
*१७--क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिये वेयरहाउसिंग की योजना तीनों पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या प्रस्तावित थीं और उसमें कितनी प्रगति अब तक हो सकी है ?	१७--द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वेयरहाउसिंग योजना के निर्धारित लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति इस प्रकार है :

द्वितीय योजना

	लक्ष्य	प्राप्ति
१--भंडारगृह खोलना	५०	३७
२--निर्माण करना	१०	..
३--पूंजी	४० लाख रुपये।	२४ लाख रुपये।

तृतीय योजना

	लक्ष्य	प्राप्ति
१--भंडारगृह खोलना	५०+१३	१७
२--निर्माण करना	२५	..
३--पूंजी	५८ लाख रुपये।	७ लाख रुपये।

*१८--उक्त संबंध में गोदाम कहां-कहां पर कितनी क्षमता के बन सके हैं और उनका उपयोग किस प्रकार हो रहा है ?	१८--अभी तक उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के निजी गोदाम नहीं बन सके हैं। इसके लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
*१९--वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की वार्षिक रिपोर्ट अब तक कितनी प्रकाशित हो सकी है तथा इस योजना के चालू होने से अब तक प्रति वर्ष लाभ हानि का क्या ब्योरा है ?	१९--कारपोरेशन की १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६ -६२ की वार्षिक रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। लाभ-हानि का ब्योरा इस प्रकार है :

वर्ष	लाभ रु० न० पै०	हानि रु०न०पै०
१९५८-५९	५६.००	१८,०३२.५४
१९५९-६०	५,६०७.५६	..
१९६०-६१	९,६८९.९३	..
१९६१-६२	..	२०,००४.८१

चतुर्भुज शर्मा,
सहकारिता मंत्री।

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

उत्तर प्रदेश में बाढ़ द्वारा हुई क्षति का विवरण-पत्र (५–१०–१९६३ तक)

(क)

क्रम-सं०	जिले का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र फल एकड़ में	प्रभावित जन-संख्या	नष्ट हुये या क्षति ग्रस्त मकानों की संख्या	जीव हानि	
							मनुष्य	पशु
१	२		३	४	५	६	७	८
१	सहारनपुर	..	२२०	३६,६५५	२२,०५८	२१३	..	२८
२	मुजफ्फरनगर	..	९७१	५,७६,०००	४,७७,९४७	२६,०००	२०	५४१
३	मेरठ	..	८८०	३,२०,०००	४,००,०००	६८,०००	१०७	४६९
४	बुलन्दशहर	..	१,४२२	६,६०,०००	६,५०,०००	४९,०००	२७	१३२
५	अलीगढ़	..	१,३५८	२,२६,६४६	५,९६,७१५	३३,०६१	३१	१०३
६	मथुरा	..	७४३	४,२१,१७५	२,४०,९१७	२०,२०५	१३	११४
७	आगरा	..	५५९	२,०७,५४४	२,५६,८३४	१५,३३३	२०	५५
८	मैनपुरी	..	१,१०७	२,६९,७२०	३,९६,५४०	१५,४७४	२२	५४
९	एटा	..	९८०	२,६१,३६३	५,६०,०३९	६,३३९	१०	१८
१०	बिजनौर	..	१७३	७४,४१३	७,०००	१,४५०	६	३५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-सं०	जिले का नाम		प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल एकड़ में	प्रभावित जन-संख्या	नष्ट हुये या क्षति ग्रस्त मकानों की संख्या	जीव हानि	
							मनुष्य	पशु
१		२	३	४	५	६	७	८
११	बदायूं	..	६३६	२,४१,३०८	२,४३,५३६	३,८१४	..	..
१२	बरेली	..	२७२	२६,२६३	९९,०३३	५२९	१	..
१३	मुरादाबाद	..	४७५	१,७२,८००	७९,८७०	७,६७५	१	१४८
१४	शाहजहांपुर	..	३६०	८९,३२८	१,०९,९६९	४१५	२	..
१५	पीलीभीत	..	२७७	६५,१००	५२,०००	५४५	१	१
१६	रामपुर	..	१३०	२८,०००	२२,९००	१७३	..	..
१७	फर्रुखाबाद	..	५६१	१,६१,०९१	१,५०,५८४	१,७९९	१	..
१८	इटावा	..	४६९	७५,३९२	२६,९००	२,५७१	९	३
१९	कानपुर	..	२१	२,०००	..	..	..	..
२०	फतेहपुर	..	७०	४,५४२	..	..	..	..
२१	इलाहाबाद	..	२९	१,०४०	..	१९०	१	१
२२	जालौन	..	४५	२,१७८	२,२९५	१८०	..	..
२३	जौनपुर	..	२१	८,९८०	..	..	..	..
२४	गोरखपुर	..	९४२	१,७३,६१३	१,८३,७४३	१४८	२	..
२५	बस्ती	..	१,२१७	१,८२,८७८	१,६४,६००	६००	१	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२६	आजमगढ़	..	८३१	७१,०००	५६,६००	५९०	१	५
२७	देवरिया	..	७५८	१,७७,८१७	२,८१,०८५	५०	..	..
२८	गढ़वाल	..	..	..	..	..	२	३
२९	टेहरी गढ़वाल	..	६५	४३१	८००	६३	२	३
३०	अल्मोड़ा	..	१०	११	..	११	६	६
३१	लखनऊ	..	४०	६,०००	४,०००	..	..	..
३२	उन्नाव	..	४५९	२,५०,२४०	१,२९,०००	५७८	३	..
३३	रायबरेली	..	७	१,७१०	१,९००	..	..	..
३४	सीतापुर	..	८०७	३,४८,३५५	३,६७,८००	५०३	५	४
३५	हरदोई	..	३७९	१,४१,९६७	१,५३,७२८	७०३	३	..
३६	खीरी	..	५००	२,००,०००	२,५०,०००	२,०००	२	..
३७	फैजाबाद	..	५५२	२,०४,९९०	८६,४२७	१४०	..	..
३८	गोंडा	..	३४१	१,५२,९२४	१,२६,०६०	१,५९०	..	३
३९	बहराइच	..	२५६	१,३०,७६०	८३,९२७	४१३	..	३५
४०	बाराबंकी	..	३१०	१,१६,९१३	१,२८,६७३	२,८८३	१	१
		योग ..	१९,२५३	६०,९८,१४७	६४,१५,७८०	२,६५,२४८	३००	१,७६४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश में बाढ़ के निमित्त दी गई सहायता का विवरण-पत्र (५-१०-६३ तक)

क्रम-संख्या	जिले का नाम		सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये गये		वितरण के लिये स्वीकृत धनराशि			
			मनुष्य	पशु	गृह निर्माण सहायता	निःशुल्क सहायता	प्रकीर्ण कार्य	तकावी
१	२		३	४	५	६	७	८
१	सहारनपुर	..	..	..	..	५,०००	५,०००	३०,०००
२	मुजफ्फरनगर	..	३००	३,००	१,१०,०००	२५,०००	५,०००	७०,०००
३	मेरठ	..	१३,७००	८,०००	३,५०,०००	५५,०००	१५,०००	६,८०,०००
४	बुलन्दशहर	..	४०,०००	२५,०००	१,५०,०००	५६,२००	१७,०००	२,१८,०००
५	अलीगढ़	..	९२४	१०	५०,०००	२५,०००	६,०००	३,३२,०००
६	मथुरा	..	५७०	६२९	५३,०००	२,०००	२,०००	३,१७,०००
७	आगरा	..	..	..	१,१५,०००	२९,०००	८,५००	३,८२,०००
८	मैनपुरी	..	..	..	२०,०००	१२,०००	६,५००	१,८२,०००
९	एटा	..	..	..	२३,०००	७,५००	५,५००	१,६७,०००
१०	बिजनौर	..	३००	..	१०,०००	२,१००	२,०००	६०,०००
११	बदायूं	..	२,६५०	..	४५,०००	३३,९००	५,०००	८०,०००
			(मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित हैं)					
१२	बरेली	..	८६ परिवार	..	९,२५०	५,०००	४,०००	५०,०००
१३	मुरादाबाद	..	१,७८५	६५९	२५,०००	४,०००	४,०००	१,१०,०००
१४	शाहजहांपुर	..	२,९५२	४,२५५	१०,०००	५,०००	४,०००	६०,०००
१५	पीलीभीत	..	२,०००	२,५००	..	५,०००	४,०००	४०,०००
१६	रामपुर	..	..	..	..	२,५००	२,०००	१,३०,०००
१७	फर्रुखाबाद	..	४,१६८	२,५५८	..	५,०००	५,०००	३०,०००
१८	इटावा	..	..	..	..	१,०००	१,०००	१,००,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९	कानपुर	..	..	५००	..	५,०००	५,०००	४०,०००
२०	फतेहपुर	..	..	..	..	१,०००	१,०००	५०,०००
२१	इलाहाबाद	..	३,९७५	..	..	१५,०००	५,०००	२,००,०००
२२	जालौन	..	..	..	..	१,०००	१,०००	७०,०००
२३	जौनपुर	..	..	..	..	२४,५००	..	६९,०००
२४	गोरखपुर	..	..	४०८	..	२५,०००	२०,०००	२,००,०००
२५	बस्ती	..	९९२	..	..	१०,०००	१०,०००	२,५०,०००
२६	आजमगढ़	..	४८६	८०६	५,०००	५,०००	५,०००	१,६५,०००
२७	देवरिया	..	१९	१२	..	२०,०००	२०,०००	२,००,०००
२८	गढ़वाल	..	..	..	..	२,०००	१,०००	३,०००
२९	टेहरीगढ़वाल	..	..	..	..	५,०००	..	११,०००
३०	अल्मोड़ा	..	..	..	..	६,०००	५,०००	६,०००
३१	लखनऊ	..	..	..	..	५,०००	१०,०००	३७,५००
३२	उन्नाव	..	४९०	१,६१८	..	५,०००	५,०००	१,२३,०००
३३	रायबरेली	..	३०	१००	..	३,०००	१,०००	२४,०००
३४	सीतापुर	..	१,५७२	..	..	५,०००	५,०००	१,५२,०००
३५	हरदोई	..	..	..	..	८,०००	९,०००	१,८२,०००
३६	खीरी	..	४००	१,०००	२,०००	६,०००	५,०००	६९,०००
३७	फैजाबाद	..	९४७	९८१	..	५,०००	५,०००	४९,३६१
३८	गोंडा	..	६,३८३	४,६००	..	५,०००	५,०००	३७,८७५
३९	बहराइच	..	८५९	..	२०,०००	५,०००	..	३९,९६८
४०	बाराबंकी	..	८,६४४	१९,२३१	४,०००	५,०००	५,०००	९९,४२१
		योग ..	९४,१४६ और ८६ परिवार	७५,८६७	१०,०१,२५०	४,५१,७००	२,२४,५००	५१,१६,६२५

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १३८ एल० ए० १९६३--८६० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा